23rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2024-2025

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

26th January 2025 Republic Day

गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर माननीय निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी. के. बनिक द्वारा गांधी मैदान, नामरूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा सीआईएसएफ, वैनगार्ड एवं केन्द्रीय विद्यालय, नामरूप के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया गया।

On the occasion of Republic Day, 2025 , Hon'ble Director (Production), additional charge Chairman & Managing Director Shri P K Banik Un furls the National Flag at Gandhi Maidan, Namrup and inspected the parade by CISF, Vanguard, and school students from Kendriya Vidyalay, Namrup.

श्री पी. के. बनिक, निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्रीमती मीतू बनिक, श्री पी. के. बनिक की धर्मपत्नी, विभिन्न कार्यक्रमों में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए।

Shri P K Banik Director (Production), additional charge Chairman & Managing Director and Smt. Mitu Banik, wife of Shri P K Banik, handing over certificates to participants who won the various programmes.

23वीं वार्षिक रिपोर्ट
23rd ANNUAL REPORT

2024-2025

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, डाकघरः पर्बतपुर, जिला डिब्रूगढ़ – 786623, असम
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Regd. Office : Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist: Dibrugarh -786623, Assam

9 दिसंबर 2024- बीवीएफसीएल फुटबॉल टीम ने AJYCP, जॉयपुर द्वारा आयोजित 7वें सालाना रेनफॉरेस्ट फुटबॉल वीक में पहला इनाम जीता।
9th December 2024- BVFCL football team bagged first prize at 7th Annual Rainforest Football Week organized by by AJYCP, Joypore.

9 दिसंबर 2024- यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह का समापन समारोह
9th December 2024- Closing ceremony of Sexual Harassment Prevention Week

13 दिसंबर 2024- बीवीएफसीएल के प्रतिनिधियों ने डिगबोई रिफाइनरी द्वारा आयोजित "ऑनसाइट कम ऑफसाइट डिजास्टर ड्रिल (L-3)" में हिस्सा लिया।
13th December 2024- BVFCL representatives attended the "onsite cum offsite disaster drill (L-3)" organized by Digboi Refinery

17 दिसंबर 2024- बीवीएफसीएल यूनियनों ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ नामरूप-IV के बारे में उपयोगी चर्चा की।
17th December 2024- BVFCL Unions had a fruitful discussion regarding Namrup-IV with Union Minister Shri Sarbananda Sonowal at New Delhi.

20 दिसंबर 2024 को बीवीएफसीएल कर्मचारी यूनियन ने नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की।
20th December 2024- BVFCL employee Union had a significant discussion with Union Minister of Chemicals and Fertilizer Shri J.P Nadda at New Delhi

23 दिसंबर 2024- बीवीएफसीएल के पदाधिकारियों ने नाहरकटिया विधायक श्री तरंगा गोगोई के साथ सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के साथ सार्थक चर्चा की।
23rd December 2024- BVFCL's office bearers had a meaningful discussion with CM Himanta Biswa Sarma accompanied by Naharkatiya MLA Shri Taranga Gogoi.

30 दिसंबर 2024- श्री भास्कर बाबू, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षा योजना ने BVFCL में मुख्य अतिथि सह-वक्ता के रूप में हिंदी कार्यशाला में भाग लिया।
30th December 2024- Mr. Bhaskar Babu, Assistant Director, Hindi Education Scheme attended the Hindi Workshop as Chief Guest cum Co-speaker at BVFCL.

8 जनवरी 2025 - माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और चेयरमैन ने बीवीएफसीएल के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2024 के कार्यकाल के लिए सेफ्टी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की।
8th January 2025- Hon'ble CMD & Chairman heads the Safety Committee meeting for the tenure 2024 at the conference hall of BVFCL.

19 जनवरी 2025- नामरूप के स्कूली छात्रों के लिए निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिता के ज़रिए गणतंत्र दिवस से पहले का जश्न।
19th January 2025- Pre-Republic Day celebration through an essay and a drawing competition for the school students of Namrup.

26 जनवरी 2025- गांधी मैदान में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार बनिक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
26th January 2025- 76th Republic Day celebrated at Gandhi Maidan- CMD Shri Pradip Kumar Banik unfurled the National Flag.

30 जनवरी 2025- बीवीएफसीएल ने शहीद दिवस पर आज़ादी, न्याय और समानता के सिद्धांतों के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
30th January 2025- BVFCL paid tribute to the Martyrs who laid lives for the principles of freedom, justice and equality on Martyrs Day.

1 फरवरी 2025 को नाहरकटिया के विधायक तरंग गोगोई ने राज्य बजट में 12.7 MT यूरिया प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बीवीएफसीएल का दौरा किया।
1st February 2025- Naharkatiya MLA Taranga Gogoi visited BVFCL to share the proposal of the establishment of 12.7 MT Urea plant in the State Budget.

9 फरवरी 2025 - 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने के लिए, बीवीएफसीएल ने नामरूप के स्कूली छात्रों के लिए 'ऑन द स्पॉट सेफ्टी ड्राइंग प्रतियोगिता' का आयोजन किया।
9th February 2025 - To celebate 54th National Safety Day, BVFCL organized 'On the spot safety drawing competition' for the school students of Namrup.

11 से 14 फरवरी 2025 तक – बीवीएफसीएल ने यशोभूमि, नई दिल्ली में एक हफ़्ते तक चलने वाले समिट में #IndiaEnergyWeek 2025 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

11th -14th February 2025 - BVFCL marks its presence in the #IndiaEnergyWeek 2025 at Yashobhoomi, New Delhi for a week-long Summit.

25 फरवरी 2025 - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 के तहत नामरूप-IV परियोजना की घोषणा की।

25th February 2025 - Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi announces the Namrup-IV project at Advantage Assam 2.0.

27 फरवरी 2025 - माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने नाहरकटिया विधायक श्री तरंग गोगोई के साथ एडवांटेज असम 2.0 में बीवीएफसीएल के स्टॉल का दौरा किया।

27th February 2025 - Hon'ble CM Dr. Himanta Biswa Sarma visited BVFCL stall at the Advantage Assam 2.0 along with Naharkatiya MLA Shri Taranga Gogoi.

1 मार्च 2025- उर्वरक विभाग के उप निदेशक (राजभाषा) ने बीवीएफसीएल में हिंदी निरीक्षण सत्र का नेतृत्व किया।
1st March 2025 - Deputy Director (Rajbhasa) leads Hindi inspection Session at BVFCL.

4-7 मार्च 2025 - BVFCL ने 4 से 7 मार्च तक "सुरक्षा और भलाई विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं" थीम के साथ 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया।
4th-7th March 2025 - BVFCL observed 54th National Safety Week from 4th to 7th March with its theme “Safety and wellbeing crucial for Vikshit Bharat”.

15 मार्च 2025 को, महा प्रबंधक (मानव संसाधन) श्री समित मोहपात्रा ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में NIPM, असम के 45वें फाउंडेशन डे में स्पीकर के तौर पर हिस्सा लिया।
15th March 2025 - Shri Samit Mohapatra, General Manager (HR) participated as a speaker at NIPM, Assam 45th Foundation Day held at Dibrugarh University.

1 अप्रैल 2025 - बीवीएफसीएल ने JNKVV, जबलपुर (MP) में दो दिवसीय किसान मेला सह बाजरा मेले में भाग लिया।
1st April 2025 - BVFCL participated in two day Kishan Mela cum Millets Mela at JNKVV, Jabalpur (MP).

2 अप्रैल 2025 - श्री मोहन राज शेट्टी ने बीवीएफसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला।
2nd April 2025 - Shri Mohan Raj Shetty takes charge as the new Chairman and Managing Director of BVFCL.

4 से 10 अप्रैल 2025 तक गांधी मैदान, बीवीएफसीएल में सालाना स्पोर्ट्स वीक बड़े उत्साह और बेहतरीन खेल भावना के साथ मनाया गया।
4th- 10th April 2025 - Annual Sports Week celebrated with great enthusiasm and high sportsmanship at Gandhi Maidan, BVFCL.

5 अप्रैल 2025- बीवीएफसीएल का 24वां स्थापना दिवस स्वर्गीय मोहिनी नाथ फुकन को फूलों की श्रद्धांजलि देकर और बीवीएफसीएल का झंडा फहराकर मनाया गया।

5th April 2025 - 24th Foundation Day of BVFCL celebrated by offering floral tribute to Late Mohini Nath Phukan and by unfurling the BVFCL flag.

14 अप्रैल 2025 को बीवीएफसीएल में "यूनाइट टू इग्नाइट, ए फायर सेफ इंडिया" थीम के साथ राष्ट्रीय सेवा दिवस मनाया गया।

14th April 2025 - National Fire Service Day observed aligning with the theme “Unite to Ignite, a Fire safe India” at BVFCL.

15 मई 2025- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मोहन राज शेट्टी ने नामरूप रोजोहुआ रोंगाली बिहू सम्मेलन में शिरकत की। बीवीएफसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

15th May 2025- CMD Shri Mohan Raj Shetty graced the Namrup Rojohua Rongali Bihu Sanmilan. Other senior officials of BVFCL were also present.

16 मई 2025– यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (यूपीएल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भावी व्यावसायिक संभावनाओं के अन्वेषण हेतु रणनीतिक बैठक के लिए बीवीएफसीएल का दौरा किया।

16th May 2025 - A delegation from United Phosphorus Limited (UPL) visited BVFCL for a strategic meeting to explore future business endeavors.

24 मई 2025– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री मोहन राज शेट्टी के नेतृत्व में बीवीएफसीएल के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट, 2025 में सहभागिता की।

24th May 2025 - A BVFCL delegation led by CMD Shri Mohan Raj Shetty participated in the Rising North East Investors Summit, 2025 held at Bharat Mandapam, New Delhi.

27 मई 2025 – श्री अतुल कुमार शर्मा , सहायक प्रबंधक (विपणन) के नेतृत्व में बीवीएफसीएल के कर्मचारियों के एक समूह ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित कृषक मेले में सहभागिता की।

27th May 2025- Atul Kumar Sharma, Assistant Manager (Marketing) led a group consisting of BVFCL employees who participated in the Farmers' Fair held at Narsinghpur, Madhya Pradesh.

28 मई 2025– नेशनल फ़र्टिलाइज़र लिमिटेड (एनएफएल) के तकनीकी निदेशक श्री राजेश अग्रवाल ने यूरिया-III एवं अमोनिया-III संयंत्र से संबंधित निरीक्षण तथा विचार-विमर्श के लिए बीवीएफसीएल, नामरूप का दौरा किया।

28th May 2025 - Mr. Rajesh Agarwal, Technical Director of National Fertilizer Limited (NFL) visited BVFCL, Namrup for his inspections and discussions over the Urea-III and Ammonia-III plant.

5 जून 2025 – बीवीएफसीएल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 का आयोजन “प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति” विषय को रेखांकित करते हुए शपथ ग्रहण एवं वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से किया गया।

5th June 2025 - BVFCL observed World Environment Day, 2025 with highlighting the theme “Ending Plastic Pollution” through pledge and plantation drive.

21 जून 2025- बीवीएफसीएल ने "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

21st June 2025 - BVFCL celebrated the 11th International Day of Yoga with embracing the theme “Yoga for One Earth, One Health”.

विषय सूची / CONTENTS

	विषय सूची		CONTENTS	पृष्ठ सं./Page No.
1	निदेशक मंडल	1	Board of Directors	1
2	प्रबंधन टीम	2	Management Team	1
3	निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रोफ़ाइल	3	Profile of the members of the Board of Directors	4
4	नागरिक चार्टर	4	Citizen Charter	7
5	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण	5	Speech of Chairman & Managing Director	10
6	23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	6	Notice of 23rd Annual General Meeting	15
7	निदेशकों का प्रतिवेदन	7	Directors' Report	20
8	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन	8	Management Discussion and Analysis Report	31
9	ऊर्जा संरक्षण के संबंध मे ंविवरण का प्रकटीकरण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय	9	Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo	60
10	एससी, एसटी, ओबीसी और पी एच का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण	10	Annual statement showing representation of SCs, STs, OBCs and PHs	62
11	कॉर्पोरेट अधिशासन प्रतिवेदन	11	Corporate Governance Report	63
12	आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा	12	Declaration of Compliance of Code of Conduct	81
13	सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	13	Secretarial Audit Report	82
14	कॉर्पोरेट अधिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र	14	Compliance Certificate of Corporate Governance	87
15	सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र	15	Certificate of CEO and CFO	94
16	स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	16	Management Replies on the observations stated in Independent Audit Report	97
17	कंपनी के वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	17	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts	132
18	वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	18	Statutory Auditors' Reports	135
19	तुलनपत्र	19	Balance Sheet	173
20	लाभ एवं हानि विवरण	20	Statement of Profit & Loss	175
21	नकदी प्रवाह विवरण	21	Cash Flow Statement	177
22	वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ	22	Notes on Financial Statements	181
23	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	23	Significant Accounting Policies	204
24	प्रदर्शन का संक्षिप्त परिदृश्य	24	Performance at glance	230

निदेशक मंडल

1. **श्री मोहन राज शेट्टी**
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.04.2025 से)
2. **श्री सुबाष चन्द्र दास**
   निदेशक (वित्त)
3. **श्री प्रदीप कुमार बनिक**
   निदेशक (उत्पादन)
4. **डॉ. अश्विनी कुमार**
   सरकार द्वारा नामित निदेशक (28.10.2024 से)
5. **श्री सुरेन्द्र ठाकुर**
   सरकार द्वारा नामित निदेशक (24.12.2024 से)
6. **श्री निरंजन लाल**
   सरकार द्वारा नामित निदेशक (16.07.2024 तक)
7. **श्री हरविन्दर सिंह**
   सरकार द्वारा नामित निदेशक (28.10.2024 तक)
8. **श्री सतीश कुमार शर्मा**
   गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)
   (04.11.2024 तक)
9. **श्री रबीरंजन सेन**
   गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)
   (04.11.2024 तक)

कंपनी सचिव

श्री विकास कुमार झा (09.04.2025 से)
सुश्री प्रियंका कुमारी (06.01.2025 तक)
श्री आशिष श्रीवास्तव (संविदा)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अमित कुमार शर्मा

नामरूप इकाई

श्री डी के दास - महा प्रबंधक (उत्पादन एवं रखरखाव)
श्री एम पी सिन्हा - महा प्रबंधक (तकनिकी)
श्री सत्यजित मिश्रा - महा प्रबंधक (विपणन)
श्री समित मोहपात्रा - महा प्रबंधक (मानव संसाधन) (31.05.2025 तक)
श्री मैथ्यू जॉनसन दारा - महा प्रबंधक (वित्त) (03.10.2024 तक)
श्री अमृत बंद्योपाध्याय - उप महा प्रबंधक(तकनिकी सेवा एवं सूचना प्रद्योगिकी)

BOARD OF DIRECTORS

1. **Shri Mohan Raj Shetty**
   Chairman & Managing Director (Since 02.04.2025)
2. **Shri Subash Chandra Das**
   Director (Finance)
3. **Shri Pradip Kumar Banik**
   Director (Production)
4. **Dr. Ashwani Kumar**
   Govt Nominee Director (Since 28.10.2024)
5. **Shri Surendra Thakur**
   Govt Nominee Director (Since 24.12.2024)
6. **Shri Niranjan Lal**
   Govt Nominee Director (Upto 16.07.2024)
7. **Shri Harvinder Singh**
   Govt Nominee Director (Upto 28.10.2024)
8. **Shri Satish Kumar Sharma**
   Non Official Director (Independent Director)
   (Upto 04.11.2024)
9. **Shri Rabi Ranjan Sen**
   Non Official Director (Independent Director)
   (Upto 04.11.2024)

COMPANY SECRETARY

Shri Vikash Kumar Jha (Since 09.04.2025)
Ms. Priyanka Kumari (Upto 06.01.2025)
Shri Aashish Srivastava (On Contract)

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri Amit Kumar Sharma

NAMRUP UNIT

Shri D. K. Das – GM (Production& Maintenance)
Shri M. P. Sinha – GM (Technical)
Shri Satyajit Misra- GM (Marketing)
Shri Samit Mohapatra – GM (HR) (Upto 31.05.2025)
Shri Mathew Johnson Dara - GM (Finance) (Upto 03.10.2024)
Shri Amrit Bandyopadhyay – DGM (Technical Services& IT)

श्री अल्ताफ अजीम - उप महा प्रबंधक (तकनीकी सेवाएं)
श्री अरुण कुमार डब्लू वी - उप महा प्रबंधक (मानव संसाधन- व्यवस्थापक)
श्री ए के सिंह - उप महा प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) (31.08.2025 तक)
श्री के के दिहिदर - उप महा प्रबंधक (रखरखाव)
श्री ए के दत्ता - उप महा प्रबंधक (विपणन) (31.01.2025 तक)

Shri Altaf Azeem – DGM (Technical Services)
Shri Arun Kumar W.V. – DGM (HR-Admin)
Shri A.K. Singh –DGM (Material Handling) (Upto 31.08.2025)
Shri K.K. Dihider – DGM (Maintenance) (Upto 31.01.2025)
Shri A.K. Dutta – DGM (Marketing) (Upto 31.01.2025)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के आर जयचन्द एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डिब्रूगढ़ (असम)

STATUTORY AUDITOR

M/s. K. R. Jaichand& Co.
Chartered Accountants, Dibrugarh (Assam)

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार, कोलकाता

COST AUDITOR

M/s Subhadra Dutta & Associates
Cost Accountants, Guwahati

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स प्रवीण छाजेर एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, गुवाहाटी

SECRETARIAL AUDITOR

M/s Pravin Chhajer & Associates
Practicing Company Secretaries, Guwahati

पंजीकृत कार्यालय

डाकघर: परबतपुर, नामरूप-786623, जिला-डिब्रूगढ़ (असम)
फोनरू 0374-2500240,
फैक्सरू 0374-2500317
ई-मेल: info@bvfcl-co-in
वेबसाइट का पता : www-bvfcl-com
सीआईएन: U24123AS2002GO1006786

REGISTERED OFFICE

P.O.: Parbatpur, Namrup-786623, District-Dibrugarh (Assam)
Phone: 0374-2500240;
Fax: 0374-2500317
E-mail: info@bvfcl.co.in
Website address: www.bvfcl.com
CIN: U24123AS2002GO1006786

इकाई

नामरूप (असम)

UNIT

Namrup (Assam)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक

BANKERS

State Bank of India
Canara Bank

निदेशक मंडल का विवरण / BOARD OF DIRECTOR

श्री मोहन राज शेट्टी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Mohan Raj Shetty
Chairman & Managing Director

श्री सुबाष चन्द्र दास
निदेशक (वित्त)
Shri Subash Chandra Das
Director (Finance)

श्री प्रदीप कुमार बानिक
निदेशक (उत्पादन)
Shri Pradip Kumar Banik
Director (Production)

डॉ. अश्वनी कुमार
सरकार नामांकित निदेशक
(दिनांक 28.10.2024 से)
Dr. Ashwani Kumar
Govt. Nominee Director
(From 28.10.2024)

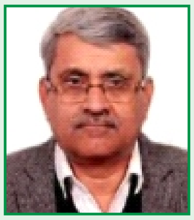

श्री सुरेंद्र ठाकुर
सरकार नामांकित निदेशक
(दिनांक 24.12.2024 से)
Shri Surendra Thakur
Govt. Nominee Director
(From 24.12.2024)

श्री हरविंदर सिंह
सरकार नामांकित निदेशक
(दिनांक 28.10.2024 तक)
Shri Harvinder Singh
Govt. Nominee Director
(Upto 28.10.2024)

श्री निरंजन लाल
सरकार नामांकित निदेशक
(दिनांक 16.07.2024 तक)
Shri Niranjan Lal
Govt. Nominee Director
(Upto 16.07.2024)

श्री एस.के. शर्मा
गैर सरकारी निदेशक
(दिनांक 04.11.2024 तक)
Shri S.K. Sharma
Non Official Director
(Upto 04.11.2024)

श्री रबी रंजन सेन
गैर सरकारी निदेशक
(दिनांक 04.11.2024 तक)
Shri Rabi Ranjan Sen
Non Official Director
(Upto 04.11.2024)

निदेशक मंडल का विवरण/ DIRECTOR'S PROFILE

1. श्री मोहन राज शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (DIN: 11068203)

श्री मोहन राज शेट्टी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कर्नाटक, सुरथकल से सिस्टम्स में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) किया है। उन्होंने वीआरसीई, नागपुर से धातुकर्म में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.), बैचलर इन मास कम्युनिकेशन (बी.एम.सी.) तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट (पीजीडीआईएम) पूर्ण किया है।

श्री शेट्टी के पास विपणन, व्यवसाय विकास, लॉजिस्टिक्स एवं शिपमेंट, खरीद एवं अनुबंध, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सी एंड आईटी), गुणवत्ता (क्यूएमएस), परियोजनाएँ एवं खदानों आदि प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 36 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। उन्होंने संयंत्र के गुणवत्ता एम.आर. के रूप में दायित्व निभाया है तथा SAIL-VISL संयंत्र में जोखिम अधिकारी के रूप में ईआरएम प्रभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने नागपुर एवं मुंबई में विपणन पश्चिमी क्षेत्र शाखा प्रबंधक के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की हैं। ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे स्टील टाउनशिप के टाउन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दायित्व संभाल रहे थे।

वे रक्षा उत्पाद विकास के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पीएसयू पुरस्कार "जवाहर" के प्राप्तकर्ता भी हैं।
श्री शेट्टी ने 02.04.2025 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।"

1.Shri Mohan Raj Shetty, Chairman & Managing Director (DIN : 11068203)

Shri Mohan Raj Shetty has done his Master of Technology (M.Tech.) in systems from National Institute of Technology (NIT) Karnataka, Surathkal. He completed his Bachelor of Engineering (BE) in Metallurgy & Bachelor in Mass Communication (BMC) & Post Graduate Diploma in Industrial Management (PGDIM) from VRCE, Nagpur.

Shri Mohan Raj Shetty carries around 36 years of core sector experiencecut across Marketing, Business Development, Logistics & Shipment, Purchase & Contracts, Computer and Information Technology(C&IT), Quality (QMS), Projects & Mines, with exemplary track records. Shri Shetty has served as Quality MR of plant and also headed ERM division as Risk officer of SAIL-VISL Plant. He has also served as marketing western zone branch Manager at Nagpur & Mumbai. Before joining Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Limited (BVFCL) as Chairman & Managing Director (CMD), he looked after Steel Township as Town administrator.

He is also recipient of highest PSU award "JAWAHAR" for Defence Product Development.
Shri Shetty has assumed charge as Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 02.04.2025.

2. श्री सुबाष चन्द्र दास, निदेशक (वित्त) (DIN-08988297)

श्री सुबाष चन्द्र दास ने 18 दिसंबर, 2020 से बीवीएफसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। स्टील एवं एल्युमिनियम क्षेत्र में, विशेषकर SAIL एवं NALCO जैसी अग्रणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा निजी कागज उद्योग में, उन्हें 26 वर्षों से अधिक का समृद्ध औद्योगिक अनुभव प्राप्त है।

वर्तमान पदस्थापना से पूर्व, श्री दास 22.12.2017 से NALCO में डीजीएम (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। इस अवधि में वे पवन ऊर्जा परियोजनाओं, व्यवसाय विकास एवं अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की वित्तीय गतिविधियों के प्रभारी रहे तथा NALCO के सीएसआर ट्रस्ट एवं सुपरएएशन फंड्स के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करते थे। एनएएलसीओ में शामिल होने से पूर्व, उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट में विभिन्न पदों पर दायित्व निर्वहन किया। दो दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने वित्तीय योजना एवं नियंत्रण, लेखा एवं लेखा-परीक्षण, एमआईएस एवं बजट, निधि प्रबंधन एवं निवेश, वाणिज्य एवं कर संबंधी मामलों आदि में व्यापक अनुभव अर्जित किया है।

05.07.1971 को जन्मे श्री एस.सी. दास भारत के कॉस्ट अकाउंटेंट्स संस्थान (ICMAI) के फेलो सदस्य हैं तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची के पूर्व छात्र हैं, जहाँ से उन्होंने प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव पीजी डिप्लोमा पूर्ण किया।

2. Shri Subash Chandra Das, Director (Finance) (DIN-08988297)

Shri Subash Chandra Das has assumed charge of Director (Finance), BVFCL w.e.f. 18th December, 2020. He has a rich industry experience of more than 26 years in steel and aluminum sector in premier CPSEs like SAIL & NALCO and private paper industry.

Prior to his present assignment as Director (Finance), BVFCL, Shri Das was working as DGM (Finance), NALCO w.e.f. 22.12.2017. He was in-charge of finance function for wind power projects, Business Development and R&D division of NALCO and also supervising affairs of CSR Trust and superannuation funds of NALCO. Prior to joining NALCO, he worked in various capacities at Steel Authority of India Limited, Rourkela Steel Plant. During a career span of more than two decades, he garnered experience in the field of Financial Planning and Control, Accounts & Audit, MIS & Budget, fund management & Investment, Commercial and Tax matters etc.

Born on 05.07.1971, Shri S.C. Das is a Fellow Member of the Institute of Cost Accountants of India (CAT) and also an alummus of Indian Institute of Management Ranchi from where he completed Executive PG Diploma in Management

3. श्री प्रदीप कुमार बानिक, निदेशक (उत्पादन) (DIN: 10095724)

श्री प्रदीप कुमार बानिक ने 22 मार्च, 2023 से बीवीएफसीएल में निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार संभाला है। अपने वर्तमान दायित्व से पूर्व, वे बीवीएफसीएल में उप महाप्रबंधक (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत थे।

3. Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production) (DIN: 10095724)

He is Director (Production), BVFCL w.e.f. 22nd March, 2023, Prior to his present assignment as Director (Production), BVFCL Shri Pradip Kumar Banik was working as DGM (Mechanical), BVFCL.

4. डॉ. अश्वनी कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक (DIN-11003042)

डॉ. अश्वनी कुमार भारतीय आर्थिक सेवा (IES) के 2012 बैच के अधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र में पीएच.डी. है। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों — जैसे MSME, नीति आयोग, तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय — में अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवाएँ प्रदान की हैं।

वर्तमान में वे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में निदेशक (IC) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अब ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. Dr. Ashwani Kumar, Govt Nominee Director,(DIN-11003042)

Dr. Ashwani Kumar is an officer of Indian Economics Service (IES), 2012 batch, His educational qualification is Ph.D (Economics). He has served in different Ministries of Government of India Le. MSME, Niti Aayog, Information & Broadcasting as Addl. Economics Adviser.

He is presently working as Joint Director (IC) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. He is now appointed as Government Nominee Director on the Board of M/s. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL).

५. श्री सुरेंद्र ठाकुर, सरकारद्वारा नामित निदेशक, (DIN-11036450)

श्री सुरेंद्र ठाकुर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ भौतिकी में एम.एससी. तथा आपदा तैयारी एवं पुनर्वास में परास्नातक डिप्लोमा हैं। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सेवाएँ दी हैं, जैसे— संचार मंत्रालय (डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय एवं TRAI — प्रतिनियुक्ति पर), संस्कृति मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में), तथा गृह मंत्रालय (जिसमें प्रतिनियुक्ति पर NIDM में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य शामिल है)।

वर्तमान में वे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में उप सचिव (स्थापना, सामान्य प्रशासन, आईटी एवं नकदी) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशकके रूप में नियुक्त किया गया है।

5. Shri Surendra Thakur, Govt Nominee Director, (DIN-11036450)

Shri Surendra Thakur is an officer of the Central Secretariat Services. His educational qualifications are M.Sc. (Physics) and PG Diploma in Disaster Preparedness & Rehabilitation. He has served in different Ministries of Government of India Le. Ministry of Communications (Department of Posts, Department of Telecommunications, BSNL Corporate Office & TRAI-on deputation), Ministry of Culture (as AO in National Museum on deputation) and Ministry of Home Affairs (including deputation in NIDM as Joint Director).

He is presently working as Deputy Secretary (Estt, Gen Adın, IT & Cash) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. He is now appointed as Government Nominee Director on the Board of M/s. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL)

नागरिक चार्टर

प्रस्तावना

यह चार्टर हमारे मिशन, उद्देश्यों, मूल्यों, प्रतिबद्धताओं, मानकों और दूसरों से हमारी अपेक्षाओं की घोषणा है।

मिशन

- उर्वरकों का दक्षतापूर्वक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्पादन करना।
- स्वयं को लाभ अर्जित करने वाले उद्यम के रूप में स्थापित करना।
- देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भागों के सर्वतोमुखी विकास के लिए कार्य करना।
- अन्य औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विविधता लाना।
- क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास करना।

लक्ष्य

बीवीएफसीएल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से उत्पादन और विपणन करना;
- सभी कार्यकलापों में दक्षता और उत्पादकता का इस्टतम स्तर बनाए रखना और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना;
- ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं को लागू करते हुए उत्पादों के विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाना;
- संयंत्र प्रचालन सुरक्षा में लगातार सुधार करना;
- □वर्ष 2025–26 के दौरान यूरिया उत्पादन क्षमता के उच्च उपयोग को प्राप्त करना।
- कंपनी के मानव संसाधनों की गुणवत्ता को लगातार उन्नत बनाना तथा संगठनात्मक विकास को प्रोन्नत करना।

मूल्य

हम अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन अत्यधिक:

- निष्ठा

CITIZENS CHARTER

Preamble

This Charter is a declaration of our mission, objectives, values, commitments, standards and our expectations from others.

Mission

- To produce fertilizer efficiently, economically and in environment friendly manner.
- To established itself as profit making enterprises
- To work for all round improvement of the strategically important North Eastern parts of the country.
- To diversify into production of other industrial products.
- To provide balanced economic growth in the region.

Objective

BVFCL has the following objectives:

- To produce and market fertilizers efficiently and economically in an environmentally sound manner;
- To maintain optimum levels of efficiency and productivity in all activities and to carry out upgradation of Technology;
- Reduction in specific energy consumption of the product by taking up and implementing energy savings schemes;
- To continuously improve plant operation safety.
- To achieve high utilisation of urea production capacity during the year 2025–26.
- To continuously upgrade the quality of human resources of the company and promote organizational development.

Values

We shall carry out our functions and duty with utmost :

- Sincerity

- तीव्रता
- समता
- अखण्डता
- पारदर्शिता से,

और बिना किसी भय या पक्षपात से करेंगे।

मानक

- हमने आपके साथ सभी लेन देन करने के लिए अपने मानक स्थापित किए हैं। हम यह वचन देते हैं कि किसी संभावित या अपरिहार्य विलंब के मामले में हम इसकी सूचना तत्काल संबंधित पार्टी को देंगे।

हमारी प्रदिबद्धताएं

हम प्रतिबद्ध हैंः–

- विशिष्टयों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करने में;
- उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरकों का समय पर वितरण करने में;
- मानव संसाधनों के विकास और प्रौद्योगिकियों का सतत् उन्नयन करने में, तथा
- निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने में।

ग्राहकों/नागरिकों को प्रदान की गई सेवाएं

उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु गांव/ब्लॉक स्तर पर कंपनी द्वारा किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कंपनी में निम्नलिखित शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया गया हैः

1. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
2. टाउनशिप कल्याण समिति
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
4. ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

- Speed
- Equity
- Integrity
- Transparency

and without any fear or favour.

Standards

- We have set up upon ourselves the standards for all transactions with you. We undertake that in case of likely or inevitable delay, we shall promptly communicate the same to the party concerned.

Our Commitments

We commit to:

- Produce and distribute quality fertilizers conforming to the specifications.
- Timely distribution of our fertilizers to ensure consumer satisfaction.
- Continual upgradation of Technology and Development of Human Resources.
- Strict adherence to the prescribed Safety, Health and environmental Protection Standards.

SERVICE EXTENDED TO THE CUSTOMERS/CITIZENS

Training is imparted to the farmers free of cost by the Company in village/block level for balanced use of fertilizers for improving productivity.

FOLLOWING GRIEVANCES REDRESSAL MACHANISM HAS BEEN CONSTITUTED IN THE COMPANY.

1. Employees Grievance Redressal Committee
2. Township Welfare Committee
3. Information under the Right to Information Act, 2005
4. Customer Grievances Redressal Cell

5. जनता रिश्वत या वित्तीय अनियमितताओं के निवारण से संबंधित शिकायतों के लिए कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकती है।

6. केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

7. अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के लिए आंतरिक शिकायत समिति

शिकायतों के निपटान करने की समय– सीमा

क. याचिका कर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर देना
2 सप्ताह

ख. संबंधित प्राधिकारी को शिकायत याचिका भेजना
3 सप्ताह

ग. शिकायत याचिका का अंतिम निपटान
2 महीने

ग्राहकों/नागरिकों से अपेक्षा

हम ग्राहकों/नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे किसी प्रकार का प्रलोभन दिए बिना और तुच्छ मुद्दों को उठाए बिना कंपनी के साथ अपने सभी लेनदेन में अपने अधिकारों और बाध्यताओं का प्रयोग करने में तर्कसंगत होंगे अैर शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

क. ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद इसकी गुणवत्ता, वजन आदि के बारे में सूचना को समय पर देना।

ख. आगे सुधार करने के लिए सुझाव।

5. Complaints involving redressal for bribes or financial irregularities, public may approach to the Chief Vigilance Officer of the Company

6. Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)

7. Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

TIME LIMIT FOR DISPOSAL OF GRIEVANCES

a. Issue of acknowledgement /interim reply to petitioner 2 weeks

b. Forwarding of the grievance petition to the concerned authority 3 weeks

c. Final disposal of the grievance petition
2 months

EXPECTATION FROM CUSTOMERS/CITIZENS

We expect from the customers / citizens to be reasonable and prompt in exercising your rights and obligations in all your transactions with the company without extending inducement of any kind and not raising any frivolous issues.

a. Timely feed back of information about the product purchased by the customer, its quality, weight, etc.

b. Suggestion for further improvement.

23वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यगण

मुझे आप सभी का आपकी कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी होगी, और मैं इस रिपोर्ट को पढ़ चुका हूँ।

आज मैं गर्व से आपके समक्ष खड़ा हूँ, क्योंकि हम बीवीएफसीएल के सफर पर विचार कर रहे हैं - एक ऐसा संगठन जिसने दशकों से चुनौतियों का सामना करते हुए भी देश के कृषि समुदाय के प्रति अपनी प्रासंगिकता और प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूत किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र उर्वरक निर्माता कंपनी होने के नाते, बीवीएफसीएल ने पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व के किसानों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संघर्षरत संस्था से प्रगतिशील और पुनर्जीवित संगठन बनने तक की हमारी कहानी सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।

CHAIRMAN'S SPEECH AT THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each one of you to the 23rd Annual General Meeting of your Company. You would have received the Annual Report for the Financial Year 2024–25, and I take the Report as read.

Today, I stand before you with pride as we reflect on the journey of BVFCL an organisation that has not only withstood challenges over the decades but has continually reaffirmed its relevance and commitment to the farming community of our nation. As the sole fertilizer manufacturing entity in the North Eastern region, BVFCL has played a vital role in supporting farmers across Eastern India and the North East. Our story, from being a struggling entity to an organisation charting a progressive and rejuvenated path, is a tribute to the collective efforts of all stakeholders.

परिचालन प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान नामरूप-III द्वारा 1,86,832 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया गया, जो कि पिछले वर्ष के 1,80,153 मीट्रिक टन की तुलना में अधिक है। यह वृद्धि परिचालन उत्पादन को सुदृढ़ करने हेतु किए गए प्रयासों को परिलक्षित करती है। विशिष्ट ऊर्जा खपत 13.38 जीकैलोरी/मीट्रिक टन पर बनाए रखी गई, जो वर्ष 2023–24 में 13.27 जीकैलोरी/मीट्रिक टन के लगभग समकक्ष है, जबकि आगे के अनुकूलन (ऑप्टिमाइजेशन) संबंधी गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

संयंत्र ने 244 ऑन-स्ट्रीम दिवस दर्ज किए, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के 239 दिनों की तुलना में अधिक हैं, जिससे परिचालन विश्वसनीयता एवं स्थिरता में सुधार परिलक्षित होता है।

अंतरालिक विफलताओं एवं अपरिहार्य शटडाउन के बावजूद, कंपनी ने अधिकतम दैनिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की, जो 854 मीट्रिक टन से बढ़कर 900 मीट्रिक टन हो गया, जो कि स्थापित क्षमता का लगभग 95 प्रतिशत है।

उत्पाद पोर्टफोलियो में वृद्धि

जैविक उर्वरकों के संवर्धन पर भारत सरकार के जोर के अनुरूप, कंपनी ने जैव-उर्वरकों पर अपना ध्यान निरंतर बनाए रखा। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उत्पादन 72.62 केएल रहा, जो कि वर्ष 2023–24 में दर्ज 195.68 केएल के पूर्व सर्वोच्च स्तर की तुलना में कम है।

जल में घुलनशील एनपीके 19:19:19 संयंत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 19.32 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया, जो कि पूर्व वर्ष के 463.59 मीट्रिक टन की तुलना में कम है। यद्यपि परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, तथापि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं तथा आगामी महीनों में संयंत्र को क्रमिक एवं स्थिर उत्पादन वृद्धि (रैम्प-अप) हेतु अनुकूल स्थिति में रखा गया है।

विपणन और वितरण

2024-25 में, आयातित यूरिया की विपणन मात्रा 96,531.045 मीट्रिक टन रही, जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान विभिन्न परिचालन और बाजार संबंधी कारक थे। कम मात्रा के बावजूद, कंपनी ने अपने स्थापित डीलर नेटवर्क के माध्यम से अपने परिचालन क्षेत्रों में यूरिया की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रखा।

कंपनी ने अपने भौगोलिक विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हमारे कृषि उत्पाद अब ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय तक पहुंच चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ग्राहक आधार और बाजार में हमारी स्थिति दोनों मजबूत हुई हैं।

हमने कई कंपनियों के साथ सहयोग करके अपने उत्पाद श्रृंखला में विविधता लाई है, जिससे किसानों को एक एकीकृत मंच के तहत पौधों के पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध हो रही है। इससे बीवीएफसीएल को उर्वरकों के एक विश्वसनीय, राष्ट्रव्यापी वितरक के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिली है।

Operational Performance

During the Financial Year 2024–25, **Namrup-III produced 1,86,832 MT of urea,** as against **1,80,153 MT** in the previous year—an improvement that reflects our efforts to enhance operational output. Specific energy consumption was maintained at **13.38 GCal/MT,** nearly at par with **13.27 GCal/MT in 2023–24,** with further optimisation activities in progress.

The plant recorded 244 on-stream days, compared to 239 days in the preceding year, reflecting improved reliability and operational stability.

Despite intermittent failures and unavoidable shutdowns, the Company achieved a notable rise in maximum daily production—from 854 MT to 900 MT, which is nearly 95% of rated capacity.

Growth in Product Portfolio

In line with the Government of India's thrust on promoting organic fertilizers, the Company continued to focus on bio-fertilizers. Production during 2024–25 stood at **72.62 KL,** compared to the previous best of **195.68 KL** in 2023–24.

Our Water Soluble NPK 19:19:19 plant produced 19.32 MT in 2024–25, compared to 463.59 MT in the prior year. While operational challenges affected output, corrective actions have been taken, and the plant is now well-positioned for steady ramp-up in the coming months.

Marketing and Distribution

In 2024–25, the volume of imported urea marketed stood at 96,531.045 MT, largely on account of various operational and market-related factors during the year. Notwithstanding the lower volumes, the Company continued to ensure timely supply of urea in its areas of operation through its established dealer network.

The Company has significantly expanded its geographical footprint. Our agri-products have now reached Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, West Bengal and Meghalaya—strengthening both our customer base and our market position nationally.

We have diversified our product offerings through collaborations with multiple companies, providing farmers with a broad spectrum of plant nutrients under a unified platform. This has helped reinforce BVFCL's identity as a trusted, nationwide distributor of fertilizers.

किसानों को सशक्त बनाना

हमारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) का निरंतर विकास और उन्नयन रहा है। ये केंद्र किसानों को उर्वरक, बीज, औजार, मिट्टी और बीज परीक्षण की सुविधाएँ, सरकारी योजनाओं की जानकारी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में पीएमकेएसके प्रणाली का विशेष महत्व है।

आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता

सीमित क्षमता वाले पुराने संयंत्र का संचालन करते हुए, बीवीएफसीएल प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखे हुए है। हम आस-पास के कुओं से प्राप्त एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करते हैं, जिससे एलएनजी/आरएलएनजी आयात पर हमारी निर्भरता शून्य हो जाती है। पुराने उपकरणों के बावजूद, हमने आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति के लिए धीरे-धीरे स्थानीय विक्रेताओं को विकसित किया है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत हुई है।

पर्यावरण, अनुपालन और शासन

आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण और सभी लागू कानूनों के कड़ाई से अनुपालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिनमें शामिल हैं:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991

सभी वैधानिक रिटर्न और रिपोर्ट समय पर दाखिल कर दी गई हैं। असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन की अनुमति का नियमित नवीनीकरण किया गया है। संयंत्र के आसपास रहने वाले निवासियों की सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपये का सार्वजनिक देयता बीमा कवर भी लिया गया है।

GeM पोर्टल के माध्यम से हमारी खरीद 22.31 करोड़ रुपये की रही, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों से 9.59 करोड़ रुपये, महिला उद्यमियों से 2.21 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से 0.20 करोड़ रुपये शामिल हैं। एकल निविदा नामांकन के माध्यम से मूल निर्माताओं से खरीद 3.16 करोड़ रुपये रही।

नामरूप-IV: एक निर्णायक मील का पत्थर

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, **19 मार्च 2025** को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हमारे विद्यमान परिसर के अंतर्गत **ब्राउनफील्ड अमोनिया–यूरिया परिसर, नामरूप-IV** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।

क्षमता: 12.7 एलएमटी यूरिया प्रति वर्ष
परियोजना लागत: 10,601.40 करोड़ रुपये
ऋण इक्विटी अनुपात: 70:30
परियोजना समय: 48 महीने

Empowering Farmers

A notable aspect of our outreach has been the continued development and upgradation of **Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendra (PMKSK)** outlets at both block and district levels. These centres provide farmers with fertilizers, seeds, implements, soil and seed testing facilities, information on Government schemes, and capacity-building programmes. The PMKSK ecosystem remains central to our commitment to grassroots empowerment.

Commitment to Atmanirbhar Bharat

While operating an ageing plant with limited capacity, BVFCL continues to meaningfully contribute to the Prime Minister's vision of **Atmanirbhar Bharat**. We produce indigenous urea at competitive cost using only **APM natural gas from nearby wells,** ensuring **zero dependence on LNG/RLNG imports.** With ageing equipment, we have progressively developed local vendors to supply most of the required spares—strengthening domestic manufacturing capabilities.

Environment, Compliance and Governance

Your Company remains fully committed to environmental protection and strict compliance with all applicable statutes, including:

Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974
Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981
Environment (Protection) Act, 1986
Public Liability Insurance Act, 1991

All statutory returns and reports have been filed on time. Consent to Operate has been regularly renewed by the Pollution Control Board, Assam. A Public Liability Insurance cover of Rs.15 crore has also been taken to safeguard residents in the vicinity of the plant.

Our procurement via the GeM portal amounted to Rs.22.31 crore, including Rs. 9.59 crore from MSEs, Rs. 2.21 crore from women entrepreneurs, and Rs.0.20 crore from SC/ST enterprises. Procurement from OEMs through single-tender nomination stood at Rs. 3.16 crore.

Namrup-IV: A Defining Milestone

A landmark development during the year was the **Union Cabinet's approval on 19th March 2025** for the setting up of the **Brownfield Ammonia–Urea Complex, Namrup-IV,** within our existing premises.

Capacity: 12.7 LMT urea per annum
Project Cost: Rs.10,601.40 crore
Debt–Equity Ratio: 70:30
Project Timeline: 48 months

संयुक्त उद्यम में इक्विटी भागीदारी:
असम सरकार – 40%
बीवीएफसीएल – 11%
एचयूआरएल – **13%**
एनएफएल – 18%
ऑयल – **18%**

बीवीएफसीएल का इक्विटी अंशदान मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में होगा। यह परियोजना कंपनी तथा क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है।

JV Equity Participation:
Government of Assam – 40%
BVFCL – 11%
HURL – 13%
NFL – 18%
OIL – 18%

BVFCL's equity contribution will be in the form of tangible assets. This project represents a transformative leap for the Company and the region.

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

बीवीएफसीएल को 2022-23 से शुरू होकर तीन वर्षों के लिए आयातित यूरिया के प्रबंधन और विपणन हेतु पारादीप स्थित पीआईसीटी बंदरगाह एफएमई (उर्वरक विपणन इकाई) आवंटित किया गया है, जिसे 31.03.2026 तक एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। विपणन क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक विस्तारित कर दिया गया है, साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में डीलरों की उपस्थिति को मजबूत किया गया है। 2024-25 के दौरान, हमने तीन जहाजों से माल का सफलतापूर्वक प्रबंधन और विपणन किया।

अन्य राज्यों में भी अपने विपणन का विस्तार करने की योजनाएँ चल रही हैं, जिससे वास्तव में अखिल भारतीय उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त होगा।

हमने 2024-25 में IFFCO, FACT, IPL, KCFL, PFPL, HANUSITA, MN Crop and Fertico Pvt. Ltd. और Deepee Chem. Ltd. के साथ नए समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप दिया, जिससे हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो का और विस्तार हुआ।

सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। कंपनी अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक उद्यम विभाग ने बीवीएफसीएल को 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्रदान की है, और प्रस्तुत अनुपालन दस्तावेजों के आधार पर हमें 2024-25 के लिए भी इसी तरह की रेटिंग की उम्मीद है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

Other Significant Achievements

BVFCL has been allotted the PICT Port FME (Fertilizer Marketing Entity), Paradip, for handling and marketing imported urea for three years starting 2022–23, further extended for one year till 31.03.2026. Marketing territories have been expanded to Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh, with strengthened dealer presence in Bihar and West Bengal. During 2024–25, we successfully handled and marketed cargo from three vessels.

Plans are also underway to extend our marketing footprint to other states also paving the way for a truly pan-India presence.

We also formalised new MoUs in 2024–25 with IFFCO, FACT, IPL, KCFL, PFPL, HANUSITA, MN Crop and Fertico Pvt. Ltd., and Deepee Chem. Ltd., expanding our product basket further.

Our commitment to **good governance** remains uncompromising. The Company continues to uphold transparency and regulatory compliance in all business operations. The Department of Public Enterprises awarded BVFCL an **"Excellent" rating for 2023–24,** and we expect a similar rating for 2024–25 based on submitted compliance documents. All Directors and Senior Management have affirmed adherence to the Code of Conduct.

आभार प्रकट करना

समापन से पूर्व, मैं बोर्ड में अपने सहकर्मियों के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार अभिलेख पर दर्ज करना चाहता हूँ। मैं निम्नलिखित के प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ:

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- एफआईसीसी
- कृषि मंत्रालय
- आईसीएआर
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

Acknowledgements

Before I conclude, I wish to place on record my heartfelt appreciation to my colleagues on the Board for their continued guidance. I extend my sincere gratitude to:

- The Ministry of Chemicals & Fertilizers
- FICC
- Ministry of Agriculture
- ICAR
- Ministry of Petroleum & Natural Gas

- रेल मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- सार्वजनिक उद्यम विभाग
- वैधानिक और लागत लेखा परीक्षकों
- अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव
- भारत के सी एंड एजी
- असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीडीआईएल, फैक्ट, आईएफएफसीओ
- हमारे सम्मानित डीलर, ग्राहक, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

सबसे बढ़कर, मैं बीवीएफसीएल के प्रत्येक कर्मचारी के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता हूँ, जिनकी निष्ठा और दृढ़ता के कारण हम चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर प्रगति कर सके हैं। मैं ट्रेड यूनियनों को उनके रचनात्मक सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ तथा एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर होने हेतु आपके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता हूँ।

एक बार फिर आपका धन्यवाद।

जय हिंद

ह/-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)
स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 05.12.2025

- Ministry of Railways
- Ministry of Finance
- Ministry of Home Affairs
- Department of Public Enterprises
- Statutory and Cost Auditors
- Practicing Company Secretaries
- C&AG of India
- Assam Gas Company Ltd., Oil India Ltd., PDIL, FACT, IFFCO
- Our valued dealers, customers, Press and the Electronic Media

Above all, I convey my deep appreciation to every employee of BVFCL whose dedication and resilience have enabled us to navigate challenges and progress steadily. I also thank the trade unions for their constructive cooperation, and I look forward to your continued support as we advance towards a stronger future.

Thank you once again.

Jai Hind

Sd/-

Chairman and Managing Director
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL)
Place : Namrup, Assam
Date : 05.12.2025

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नामरूप, पीओ परबतपुर,
जिला: डिब्रूगढ़, असम – 786623
सीआईएन - U24123AS2002GOI006786
वेबसाइट:www.bvfcl.com
फ़ोननंबर: 0374-2500618,
ईमेल:vkumarjha@bvfcl.co.in

23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. कंपनी के वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा भारत के महालेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियों सहित प्राप्त करने, विचार करने और अंगीकृत करने हेतु, निम्नलिखित प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प लिया गया कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट और उन पर C&AG की टिप्पणियों के साथ एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाए जाते हैं।"

2. कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

   "यह संकल्पित किया जाता है कि कंपनी की लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल को एतद्द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे भारत के महालेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक की समीक्षा एवं अनुमोदन, अपनी विवेकानुसार, कर सकेंगे तथा वैधानिक लेखा परीक्षक इस वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक अपने पद पर बने रहेंगे।"

विशेष व्यवसाय :

3. विचारार्थ प्रस्तुत है कि, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए:

   "**यह संकल्पित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं समय-समय पर

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Reg.Office: Namrup, P.O.Parbatpur,
Dist.: Dibrugarh, Assam–786623
CIN - U24123AS2002GOI006786
Website:www.bvfcl.com
Phoneno:0374-2500618,
email:vkumarjha@bvfcl.co.in

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Video means (OAVM) on Friday, 5th day of December, 2025 at 3:30 P.M. at a shorter notice to transact the following businesses :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2025, together with the Reports of Board of Directors, Independent Audit and the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon and to pass the following resolution with or without any modification(s) as Ordinary Resolution:

   "RESOLVED THAT the Audited Annual Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2025 along with the Director's Report, Independent Audit Report and the comments of C&AG thereon be and are hereby approved and adopted."

2. To fix remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-26 and, if though fit, to pass the following resolution with or without modification(s), as an Ordinary Resolution

   "RESOLVED THAT the Audit Committee / Board of Directors of the Company be and are hereby authorised to review and approve such remuneration as it may decide for the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2025-26 and the Statutory Auditors shall hold the office from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company."

SPECIAL BUSINESS :

3. To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification(s), as an Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of

संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने हेतु कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों के लेखा परीक्षण के लिए नियुक्त मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जयपुर को निम्नानुसार पारिश्रमिक अनुमोदित किया जाता है:”

i) वार्षिक लागत लेखा परीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जून, सितंबर एवं दिसंबर तिमाहियों की त्रैमासिक लागत समीक्षा के एवज में कुल □42,500/- (केवल बयालीस हजार पाँच सौ रुपये) की व्यावसायिक फीस देय होगी।

ii) वार्षिक लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को XBRL प्रारूप में रूपांतरित करने तथा एमसीए पोर्टल पर अपलोड करने हेतु □7,500/- (केवल सात हजार पाँच सौ रुपये) देय होंगे।

iii) यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति— प्रोप्रायटर अथवा 1 (एक) पार्टनर और/या 1 (एक) योग्य स्टाफ हेतु इकोनॉमी क्लास हवाई किराया (आगमन एवं प्रस्थान) अथवा 2AC रेल किराया (आगमन एवं प्रस्थान) में जो कम हो, उसी के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। 1 (एक) ऑडिट असिस्टेंट हेतु 3AC रेल किराया (आगमन एवं प्रस्थान) अथवा वास्तविक खर्च, जो कम हो, उसी के अनुसार प्रतिपूर्ति देय होगी। उपर्युक्त प्रतिपूर्ति समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। बीवीएफ़सीएल गेस्ट हाउस में ऑडिट टीम को निःशुल्क भोजन एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

iv) नामरूप रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से कंपनी के गेस्ट हाउस तक तथा गेस्ट हाउस से कार्य स्थल तक (आवागमन) हेतु स्थानीय परिवहन सुविधा कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। हालाँकि, मूल स्थान पर स्थानीय परिवहन के लिए— ऑडिट स्टाफ को □200/-, प्रोप्रायटर या पार्टनर को □300/- (टैक्सी द्वारा) या वास्तविक व्यय, जो कम हो, दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

v) त्रैमासिक/वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की तीन (03) हार्ड कॉपी मुद्रित एवं बंधित कर प्रस्तुत की जाएँगी, जिसके लिए बीवीएफ़सीएल द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त सभी शुल्क/फीस लागू करों को छोड़कर हैं।

“**यह भी संकल्पित किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक अथवा उपयुक्त सभी कार्य, कृत्य एवं कदम उठाने के लिए अधिकारित होगा।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह /-
विकास कुमार झा
कंपनी सचिव

स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 02.12.2025

the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time, M/s K.G. Goyal & Associates, Jaipur, as Cost Auditor of the Company appointed by the Board of Directors of the Company to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the company for the Financial Year ending 31st March, 2026, be paid the remuneration as under:

i) A total professional fee pay able Rs.42,500/- only.

ii) Conversion of Annual Cost Audit Report to XBRL format and uploading fee to MCA portal for Rs. 7,500/- (Rupees Seven Thousand and Five Hundred Only) ;

iii) Reimbursement of traveling expenses by Airfare (Economic class)(to and fro)to Proprietor or 1 (one) Partner or for 1 (one) qualified staff the reimbursement will be in 2AC. The reimbursement will be in 3AC rail fare (to and fro) to 1 (one) audit assistant or as per actual whichever less on submission of documentary is evidence. Free fooding & lodging to the audit team in BVFCL Guest House free of charge.

iv) Local transport at the Namrup station to-and-fro Railway Station/airport/Bus Stand and Company’s Guest House to place of work will be provided by the company free of charge. However, in respect of local transport charges at the originating destination, the reimbursement (to & fro) shall be limited to auto charges @ Rs.200/- to Audit staff and Rs.300/- for partner/proprietor/qualified by taxi, or actual whichever is less on production of documentary evidence.

v) Three set of hardcopy of the audit report should be printed and bind before submission for which no additional payment will be reimbursed by BVFCL. All the charges/fees are excluding the applicable taxes, if any

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to take all such steps, as may be necessary or expedient to give effect to this resolution.”

By Order of the Board of Directors

Sd/-
Vikash Kumar Jha
Company Secretary

Place : Namrup, Assam
Date : 02.12.2025

टिप्पणियाँ :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार मद संख्या 3 (विशेष व्यवसाय) से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") द्वारा दिनांक 19.09.2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024, दिनांक 28.12.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022, दिनांक 05.05.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022, दिनांक 13.01.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 05.05.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 13.04.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 तथा दिनांक 08.04.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 (आगे सामूहिक रूप से "MCA परिपत्र" कहा गया है) के माध्यम से 30 सितंबर, 2025 तक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") अथवा अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम ("OAVM") द्वारा AGM आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अधिनियम के लागू प्रावधानों तथा MCA परिपत्रों के अनुरूप कंपनी की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक ("AGM") VC/OAVM माध्यम से बुलाई एवं आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। AGM का स्थल कंपनी के पंजीकृत कार्यालय — नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम-786623—को ही माना जाएगा।

3. बैठक का वेब लिंक कंपनी के सभी सदस्यों को उनके आधिकारिक ई-मेल पते पर प्रेषित किया जाएगा। सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व VC/OAVM माध्यम से AGM में सम्मिलित हो सकते हैं। सदस्य बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट के भीतर भी सहभागी हो सकेंगे।

4. VC/OAVM माध्यम से AGM में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. MCA परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08.04.2020 के अनुसार, इस AGM के लिए सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी नियुक्त कर उपस्थिति एवं मतदान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों के प्रतिनिधि — जैसे भारत के राष्ट्रपति — VC/OAVM माध्यम से AGM में उपस्थित होकर "शो ऑफ हैंड्स" द्वारा अपना मत प्रदान करेंगे।

6. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13.04.2020 के अनुरूप, A G M की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर अपलोड कर दी गई है।

Notes :

1. Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the item No. 3 (Special Business) is annexed hereto.

2. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular no. 03/2025 dated 22.09.2025 read with General Circular no.20/2020 dated 05.05.2020,General Circular no.2/2022 dated 05.05. 2022, General Circular no. 10/2022 dated 28.12.2022, General Circular no. 09/2023 dated 25.09.2023 and General Circular no. 09/2024 dated 19.09.2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") till further orders, in accordance with the requirements laid down in para 3 and para 4 of the General circular no. 20/2020 dated 05.05.2020.In compliance with the provisions of the Companies Act,2013("Act"),and MCA Circulars, the AGM of the Company can be held through VC / OAVM. In pursuance of the applicable provisions of the Act read with MCA Circulars, the Twenty third Annual General Meeting of the Company ("AGM") is being convened and conducted through VC / OAVM, which does not require physical presence of members at a common venue. The venue of AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Namrup, Dist. Dibrugarh, Assam -786623.

3. The meeting web link will be sent to all the members of the Company at their official mail id. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for commencement of the meeting. Members can also join within 15 minutes of the commencement of meeting.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section114 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India shall attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through show of hands.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.bvfcl.com.

7. सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (अर्थात् रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) में व्यवसायिक समय के दौरान बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

प्रति :
सभी सदस्यगण बीवीएफसीएल
बीवीएफसीएलबोर्ड के सभी निदेशक
कॉरपोरेशन के वैधानिक लेखा परीक्षक
कॉरपोरेशन के सचिवीय लेखा परीक्षक

7. Relevant documents referred to in the Notice are open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (that is, except Sundays and Public Holidays) during business hours upto the date of the Meeting.

To
All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
Statutory Auditors of the Corporation
Secretarial Auditors of the Corporation

सूचना का अनुलग्नक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण)

विषय क्रमांक 3 : 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी 129वीं बोर्ड बैठक में एम/एस के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, को कंपनी के कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लेखा-परीक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने तथा उनके पारिश्रमिक को अनुमोदित किया गया है। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित कंपनियों (लेखा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु साधारण प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की मंजूरी अपेक्षित है, जैसा कि सूचना के विषय क्रमांक 3 में उल्लिखित है। अत: निदेशक मंडल, सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव के पारित किए जाने की अनुशंसा करता है। कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधियों का, उक्त साधारण प्रस्ताव के पारित किए जाने से किसी भी प्रकार का वित्तीय अथवा अन्य कोई हित संबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह /-
विकास कुमार झा
कंपनी सचिव

स्थान : नामरूप, असम
दिनांक : 02.12.2025

ANNEXURE TO THE NOTICE

(Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013)

Item No.3: Ratification of the Remuneration of the Cost Auditors of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2026.

The Board of Directors of the Company has approved the appointment and remuneration of M/s K.G. Goyal & Associates, Jaipur, as Cost Auditors of the Company in its 129th Board meeting held on 09th July, 2025 to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the Company for the F.Y. 2025-26. In accordance with the provisions of Section 148 and other applicable provisions of Companies Act, 2013readwith the Rule14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, ratification for the remuneration payable to the Cost Auditors for the F.Y. 2025-26 by way of the an Ordinary Resolution is being sought from the members, as set out at item No. 3 of the Notice.

The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution for approval of the members.

None of the Directors or Key managerial personnel of the Company or their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise in passing of the said Ordinary Resolution.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
Vikash Kumar Jha
Company Secretary

Place : Namrup, Assam
Date : 02.12.2025

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आदरणीय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 23वीं (तेईसवीं) वार्षिक प्रतिवेदन, साथ ही 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा:

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का संक्षिप्त वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष के लिए	
	2024-25	2023-24
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले लाभ (+) / हानि (-) (पीबीडीआईटी)	(-)131.14	24.51
मूल्यह्रास	8.83	15.14
ब्याज	0	0.66
कर से पहले लाभ (+)/हानि (-) (पीबीटी)	(-) 139.97	8.71
कर व्यय	24.84	0
कर के बाद शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) (पीएटी)	(-)164.81	8.71

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, समीक्षाधीन अवधि में कंपनी को मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर (PBDIT) से पूर्व (-) 131.14 करोड़ रुपये का लाभ (+) / हानि (-) प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर (PBDIT) से पूर्व 24.51 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान यूरिया का उत्पादन 1,86,832 मीट्रिक टन रहा (पिछले वर्ष 1,80,153 मीट्रिक टन)। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान यूरिया की बिक्री 1,85,644 मीट्रिक टन रही (पिछले वर्ष 1,75,340 मीट्रिक टन)।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ट्रेडिंग गुड्स की बिक्री मूल्य 153.96 करोड़ रुपये रहा (पिछले वर्ष 258.42 करोड़ रुपये)।

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Dear Members,

Your Board of Directors have pleasure in presenting the 23rd (Twenty third) Annual Report on the business and operations of the Company along with the Audited Annual Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2025 together with Independent Audit Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.

1. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summarized financial performance of the Company during the year under review vis-a-vis previous year is stated as under:

(Rs. in Crore)

Particulars	For the Financial Year	
	2024-25	2023-24
Profit (+) / Loss (-) before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT)	(-)131.14	24.51
Depreciation	8.83	15.14
Interest	0	0.66
Profit (+)/Loss (-) before Tax (PBT)	(-) 139.97	8.71
Tax Expenses	24.84	0
Net Profit (+) / Loss (-) after Tax (PAT)	(-)164.81	8.71

During the financial year 2024-25 under review, the company incurred losses before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT) of Rs. 131.14 Crores against the Profit before Depreciation, Interest & Tax of Rs. 24.51 crores in the previous year.

During the financial year 2024-25, Urea was produced 186832 MT (previous year 180153 MT) and During the financial year 2024-25 Urea was sold 185644 (Previous year 175340 MT).

Further, during the financial year 2024-25 value of sale of trading goods Rs. 153.96 Crores (Previous year Rs. 258.42 Crores)

2. आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो:

वित्त वर्ष 2024-25 में, बोर्ड ने सामान्य रिजर्व में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं की।

3. लाभांश की घोषणा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की संचित हानि और नकारात्मक निवल संपत्ति के कारण कोई लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

4. अंश पूंजी में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

5. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन:

निगम के परिचालन और भविष्य की संभावनाओं को कवर करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन अनुलग्नक-I में संलग्न है, जो निदेशकों की प्रतिवेदन का हिस्सा है।

7. महत्त्वपूर्ण परिवर्तन एवं दायित्व

तुलन पत्र की तिथि से लेकर निदेशक मंडल की रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अथवा दायित्व उत्पन्न नहीं हुए हैं।

8. कॉर्पोरेट प्रशासन :

वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता नियमों के अनुपालन की घोषणा के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक प्रतिवेदन, सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव फर्म से प्रमाण पत्र और सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किए गए अवलोकनों पर प्रबंधन के उत्तर और सीपीएसई, 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीईओ और सीएफओ का प्रमाणन सामूहिक रूप से अनुलग्नक - II में संलग्न हैं, जो निदेशकों की प्रतिवेदन का हिस्सा है।

2. <u>AMOUNT, IF ANY, TRASNFERRED TO RESERVES</u>

In the F.Y. 2024-25, the Board did not recommend any amount to be transferred to General Reserves.

3. <u>DECLARATION OF DIVIDEND</u>

During the year under review, no dividend was proposed to be declared on account of the accumulated losses and negative networth of the Company.

4. CHANGE IN SHARE CAPITAL

During the year under review, there has been no change in the Share Capital of the Company.

5. CHANGES IN THE NATURE OF BUSINESS

During the year under review, there has been no change in the nature of the business of the Company.

6. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

A Report on Management Discussion and Analysis Report covering the operations and future prospects of the Corporation is enclosed at Annexure – I, forming part of the Directors' Report.

7. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS:

No material changes and commitments have occurred between the date of the Balance Sheet and the date of the Board's Report affecting the financial position of the Company.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

A report on Corporate Governance along with declaration of compliance of code of conduct rules for Senior Management and Board members, Secretarial Audit Report, Certificate from Practicing Company Secretaries Firm conforming the compliance of corporate governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Department of Public Enterprises (DPE) and the management replies on the observations made in Secretarial Audit Report and Certification of CEO & CFO in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSE, 2010 are collectively enclosed at Annexure – II, forming part of the Directors' Report.

9. निदेशक मंडल में परिवर्तन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री एस.के. शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) और श्री रबी रंजन सेन, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र), जिन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा 05 नवंबर, 2021 से शुरू होकर तीन वर्ष (03) की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 04 नवंबर, 2024 को समाप्त हो गया है।
- भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के आदेश दिनांक 16.07.2024 और 28.10.2024 को जारी आदेशों के माध्यम से क्रमशः श्री निरंजन लाल शर्मा,निदेशक (यूपीपी), उर्वरक विभाग , और श्री हरविंदर सिंह, निदेशक (संचलन), उर्वरक विभाग का कंपनी के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है।
- भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 28.10.2024 एवं 24.12.2024 को जारी आदेशों के माध्यम से, क्रमशः डॉ. अश्विनी कुमार, निदेशक, उर्वरक विभाग तथा श्री सुरेंद्र ठाकुर, उप सचिव, उर्वरक विभाग को बीवीएफसीएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल श्री एस.के. शर्मा,श्री रबी रंजन सेन,श्री निरंजन लाल शर्मा और श्री हरविंदर सिंह द्वारा बीवीएफसीएल के निदेशक मंडल में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए हार्दिक सराहना दर्ज करना चाहता है।

10. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के साथ पठित धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुपालन में, आपके निदेशक बताते हैं कि:

क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उसमें कोई भौतिक विचलन नहीं है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की

9. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS':

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- The tenure of Shri S.K. Sharma, Non Official Director (Independent) and Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director (Independent) who were appointed by Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, for a period of three year (03) years commencing from November 05, 2021 has ended on November 04, 2024.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 16.07.2024 and 28.10.2024 terminated the tenure of Shri Niranjan Lal Sharma, Director (UPP), DOF and Shri Harvinder Singh, Director (Movement), DoF, respectively, as Govt. Nominee Directors from the Board of the Company.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 28.10.2024 and 24.12.2024 appointed Dr. Ashwani Kumar, Director, DoF and Shri Surendra Thakur, Deputy Secretary, DoF, respectively, as part time Govt. Nominee Directors on the Board of BVFCL.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri S.K. Sharma, Shri Rabi Ranjan Sen, Shri Niranjan Lal Sharma and Shri Harvinder Singh during their tenure on the BVFCL Board.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In compliance of the provisions of Section 134 (3) (c) read with Section 134 (5) of Companies Act, 2013, your Directors states that:

a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;

b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the

स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे 'सतत संचालन' के आधार पर तैयार किए हैं;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

11. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

ऊर्जा का संरक्षण ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करके या ऊर्जा के उपयोग को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। निगम अपनी विनिर्माण सुविधाओं और संबद्ध परिचालनों में ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करती है और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के अवसर तलाशती है। ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण **अनुलग्नक-I (ए) और (बी) में** संलग्न है।

12. वैधानिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स के.आर. जयचंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डिब्रूगढ़, असम को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों का लेखा-परीक्षण करने हेतु कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। उपरोक्त लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 11.09.2025 को अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की है और कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर उचित बल देते हुए ध्यान आकर्षित किया है। उपरोक्त प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक-III में संलग्न हैं। यह निदेशकों की प्रतिवेदन का एक भाग है।

Company as at March 31, 2025 and of the Profit and loss of the Company for the year ended on March 31, 2025;

c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively;

f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

11. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

The conservation of energy can be achieved by using the energy more efficiently or by reducing the usage of energy. The Company continuously makes efforts to conserve energy in its manufacturing facilities and allied operations and look for avenues to use alternate sources of energy, to reduce its carbon footprint. The disclosure of information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) read with Companies read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are enclosed at **Annexure -I (A) & (B).**

12. STATUTORY AUDITORS:

M/s. K. R. Jaichand & Co., Chartered Accountants, Dibrugarh, Assam were appointed as Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India to audit the accounts of theCompany for the financial year 2024 25. The above auditors have submitted their independent audit report and signed the annual financial statements of the company on 11.09.2025 for the financial year ending 31st March, 2025. The statutory auditors has drawn the attention with due emphasis on certain Key audit matters. The management replies on the above key audit matters are enclosed at Annexure - III. Forming part of the Directors' Report.

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणी:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। C&AG के लेखापरीक्षकों ने 25.09.2025 को 8 (आठ) टिप्पणियां जारी कीं और प्रबंधन का उत्तर, जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां शामिल थीं, निदेशक, कार्यालय प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन) कोलकाता को 10.10.2025 और 22.10.2025 को भेजा गया। C&AG की टिप्पणियां 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर दिनांक 12.11.2025 का प्रतिवेदन अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है, जो निदेशकों की प्रतिवेदन का हिस्सा है और इसमें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि C&AG द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

14. लागत लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव कर रही है। मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, कोलकाता, (फर्म पंजीकरण संख्या: 000223) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखांकन अभिलेखों का लेखा-परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उपरोक्त फर्म ने 22.09.2024 को प्रबंधन को अपनी मसौदा लागत लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (Cost Audit Report) का दाखिला/प्रेषण की प्रक्रिया प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13.11.2025 को विधिवत अनुमोदित किए जाने के उपरांत, दिनांक 26.10.2023 को एसआरएन F71961098 के माध्यम से वेबसाइट www.mca.gov.in पर दाखिल/अपलोड किया गया।

15. आंतरिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स एएमएए एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, (फर्म पंजीकरण संख्या: 013066सी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उपरोक्त फर्म ने वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी है।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अनुपालन की समीक्षा के बाद लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी के कार्यकारी प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश/सलाह जारी की, ताकि जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

कंपनी की तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा एक आंतरिक तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जा रही है, जिसमें कंपनी के तकनीकी सेवा, वित्त और सामग्री प्रबंधन विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

13. COMMENT OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C & AG):

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has undertaken supplementary audit on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2025 under the provisions of Section 143 (6) of the Companies Act, 2013. C&AG Auditors issued 7 (seven) nos. of observation on 25.09.2025 and Management reply including comment of Statutory Auditors were sent to the Director, O/o the Principal Director of Audit (Agriculture, Food & Water Resources) Kolkata on 10.10.2025 & 22.10.2025. The Comments of C&AG dated 12.11.2025 on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2025 is enclosed as Annexure IV, forming part of Directors' Report .

14. COST AUDITORS:

Your Company is maintaining cost accounting records as specified by the Central Government under the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. M/s Subhadra Dutta & Associates, Kolkata, (Firm Registration Number: 000223) were appointed to conduct the audit of cost accounting records of the Company for the Financial Year 2024-25. The above firm has submitted their draft Cost Audit Report to the management on 22.09.2024. The filing of Cost Audit Report for the Financial Year 2024-25 is under process. The Cost Audit Report for the Financial Year 2024-25 was filed/uploaded on the website www.mca.gov.in vide SRN AB9921458 dated 17/12/2025, after duly approved by the Board of Directors of the Company on 13.11.2025.

15. INTERNAL AUDITOR:

M/s. AMAA & Associates, Chartered Accountants, New Delhi, (Firm Registration Number: 013066C) was appointed as Internal Auditor of the Company for the Financial Year 2024-25. The above firm has submitted their internal audit report for the year 2024-25.

The Audit Committee after reviewing the Internal Audit Report and compliances issued necessary directions / advisories to the Executive Management of the Company for taking corrective actions, wherever sought necessary.

The Technical Internal Audit of the Company are being conducted by an in house Technical Internal Audit Committee consisting the representatives of the Technical Services, Finance and Material Management Departments of the Company.

16. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास कर रही है।भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में हिंदी राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

1. वर्ष के दौरान कुल 04 हिंदी कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए।
2. 21.05.2024 को उप निदेशक एवं कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख, गुवाहाटी ने बीवीएफसीएल मुख्यालय का निरीक्षण किया।
3. बीवीएफसीएल में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर 2024 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं अनुवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
4. बीवीएफसीएल ने हिंदी दिवस समारोह और भारत मंडपम, नई दिल्ली (15-14 सितंबर 2024) में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।
5. राजभाषा विभाग के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, गुवाहाटी; तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान (नरकास कार्यालय) को भेजी जा रही हैं।
6. इस वित्तीय वर्ष के दौरान, बीवीएफसीएल को हिंदी कार्यान्वयन के लिए नाराकास दुलियाजान द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7. अक्टूबर माह में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद, सभी प्रतियोगिताएं मुख्यतः हिंदी में आयोजित की गईं।
8. बाल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों एवं अधिकारियों के लिए द्विभाषी गीत/कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
9. बीवीएफसीएल ने नाराकास (दुलियाजान) की बैठकों में भाग लिया.

16. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

Your Company is making all efforts to propagate and implement Official Language Policy of the Government of India. All Govt. directions for implementation of Official Language Policy of the Govt. of India are being followed. During the year under review, following activities were taken place to increase the awareness and motivate the employees for the use of Hindi Raj Bhasha in the Company:

1. A total of 04 Hindi workshops/seminars were organized during the year.
2. On 21.05.2024, the Deputy Director and Head of the Implementation Office, Guwahati, inspected the BVFCL Head Office.
3. Hindi Fortnight was celebrated at BVFCL from 01 September to 15 September 2024. During this period, various competitions such as essay writing, speech, quiz, and translation were organized, in which employees and officers participated enthusiastically.
4. BVFCL participated in the Hindi Day celebration and the Fourth All India Official Language Conference held at Bharat Mandapam, New Delhi (14-15 September 2024).
5. Annual and quarterly reports related to the implementation of the Official Language Department are being regularly sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi; Regional Implementation Office, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Guwahati; and Oil India Limited, Duliajan (NARAKAS Office).
6. During this financial year, BVFCL was awarded the third prize by NARAKAS Duliajan for Hindi implementation.
7. During the Vigilance Awareness Week held in the month of October, all competitions were mainly conducted in Hindi, despite being in a non-Hindi speaking region.
8. On the occasion of Children's Day, a bilingual song/poetry competition was organized for students and officers.
9. BVFCL participated in the meetings of NARAKAS (Duliajan).

10. हिंदी प्रबोध/प्रवीण(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, डिब्रूगढ़ केंद्र द्वारा आयोजित हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जुलाई-नवंबर 2024 सत्र के लिए बीवीएफसीएल में 9 छात्र) / प्रज्ञा (8 छात्र) और पारंगत (20 छात्र) के लिए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
11. दिनांक 01.03.2025 को उप निदेशक (राजभाषा), उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने बी.वी.एफ.सी.एल. मुख्यालय का निरीक्षण किया।
12. 05 मार्च 2025 को, बीवीएफसीएल ने गुवाहाटी में आयोजित पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।
13. हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रयोग में सहायता के लिए कार्यालय परिसर में प्रतिदिन एक हिंदी/अंग्रेजी शब्द प्रदर्शित किया जाता है।

17. धारा 197 के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कर्मचारियों के विवरण को शामिल करने से छूट दी गई है और इसलिए उक्त विवरण बोर्ड की प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए हैं।

18. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देने का आदेश देता है। बीवीएफसीएल, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ए क पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में आती है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत आवेदकों के अनुरोधों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और वैकल्पिक लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है। कंपनी के मामलों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा के लिए अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों का विवरण कंपनी की बीवीएफसीएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी की वेबसाइट (www.bvfcl.com) को अद्यतन जानकारी के साथ रखा जाता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरटीआई के अंतर्गत कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए। सभी 23 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

10. Hindi Prabodh/Praveen (9 Students) /Pragya (8 Students) and Parangat (20 Students) for the July-November 2024 session were successfully conducted at BVFCL under the Hindi Teaching Scheme organized by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Dibrugarh Center.
11. On 01.03.2025, the Deputy Director (Official Language), Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, inspected the BVFCL Head Office.
12. On 05 March 2025, BVFCL participated in the Joint Regional Official Language Conference for the Eastern and Northeastern Region held in Guwahati.
13. To promote awareness of Hindi, one Hindi/English word is displayed daily in the office premises to help in the usage of Hindi.

17. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 197:

As per the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 and rules made there under, Government Companies are exempted from inclusion of the statement of particulars of employees and therefore the said particulars are not included in the Board's Report.

18. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

Right to Information Act, 2005 mandates timely response to citizen's requests for information relating to Public Authorities. BVFCL is a wholly owned Government Company under the administrative control of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers and come within the purview of Public Authority. As per the provisions of the said Act, your Company makes all efforts to follow the directives so issued under the Act. Your Company has nominated Transparency Officer, Appellate Authority, Public Information Officer and Alternate Public Information Officer to respond effectively to the requests of the applicants under the Act. The details of the officers nominated under the Act have been displayed on the Company's BVFCL website to facilitate information about the affairs of the Company.

The Company's website (www.bvfcl.com) is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act have been kept uploaded. During the year under review, total 23 applications were received under RTI. All 23 nos. of applications were disposed off.

19. ऋण/निवेश/गारंटी का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, 31.03.2025 तक किए गए निवेशों और प्रदान किए गए ऋणों/गारंटियों का विवरण वित्तीय विवरणों के संबंधित नोटों में दिया गया है।

20. वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com,पर प्रदर्शित किया गया है।

21. सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

22. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन:

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को ग्रेड देने के उद्देश्य से कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं और यह प्रतिवेदन तिमाही/वार्षिक आधार पर सरकार को प्रस्तुत की जानी है। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा निर्धारित सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का नियमित रूप से अनुपालन कर रही है और डीओएफ/डीपीई को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत की है और आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' की उम्मीद है। हालाँकि, इस मामले में डीपीई की अधिसूचना प्रतीक्षित है।

23. बोर्ड बैठकें:

बोर्ड बैठकों का विस्तृत खुलासा संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में किया गया है।

24 . लेखापरीक्षा समिति की संरचना:

बोर्ड ने एक लेखा परीक्षा समिति गठित की थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री एस.के. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक श्री रबी रंजन सेन और

19. DETAILS OF LOANS / INVESTMENTS / GUARANTEES:

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the details of investments made and loans/guarantees provided as on 31.03.2025 are given in the respective notes to the financial statements.

20. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to the provisions of Section 92 (3) read with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return of the Company for the Financial Year 2024-25, has been displayed on the website of the company at www.bvfcl.com.

21. SECRETARIAL STANDARDS

During the Financial Year 2024-25, your Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) duly approved by the Central Government under the provisions of Section 118(10) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

22. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES:

The Department of Public Enterprises (DPE), Government of India, has laid down certain parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to the Government on quarterly/annual basis. Your Company is regularly complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and submits reports to the DOF/DPE. During the Financial Year 2024-25, Company has submitted self assessment report and expected 'Excellent Rating' to your Company. However, DPE notification in this matter is awaited.

23. BOARD MEETINGS:

The detailed disclosures of Board meetings have been made in the annexed Corporate Governance Report.

24. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE:

The Board had constituted an Audit Committee comprising of Mr. S.K. Sharma, Independent Director as the Chairman;

सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री निरंजन लाल शामिल थे।

इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों का अन्य विवरण संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में दिया गया है।

25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (श्री बी बी पाढ़ी, श्री एस के शर्मा और श्री रबी रंजन सेन) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की है।

26. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत निर्धारित संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध नहीं किया है।

27. धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदन की गई धोखाधड़ी, जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन करने योग्य हैं, के अलावा:

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

28. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन / किसी भी कार्यवाही का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत न तो कोई आवेदन किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

29. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास एक संरचित आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचा है, जिसे जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और शमन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जोखिम प्रबंधन समिति को बोर्ड की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

क) कंपनी के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे की देखरेख करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि साइबर सुरक्षा, सुरक्षा और संचालन,

Mr. Rabi Ranjan Sen, Independent Director and Mr. Niranjan Lal, Govt Nomine Director as the Members.

Further, the other details of the Audit Committee and other Committees of the Board are given in the annexed Corporate Governance Report

25. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149 (6) OF COMPANIES ACT, 2013:

The Independent Directors (Shri B.B. Padhy, Shri S.K. Sharma and Shri Rabi Ranjan Sen) on the Board during the F.Y. 2024-25, have given declarations towards meeting the criteria of independence as laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013.

26. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:

The Company has not entered into any contract with the related party as prescribed under section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

27. FRAUDS REPORTED BY AUDITORS UNDER SECTION 143(12), OTHER THAN THOSE WHICH ARE REPORTABLE TO THE CENTRAL GOVERNMENT:

There were no frauds reported during the Financial Year 2024-25 by the Statutory Auditors of the Company.

28. DETAILS OF APPLICATION / ANY PROCEEDING PENDING UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016:

During the year under review, neither any application was made nor any proceeding is pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) for the Financial Year 2024-25.

29. RISK MANAGEMENT :

The Company has a structured internal Risk Management Framework, designed to identify, assess and mitigate risks appropriately.

The Risk Management Committee has been entrusted with the responsibility to assist the Board in:

a) Overseeing the Company's enterprise wide risk management framework;

b) Ensuring that all material Strategic and

अनुपालन, नियंत्रण और वित्तीय जोखिमों सहित सभी महत्वपूर्ण सामरिक और वाणिज्यिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया गया है; और

ग) यह सुनिश्चित करना कि इन जोखिमों से निपटने के लिए सभी पर्याप्त जोखिम शमन उपाय मौजूद हों।

30. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक नीति लागू की है जिसके तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी ने POSH अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के निवारण और समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) का गठन किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, BVFCL के कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या – शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

31. वर्ष के दौरान उठाए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों के तहत एक सीमा मानदंड को पूरा करती है, अर्थात तीन मानदंडों में से शुद्ध लाभ >/5 करोड़ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की सीएसआर समिति का गठन बोर्ड द्वारा 25.07.2023 को किया गया और सीएसआर नीति निर्माण की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, चूँकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई औसत लाभ नहीं हुआ है, इसलिए धारा 135(5) के प्रावधानों के अनुसार औसत लाभ का 2% व्यय करने की बाध्यता वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पन्न नहीं होती है।

हालाँकि, आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में कई उपाय करती है, जो (8 किलोमीटर के दायरे में आसपास के क्षेत्रों तक) सीमित है, जिसका विवरण अनुलग्नक I अर्थात प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से उल्लिखित है।

Commercial risks including Cyber security, Safety and Operations, Compliance, Control and Financial risks have been identified and assessed; and

c) Ensuring that all adequate risk mitigation measures are in place to address these risks.

30. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

In accordance with the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and the Rules made thereunder, the Company has in place a policy which mandates no tolerance against any conduct amounting to sexual harassment of women at workplace. The Company has constituted Internal Complaint Committee(s) (ICCs) to redress and resolve any complaints arising under the POSH Act. During the year 2024-25, disclosure in relation of the Sexual Harassment of Women at workplace is as under:

No. of complaints filed during the FY-Nil
No. of complaints disposed of during the FY-Nil
No. of complaints pending for more than 90 days during the FY- 00 (Zero)
No. of complaints pending as at the end of FY-00 (Zero)

31. DETAILS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR :

In compliance of the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Company was constituted by the Board on 25.07.2023 and the CSR Policy is in process of formulation. Moreover, since there is no average profit during immediate three preceding Financial Years, obligation to spend 2% of average profit as per the provisions of Section 135 (5) doesn't arise during the Financial Year 2024-25.

However, your Company undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius), the details of which are mentioned in detailed in Annexure I i.e. Management Discussion and Analysis Report.

32. आभार :

कंपनी के निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों—जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (FICC), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग—तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, भारत के महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, PDIL, FACT, IFFCO, सम्मानित डीलर्स, उपभोक्ताओं तथा पत्र–प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल सभी पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों और बैंकरों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता है।

निदेशक मंडल आपके निगम के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा अनेक बाधाओं के बावजूद प्रचालनरत नामरूप-III संयंत्रों के उत्पादन निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए अथक प्रयासों की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके आदेशानुसार

ह/-
मोहन राज शेट्टी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 11068203

स्थान : नामरूप, असम
तिथि : 03.12.2025

32. ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors acknowledges the valuable guidance and continued support extended by the various Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises, Statutory Auditors, Cost Auditors, Practicising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, PDIL, FACT, IFFCO, valued dealers, customers and the Press and Electronic Media.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation to State Governments of all the North Eastern States, Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Bankers viz. State Bank of India and Canara Bank for their valued co-operation.

The Board of Directors also acknowledges and appreciates the untiring efforts put in by the employees of your Corporation at all levels for improving the production performance of operational Namrup - III plants, despite of several constraints.

For and on behalf of the Board

Sd/-
Mohan Raj Shetty
Chairman & Managing Director
DIN : 11068203

Place : Namrup, Assam
Date : 03.12.2025

अनुलग्नक – I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी (CIN: U24123AS2002GOI006786), उर्वरक विभाग (DOF), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अनुसूची 'बी' श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSU) है। बीवीएफसीएल नामरूप (असम) स्थित अपने संयंत्रों में यूरिया, बायो-उर्वरक तथा वर्मी–कम्पोस्ट खाद के निर्माण तथा बीज, कीटनाशक, उर्वरक (MOP, SSP, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, रॉक फॉस्फेट), पादप वृद्धि नियंत्रक, सिटी कम्पोस्ट एवं सूक्ष्म पोषक तत्व आदि के व्यापार में संलग्न है।

निगम अपने उत्पादों का विपणन "Mukta" ब्रांड नाम के अंतर्गत करता है।

2. उद्योग संरचना एवं विकास:

यूरिया, नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ एकमात्र नियंत्रित उर्वरक भी है, तथा अन्य सभी उर्वरकों की तुलना में इसका उपभोग सर्वाधिक है। वर्तमान में यूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) के अंतर्गत अधिसूचित है, और सरकार इसके विक्रय हेतु वैधानिक मूल्य घोषित करती है तथा विभिन्न निर्माताओं को ECA के अंतर्गत मूवमेंट ऑर्डर जारी करती है। अधिसूचित विक्रय मूल्य एवं संकेतित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) संबंधित विनिर्माण इकाई की उत्पादन लागत से कम होते हैं। उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य/एमआरपी के बीच का अंतर स्वीकृत FICC ऊर्जा मानदंड के आधार पर निर्माताओं को सब्सिडी/रियायत के रूप में प्रदान किया जाता है।

यूरिया उर्वरक के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस एकमात्र कच्चा माल है तथा इसकी लागत, कुल उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा होती है।

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व तथा पूर्वी भारत में एकमात्र यूरिया विनिर्माण इकाई होने के नाते, क्षेत्र के कृषकों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में निभाता है।

3. उत्पादन प्रदर्शन की समीक्षा:

वित्त वर्ष 2024-25 में नामरूप-III में यूरिया उत्पादन 1,86,832 मीट्रिक टन रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1,80,153 मीट्रिक टन था। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित यूरिया उत्पादन लक्ष्य पुराने एवं अविश्वसनीय उपकरणों में अप्रत्याशित खराबियों तथा संयंत्रों के निर्धारित वार्षिक टर्न-अराउंड के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

ANNEXURE – I

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. PREAMBLE

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) incorporated in the year 2002 (CIN U24123AS2002GOI006786) is a Schedule 'B' category Central Public Sector Enterprise (CPSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India. BVFCL is engaged in the manufacture of Urea, Bio-fertilizers, Vermi-Compost manure at Namrup (Assam) and trading of Seeds, Pesticides, Fertilizers (MOP, SSP, Ammonium Phosphate Sulphate, Ammonium Sulphate, Rock Phosphate), Plant Growth Regulator, City compost and Micronutrients etc.

The Corporation is marketing its products under the brand name "Mukta".

2. INDUSTRY STRUCTURE & DEVELOPMENTS:

Urea, as a major source of nitrogen, is also the only controlled fertilizer and has a major share of consumption compared to all other fertilizers put together. Urea is at present covered under Essential Commodity Act (ECA) and the Government declares statutory price of urea for sale and issues Movement Orders under ECA to different manufacturers. The statutorily notified sale price and indicative MRP is less than the cost of production of the respective manufacturing unit. The difference between the cost of production and the selling price/ MRP is paid as subsidy/ concession to manufacturers based on approved FICC Energy norm.

Natural gas is the only raw material for production of Urea fertilizer and accounts for most of the urea production costs.

BVFCL, being the only urea manufacturing unit in entire north-east and eastern India, bears primary responsibility of supplying timely urea to farmers across the region.

3. REVIEW OF PRODUCTION PERFORMANCE:

Urea Production in Namrup-III in FY 2024-25 was 186832 MT compared to 180153 MT achieved in FY 2023-24. The targeted Urea production in 2024-25 could not be achieved due to various unforeseen breakdowns of old, unreliable

वित्त वर्ष 2024-25 में नामरूप-III में प्रति मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन पर ऊर्जा खपत 13.38 GCal/MT रही, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 13.27 GCal/MT थी।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान यूरिया, बायो-फर्टिलाइज़र तथा वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	यूरिया (एमटी)		जैव-उर्वरक (एमटी)		वर्मी कम्पोस्ट (एमटी)*		एनपीके (एमटी)**	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
2020-21	131880	137569	14.75	16.48	81.02	80.19	-	-
2021-22	170280	169922	53.81	48.42	107.17	110.41	-	-
2022-23	223342	227870	152.94	147.84	101.39	60.66	67.53	59.94
2023-24	180153	175340	195.68	152.13	0.00	41.04	463.59	195.48
2024-25	186832	185644	72.624	116.20	0.00	0.05%	19.320	282.90

* वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की उच्च लागत के कारण 10.02.2023 से विनिर्माण बंद कर दिया गया।

** एनपीके प्लांट जनवरी 2023 में चालू हो गया है

नामरूप-II समूह का संयंत्र अपने अमोनिया संश्लेषण अनुभाग में हुई एक बड़ी विफलता के बाद 06.01.2020 से बंद है।

उर्वरक विभाग द्वारा नमरूप–II संयंत्रों की परिचालन क्षमता की समीक्षा हेतु नियुक्त समिति ने (मार्च 2022 में प्रस्तुत अपनी प्रतिवेदन में) नमरूप–II संयंत्रों के पुनः संचालन के पक्ष में कोई अनुशंसा नहीं की।

**"नमरूप–II संयंत्रों के स्थायी डीकमीशनिंग तथा उसके उपरांत निस्तारण के प्रस्ताव को निदेशक मंडल द्वारा अपनी 117वीं बैठक, दिनांक 08 मई, 2023 में अनुमोदित किया गया तथा उक्त प्रस्ताव को 27 जून, 2023 को अनुमोदन हेतु उर्वरक विभाग (DoF) को प्रेषित किया गया।

उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में, उर्वरक विभाग द्वारा पत्र संदर्भ संख्या 18017/02/2023-PSU (E.34631), दिनांक 17 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्देश प्रदान किए गए कि वैकल्पिक तंत्र (Alternative Mechanism) हेतु एक अभिलेखीय टिप्पणी (note) के रूप में प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाए। उर्वरक विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, नमरूप–II संयंत्रों के बंदीकरण हेतु विभिन्न अग्रिम तैयारी संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नमरूप–III संयंत्र में 244 ऑन-स्ट्रीम दिवस प्राप्त हुए, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 239 दिवस प्राप्त हुए थे।"**

नामरूप-III संयंत्रों का निर्धारित वार्षिक शटडाउन दिनांक 07.11.2024 से 29.12.2024 तक निर्धारित अनुरक्षण कार्यों के उपरान्त लिया गया।

equipments and scheduled annual turn-around of plants. Energy consumption per MT of urea produced in Namrup-III during FY 2024-25 was 13.38 GCal/MT compared to 13.27 GCal/MT in the FY 2023-24.

Productions of Urea, Bio Fertilizer and Vermi Compost during the last five years are given below:

FY Year	Urea (MT)		Bio-Fertilizers (MT)		Vermi Compost (MT)*		NPK (MT)**	
	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale
2020-21	131880	137569	14.75	16.48	81.02	80.19	-	-
2021-22	170280	169922	53.81	48.42	107.17	110.41	-	-
2022-23	223342	227870	152.94	147.84	101.39	60.66	67.53	59.94
2023-24	180153	175340	195.68	152.13	0.00	41.04	463.59	195.48
2024-25	186832	185644	72.624	116.20	0.00	0.05%	19.320	282.90

* Vermi Compost Manufacturing was discontinued w.e.f. 10.02.2023 due to high Cost of Production.

** NPK Plant has been commissioned in January 2023

Namrup-II Group of Plants continued to remain under Shut Down since 06.01.2020 after a major failure that took place in its Ammonia Synthesis Section.

The Committee appointed by DoF to review the operability of the Namrup-II Plants, did not recommend in favour of resumption of operation of Namrup-II Plants (in a Report submitted by them in March 2022)

Proposal for permanent decommissioning of the Namrup-II plants and its subsequent disposal was approved by the Board in its 117th Meeting held on 8th May 2023 & the same was sent to DoF for approval on 27th June 2023. In reply, instruction was received from DoF vide Letter, Ref. No.: 18017/02/2023-PSU (E.34631), Dated: 17th July, 2023 to forward a Proposal to DoF in the form of a note for Alternative Mechanism. As per the directives received from DoF, various advance Preparatory activities for Closure of Namrup-II Plants are being carried out.

During the FY 2024-25, 244 on-stream days could be achieved in Namrup-III Plant compared to 239 days in FY 2023-24.

Scheduled Annual Shutdown of Namrup-III Plants was taken from 07.11.2024 to 29.12.2024 to attend scheduled maintenance activities.

शट डाउन के दौरान विभिन्न प्रमुख रखरखाव कार्य किए गए जो इस प्रकार हैं:

1. एलटी उत्प्रेरक को नए से प्रतिस्थापित करना
2. अमोनिया हॉर्टन क्षेत्र का गैर-विनाशकारी परीक्षण
3. कंप्रेसर हाउस नियंत्रण प्रणाली का डीसीएस में उन्नयन
4. सेकेंडरी रिफॉर्मर बॉटम आर्च प्रतिस्थापन
5. यूरिया रिएक्टर लाइनर आंशिक प्रतिस्थापन और मरम्मत आदि

जैविक उर्वरक उत्पादन: वित्त वर्ष 2024-25 में जैव उर्वरक उत्पादन 72.624 मीट्रिक टन था, जबकि 2023-24 में उत्पादन 195.68 मीट्रिक टन था।

4. विपणन प्रदर्शन समीक्षा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम की निम्नलिखित विपणन गतिविधियाँ हैं:

विपणन परिचालन की समीक्षा:

क. स्वयं के उत्पाद-

1. मुक्ता नीम-लेपित यूरिया: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा 185643.900 एम.टी. यूरिया (पिछले वर्ष 175339.800 एम.टी.; निर्यात मात्रा को छोड़कर) का विक्रय किया गया।
2. जैव उर्वरक: 116.20 के.एल. तरल जैव उर्वरक, जिनका मूल्य ₹174.29 लाख है, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 152.134 के.एल. तरल जैव उर्वरक, मूल्य ₹228.20 लाख)।
3. एनपीके (282.90 :(19:19:19 एम.टी. मुक्ता एनपीके (19:19:19), मूल्य ₹424.35 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 195.48 एम.टी., मूल्य ₹293.22 लाख)।
4. वर्मी कम्पोस्ट: 0.05 एम.टी. वर्मी कम्पोस्ट, मूल्य ₹0.01 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 41.040 एम.टी., मूल्य ₹5.75 लाख)।
5. आयातित यूरिया: 96351.045 एम.टी. आयातित यूरिया, मूल्य ₹5440.63 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 257694.265 एम.टी., मूल्य ₹14551.14 लाख)।

ख. व्यापारिक वस्तुएँ-

i. एसएसपी उर्वरक: 29871.400 एम.टी. एसएसपी उर्वरक,

Various major maintenance jobs were attended during the Shut Down which is as follows:

1. LT Catalyst replacement with new ones
2. Non-destructive testing of Ammonia Horton Sphere
3. Compressor House Control system up gradation to DCS
4. Secondary Reformer bottom arch replacement
5. Urea Reactor liner partial replacement & repairing etc

Production Organic fertilizers: In the FY 2024-25, Bio Fertilizer production achieved was 72.624 MT, compared to production of 195.68 MT in 2023-24.

4. MARKETING PERFORMANCE REVIEW:

During the year under review, your Corporation has following marketing activities:

Review of Marketing Operations:

a. Own Products-

1. Mukta Neem Coated Urea: During the financial year 2024-25, company sold – 185643.900 MT Urea (Previous year 175339.800 MT; excluding export quantity)
2. Bio-Fertilizers: 116.20 KL liquid Bio-Fertilizers valued Rs. 174.29 Lakhs were sold (Previous year 152.134 KL liquid Bio-Fertilizers valued Rs. 228.20 lakhs)
3. NPK (19:19:19): 282.90 MT of Mukta NPK (19:19:19) valued Rs 424.35 Lakhs were sold (Previous year 195.48 MT valued Rs. 293.22 Lakhs).
4. Vermi Compost: 0.05 MT Vermi Compost valued Rs. 0.01 Lakhs were sold (Previous year 41.040 MT valued Rs. 5.75 Lakhs).
5. Imported Urea: 96351.045 MT of Imported Urea valued Rs 5440.63 Lakhs were sold. (Previous year 257694.265 MT valued Rs. 14551.14 Lakhs).

b. Traded Items-

i. SSP Fertilizers: 29871.400 MT valued Rs. 2862.00

मूल्य ₹2862.00 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 32468.000 एम.टी., मूल्य ₹3103.08 लाख)।

ii. फैक्टमफॉस: 9010.000 एम.टी., मूल्य ₹2119.33 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 1455.400 एम.टी., मूल्य ₹304.18 लाख)।

iii. अमोनियम सल्फेट: 12800.85 एम.टी., मूल्य ₹1936.65 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 6455.700 एम.टी., मूल्य ₹1067.96 लाख)।

iv. एमओपी उर्वरक: 6399.900 एम.टी., मूल्य ₹1733.86 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 1965.500 एम.टी., मूल्य ₹603.91 लाख)।

v. रॉक फॉस्फेट: 4332.000 एम.टी., मूल्य ₹340.89 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 4943.800 एम.टी., मूल्य ₹376.67 लाख)।

vi. कैल्शियम नाइट्रेट: 440.255 एम.टी., मूल्य ₹209.74 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 68.000 एम.टी., मूल्य ₹38.85 लाख)।

vii. नैनो यूरिया: 97428 संख्या बोतलें, मूल्य ₹189.46 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 1632 बोतलें अर्थात् 816 के.एल., मूल्य ₹3.17 लाख)।

viii. मुक्ता पावर: 133.680 एम.टी., मूल्य ₹171.11 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 1424.810 एम.टी., मूल्य ₹1823.76 लाख)।

ix. कॉम्प्लेक्स उर्वरक: 505.55 एम.टी., मूल्य ₹145.15 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 119.00 एम.टी., मूल्य ₹32.45 लाख)।

x. डीएपी उर्वरक: 358.800 एम.टी., मूल्य ₹90.38 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 375.000 एम.टी., मूल्य ₹93.60 लाख)।

xi. जिंक सल्फेट: 97.025 एम.टी., मूल्य ₹71.18 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 254.525 एम.टी., मूल्य ₹198.10 लाख)।

xii. यूरिया (IFFCO): 575.415 एम.टी., मूल्य ₹30.71 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 273.735 एम.टी., मूल्य ₹14.61 लाख)।

xiii. मैग्नीशियम सल्फेट: 170.90 एम.टी., मूल्य ₹26.25 लाख, का विक्रय किया गया (पिछला वर्ष — शून्य)।

xiv. बेंटोनाइट सल्फर: 35.60 एम.टी., मूल्य ₹13.97 लाख, का

lakhs were sold (Previous year 32468.000 MT valued Rs. 3103.08 Lakhs).

ii. Factamfos: 9010.000 MT valued Rs 2119.33 lakhs were sold (Previous year 1455.400 MT valued Rs. 304.18 lakhs).

iii. Ammonium Sulphate: 12800.85 MT valued Rs 1936.65 lakhs were sold (Previous year 6455.700 MT valued Rs 1067.96 lakhs).

iv. MOP Fertilizers : 6399.900 MT valued Rs. 1733.86 lakhs were sold (Previous year 1965.500 MT valued Rs. 603.91 lakhs)

v. Rock Phosphate : 4332.000 MT valued Rs. 340.89 lakhs were sold (Previous year 4943.800 MT valued Rs. 376.67 lakhs).

vi. Calcium Nitrate: 440.255 MT valued Rs. 209.74 lakhs were sold (Previous year 68.000 MT valued Rs. 38.85 lakhs).

vii. NANO UREA: 97428 no of bottles valued Rs. 189.46 lakhs were sold (Previous year 1632 no of bottles i.e. 816 KL valued Rs. 3.17 lakhs).

viii. Mukta Power: 133.680 MT valued Rs 171.11 lakhs were sold (Previous year 1424.810 MT valued Rs 1823.76 lakhs).

ix. Complex Fertilizer : 505.55 MT valued Rs. 145.15 lakhs were sold (previous Year 119.00 valued Rs. 32.45 lakhs).

x. DAP Fertilizers: 358.800 MT valued Rs. 90.38 lakhs were sold (Previous year 375.000 MT valued Rs. 93.60 lakhs).

xi. Zinc Sulphate: 97.025 MT valued Rs. 71.18 lakhs were sold (previous Year 254.525 MT valued Rs. 198.10 lakhs).

xii. Urea (IFFCO) : 575.415 MT valued Rs.30.71 lakhs were sold (Previous year 273.735 MT valued Rs. 14.61 lakhs).

xiii. Magnesium Sulphate: 170.90 MT valued Rs. 26.25 lakhs were sold (previous Year Nil).

xiv. Bentonite Sulphur: 35.60 MT valued Rs. 13.97

विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 4.260 एम.टी., मूल्य ₹1.90 लाख)।

xv. नैनो डीएपी: 1176 बोतलें, मूल्य ₹6.12 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 372 बोतलें, मूल्य ₹1.93 लाख)।

xvi. सागरिका – IFFCO: 3415 संख्या, मूल्य ₹4.93 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 291 संख्या, मूल्य ₹0.49 लाख)।

xvii. पीडीएम: 20.000 एम.टी., मूल्य ₹2.75 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 345.500 एम.टी., मूल्य ₹51.19 लाख)।

xviii. लिक्विड कंसोर्शिया (NPK) 500 ml – IFFCO: 940 संख्या, मूल्य ₹0.71 लाख, का विक्रय किया गया (पिछला वर्ष - शून्य)।

xix. एनपीके (वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र): 0.32 एम.टी., मूल्य ₹0.28 लाख, का विक्रय किया गया (पिछले वर्ष 0.100 एम.टी., मूल्य ₹0.10 लाख)।

xx. बोरॉन: 0.16 एम.टी., मूल्य ₹0.13 लाख, का विक्रय किया गया (पिछला वर्ष — शून्य)।

xxi. बीज: शून्य (पिछले वर्ष 14.000 एम.टी., मूल्य ₹16.52 लाख)।

xxii. यूरिया (HURL): शून्य (पिछले वर्ष 49023.000 एम.टी., मूल्य ₹2768.17 लाख)।

xxiii. यूरिया (NFL): शून्य (पिछले वर्ष 13993.380 एम.टी., मूल्य ₹790.16 लाख)।

5. कृषि संवर्धन कार्यक्रम:

आपका निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र यूरिया उत्पादक कंपनी है, जो अपने ग्राहकों/किसानों को मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने तथा फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु

क. डीलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम: वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान विभिन्न विपणन क्षेत्रों में कुल 25 डीलर/खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूँकि डीलर किसान एवं खुदरा विक्रेताओं तक सूचना पहुँचाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अतः उन्हें मृदा परीक्षण के महत्व, मृदा नमूना रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभ, तथा निगम के नीम-लेपित यूरिया, वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरकों के लाभों के बारे में अवगत कराया

lakhs were sold (Previous year 4.260 MT valued Rs. 1.90 lakhs).

xv. NANO DAP : 1176 no of bottles valued Rs. 6.12 lakhs were sold (Previous year 372 no of bottles valued Rs. 1.93 lakhs).

xvi. Sagarika - IFFCO: 3415 Nos valued Rs. 4.93 lakhs were sold (Previous year 291 nos valued Rs. 0.49 lakhs).

xvii. PDM : 20.000 MT valued Rs 2.75 lakhs were sold (Previous year 345.500 MT valued Rs 51.19 lakhs).

xviii. Liquid Consortia (NPK) 500ml-IFFCO: 940 Nos. valued Rs. 0.71 lakhs were sold (Previous Nil).

xix. NPK: (Water Soluble Fertilizer): 0.32 MT valued Rs 0.28 lakhs were sold (Previous year 0.100 MT valued Rs 0.10 lakhs).

xx. Boron: 0.16 MT valued Rs. 0.13 lakhs were sold (Previous Nil).

xxi. Seed: Nil (Previous year 14.000 MT valued Rs. 16.52 lakhs).

xxii. Urea (HURL) : Nil (Previous year 49023.000 MT valued Rs. 2768.17 lakhs).

xxiii. Urea (NFL) : Nil (Previous year 13993.380 MT valued Rs. 790.16 lakhs).

5. Agricultural Promotion Programme:

Your Corporation is the only Urea manufacturing company in Northeast, playing proactive roles in imparting education/ creating awareness to its customers/farmers for maintaining the soil health and increase in crop production. The details of farmers/dealers training pogramme undertaken by the company are mentioned as below:

a. Dealers Training Programme: 25 nos. of Dealers/ Retailer Training Programme were conducted at during F.Y. 2024-25 in different marketing territories. Since the dealers are vital link in disseminating the information to the farmers & retailers. Dealers were educated about the importance of soil testing, benefits of balanced use of fertilizers based on soil sample report and

गया। डीलरों से अनुरोध किया गया कि वे किसानों को उनकी मृदा आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएँ।

ख. **किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान विभिन्न विपणन क्षेत्रों में कुल 50 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सम्मानित किसान किसी क्षेत्र में उर्वरक बिक्री की मुख्य कड़ी हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बीवीएफसीएल उत्पाद-टोकरी के उत्पादों के उपयोग एवं मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित किया गया।

ग. **प्रदर्शन कार्यक्रम:** वित्तीय वर्ष 25-2024 में विभिन्न विपणन क्षेत्रों में कुल 06 क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य किसानों के बीच बीवीएफसीएल के उत्पादों के लाभों को प्रदर्शित करना था।

घ. **सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम:** उर्वरक विभाग देश में सतत कृषि विकास हेतु मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की परिकल्पना करता है। विभाग द्वारा प्रधानमंत्री प्रणाम, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, पोषक तत्व प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करने का उद्देश्य है। इस संदर्भ में सामुदायिक रेडियो (सीआर) सूचना प्रसार, शिक्षा एवं संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। कुल 65 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का चयन कार्यक्रम प्रसारण हेतु किया गया। इन 65 स्टेशनों में से बीवीएफसीएल को 03 (तीन) सामुदायिक रेडियो स्टेशन—ज्ञान तरंगा (कृष्ण कांत हंडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय), रेडियो लुइत (गुवाहाटी विश्वविद्यालय) एवं रेडियो ज्ञानमालिनी (डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय)—आवंटित किए गए। मार्च 2025 तक बीवीएफसीएल द्वारा 210 कार्यक्रमों का प्रसारण पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्यक्रमों का प्रसारण वित्तीय वर्ष 26-2025 के दौरान किया जाएगा।

6. यूरिया के विपणन में आने वाली बाधाएँ:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को निम्नलिखित कारणों से यूरिया के विपणन में बाधाओं का अनुभव हुआ:

रेलवे से संबंधित मुद्दे:

- प्रतिबंध, जाम की स्थिति एवं कोटा संबंधी समस्याओं के कारण रेकों की अनुपलब्धता।

benefits of Neem Coated Urea, Vermi Compost & Bio-fertilizers of your corporation. Dealers were requested to facilitate supply of fertilizers to the farmers conforming to their soil requirement.

b. **Farmers Training Programme:** 50 no.s of Farmers Training Programme were conducted at during F.Y. 2024-25 in different marketing territories. Valued farmers are the key for sale fertilizer in any area. Though these training programs farmers were educated and encouraged for using the products from BVFCL product basket and balance use of fertilizer to maintain soil heath.

c. **Demonstration Programme:** 06 no.s of Field Demonstration were conducted during F.Y. 2024-25 in different marketing territories to establish the benefits of product of BVFCL to the farmers.

d. **Community Radio Program:** Department of Fertilizers envisages the vision of achieving self-reliance in the fertilizer sector in the country for sustainable agricultural growth maintaining good soil health. Department of fertilizers intends to create awareness about various programs and schemes of Department of Fertilizer viz PM Pranam, balanced use of fertilizers, nutrient management etc. It is believed that community radios (CR) can play an important medium for information dissemination, education and communication in this regard. A total of 65 nos Community Radio stations were identified to broadcast the program. Out of 65 CRS BVFCL was allotted 3 (Three) Community Radio stations viz. Jnan Taranaga (Krishna Kanta Handique State open University), Radio Luit (Guwahati University) & Radio Gyanmalinee (Dibrugarh University) for broadcasting of Programs. As on, March 2025, BVFCL has completed 210 programs. Rest will be broadcasted during FY 25-26.

6. CONSTRAINTS FACED IN MARKETING OF UREA:

During the year under review, company experienced constraints in marketing of urea due the following reasons:

Railway related issues:

- Non-availability of rakes due to Restrictions,Congestions and Quota problem.

आंदोलन समस्या:

- बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए आपूर्ति योजना नगण्य या शून्य है।
- रेक संचलन के लिए 1400 किलोमीटर की दूरी सीमा।
- फैक्ट्री से भेजे गए माल के मामले में सड़क माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सीमा 500 किलोमीटर है।

दूसरे मामले:

- विपणन विभाग बहुत सीमित जनशक्ति के साथ काम कर रहा है।
- व्यापारिक व्यवसाय हमेशा बाजार की स्थितियों और आपूर्ति पर निर्भर करता है।

जैविक उर्वरकों का उत्पादन और विपणन:

वित्त वर्ष 2024-25 में जैव उर्वरक उत्पादन 72.624 मीट्रिक टन था, जबकि 2023-24 में उत्पादन 195.68 मीट्रिक टन था।

विपणन लागत को कम करने के लिए अपनाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

आवागमन के तार्किकीकरण – रेल-रोड मूवमेंट अनुपात को उर्वरक विभाग द्वारा निर्धारित 80:20 की अनुमेय सीमा के विरुद्ध 94:06 तक लाया गया है (रेलवे फ्रेट 100% प्रतिपूर्ति योग्य है)।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

भंडारण को न्यूनतम रखते हुए रेल-हेड बिक्री को अधिकतम कर इन्वेंटरी वहन लागत में कमी की गई है।

साइलो में न्यूनतम इन्वेंटरी स्तर सुनिश्चित किया गया है।

भुगतान संग्रहण का 100% RTGS/CMS के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी उर्वरकों एवं कृषि उत्पादों के व्यापारिक कार्यों को निरंतर जारी रखे हुए है, ताकि किसानों को सभी कृषि उत्पाद एक ही स्थल पर (सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट) उपलब्ध हो सकें।

7. चालू वर्ष के लिए भविष्य का दृष्टिकोण और पहल:

- बीवीएफसीएल को भारत सरकार के खाते में आयातित यूरिया के संचालन और विपणन के लिए पारादीप स्थित पीआईसीटी बंदरगाह 23-2022 से तीन वर्षों के लिए आवंटित किया गया

Movement Problem:

- Negligible or no Supply plan for Bihar and West Bengal.
- Distance limitation of 1400 Kms for rake movement.
- Limitation of 500 Kms road freight reimbursement in case of Ex-factory dispatches.

Other issues:

- Mktg Dept. is working with very limited manpower.
- Trading business always depends upon the market conditions and supplies.

Production and Marketing of Organic fertilizers:

In the FY 2024-25, Bio Fertilizer production achieved was 72.624 MT, compared to production of 195.68 MT in 2023-24.

Some of the major steps adopted to reduce marketing cost are as follows:

Rationalization of movement - Rail-Road movement ratio brought down to 94:06 against permissible limit of 80:20 by DoF (Railway freight is 100% reimbursable).

Sales in North-Eastern States is given priority.

Reduction in Inventory Carrying Cost by maximizing Rail-head sales with minimum storage.

Minimum Inventory level in Silos.

100% Payment collection is through RTGS/CMS.

The company is continuing the trading activities for fertilizers and agricultural products to help farmers so that all Agro products are available under one roof (Single Window Concept).

7. FUTURE OUTLOOK AND INITIATIVES FOR THE CURRENT YEAR:

- BVFCL has been allotted PICT port, Paradip for Handling & Marketing of Imported Urea in Govt. of India account for Three years from 2022-23

है। इसे एक वर्ष, यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 25-2024 के दौरान, बीवीएफसीएल ने तीन जहाजों का संचालन और विपणन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बीवीएफसीएल अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने विपणन क्षेत्रों के और विस्तार की भी योजना बना रहा है।

- अपने उत्पाद की श्रेणी को बढ़ाने के लिए, बीवीएफसीएल ने प्रमुख कृषि व्यवसाय फर्मों जैसे कि फैक्ट, इफको, आईपीएल, हनुसिता एंड संस, क्रॉप केयर, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, प्रोग्रेसिव फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड, एमएन क्रॉप एंड फर्टिको प्राइवेट लिमिटेड, दीपी केम लिमिटेड और टेरी के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी स्थापित की है।

8. बीवीएफसीएल, नामरूप से संबंधित आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थिति प्रतिवेदन:

कंपनी अत्यंत पुरानी डिजाइन पर आधारित संयंत्रों का संचालन करते हुए कम उत्पादन लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन कर 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। संयंत्र में समीपवर्ती गैस क्षेत्रों से प्राप्त ए.पी.एम. प्राकृतिक गैस का ही उपयोग किया जा रहा है, जिससे आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर निर्भरता समाप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, संयंत्रों की आयु अधिक होने के कारण आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति हेतु स्थानीय विक्रेताओं का विकास कर अधिकांश सामग्रियों की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जा रही है।

यद्यपि संयंत्र अपनी प्रभावी आयु को पार कर चुके हैं एवं बार-बार तकनीकी अवरोधों का सामना कर रहे हैं, तथापि स्थानीय प्राकृतिक गैस के उपयोग से कम लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन कर विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित की गई है, अन्यथा यूरिया की कमी की पूर्ति हेतु आयात करना पड़ता।

मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

क. वर्ष के दौरान, कंपनी ने केवल घरेलू एपीएमऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और किसी भी LNG/RLNG या अन्य आयातित फीडस्टॉक का उपयोग नहीं किया गया है। संयंत्रों की कार्य अवधि समाप्त होने और बार-बार विफलताओं से जूझने के बावजूद, स्थानीय प्राकृतिक गैस का उपयोग करके स्वदेशी सस्ते यूरिया का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा की बचत की गई, अन्यथा यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता।

ख. मौजूदा संयंत्रों के स्थान पर बड़ी क्षमता की नई आधुनिक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है, ताकि

onwards. Same has been extended for one year i.e. up to 31st Mar'2026. During F.Y. 2024-25 BVFCL has successfully completed Handling & Marketing of 03 numbers of ships. BVFCL is also planning for further expansion of Marketing areas to Uttar Pradesh, Telangana & Andhra Pradesh with the aim of achieving a pan India presence.

- To enhance its product basket, BVFCL has successfully established partnerships with leading Agri business firms such as FACT, IFFCO, IPL, Hanusita & Sons, Crop Care, Khaitan Chemical and Fertilizers Ltd., Progressive Fertichem Pvt. Ltd., MN Crop and Fertico Pvt. Ltd., Deepee Chem Ltd., and TERI

8. Status Report for Atmanirbhar Bharat pertaining to BVFCL Namrup:

The Company is immensely contributing to Atmanirbhar Bharat by producing indigenous Urea by running one very old designed plants at a low production cost. The plant is using only APM Natural Gas from the near-by wells and thereby ensuring no dependence on imported LNG/RLNG etc. Moreover, as the plants are very old, so most of the spares are now procured from indigenous sources by developing local vendors for the same.

In spite of the plants surpassing their effective life and troubled with frequent failures, saving of foreign exchange was achieved by producing indigenous cheap urea using local Natural Gas, which would have to be imported otherwise to meet the shortfall in Urea.

Salient points are given below:

a) During the year, the Company has used only domestic APM Natural Gas available from the near-by fields of Oil India Limited (OIL) and not used any LNG/RLNG or other imported feedstock. In spite of the plants surpassing their effective life and troubled with frequent failures, saving of foreign exchange was achieved by producing indigenous cheap urea using local Natural Gas, which would have to be imported otherwise to meet the shortfall in Urea.

b) A proposal to replace the existing plants by establishing a new modern project of bigger capacity

आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया उत्पादन को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर यूरिया आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके।

ग. अन्य परियोजनाओं के विपरीत, जो अपनी लगभग %30 फीडस्टॉक आवश्यकता के लिए आरएलएनजी पर निर्भर हैं, मौजूदा संयंत्र और प्रस्तावित परियोजना पूरी तरह से मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा आस-पास के क्षेत्रों से उपलब्ध घरेलू प्राकृतिक गैस पर आधारित होंगे। इससे आत्मनिर्भरता योजना को काफी बढ़ावा मिलेगा।

घ. इस परियोजना में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को यूरिया निर्यात करने की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि इन देशों से इसकी निकटता और अच्छी कनेक्टिविटी के कारण, जब देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। कंपनी पहले ही नेपाल को 2.0 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का निर्यात कर चुकी है। इससे माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के साथ-साथ 'मेक फॉर वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को भी बल मिलेगा।

ङ. वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान जीईएम पोर्टल और एमएसई के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद नीचे दी गई है:

क. संख्या के आधार पर:

क्रमांक	संख्या के आधार पर	संख्या	कुल के सापेक्ष प्रतिशत
1	कुल क्रय आदेश की संख्या (GeM + GeM के बाहर)	593	
	GeM	444	74.87%
	GeM के बाहर	कुल 149 क्रय आदेश (जिसमें 52 एकल निविदा/नामांकन आधार/समिति खरीद के माध्यम से जारी क्रय आदेश शामिल हैं)	25.13%

is under consideration of DoF to reduce dependence of urea import by boosting Urea production by more than three times to encourage Atmanirbharta.

c) Unlike other projects which are dependent on RLNG for about 30% of their feedstock requirement, the existing plants and the proposed project will be based entirely on domestic Natural Gas available from the near-by areas from M/s OIL. This will give a big boost to the scheme of Atmanirbharta.

d) This project has a very high potential to export Urea to the neighbouring countries like Bangladesh, Nepal, Myanmar etc. because of its close proximity to these countries and good connectivity, when self sufficiency in Urea production is achieved in the Country. The Company had already exported more than 2.0 LMT of Urea to Nepal in the past. This will boost the vision of honourable Prime Minister for 'Make for World', along with 'Make in India'.

e) Procurement of Goods and Services through GEM Portal and MSE during the Financial Year 2024-25 is given below:

a. On number basis:

Sr. No.	Number Basis	No	Percentage w.r.t Total
1	Total No. of PO placed (GeM + Outside GeM)	593	
	GeM	444	74.87%
	Out Side GeM	149 (including 52 POs placed on Single Tender/Nomination basis/Committee Purchase)	25.13%

ख. मूल्य के आधार पर:

क्रमांक	मूल्य आधार	राशि (रु.)	कुल के सापेक्ष प्रतिशत
2	कुल (GeM + GeM के बाहर) खरीद	49,77,56,046.00	
क	GeM के माध्यम से कुल क्रय आदेश मूल्य	22,31,64,384.00	44.83%
ख	आउट-साइड GeM के माध्यम से कुल क्रय आदेश मूल्य	27,45,91,662.00	55.17%
ख 1	नामांकन / एकल निविदा आधार / समिति खरीद से प्राप्त कुल मूल्य	3,16,02,892.00	6.35%
ख 2	GeM पर अनुपलब्धता के कारण प्राप्त कुल मूल्य	24,29,88,770.00	48.81%
3	कुल एमएसएमई (जीईएम + जीईएम के बाहर) (ए+बी)	30,44,02,020.00	61.15%
क	GeM के माध्यम से कुल MSME क्रय आदेश मूल्य	20,84,04,944.00	41.86%
ख	बाहरी GeM के माध्यम से कुल MSME क्रय आदेश मूल्य	9,59,97,076.00	19.29%
ग	महिला उद्यमियों से प्राप्त कुल मूल्य	2,21,54,070.00	4.45%
घ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त कुल मूल्य	20,05,144.00	0.40%

b. On value basis:

Sr. No.	Value Basis	Amount (Rs.)	Percentage w.r.t Total
2	Total (GeM + Outside GeM) Procurement	49,77,56,046.00	
A	Total PO Value through GeM	22,31,64,384.00	44.83%
B	Total PO Value through Out-side GeM	27,45,91,662.00	55.17%
B1	Total Value procured from Nomination / Single Tender Basis/Committee Purchase	3,16,02,892.00	6.35%
B2	Total Value procured due to non availability on GeM	24,29,88,770.00	48.81%
3	Total MSME (GeM + Outside GeM) (A+B)	30,44,02,020.00	61.15%
A	Total MSME PO Value through GeM	20,84,04,944.00	41.86%
B	Total MSME PO Value through Outside GeM	9,59,97,076.00	19.29%
C	Total Value of procured from WOMEN entrepreneurs	2,21,54,070.00	4.45%
D	Total Value procured from MSEs owned by SC / ST entrepreneurs	20,05,144.00	0.40%

9. उर्वरक विभाग के पास लंबित मुद्दे:

i. ए.एम.आर.सी.डी. तंत्र के माध्यम से BVFCL एवं M/s AGCL के मध्य वाणिज्यिक विवाद के मध्यस्थता/निपटान हेतु सचिवों की समिति (CoS) की बैठक: उक्त समिति का गठन दिनांक 09.06.2023 को अधिसूचित किया गया था तथा बैठक दिनांक 30.12.2024 को आयोजित की गई। विवादित दावे की राशि ₹57.16 करोड़ है।

समिति द्वारा अवलोकन उपरांत निर्देशित किया गया कि दोनों पक्ष पहले अपने स्तर पर विचार-विमर्श कर विवादित राशि का समायोजन एकमुश्त (लंपसम) के स्थान पर किस्तों में किए जाने की संभावनाओं पर सहमति बनाएं, जिससे दोनों सीपीएसई को लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही, दोनों सीपीएसई के मध्य विस्तृत मूल्य-विवरण (प्राइस ब्रेकअप) तैयार कर एक नवीन एमओयू/ समझौता (GTA) अंतिम रूप से निष्पादित किया जाए। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त समस्त कार्यवाही समिति की बैठक की तिथि से एक माह के भीतर पूर्ण की जाए।

ए.एम.आर.सी.डी. पैनल के निर्देशानुसार, दोनों सीपीएसई के प्रबंधन स्तर पर बैठक प्रस्तावित करने हेतु M/s AGCL को दिनांक 05.02.2025 एवं 21.03.2025 को पत्र प्रेषित किए गए।

ii. एफआईसीसी ऊर्जा मानदंडों में संशोधन: 22.05.2024 को आयोजित 122वीं बोर्ड बैठक में, वित्त वर्ष 24-2023 के लिए कंपनी के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, निदेशक (उत्पादन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार), बीवीएफसीएल ने बोर्ड को वर्ष 2021 में पीडीआईएल के प्रतिवेदन से अवगत कराया, और 12.69 जीसीएएल/एमटी के ऊर्जा मानदंडों को बढ़ाकर 13.24 जीसीएएल/एमटी करने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने एजेंडा नोट पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया तथा कंपनी के कार्यकारी विभाग को निर्देश दिया कि वह पीडीआईएल प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा मानदंडों में वृद्धि के बारे में ऊर्जा मंत्रालय से बात करे।

तदनुसार, पीडीआईएल की सिफारिश के अनुसार नामरूप-III के लिए एफआईसीसी एसईसी मानदंडों को 01.01.2017 से 13.24 जीसीएएल/एमटी तक संशोधित करने के अनुमोदन के लिए 02.07.2024 को अपर सचिव (एएम), डीओएफ को अनुरोध पत्र भेजा गया था।

9. ISSUES PENDING WITH DEPARTMENT OF FERTILIZERS:

(i) Committee of Secretaries (CoS) meeting for arbitration/resolution of commercial dispute between BVFCL & M/s AGCL through the AMRCD mechanism: Committee was notified on 09.06.2023, meeting was held on 30.12.2024. The amount of claim in the dispute is Rs. 57.16 Cr.

The Committee observed and directed both the parties to first discuss at their level for adjustment of disputed amount in installments rather than in lumpsum which will benefit both the CPSEs & a detailed price breakup should be worked out between the CPSEs and a new MoU/ Agreement (GTA) to be finalized. All the exercises to be completed within one month from the date of the meeting of the Committee.

A letter was sent to M/s AGCL on 05.02.2025 21.03.2025 & to propose for the meeting by Management of both the CPSEs as directed by the AMRCD Panel.

ii. Revision of FICC Energy norms: In the 122nd Board Meeting held on 22.05.2024, while reviewing the Physical & Financial Performance of the Company for FY 24-2023, the Director (Production) & CMD (Addl. Charge), BVFCL apprised the Board about the report of PDIL in the Year 2021, and suggested enhancement of energy norms of 12.69 GCal/MT to 13.24 GCal/MT.

The Board held detailed discussions and deliberations on the agenda note and directed the Executive Department of the Company to pursue about the enhancement of energy norms to the Ministry of DoF based on PDIL Report.

Accordingly, a request letter was sent to Addl. Secretary (AM), DoF on 02.07.2024 for according approval for revision of FICC SEC norms for Namrup-III to 13.24GCal/MT w.e.f. 01.01.2017 as recommended by PDIL.

iii. नामरूप-III संयंत्रों का स्वास्थ्य अध्ययन : वर्तमान परिदृश्य में संयंत्रों के निरंतर संचालन एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नामरूप-III इकाई के मौजूदा संयंत्रों की ऊर्जा खपत में कमी तथा क्षमता वृद्धि की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु प्रक्रिया लाइसेंसर्स को संलग्न किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, मेसर्स टॉपसो ए/एस (पूर्व में मार्स हाल्डोर टॉपसो ए/एस) तथा मेसर्स सैपेम को दिनांक 12.03.2022 के पत्र द्वारा अमोनिया, यूरिया एवं यूटिलिटी संयंत्रों के लिए उपर्युक्त अध्ययन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संपर्क किया गया, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था:

क. क्षमता वृद्धि (वर्तमान 900 मीट्रिक टन/दिन से लगभग 1200 मीट्रिक टन/दिन तक)।

ख. ऊर्जा खपत में कमी (वर्तमान 12.00 जीकैल/मीट्रिक टन से घटाकर 8.00 जीकैल/मीट्रिक टन), अत्यंत किफायती ढंग से, ताकि बिना किसी अतिरिक्त बड़े निवेश के इन संयंत्रों का न्यूनतम आगामी 15 वर्षों तक संचालन किया जा सके।

उक्त अध्ययन हेतु प्रक्रिया में उन्नयन तथा महत्वपूर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन/नवीनीकरण के माध्यम से ऊर्जा खपत में कमी एवं क्षमता वृद्धि के कार्य के लिए मेसर्स एचटीएएस से दिनांक 16.06.2022 को तथा मेसर्स सैपेम से दिनांक 20.06.2022 को प्रस्ताव प्राप्त हुए।

बीवीएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अपनी 112वीं बैठक (अगस्त, 2022) में उपर्युक्त अध्ययन कराने हेतु “सैद्धांतिक” स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात, सुधारात्मक उपायों (Revamp Measures) के क्रियान्वयन हेतु बीवीएफसीएल को ऋण अथवा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए वित्त विभाग (DoF) से दिनांक 18.11.2022 एवं 04.01.2023 के पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया।

हालांकि, चूंकि नामरूप-IV परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन था, अतः स्वास्थ्य अध्ययन (Health Study) को अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया।

स्वास्थ्य अध्ययन के संचालन हेतु वित्तीय दायित्व का सटीक आकलन अध्ययन की पूर्णता तथा अध्ययन प्रतिवेदन के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगा। तथापि, अध्ययन कराने हेतु अनुमानित वित्तीय व्यय लगभग ₹8.00 (आठ) करोड़ होने की संभावना है।

iii. Health Study of Namrup-III Plants: For sustenance & survival in present scenario, requirement was felt for engagement of Process Licensors to conduct study to assess feasibility for energy consumption reduction & capacity enhancement of the existing plants of Namrup-III Unit. Accordingly, M/s Topsoe A/s (previously M/s Haldor Topsoe A/S) and M/s Saipem were contacted vide Letter dated 12.03.2022 for submission of proposal for undertaking the above mentioned study for Ammonia, Urea & Utility Plants with the objective of:

a) Capacity Enhancement (from its present level of 900 MT/day to about 1200 MT/day).

b) Energy Consumption Reduction (from its present level of 12.00 Gcal/MT to 8.00 Gcal/MT) in the most economic way, so that these Plants can be operated for at least next 15 years without any further major investment.

Proposals were received from M/s HTAS on 16.06.2022 & from M/s Saipem on 20.06.2022 for undertaking the job of energy reduction as well as enhancement of capacity through up gradation of the process and replacement/renovation of critical equipments.

BVFCL Board accorded “In Principle” Approval in its 112th Meeting (Aug’22) for conducting the above study. DoF was approached vide letters dated 04.01.2023 & 18.11.2022 for Financial Assistance to BVFCL in the form of Loan or Grant for implementation of the revamp measures.

However, as the proposal for setting up of Namrup-IV project was under active consideration, the Health Study was kept on hold.

The financial involvement for conducting the Health Study would be known only after completion of the study and technical & financial appraisal of the study report. However, approximate financial implication for conducting the study would be to the tune of Rs. 8.00 (eight) Cr (approx.)

तदनुसार, नामरूप-III के लिए रिवैम्प अध्ययन कराने एवं इसके लिए बीवीएफसीएल को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 02.07.2024 को अपर सचिव (एएम), वित्त विभाग (DoF) को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

10. एमओयू रेटिंग:

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से उर्वरक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान प्राप्त रेटिंग्स को छूट प्रदान की गई थी।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त रेटिंग्स निम्नानुसार हैं:

वर्ष	रेटिंग
2020-21	निम्न
2021-22	निम्न
2022-23	संतोषजनक
2023-24	समझौता ज्ञापन से छूट
2024-25	समझौता ज्ञापन से छूट

11. नियंत्रण मंत्रालय और अन्य भारत सरकार मंत्रालयों/एजेंसियों आदि के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन।

नियंत्रक मंत्रालय और अन्य भारत सरकार मंत्रालयों/एजेंसियों के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

12. नामरूप-IV परियोजना की स्थापना की स्थिति प्रतिवेदन:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) यूरिया उत्पादन क्षमता वाले एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स (नामरूप-IV) संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है और ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 है, जो एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से नामांकन के आधार पर होगा। नामरूप-IV परियोजना के चालू होने की संभावित कुल समय-सीमा 48 महीने है।

प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में इक्विटी पैटर्न निम्नानुसार होगा:

असम सरकार	: 40%
बीवीएफसीएल	: 11%
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	: 13%

Accordingly, a request letter was sent to Addl. Secretary (AM), DoF on 02.07.2024 for according approval for conducting the revamp study for Namrup-III as well as for extending financial assistance to BVFCL for the same.

10. MOU RATING :

The Company had started signing MoU with Department of Fertilizer w.e.f. 2004-05 and Ratings obtained during the year 2023-24 and 2024-25 were exempted.

Ratings obtained during the last five years are given below:

Year	Rating
2020-21	Poor
2021-22	Poor
2022-23	Good
2023-24	MoU Exempted
2024-25	MoU Exempted

11. COMPLIANCE OF VARIOUS DIRECTIVES OF THE CONTROLLING MINISTRY AND OTHER GOI MINISTRIES/AGENCIES ETC.

Various directives of the Controlling Ministry and other GoI Ministries/Agencies are being complied.

12. STATUS REPORT TOWARDS SETTING-UP OF NAMRUP-IV PROJECT:

The Union Cabinet in its meeting held on 19th March 2025, approved the proposal for setting up of a new Brownfield Ammonia-Urea Complex (Namrup-IV) Plant having capacity of 12.7 Lakh Metric Tonnes Per Annum (LMTPA) Urea production within the existing premises of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL), Namrup, Assam with an estimated total project cost of Rs 10,601.40 Crore with Debt Equity ratio of 70:30 on nomination basis through a Joint Venture (JV). The tentative overall time schedule for commissioning of Namrup-IV Project is 48 months.

In the proposed JV, equity pattern will be as under:

Government of Assam	: 40%
BVFCL	: 11%
Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)	: 13%

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	: 18%
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)	: 18%

बीवीएफसीएल की इक्विटी हिस्सेदारी मूर्त परिसंपत्तियों के बदले में होगी।

13.जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ने मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के लिए जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की है, जिसकी समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी। संभावित जोखिमों की पहचान की गई है और उन्हें संयंत्र संचालन एवं रखरखाव, उपयोगिताएँ, पर्यावरण नियामक, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बाज़ार, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी और आंतरिक नियंत्रण जैसे विशिष्ट उत्तरदायित्व क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

14. पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन का अनुपालन:

बीवीएफसीएल नामरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रहा है, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, बैटरी (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम 2001 आदि। सभी रिटर्न/प्रतिवेदन आदि, जिन्हें विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है, नियमित रूप से समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा संचालन की सहमति का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। आपदा की स्थिति में आस-पास के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत 15.00 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली गई है।

बीवीएफसीएल में सभी सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कर्मचारियों को समय-समय पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जारी किए जाते हैं और स्वास्थ्य जाँच भी की जाती है। सभी कार्य सुरक्षा मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं। बीवीएफसीएल के पास एक सुसज्जित अग्निशमन दल भी है, जो सभी नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के पड़ोसी उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता योजना के तहत, किसी भी आपदा की स्थिति में बाहरी सहायता भी उपलब्ध है।

तरल अमोनिया को 1500 मीट्रिक टन क्षमता के हॉर्टन स्फीयर में संग्रहित किया जाता है, जो स्थैतिक और मोबाइल दबाव (अनफायर्ड) नियम 2016 के तहत पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस द्वारा कवर किया जाता है।

बाह्य सुरक्षा ऑडिट (IS 14489:1998) सितंबर 2022 में आयोजित किया गया था। अगले बाह्य सुरक्षा ऑडिट (IS 14489:2018) की प्रक्रिया

National Fertilizers Limited (NFL)	: 18%
Oil India Limited (OIL)	: 18%

BVFCL's share of equity shall be in lieu of Tangible Assets.

13. RISK MANAGEMENT:

The company had laid down Risk Management Policy for Assessment & Minimization procedures to be reviewed by the Board of Directors on quarterly basis. The possible risks have been identified and grouped under specific responsibility areas such as Plant Operation & Maintenance, Utilities, Environment Regulatory, Business Competition, Market, Finance, Human Resources, Information Technology, Legal and Internal Control.

14. COMPLIANCE OF ENVIRONMENT & SAFETY MANAGEMENT:

BVFCL Namrup is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Batteries (Management & Handling) Rules 2001 etc. All the returns/reports etc., which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 Crores under Public Liability Insurance Act 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people, in case of disaster.

All safety norms are strictly followed in BVFCL. Personnel Protective Equipments (PPE) is periodically issued to employees and health check-ups are also carried out. All jobs are executed as per safety norms. BVFCL is also having a well equipped Fire Brigade, which is capable of meeting all regular need. As per Mutual Aid Scheme with the neighboring industries in Dibrugarh and Tinsukia district, external assistance is also available in case of any disaster.

Liquid ammonia is stored in Horton Sphere of 1500 MT capacity which is covered by Petroleum Explosives & Safety organization (PESO) License under Static and Mobile Pressure (Unfired) Rules 2016.

External Safety Audit (IS 14489:1998) was conducted in September 2022. The process for conducting next

जारी है। ऑन-साइट आपातकालीन योजना को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

15. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) ने दिनांक 18.03.2016 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम निर्दिष्ट किए हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और अपशिष्ट उत्पादकों के साथ-साथ उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की ज़िम्मेदारी तय करते हैं। इस नियम के अनुसार, बीवीएफसीएल ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है और 2023-24 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी है। 2024-25 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

16. प्रमुख अवसर और खतरे:

i.) कंपनी के लिए अवसर

- पड़ोसी राज्यों को यूरिया निर्यात की संभावना।
- अन्य कृषि उत्पादों में विविधीकरण।
- एकल खिड़की अवधारणा के अनुसार सभी उर्वरकों और कृषि उत्पादों की व्यवस्था करना।

ii.) कंपनी के लिए खतरे

- कम ऊर्जा खपत और कम उत्पादन लागत वाली अन्य यूरिया विनिर्माण कंपनियों से प्रतिस्पर्धा।
- निधि सृजन में कमी के कारण पूंजी निवेश में कमी।
- उत्पादन की उच्च लागत और अव्यवहार्यता के कारण कंपनी का बंद होना।
- संयंत्रों को चलाने के लिए जनशक्ति की भारी कमी।
- आकर्षक पारिश्रमिक देने वाले अन्य सीपीएसयू में योग्य और अनुभवी जनशक्ति का निरंतर स्थानांतरण।

iii.) ताकत और कमजोरी

कंपनी की ताकतें:

- फीडस्टॉक और ईंधन की सम्पूर्ण आवश्यकता भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर उपलब्ध एपीएम प्राकृतिक गैस से पूरी की जा रही है।
- यह इकाई केवल घरेलू गैस का उपयोग कर रही है और फीड/ईंधन एनजी के स्रोत के निकट स्थित है।

External Safety Audit (IS 14489:2018) is under process. The On-site Emergency Plan is updated periodically.

15. PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016:

The Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEF & CC), Government of India, vide gazette Notification dated 18.03.2016 has specified rules for Plastic Waste Management. The Rules fix the responsibility of local bodies, Gram Panchayat and Waste generators, as well as producers, importers and brand owners for collection and management of plastic waste. As per this rule, BVFCL completed the registration process and submitted the annual report for 2023-24. The process for submission of Annual Report for 2024-25 is under progress.

16. KEY OPPORTUNITIES AND THREATS :

i.) The Opportunities to the Company

- Scope for exporting of urea to neighboring states.
- Diversification into other agricultural products.
- To arrange for all fertilizers and agro products as per single window concept.

ii.) The Threats to the company

- Competition from other urea manufacturing companies having lower Energy consumption and lower cost of production.
- Shortage of capital investment due to paucity in fund generation.
- Closure of the company due to high cost of production & un-viability.
- Acute shortage of manpower to run the plants.
- Continuous attrition of qualified and experienced manpower to other CPSUs offering attractive remuneration.

iii.) Strength and Weakness

The strengths of the company:

- Entire requirement of feedstock and fuel is being met from APM Natural Gas available at GoI notified price.
- The unit is using only domestic gas and is located close to the source of Feed/ Fuel NG.

- यदि इकाइयों को बिना किसी रुकावट के चलाया जाए तो उत्पादन की कुल लागत कम होगी।
- यह पूरे असम, पूर्वोत्तर राज्यों में एकमात्र यूरिया उत्पादक कंपनी है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर स्थित अन्य कंपनियों की तुलना में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन लाभ।
- गैस कुओं के निकट नामरूप संयंत्रों के स्थित होने के कारण प्राकृतिक गैस की परिवहन लागत कम है।
- असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन, जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

iv.) कंपनी की कमजोरी

- राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ा नहीं है।
- आधुनिक मानक आकार के संयंत्र की तुलना में संयंत्र की छोटी क्षमता।
- एफसीआईएल और एचएफसीएल से विरासत में मिली पुरानी ऊर्जा अकुशल प्रौद्योगिकी।
- संयंत्रों की वृद्धावस्था.
- अप्रचलन के कारण पुर्जों की अनुपलब्धता।
- कुशल जनशक्ति की तीव्र कमी

17. आईटी उन्नयन और ई-गवर्नेंस:

I. आईटी अपनाना / उन्नयन:

- एनआईसी की ईमेल सेवा @bvfcl.com डोमेन पर लागू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को आधिकारिक ईमेल आईडी प्रदान की गई हैं।
- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आउटगोइंग एवीआई लागू किया गया है।
- एनआईसी द्वारा विकसित डिजिटल कार्यस्थल समाधान ई-ऑफिस को क्रियान्वित किया गया है।
- लेखांकन प्रणाली को पुराने COBOL आधारित सॉफ्टवेयर से टैली लेखांकन प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है।
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- आवास आवंटन आवेदन पत्र ऑनलाइन कर दिया गया है।

- Lower absolute cost of production in the units if run without interruption.
- It is the only urea producing company in the entire Assam, North-Eastern States.
- Transportation advantage for supply of Urea compared to other companies situated outside North-Eastern states of India.
- Lower transportation cost of the natural gas because of location of Namrup plants near to the gas wells.
- Direct and indirect generation of employment in the states of Assam & other North-Eastern states, which are predominantly economically backward.

iv.) The Weakness of the Company

- Not connected to the National Gas Grid.
- Small capacity of the plants compared to modern standard size plant.
- Old energy inefficient technology inherited from FCIL and HFCL.
- Old age of the plants.
- Non-availability of spares due to obsolescence.
- Acute shortage of skilled manpower

17. IT UPGRADATION AND E-GOVERNANCE:

I. IT ADOPTION / UP-GRADATION:

- Email service from NIC has been implemented in the domain @bvfcl.com. All Officers have been provided official email ids.
- Visitor Management System has been implemented.
- Online Outgoing AVI for Employees has been implemented.
- E-Office, a digital workspace solution developed by NIC has been implemented.
- Accounting System is being migrated from old COBOL based software to Tally Accounting System.
- HR Management System has been implemented.
- House Allotment Application form has been made online.

- कंपनी की वेबसाइट को अद्यतन जानकारी के साथ नवीनीकृत किया गया है।
- बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।

II. **ई-गवर्नेंस:**

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म (जीईपीएनआईसी) का उपयोग ऑनलाइन निविदाएं प्रकाशित करने और ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने के लिए किया गया है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद का उपयोग किया जा रहा है।
- कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध है। रिक्तियों/सूचनाओं को कंपनी की वेबसाइट और राष्ट्रीय करियर सेवा के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है।
- आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, कू ऐप, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा जा रहा है

18. बीमा:

आपके निगम की संपत्तियाँ और बीमा योग्य संपत्तियाँ, जैसे संयंत्र एवं मशीनरी, भवन स्टॉक और अन्य, पर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं। लोक बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निगम ने किसी भी आपदा की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली है।

19. सुरक्षा:

नामरूप उर्वरक परिसर की सुरक्षा की निगरानी सीआईएसएफ द्वारा की जा रही है और निगम की टाउनशिप में सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा के साथ-साथ रात्रि गश्त की निगरानी आउटसोर्स निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जा रही है। निगम पूरे क्षेत्र/टाउनशिप में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नामरूप टाउनशिप और उसके आसपास निगरानी रखने हेतु स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को एक रात्रि गश्ती वाहन प्रदान कर रहा है। बीवीएफसीएल कारखाना परिसर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु, समय-समय पर सीआईएसएफ यूनिट कमांडर के साथ सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और उनके द्वारा बताई गई किसी भी आवश्यकता/कमजोरी का तुरंत समाधान किया जाता है। आपके निगम के प्रबंधन, सुरक्षा कर्मचारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर निगम की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूक किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बीवीएफसीएल फ़ैक्टरी क्षेत्र में तैनाती के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की स्वीकृत संख्या 144 है। इसके अतिरिक्त,

- Company's website has been renovated with up to date information.
- Bill Tracking System has been implemented.

II. **E-GOVERNANCE:**

- Government eProcurement Platform (GePNIC), developed by National Informatics Centre (NIC) has been utilized to publish online tenders and to conduct online auctions.
- Procurement through Government e-Market place (GeM) is being utilized.
- The Company's web site is maintained with updated information. Vacancies/ notices are published in the company's website and the portal of National Career Service.
- Official Twitter, Facebook, Koo app, Youtube Channel and Instagram accounts are being maintained with updated information

18. INSURANCE:

The properties and insurable assets of your Corporation such as Plant & Machineries, Building Stocks and others are adequately insured. As required under the provisions of Public Insurance Act, 1991, your Corporation has taken a policy of Rs. 15 crores to give insurance coverage to the peoples of adjoining areas, in case of any disaster

19. SECURITY:

The security of the Namrup Fertilizer Complex is being monitored by the CISF and in Corporation's township, the security guarding in public buildings as well as night patrolling are being monitored by the outsourced private security Agency. Corporation is providing a night patrolling van to local police authority to keep vigil in and around the Namrup Township for maintenance of peace and tranquility in entire area/township. In order to review the entire security system of BVFCL factory premises, Security meeting is organised from time to time with CISF Unit Commander and the requirement/infirmity if any highlighted by them are immediately addressed. The management, security staff and the employees of your corporation are sensitized periodically to the security needs of Corporation.

The sanctioned strength of CISF personnel for deployment in BVFCL factory area is 144 during the period under

आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से पूरे बीवीएफसीएल टाउनशिप में 24*7 घंटे कुल 31 निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं।

20. सत्यनिष्ठा संधि:

आपके निगम ने वर्ष 2019 में निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) लागू की है। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की सभी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि खंड अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निर्धारित आवधिक समीक्षा स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं के माध्यम से की जा रही है।

21. आईएसओ 9001 और 14001 प्रमाणपत्र की स्थिति:

आईएसओ 9001 और 14001 की स्थिति: आईएसओ 9001:2015 और 14001:2015 के लिए पुनः प्रमाणन ऑडिट मार्च 2025 के महीने में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रमाणन एजेंसी: मेसर्स स्विस सर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

22. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

कंपनी के पास वित्त एवं लेखा के संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो आंतरिक लेखापरीक्षा और नियमित प्रबंधन समीक्षाओं द्वारा समर्थित है। लेखांकन में, वाउचर तैयार करने से ही आंतरिक नियंत्रण लागू होता है, जहाँ प्रत्येक वाउचर की जाँच और प्रतिहस्ताक्षर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किए जाते हैं। दैनिक कैशबुक शेष की मैन्युअल रूप से गणना की जाती है और उसकी जाँच बही से की जाती है। इसी प्रकार, सभी बैंक खातों का भी समय-समय पर मिलान किया जाता है। लेखांकन के लिए भी आंतरिक नियंत्रण लागू होता है, जहाँ सिस्टम में दर्ज जर्नल वाउचर सहित सभी वाउचरों की जाँच और सत्यापन किया जाता है, और फिर उनका लेखाकरण किया जाता है। क्रय/कार्य अनुबंध या अन्य वित्तीय भागीदारी वाले प्रत्येक प्रस्ताव की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार जाँच की जाती है और उचित निर्णय लेने से पहले एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सभी लागू कानूनों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन शामिल है। समय-समय पर इस प्रणाली की समीक्षा की जाती है और इसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा समर्थित एक बाहरी योग्य एजेंसी द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा दस्तावेजों/अभिलेखों/प्रक्रियाओं की जाँच करती है और अनुपालन के लिए आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती

review. Moreover, total 31 nos. private security personnel are also deployed in entire BVFCL township on 24*7 hrs. through outsource security agency.

20. INTEGRITY PACT:

Your Corporation has implemented Integrity Pact (IP) in all the Procurement of Goods and Services having threshold value of Rs. 1.00 Crores and above after obtaining approval of Board of Directors in the year 2019. To cover around 80-90% of contract under IP as per CVC guidelines, threshold value has been revised downward to Rs. 50.00 lakh with effect from July24-25. Prescribed periodic review of Integrity Pact implementation is being done through Independent External Monitor(s). Review meetings with Independent External Monitor(s) are being held at regular intervals.

21. STATUS OF ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE:

Status of ISO 9001 and 14001: Recertification Audit for ISO 9001:2015 and 14001:2015 were conducted successfully in the month of March 2025. Certification Agency: M/s SWISS CERT PRIVATE LIMITED, Delhi.

22. INTERNAL CONTROL SYSTEM:

The Company has adequate internal control system in the respective areas of Finance & Accounts supported by Internal Audit and regular management reviews. In the accounting, internal control is exercised right from the preparation of vouchers where each voucher is checked and countersigned by respective senior officers as per delegation of power. The daily cashbook balance on manual basis is physically counted and checked with the book. Similarly, all bank accounts are also reconciled periodically. Internal control is also exercised for accounting where vouchers including journal vouchers entered into the system are checked and validated before those are accounted for. Every proposal for purchase/works contract or others having monetary involvement are examined as per policy and procedures and reviewed by a committee before taking appropriate decision. Internal Control System includes compliance of all the applicable laws, safety of assets of the Company and risk management. The System is reviewed from time to time and necessary actions taken for its improvement. Internal Audit is conducted by the outside qualified agency supported by the Finance & Accounts Department. Internal Audit examines documents / records / procedures and submits periodical reports for compliance. The Internal Audit Reports and follow up actions thereon

है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा फर्म और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान लेखा सॉफ्टवेयर, जो COBOL प्रोग्रामिंग पर आधारित है, में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जाँच और संतुलन को उद्योग में प्रचलित नवीनतम लेखा सॉफ्टवेयर से प्रतिस्थापित करके सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

23. मानव संसाधन विकास:

A. जनशक्ति स्थिति

31 मार्च 2025 तक निगम की कुल जनशक्ति स्थिति 383 थी। 31.03.2025 तक श्रेणीवार जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:-

क्रम सं.	श्रेणियाँ	संख्या	%
1	अनुसूचित जाति	30	7.8
2	अनुसूचित जनजाति	47	12
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	112	29
4	पूर्व सैनिक	00	0
5	शारीरिक रूप से विकलांग	01	0.26
6	औरत	25 (एससी-02,एसटी-02,ओबीसी-08,जनरल-13)	6.5
7	अल्पसंख्यक	22	5.7
8	अन्य	194	50.65

B. मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुपालन संबंधी विवरण:

कंपनी द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत लागू प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

C. एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement) एवं मूल्यांकन संबंधी विवरण :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई प्रकरण घटित नहीं हुआ है, जिसके कारण एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन एवं बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर के संबंध में किसी विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो।

are regularly placed before the Audit Committee. Audit Committee regularly reviews the internal audit and adequacy of internal control. As reported by the Internal Audit Firm and the Statutory Auditors of the Company that the check and balance of internal control system in the present accounting software, which is based on the COBOL Programming, needs to be strengthened by replacing the same with the latest accounting software prevailed in the Industry.

23. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

A. MANPOWER POSITION

The total manpower status of the Corporation as on 31st March 2025 was 383. The manpower position by category as on 31.03.2025 was as under:-

Sl. No.	Categories	Nos.	%
1	Scheduled Caste	30	7.8
2	Scheduled Tribe	47	12
3	OBC	112	29
4	Ex- Servicemen	00	0
5	Physically handicapped	01	0.26
6	Women	25 (SC-02,ST-02,OBC-08, GEN-13)	6.5
7	Minority	22	5.7
8	Others	194	50.65

B. MATERNITY BENEFIT ACT COMPLIANCE:

Your company has complied with the provisions relating to Maternity Benefit Act, 1961.

C. ONE-TIME SETTLEMENT AND VALUATION:

During the financial year 2024-25, no event has taken place that gives rise to reporting of details with respect to difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions.

D. प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रशिक्षण रिकॉर्ड की प्रतिवेदन।

कर्मचारियों के लिए, वित्त वर्ष 25-2024 के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार, संयंत्र में आंतरिक प्रशिक्षण और कक्षा व्याख्यानों के माध्यम से कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। धन और प्रशिक्षण संसाधनों जैसे मोर्चों पर सीमाओं के बावजूद, बीवीएफसीएल विभागों से प्राप्त वार्षिक प्रदर्शन फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन करता है। शैक्षिक योग्यता के विश्लेषण; परिचय अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण, उसके बाद नौकरी के अनुभव, प्रदर्शन पर संक्षिप्त फीडबैक और साक्षात्कार के आधार पर समय-समय पर व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता सर्वेक्षण किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति कर रही है। प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के अलावा, सीएमए प्रशिक्षुओं के साथ-साथ वास्तविक औद्योगिक वातावरण से परिचित कराने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षुओं की भी नियुक्ति की जा रही है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, 13 कंपनी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 06 (छह) बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

आंतरिक कार्यक्रम:

क्रम संख्या	कार्यक्रम का शीर्षक	स्तर एवं प्रतिभागियों की संख्या	तिथि	संकाय
01	विनिर्माण, भंडारण, आयात और हैंडलिंग के दौरान अमोनिया संयंत्र के लिए सुरक्षा उपाय	अधिकारी = 07 कामगार = 43	12/06/2024	श्री साजिद अली, सहायक प्रबंधक (उत्पादन)
02	अमोनिया III संयंत्र में अमोनिया का भंडारण और संचालन	अधिकारी = 07 कामगार = 43	12/06/2024	श्री समीरन बनर्जी, उप. प्रबंधक (उत्पादन)
03	यूरिया III संयंत्र में SR1- से रिएक्टर तक अमोनिया का चार्जिंग और हैंडलिंग	अधिकारी = 07 कामगार = 43	12/06/2024	श्री नंद लाल, वरिष्ठ प्रबंधक (उत्पादन)

D. TRAINING

A report of the Training Records during the Financial Year 2024-25.

For employees, continuous effort for improved performance of employees has been made through in-house training both in the plant and through classroom lectures as per Training Calendar prepared for FY 2024-25. In spite of limitations on fronts like fund and training resources, BVFCL works out training need assessment based on the yearly feedback on performance from the departments. Further extensive training need survey is carried out periodically based on the analysis of the educational qualification; training imparted during the induction period, subsequent on the job exposure, summarized feedback on performance and interviews.

Further, the Company is engaging apprentices under Apprenticeship Act. Apart from engaging apprentices, CMA trainees as well as Vocational Trainees for exposure to actual industrial environment are also engaged.

During the year ending 31st March, 2025, 13 (Thirteen) nos. of in-house training programmes, 06 (Six) nos. of external training programmes webinars were conducted by the Training Department of the Company. Brief details of the programme(s) are stated as below:

In-house programmes :

Sl. No	Title of the programme	Level & No. of participants	Date	Faculty
01	Safety Measures for Ammonia Plant during Manufacturing, Storage, Import & Handling	Officers = 07 Workmen = 43	12/06/2024	Mr. Sajid Ali, Asst. Manager (Prod)
02	Storage & Handling of Ammonia in Ammonia III Plant	Officers = 07 Workmen = 43	12/06/2024	Mr. Samiran Banerjee, Dy. Manager (Prod)
03	Charging & Handling of Ammonia from SR1- to Reactor in Urea III Plant	Officers = 07 Workmen = 43	12/06/2024	Mr. Nand Lal, Sr Manager (Prod)

04	वित्तीय जागरूकता	अधिकारी = 40 कामगार = 03	30/08/2024	एसबीआई नामरूप
05	मानव संसाधन पर बातचीत कार्यक्रम	अधिकारी = 16 कामगार = 04	04/10/2024	श्री समित महापात्रा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
06	नोटिंग्स और ईमेल पर कार्यशाला	अधिकारी = 16 कामगार = 04	05/10/2024	श्री समित महापात्रा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
07	स्थायी आदेशों पर कार्यशाला	अधिकारी = 15 कामगार = 20	28/10/2024	श्री पी.के. गोगोई, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती नयना गोगोई, अधिकारी (मानव संसाधन)
08	नैतिकता और शासन पर कार्यशाला	अधिकारी = 37 कामगार = 10	30/10/2024	श्री समित महापात्रा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
09	कर्मचारी आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 2006 पर संगोष्ठी	अधिकारी = 15 कर्मचारी = 8	02/11/2024	श्री अरुण क्र. डब्ल्यूवी, उप महा प्रबंधक (मानव संसाधन) और सुश्री निहारिका बोरा, सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन)
10	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) पर सेमिनार	अधिकारी = 37 कर्मचारी = 17	02/11/2024	डॉ. स्वाति किरण, सहायक प्रोफेसर, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
11	पीपी बैग की खरीद और प्राप्ति की सामान्य प्रक्रिया	अधिकारी = 13 कामगार = 1	02/11/2024	सुश्री शांता मोयी भट्टाचार्जी, उप. प्रबंधक (एमएम)
12	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक प्रस्तुति	अधिकारी = 26 कामगार = 8	09/12/2024	सुश्री मीता सिन्हा, उप प्रबंधक (विद्युत) सुश्री निहारिका बोरा, सहायक प्रबंधक (कल्याण)
13	CO रूपांतरण अनुभाग के प्रदर्शन और अमोनिया उत्पादन पर इसके प्रभाव पर संगोष्ठी	अधिकारी = 22 कामगार = 03	25/02/2025	श्री इब्राहिम खलील, वरिष्ठ प्रबंधक (उत्पादन)

04	Financial Awareness	Officers = 40 Workmen = 03	30/08/2024	SBI Namrup
05	Interaction program on HR	Officers = 16 Workmen = 04	04/10/2024	Shri Samit Mahapatra, GM (HR)
06	Workshop on Notings and emails	Officers = 16 Workmen = 04	05/10/2024	Shri Samit Mahapatra, GM (HR)
07	Workshop on Standing Orders	Officers = 15 Workmen = 20	28/10/2024	Shri P.K. Gogoi, Sr. Manager (HR) Smt. Nayana Gogoi, Officer (HR)
08	Workshop on Ethics and Governance	Officers = 37 Workmen = 10	30/10/2024	Shri Samit Mahapatra, GM (HR)
09	Seminar on Employees Conduct, Discipline & Appeal Rules, 2006	Officers = 15 Workmen = 8	02/11/2024	Shri Arun Kr. W.V., DGM (HR) and Ms Niharika Bora, Asst. Manager (HR)
10	Seminar on Prevention of Sexual Harassment (PoSH) at workplace	Officers = 37 Workmen = 17	02/11/2024	Dr. Swati Kiran, Asst. Professor, Dibrugarh University
11	General Process of Procurement and Procurement of PP Bags	Officers = 13 Workmen = 1	02/11/2024	Ms. Shanta Moyee attacharjee, Dy. Manager (MM)
12	A presentation on Sexual Harassment of Women at Workplace	Officers = 26 Workmen = 8	09/12/2024	Ms Meeta Sinha, Dy. Manager (Elect) Ms Niharika Bora, Asst. Manager (Welfare)
13	Seminar on Performance of CO Conversion Section and its Effect on Ammonia Production	Officers = 22 Workmen = 03	25/02/2025	Mr. Ibrahim Khalil, Sr Manager (Prod)

बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क्रम सं.	नाम	द्वारा आयोजित	कार्यक्रम का स्थान	शीर्षक	अवधि
01	1. मफीदुल इस्लाम चौधरी 2. सुश्री प्रिया जोशी, सहायक प्रबंधक (सतर्कता)	भारत सचिवालय प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान	होटल बामलोआ बीच रिज़ॉर्ट, गोवा	प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम, जांच/ संचालन/जांच सतर्कता कोण वाली शिकायतें	4 से 6 जून, 2024
02	1. ए. बंद्योपाध्याय, डीजीएम (उत्पादन) 2. के के दिहिदर उप महाप्रबंधक (मेंटेनेंस)	एमएनआरई, नई दिल्ली	नई दिल्ली	हरित हाइड्रोजन पर सम्मेलन	11-13 सितंबर, 2024
03	1. इब्राहिम खलील, वरिष्ठ प्रबंधक (उत्पादन) 2. जेड यू अहमद, सलाहकार (एफ एंड एस)	ीआईएसएफ एनईएस मुख्यालय	गुवाहाटी	रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र पर कार्यशाला	18 अक्टूबर, 2024
04	1. सचिन खेमानी, मुख्य प्रबंधक (वित्त) 2. प्रदीप्त कुमार मिश्रा, उप प्रबंधक (वित्त) 3. गौरव आनंद, लेखा अधिकारी	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की तिनसुकिया शाखा, प्रत्यक्ष कर और जीएसटी एवं अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ सहयोग	होटल मिराना, मकुम रोड, तिनसुकिया, असम	"प्रत्यक्ष कर और जीएसटी" पर 6 घंटे की कार्यशाला जमा प्रविष्टि	20 दिसंबर, 2024
05	1. सुभाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त) 2. प्रलय मजूमदार, मुख्य प्रबंधक (वित्त) 3. परन फुकन, सहायक प्रबंधक (वित्त) 4. रूना मोनी बोरा, अधिकारी (वित्त) 5. सूर्यनारायण साहू, अधिकारी (वित्त) 6. गौड़ कपिल कुमार, अधिकारी (वित्त)	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान - पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	धोनो धान्यो ऑडिटोरियम, अलीपुर कोलकाता	44वां कॉस्ट कॉन्फ्रेंस - 2025, "विकसित भारत - भविष्य के रुझानों को आकार देकर नए भारत का विकास" विषय पर	21 और 22 फरवरी 2025

External Training Programmes:

Sl. No.	Name(s)	Organised by	Venue	Title	Duration
01	1. Mafidul Islam Choudhury 2. Ms Priya Joshi, Asst. Manager (Vigilance)	India Institute of Secretariat Training & evelopment	Hotel Bamalloa Beach Resort, Goa	Administrative Vigilance and Prevention of Corruption, ndlinglScrutiny/ Investigation of complaints/ Grievancs having vigitance Angle	4 to 6th June, 2024
02	1. A. Bandyopadhyay, DGM (Prod) 2. K.K. Dihider DGM (Maint.)	MNRE, New Delhi	New Delhi	Conference on Green Hydrogen	11-13 September, 2024
03	1. Ibrahim Khalil, Sr Mgr (Prod) 2. Z.U. Ahmed, Consultant (F & S)	CISF NES HQrs	Guwahati	Workshop on Chemical & Fertilizers sector	18th October, 2024
04	1. Sachin Khemani, Chief Manager (Finance) 2. Pradeepta Kumar Mishra, Dy. Manager (Finance) 3. Gaurav Anand, Accounts Officer	The Tinsukia branch of Institute of Chartered ccountants of India, in association with Direct Taxes and GST & Indirect Taxes Committee	Hotel The Mirana, Makum Road, Tinsukia, Assam	Workshop on "DIRECT TAXES AND GST" with 6 CPE Hours Credit	20th December, 2024
5.	1. Subhash Chandra Das, Director (Finance) 2. Pralay Majumdar, Ch. Manager (Fin) 3. Paran Phukan, Asstt. Manager (Fin) 4. Runa Moni Bora, Officer (Fin) 5. Suryanarayan Sahoo, Officer (Fin) 6. Gaur Kapil kumar, Officer (Fin)	Institute of Cost ccountants of India – Eastern India Regional Council	Dhono Dhanyo Auditorium, Alipore Kolkata	44th Cost Conference – 2025 on the theme "Viksit Bharat - Developing New India by Shaping the Future Trends"	21st & 22nd February 2025

06	1. अरिजीत नंदी, प्रबंधक (मैकेनिकल) 2. शिवाज मौसम बोरा, उप प्रबंधक (उत्पादन) 3. अमित कुमार पांडे, उप प्रबंधक (उपकरणिकीकरण)	भारतीय उर्वरक संघ	होटल फॉर्च्यून पार्क पुष्पांजलि, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	"यूरिया संयंत्रों के संचालन और रखरखाव की समस्याओं" पर एफएआई समूह चर्चा कार्यक्रम	3 मार्च से 6 मार्च 2025 तक

6	1. Arijit Nandi, Manager (Mechanical) 2. Shivaj Mousum Borah, Deputy Manager (Prod) 3. Amit Kumar Pandey, Deputy Manager (Inst.)	Fertiliser ssociation of India	Hotel Fortune Park Pushpanjali, Durgapur, West Bengal	FAI Group Discussion program on "Operation and Maintenance Problems of Urea Plants	3rd March to 6th March 2025

ख. औद्योगिक संबंध प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

ग. अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांगों (पीएच) के कल्याण और उन्नति के लिए कंपनी की गतिविधियाँ

आपका निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण के मामले में राष्ट्रपति के निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/आदेशों का पालन कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कंपनी में किसी भी पद के लिए आवेदन करते समय शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है।

आपके निगम में संपर्क अधिकारी के अधीन एक एससी/एसटी/ओबीसी प्रकोष्ठ है, जो एससी/एसटी समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर और एससी/एसटी एसोसिएशनों के परामर्श से निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करता है।

आपके निगम की सभी कल्याणकारी सुविधाएँ अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती हैं। हमारी कंपनी को भारत सरकार से जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

01.01.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष अर्थात 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

24. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012:

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्देशानुसार 23 मार्च, 2012 के आदेश (संशोधित) के अनुसार, बीवीएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 25% के निर्धारित संशोधित पैरामीटर के विरुद्ध कुल खरीद के 44.83% की सीमा तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा

B. INDUSTRIAL RELATIONS REPORT

The Industrial Relations Scenario during the year was by and large peaceful.

C. Activities of the company for welfare and advancement of scheduled castes (scs), scheduled tribes (sts), other backward classes (obcs) and physically handicapped (ph)

Your Corporation is following the presidential directive and guidelines/ orders issued by the Government of India from time to time in the matter of reservation in services for SCs, STs and OBCs. Candidates belonging to SC and ST are fully exempted from payment of fee while applying for any post in the Company.

Your Corporation is having one SC/ST/OBC Cell under the Liaison Officer, who initiates necessary action to settle the grievances of the employees belonging to SC/ST community on priority basis and in consultation with SC/ST Associations.

All the welfare facilities of your Corporation are also extended to the employees of SC/ST community along with other employees. Our company do not received any allocation of fund under tribal sub-plan from the Govt. of India.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01.01.2025 and number of appointments made during the preceding calendar year i.e. 2024 is enclosed in Annexure- II.

24. Public procurement policy of micro and small enterprises (mses)order, 2012:

As per directive of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Order dated 23rd March, 2012 (as amended), BVFCL achieved overall procurement of products produced and services rendered

उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की समग्र खरीद हासिल की। इसके अलावा, एमएसई के माध्यम से कुल खरीद में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 0.40% था। वित्तीय वर्ष के दौरान महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 4.45% था। सभी निविदा आमंत्रण सूचनाओं (एनआईटी) में एमएसई पर लागू छूट के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को बताने के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। एमएसई से खरीद के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बीवीएफसीएल एमएसई पक्षों को बिल डिस्काउंटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिडबी और एनएसई के संयुक्त उद्यम, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत है।

25. सतर्कता:

सतर्कता को प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। सतर्कता का मुख्य उद्देश्य ईमानदारों की रक्षा और दोषियों को दंडित करना है, साथ ही व्यापार और उद्योग जगत में «लोगों» का विकास करना और मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता की संस्कृति के लिए प्रबंधन को सक्षम बनाना है।

कंपनी के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं और सीवीओ को कंपनी के सतर्कता अधिकारियों की एक टीम सहायता प्रदान करती है। प्रबंधन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए, नियमित और निवारक सतर्कता गतिविधियाँ जैसे कि आकस्मिक जाँच, प्रशासनिक निर्णयों के लिए सतर्कता मंजूरी, स्थानांतरण नीति का प्रवर्तन और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों का रोटेशन आदि कार्य किए गए। व्यवस्थागत सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतर्कता अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी और समीक्षा की जा रही है।

सतर्कता विभाग के समक्ष चुनौती ऐसा माहौल तैयार करना है, जिसमें ईमानदार लोग निडर होकर काम कर सकें और भ्रष्ट लोगों को तुरंत सजा मिले।

कर्मचारियों में उच्च स्तर की जागरूकता बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। सतर्कता संबंधी उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, सतर्कता पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जा रहा है ताकि उनके सतर्कता ज्ञान और कौशल को अद्यतन किया जा सके और उन्हें अपेक्षित स्तर पर लाया जा सके तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के समकक्ष गुणवत्ता विकसित की जा सके।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी 7 (सात) शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

by Micro, Small and Medium Enterprises to the extent of 44.83% of total purchase made in the financial year 2024-25 against set amended parameter of minimum of 25%. Moreover, percentage of procurement of Goods & Services from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement through MSEs was 0.40%. During the financial year percentage of procurement of Goods & Services from MSEs owned by women entrepreneurs was 4.45%. In all the Notice Inviting Tenders (NIT) necessary provision has been made for stating the Government guidelines for relaxation applicable to MSEs. All efforts are being made to procure items specified for procurement from MSEs. BVFCL is registered with TReDS platform of Receivable Exchange of India Limited (RXIL), a joint venture of SIDBI and NSE for providing bills discounting facilities to MSEs parties.

25. VIGILANCE:

Vigilance is considered to be an integral part of the management function. The focal point of vigilance is to protect the honest & punish the guilty together with the development of “People” in Business and Industry and to enable the management for culture of transparency, efficiency and fairness under the guidance of the Chief Vigilance Officer.

Vigilance Division of the Company is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) and the CVO is assisted by a team of vigilance officers of the Company. Regular and preventive vigilance activities such as surprise checks, vigilance clearance for administrative decisions, enforcement of transfer policy and rotation of officers on sensitive posts was carried out by maintaining close coordination with the Management. The roles and responsibilities of vigilance officers are being monitored and reviewed to bring the focus on systemic improvement.

The challenge before the Vigilance Department is to create an environment in which the honest can work fearlessly and the corrupt are punished promptly.

Due thrust was given to maintain high degree of awareness amongst the employees. In order to impart proper vigilance training, vigilance functionaries are being sent at different training institutes for updating their vigilance knowledge and skill to bring them in a requisite level and to develop the quality at par the other PSUs.

Total 7 nos. of complaints were received during FY 2024-25. All the 07 (Seven) complaints were disposed off during FY 2024-25.

सीएमडी और सीबीआई, गुवाहाटी, असम के परामर्श से संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूचियाँ और संदिग्ध निष्ठा सूची तैयार की गई है और सूचीबद्ध अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तीन साल से अधिक समय से संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के लिए रोटेशन प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान आकस्मिक एवं नियमित निरीक्षण किए गए। जाँच के दौरान यदि कोई विसंगति/अनियमितता पाई गई, तो उसे सुधारात्मक कार्रवाई/निवारक उपायों हेतु प्रबंधन के ध्यान में लाया गया।

सीटीई द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा नियमित आधार पर उच्च मूल्यों से संबंधित फाइलों की जांच की गई है और निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर व्यवस्थित सुधार के लिए सिफारिशें दी गई हैं।.

मासिक प्रतिवेदन/तिमाही निष्पादन प्रतिवेदन (क्यूपीआर)/सीटीई प्रतिवेदन/अर्धवार्षिक प्रतिवेदन निदेशक मंडल को समीक्षा के लिए/वार्षिक प्रतिवेदन/केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) को रिटर्न शीघ्र और समय पर प्रस्तुत किया जाता है।

संगठन में अपनाई गई एक और अच्छी प्रथा यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति की वार्षिक घोषणा करनी होती है। वार्षिक संपत्ति विवरणी कहे जाने वाले इन घोषणाओं की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा जाँच की जाती है ताकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिनके पास उनकी आय के वैध स्रोत से अधिक संपत्ति प्रतीत होती है और ऐसे अधिकारियों पर उचित निगरानी रखी जा सके। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की संपत्ति विवरणी की नियमित जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी प्रबंधन को चल/अचल लेन-देन की समय पर जानकारी प्रस्तुत करें और यह भी जाँचा जा सके कि क्या कोई अधिकारी, विशेष रूप से वरिष्ठ/संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी, ऐसी संपत्तियाँ तो नहीं रख रहे हैं जिन्हें उनकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक कहा जा सकता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, बीवीएफसीएल द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" (Culture of Integrity for Nation's Prosperity) विषयवस्तु के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week – VAW) का आयोजन किया गया। सहभागी सतर्कता की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक तीन माह का विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत पाँच विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अपनाया गया। कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ कार्मिकों में जागरूकता सृजन हेतु सतर्कता अधिकारियों

Agreed lists of suspected officers and List of Doubtful Integrity were prepared in consultation of CMD and CBI, Guwahati Assam and a close watch is being kept on the listed officers. System of rotation of officers posted in sensitive posts for more than three years is being followed.

Surprise and regular inspections were carried out during the year. Discrepancies/irregularities noticed, if any, during the scrutiny was brought to the notice of the Management for corrective action/preventive measures.

Files pertaining to high values have been examined by Vigilance Department on regular basis as per CTE laid down pattern and on the basis of finding of inspections, recommendations has been given for systematic improvement.

Prompt and timely submission of Monthly Reports/Quarterly Performance Report (QPR)/CTE Report/Half yearly report to Board of Directors for their review/Annual Reports/Returns to Central Vigilance Commission(CVC) and Department of Fertilizers (DoF) is maintained.

Another good practice that has been adopted in the Organization is the requirement of public officials to annually declare their assets. These declarations called Annual Property Returns are scrutinized by Chief Vigilance Officer(CVO) to identify individuals who seems to possess assets disproportionate to their legal source of income so that a proper watch can be kept on such officials. Therefore keeping in view of the above, regular scrutiny of property returns of employees are carried out to ensure that employees submit timely information to the Management about moveable/immovable transactions and to check whether any of the officers, particularly those posted at senior/sensitive positions, are holding assets which may be termed as disproportionate to their known source of income.

On the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week was observed by BVFCL w.e.f the 28th October 2024 to 3rd November 2024 in line with the theme "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" "Culture of Integrity for Nation's Prosperity"". In a move towards inculcating the true spirit of participative vigilance, the commission instructed a three months campaign period from 16th August, 2024 till 15th November 2024 in which five different preventive vigilance measures were taken as focus areas. In house training was also conducted by the Vigilance Officials among

द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान कर्मचारियों एवं विद्यालयी छात्रों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)/प्रशासनिक मंत्रालय/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)/लोक उपक्रम विभाग (DPE) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को कॉर्पोरेट कार्यालय, नामरूप के समस्त विभागाध्यक्षों/विभागों को व्यापक प्रसार हेतु अग्रेषित किया जाता है तथा उनके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है।

26. कल्याणकारी उपाय (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व):

आपका निगम अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाता है और अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत (8 किलोमीटर के दायरे में आसपास के क्षेत्रों तक) अनेक उपाय करता है। संक्षेप में, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

अपने कर्मचारियों और आश्रितों को आवास और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के अलावा, निगम कर्मचारियों के बच्चों और टाउनशिप व आस-पास के गाँवों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है। निगम एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (भूमि एवं अन्य सुविधाएँ बीवीएफसीएल द्वारा प्रदान की जा रही हैं) के अलावा एक प्राथमिक विद्यालय भी चला रहा है। निगम ने पहले नामरूप कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए एक बी.एड कॉलेज और नामरूप में एक राजकीय औषधालय की स्थापना के लिए अपना संरक्षण प्रदान किया था। बीवीएफसीएल, कॉलोनी क्षेत्र में रियायती दरों पर आवास प्रदान करके, एक जूनियर कॉलेज और एक असमिया माध्यम स्कूल को भी सहायता प्रदान करता है।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त एक अस्पताल उपलब्ध है। आस-पास के लोगों और संविदा कर्मचारियों को भी मामूली शुल्क पर उपचार प्रदान किया जाता है।

निगम नामरूप और आसपास के क्षेत्रों की जनता को पेयजल सुविधाएं, बाजार, धार्मिक/सांस्कृतिक और अन्य संस्थानों के लिए भूमि और टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार कार्यालय और नागरिक सुरक्षा कार्यालय के लिए आवास जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

इलाके की सम्पूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक सद्भावना बनाए रखने के लिए, समय-समय पर निकटवर्ती शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निगम में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए ईडीएलआई, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना, मेडिक्लेम पॉलिसी एवं प्रतिपूर्ति

the employees and CISF Personnel to create awareness. Various competitions were conducted among employees and school children during the VAW 2024.

Guidelines/Instructions issued by the CVC/Administrative Ministry/DoPT/DPE from time to time are being forwarded for wide circulation to all the HODs/Department at Corporate Office, Namrup for strict compliance.

26. WELFARE MEASURES (CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY):

Your Corporation undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius). Briefly they comprise of the following:

Besides extending housing and medical facilities to its employees and dependents, the Corporation also provides educational facilities to the children of employees and the wards of the Township and the nearby villages. Corporation is running one Higher Secondary School, one Kendriya Vidyalaya and one Model Higher Secondary School (Land and other facilities are being provided by BVFCL) besides one Primary School. The Corporation extended its patronage earlier for establishment of Namrup College, one B.Ed College for higher education and establishment of a State Dispensary at Namrup. BVFCL also extends its helping hand to a Junior College and one Assamese medium school, by providing accommodations within the colony area at concessional rate.

One hospital with modern equipments is available to extend medical facilities to employees & their dependents. Nearby people of the localities and contract workers are also provided treatment at nominal fee.

The Corporation also extends facilities to the public of Namrup and adjoining areas like Drinking Water Facilities, Market, Land for Religious / Cultural and other institutions and accommodation for Telephone Exchange, Post Office, Employment Exchange and Civil Defense Office.

In order to maintain the total socio-cultural harmony of the locality, time to time financial assistance are extended to the nearby educational institutions and other social organizations.

In addition to social security schemes like Provident fund, Gratuity, Pension in the Corporation, EDLI, Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Savings Linked Insurance Scheme, Mediclaim policy and reimbursement Scheme are

योजना लागू की गई है।

कर्मचारियों को उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो सशक्तिकरण का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन्हें कंपनी में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा तथा साथ ही उनके ज्ञान और आत्मविश्वास के स्तर में भी सुधार लाएगा।

इसके अलावा, किसी भी लिंग भेदभाव को शामिल किए बिना, निगम में महिला कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित कदम उठाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बीवीएफसीएल में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है समाज की, अपने आस-पास के लोगों की देखभाल करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा मूल्य संवर्धन के लिए हर संभव तरीके से योगदान देना।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, निगम द्वारा कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामलों की जांच एवं निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का विधिवत गठन किया गया है।निगम द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है तथा उक्त अधिनियम एवं लागू नियमों के अनुरूप एक समुचित नीति अधिसूचित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित विवरण है:

- प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य
- निस्तारित शिकायतों की संख्या – शून्य
- 90 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

implemented for the welfare of the employees.

Employees are encouraged to acquire higher qualifications, an area of empowerment which would enable them to go up the ladder in the company as well improve their knowledge and confidence levels.

Moreover, without indulging any gender discrimination, special attention are being paid in taking the appropriate steps for all round development of the female employees in the corporation.

At BVFCL, Corporate Social Responsibility meanscaring for the society, for the people around us and contributing in every way possible to add value and improving their quality of life.

27. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

Your Corporation has constituted an Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 to look into the matters relating prevention of Sexual Harassment of Women employees at the work places. During the year 2024-25, no complaint have been reported on sexual harassment of women employees in work places of BVFCL.

An Internal Complaints Committee (ICC) has been duly constituted to address any such concerns. During FY 2024–25:

- Complaints received: NIL
- Complaints resolved: NIL
- Complaints pending beyond 90 days: NIL

निदेशकों की प्रतिवेदन के अनुलग्नक-I (ए)

फार्म ए

क. बिजली और ईंधन की खपत

	इकाई	2024-25	2023-24
(a) ग्रिड पावर			
1. नामरूप II	किलोवाट घंटा	0.00	0.00
2. नामरूप-III	किलोवाट घंटा	14 01230	518400
कुल लागत	लाखों रुपये में	296.352	214.544
दर	रु./ किलोवाट घंटा	21.15	41.38
(b) स्वयं उत्पादन (सीपीपी)			
कुल इकाई	किलोवाट घंटा	91521520	91299950
कुल लागत	लाखों रुपये में	5832	5826
दर	रु./ किलोवाट घंटा	6.37	6.38
प्राकृतिक गैस (बिल की गई मात्रा)			
(a) कैप्टिव पावर खपत के लिए	SCuM	0.00	0.00
1. नामरूप II	SCuM	28135201	29653929
2. नामरूप-III	लाखों रुपये में	40988.64	4278.15
कुल लागत	रु./1000 एसएम3	14567.67	14426.91
दर			
(b) बॉयलरों के लिए (एसबी, डब्ल्यूएचबी)	SCuM	0.00	0.00
(कैंटीन सहित)	SCuM	58118914	53292965
1. नामरूप-II	लाखों रुपये में	8466.57	7688.53
2. नामरूप-III	रु./1000 एसएम3	14567.67	14426.91
कुल लागत			
दर			
	SCuM	0.00	0.00
(c) फ़ीड स्टॉक के	SCuM	102512010	97925123
लिए	लाखों रुपये में	14933.61	14127.57
1.नामरूप - II	रु./1000 एसएम3	14567.67	14426.91
2.नामरूप - III			
कुल लागत			
दर	SCuM	0.00	0.00
	SCuM	112448317	107566568
(d) सुधारक ईंधन	लाखों रुपये में	16381.10	15518.53
के लिए*	रु./1000 एसएम3	14567.67	14426.91
1.नामरूप - II			
2.नामरूप-III			
कुल लागत			
दर			

ANNEXURE – I (A) TO DIRECTORS' REPORT

FORM-A

A. Power & Fuel Consumption

	Unit	2024-25	2023-24
(a) Grid Power			
1. Namrup-II	Kwh	0.00	0.00
2. Namrup-III	Kwh	1401230	518400
Total Cost	Rs. in Lakhs	296.352	214.544
Rate	Rs./ Kwh	21.15	41.38
(b) Own	Kwh	91521520	91299950
Generation	Rs. in Lakhs	5832	5826
(CPP)	Rs./ Kwh	6.37	6.38
Total Unit			
Total Cost			
Rate			
Natural Gas (Billed Quantity)			
(a) For Captive			
Power consumed	SCuM	0.00	0.00
1.Namrup-II	SCuM	28135201	29653929
2.Namrup-III	Rs. in Lakhs	40988.64	4278.15
Total Cost	Rs./1000 SM3	14567.67	14426.91
Rate			
(b)			
For Boilers	SCuM	0.00	0.00
(S.B.,W.H.B.)	SCuM	58118914	53292965
(incl. Canteen)	Rs. in Lakhs	8466.57	7688.53
1.Namrup-II	Rs./1000 SM3	14567.67	14426.91
2.Namrup-III			
Total Cost			
Rate	SCuM	0.00	0.00
	SCuM	102512010	97925123
(c)For Feed Stock	Rs. in Lakhs	14933.61	14127.57
1. Namrup-II	Rs./1000 SM3	14567.67	14426.91
2. Namrup-III			
Total Cost			
Rate	SCuM	0.00	0.00
	SCuM	112448317	107566568
(d)For Reformer	Rs. in Lakhs	16381.10	15518.53
Fuel*	Rs./1000 SM3	14567.67	14426.91
1.Namrup-II			
2.Namrup-III			
Total Cost			
Rate			

ख. यूरिया उत्पादन के प्रति मीट्रिक टन खपत:

	इकाई (प्रति मीट्रिक टन यूरिया)	2024-25	2023-24
प्राकृतिक गैस			
(i) फ़ीड स्टॉक	एसएम3/एमटी (नामरूप-II) (नामरूप -III)	0.00 548.68	0.00 543.57
(ii) बिजली (सीपीपी)	एसएम3/एमटी (नामरूप -II) (नामरूप -III)	0.00 150.59	0.00 164.60
(iii) बॉयलर आदि.	एसएम3/एमटी (नामरूप -II) (नामरूप-III)	0.00 311.08	0.00 295.82
(iv) सुधारक ईंधन*	एसएम3/एमटी (नामरूप -II) (नामरूप -III)	0.00 601.86	0.00 597.08
बिजली			
(i) ग्रिड पावर	किलोवाट घंटा/मीट्रिक टन (नामरूप -II) (नामरूप III)	0 7.50	0 2.88
(ii) उत्पन्न शक्ति	किलोवाट घंटा/मीट्रिक टन यूरिया	489.86	506.79

B. Consumption per MT of production of Urea:

	Unit (per MT of Urea)	2024-25	2023-24
Natural Gas			
(i) Feed Stock	SM3/MT (Nam-II) (Nam-III)	0.00 548.68	0.00 543.57
(ii) Electricity (CPP)	SM3/MT (Nam-II) (Nam-III)	0.00 150.59	0.00 164.60
(iii) Boilers etc.	SM3/MT (Nam-II) (Nam-III)	0.00 311.08	0.00 295.82
(iv) Reformer Fuel*	SM3/MT (Nam-II) (Nam-III)	0.00 601.86	0.00 597.08
Electricity			
(i) Grid Power	Kwh/ MT (Nam-II) (Nam-III)	0 7.50	0 2.88
(ii) Generated Power	Kwh/MT Urea	489.86	506.79

निदेशकों की प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (बी):

प्रपत्र बी

प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण:

वर्ष 2024-25 के लिए:

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) वार्षिक शटडाउन के दौरान निष्प्रभावी एल.टी. कैटेलिस्ट का प्रतिस्थापन किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई तथा ऊर्जा खपत में कमी आई।

(ii) अमोनिया-III कम्प्रेसर हाउस नियंत्रण प्रणाली को न्यूमैटिक प्रणाली से डी.सी.एस. प्रणाली में उन्नत किया गया, जिससे बेहतर मॉनिटरिंग एवं समस्याओं की समय पर पहचान संभव हुई। इसके परिणामस्वरूप निवारक कार्रवाई, परिचालन मापदंडों का अनुकूलन, ऑन-स्ट्रीम दिनों में वृद्धि तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार सुनिश्चित हुआ।

(iii) प्रोसेस एयर कम्प्रेसर (PAC) टरबाइन स्पीड मापन डिस्क का इन-हाउस पुनःडिजाइन मैकेनिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, जिससे PAC के ब्रेकडाउन में कमी आई एवं ऊर्जा खपत में कमी सुनिश्चित हुई।

(iv) अमोनिया रिकवरी सेक्शन में ऊर्जा दक्षता सुधार एवं अपशिष्ट जल गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रमुख ओवरहॉलिंग एवं कंडेंसर का इन-हाउस प्रतिस्थापन किया गया।

(v) प्राइमरी रिफॉर्मर वेस्ट हीट रिकवरी सेक्शन की ड्राई आइस क्लीनिंग की गई, जिससे स्टैक तापमान में कमी आई तथा ऊर्जा खपत में कमी सुनिश्चित हुई।

(vi) प्रोसेस एयर कम्प्रेसर सक्शन में रोलोमैटिक फिल्टर की स्थापना की गई, जिससे PAC के प्रदर्शन एवं ऑन-स्ट्रीम दिनों में वृद्धि हुई तथा संयंत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ।

(vii) अमोनिया संयंत्र के 2 (दो) कूलिंग टावर एवं यूरिया संयंत्र के 1

ANNEXURE -I (B) TO DIRECTORS' REPORT:

FORM B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

For the Year 2024-25:

A. Energy Conservation Measures:

The following measures have been taken during the FY 2024-25 to improve Energy Efficiency:

(i) Replacement of exhausted LT Catalyst was done during the Annual Shut Down which in turn contributed to increase in production and reducing the Energy Consumption.

(ii) Ammonia-III Compressor House Control System up gradation from Pneumatic System to DCS was done which has contributed for better monitoring and detections of problems. Thus it has enabled the Company for: taking preventive actions, optimization of parameters, increasing on-stream days and accordingly enhance energy efficiency.

(iii) In house re design of Process Air Compressor (PAC) Turbine Speed Measuring disc was jointly developed by Mechanical and Instrumentation Deptt. which has contributed to reduce breakdowns of PAC and thereby reducing the energy consumption.

(iv) Major overhauling and in house Condenser replacement in Ammonia Recovery Section was done to improve energy efficiency and to improve effluent quality.

(v) Dry ice cleaning of Primary Reformer Waste Heat Recovery Section was done which reduced Stack temperature and thereby reduced energy consumption.

(vi) Installation of Rollomatic Filters in Process Air Compressor Suction was done which improved performance and on-stream days of PAC and thus energy efficiency of the plant has improved.

(vii) Renovation of 2 (two) Nos. of Cooling Towers of

(एक) कूलिंग टावर का नवीनीकरण किया गया, जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ।

(viii) CO_2 बूस्टर कम्प्रेसर के पुराने हाइड्रोलिक पी.जी.पी.एल. स्पीड गवर्निंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल गवर्निंग सिस्टम में उन्नत किया गया, जिससे स्पीड कंट्रोल प्रणाली का सतत संचालन सुनिश्चित हुआ। इससे CO_2 बूस्टर कम्प्रेसर के प्रदर्शन में सुधार हुआ तथा ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हुई।

(ix) यूरिया रिएक्टर के निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर रिएक्टर लाइनर का निरीक्षण, वेल्ड जॉइंट्स की मरम्मत, रिएक्टर बॉटम डिश एंड लाइनर पेटल्स एवं क्राउन पर डबल लाइनिंग तथा 10वें सेगमेंट लाइनर कोर्स का कार्य संपादित किया गया, जिससे यूरिया रिएक्टर का सतत संचालन सुनिश्चित हुआ। परिणामस्वरूप ऑन-स्ट्रीम दिनों में वृद्धि हुई तथा समग्र ऊर्जा खपत में सुधार हुआ।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आवधिक रूप से संपादित सभी नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन कार्यों में नवीनतम उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का क्रय एवं उपयोग किया गया। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं— प्रोसेस लाइसेंसर द्वारा अनुशंसित नवीनतम संस्करण के LSK-2 एवं LK-821 कैटेलिस्ट से LTS कन्वर्टर कैटेलिस्ट का प्रतिस्थापन। अमोनिया-III संयंत्र के सेकेंडरी रिफॉर्मर के बॉटम आर्च का नवीनतम गुणवत्ता युक्त रिफ्रैक्टरी सामग्री एवं ईंटों से प्रतिस्थापन। अमोनिया-III संयंत्र के चारों कम्प्रेसरों हेतु न्यूमैटिक कंट्रोल सिस्टम का डी.सी.एस. कंट्रोल सिस्टम से प्रतिस्थापन। CO_2 बूस्टर कम्प्रेसर एवं प्रोसेस एयर कम्प्रेसर के हाइड्रोलिक पी.जी.पी.एल. स्पीड गवर्निंग सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल गवर्निंग सिस्टम में उन्नयन। यूरिया-III संयंत्र के कूलिंग टॉवर सेल संख्या–3 का डगलस फ़र वुड आदि उन्नत सामग्री से पुनर्निर्माण। उपरोक्त उपायों से संयंत्र की विश्वसनीयता, परिचालन दक्षता तथा समग्र उत्पादन क्षमता में सुधार सुनिश्चित हुआ।

ग. अनुसंधान एवं विकास प्रयास : शून्य

घ. अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ : शून्य

ङ. विदेशी मुद्रा कमाई और व्यय : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, लेकिन पूंजीगत उपकरणों के लिए विदेशी वस्तुओं की खरीद पर 8.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.84 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं।

Ammonia Plant and 1 (one) No. Cooling Tower of Urea Plant was done which contributed to better energy efficiency.

(viii) Up gradation of old Hydraulic PGPL Speed Governing System to Electronic Speed Control Governing System of CO_2 Booster Compressor was done for sustained operation of Speed Control Governing System. This has helped in achieving better performance of CO_2 booster compressor and thus improved energy efficiency.

(ix) Inspection of Reactor Liner & repairing of liner weld joints and others based on inspection findings of Urea Reactor, double lining on Reactor bottom dish end liner petals & crown and 10th segment liner course were done for sustained operation of Urea Reactor. This has contributed for increasing the on-stream days and thus cumulative energy consumption improved.

B. Technology Absorption:

In all the renewal and replacement jobs executed periodically, products with latest available upgraded technology are procured during the financial year 2024-25. Some examples are - replacement of LTS converter catalyst by the latest version catalyst LSK-2 and LK-821 by the Process Lisencor, replacement of the bottom arch of Secondary Reformer of Ammonia-III plant by the latest quality refractory material and bricks, replacement of Pneumatic control system by DCS control system for all the four compressors of Ammonia-III Plant, Up gradation of Hydraulic PGPL Speed Governing System to Electronic Speed Control Governing System of CO_2 Booster Compressor and Process Air Compressor, Cooling tower Cell No.: 3 of Urea-III Plant was reconstructed with upgraded material like Douglas Fir Wood etc.

C. R & D Efforts : Nil

D. Benefit derived as a result of R & D : Nil

E. Foreign Exchange Earning and Outgo : During the year under review, Company has not earned any foreign exchange but expend Rs. 8.36 crores (previous year Rs. 0.84 crores) towards purchase of foreign goods for capital equipment.

निदेशकों की प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (ग):

ANNEXURE -I (C) TO DIRECTORS' REPORT:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण, जो 1 जनवरी, 2025 तक की स्थिति को दर्शाता है और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को भी दर्शाता है।

सार्वजनिकउद्यमकानाम: ब्रह्मपुत्रवैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, नामरूप।

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs and PHs AS ON 1ST JANUARY, 2025 AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDER YEAR.

NAME OF THE PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED, NAMRUP.

समूह / Groups	01.01.2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व / Representation of SCs / STs / OBCs as on 01.01.2025				वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या Number of appointments made during the calendar year 2024											
					प्रत्यक्ष भर्ती विधि द्वारा/ By Direct Recruitment Method				प्रचार द्वारा / By Promotion				अन्य विधियों द्वारा / By Other Methods			
	कर्मचारियों की कुल संख्या / Total No. of employees	अनु-सूचित जाति / SCs	अनु-सूचित जन जातियों STs	ओ बी सी / OBCs	कुल / Total	अनु-सूचित जाति / SCs	अनु-सूचित जन जातियों STs	ओ बी सी / OBCs	कुल / Total	अनु-सूचित जाति / SCs	अनु-सूचित जन जातियों STs	ओ बी सी / OBCs	कुल / Total	अनु-सूचित जाति / SCs	अनु-सूचित जन जातियों STs	ओ बी सी / OBCs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	16	16	17
Group A	261	21	29	81	28	03	00	03	28	05	02	00	-	-	-	-
Group B	32	03	08	07	00	00	00	00	09	01	02	03	-	-	-	-
Group C	68	03	07	13	01	00	00	00	00	00	00	00	-	-	-	-
Group D (Excluding Safai Karmachari)	30	03	05	12	00	00	00	00	00	00	00	00	-	-	-	-
Group D (Safai Karmachari)	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	-	-	-	-
Total	**392**	**31**	**49**	**113**	**29**	**03**	**00**	**03**	**37**	**06**	**04**	**03**	**-**	**-**	**-**	**-**

शारीरिक रूप से विकलांग मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है (उपरोक्त कथन में शामिल):

The representation of physically handicapped manpower as under (included in the above statement):

समूह / Group	कुल / Total	अनुसूचित जाति / SCs	अनुसूचित जनजातियों / STs	ओबीसी / OBCs
समूह बी / Group B	-	-	-	-
समूह सी / Group C	1	-	-	1
समूह डी / Group D	-	-	-	-

निदेशकों की प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रतिवेदन

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की कार्यदृष्टि

आपके निगम में कॉरपोरेट गवर्नेंस एक सतत प्रक्रिया रही है, जो प्रणाली के सभी घटकों के समग्र कल्याण एवं हितों का ध्यान रखती है तथा प्रत्येक व्यावसायिक निर्णय में हितधारकों के हितों को समुचित रूप से सम्मिलित करती है। आपका निगम उच्चतम स्तर के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का पालन करते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रमुख उद्देश्य सजगता, पारदर्शिता एवं खुलापन पर आधारित ऐसी कॉरपोरेट संस्कृति का निर्माण एवं अनुपालन करना है, जिससे कॉरपोरेट दृष्टि के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो तथा सभी स्तरों पर गतिशीलता एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिले। आपका निगम यह विश्वास करता है कि गवर्नेंस व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों एवं कॉरपोरेट लक्ष्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए तथा यह व्यवस्था शिष्टता, समानता, निष्पक्षता और न्याय की स्वीकृत मान्यताओं के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। आपके निगम में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता को निर्णय-निर्माण की गुणवत्ता में सुधार तथा निर्णयों के औचित्य को स्पष्ट करने के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया है, जिससे हितधारकों का विश्वास सुदृढ़ हो सके।

1. निदेशक मंडल:

क. बोर्ड का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 45) 2) के प्रावधानों के अनुसार, आपका निगम एक "सरकारी कंपनी" है जिसकी %100 चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ख. बोर्ड/समिति की जिम्मेदारियाँ और मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड की ज़िम्मेदारियाँ कंपनी की रणनीतिक नीतियों की देखरेख, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और कंपनी के संचालन में कार्यकारी प्रबंधन के जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों की समीक्षा करना है। बोर्ड समितियों/ बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तंत्र पर विचार कर रहा है।

ग. बोर्ड / समिति की बैठकें और प्रक्रियाएँ

I. निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना

सभी कॉर्पोरेट मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा चर्चा/ निर्णय लेने वाले मामलों की अग्रिम योजना बनाने हेतु प्रणालियाँ

ANNEXURE-II TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance has been a continuous endeavor in your Corporation that cares for an overall well-being and welfare of all the constituent of the system and takes into account the stakeholder's interest at every business decision. Your Corporation is committed to pursue growth by adhering to the highest standards of corporate governance. The primary objective is to create and adhere to a corporate culture of consciousness, transparency and openness in creating awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Your Corporation believes that governance must balance individual interest with corporate goals and operate within the accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. In your Corporation, accountability and transparency are key drivers to improve decision making and rationale behind such decisions to create stakeholders confidence.

1. BOARD OF DIRECTORS:

A. CONSTITUTION OF BOARD

Pursuant to the provisions of Section 45) 2) of the Companies Act, 2013, your Corporation is a "Government Company" holding %100 of its paid up share capital by the President of India. Members of the Board of Directors are appointed by the President of India.

B. RESPONSIBILITIES AND EVALUATION PROCESS OF BOARD / COMMITTEE

The responsibilities of Board is to oversee the Company's strategic policies, review and monitor corporate performance, ensure regulatory compliance and reviewing the risk minimizing efforts of executive management in the operation of Company. Board is considering appropriate mechanism for evaluating performance of Committees/Board.

C. BOARD / COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURES

I. Institutionalize decision making process

With a view to institutionalize all corporate affairs and set up systems and procedures for advance planning

और प्रक्रियाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से, आपके निगम ने निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। ये दिशानिर्देश बोर्ड/समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड की बैठकों से संबंधित आपके निगम के दिशानिर्देश, जहाँ तक संभव हो, समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं।

II. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए एजेंडा मदों का निर्धारण और चयन.

क. बोर्ड/समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उचित अग्रिम सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैठकें कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जाती हैं। आपात स्थिति या तात्कालिकता की स्थिति में, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

ख. बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में सुविधा के लिए, प्रबंधन प्रतिवेदन और अन्य व्याख्यात्मक वक्तव्यों वाला विस्तृत एजेंडा बोर्ड/समिति के सदस्यों के बीच पहले ही प्रसारित कर दिया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी दस्तावेज़ को प्रसारित करना व्यावहारिक न हो या एजेंडा गोपनीय प्रकृति का हो, उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की अनुमति के अधीन अतिरिक्त या अनुपूरक एजेंडे पर विचार किया जा रहा है।

ग. बोर्ड के सदस्यों को निगम की सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और वे किसी भी विषय को चर्चा के एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वे चर्चा किए जा रहे विषयों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकें और/या बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुति दे सकें।

घ. बोर्ड/समिति की बैठकें सामान्यतः निगम के नामरूप स्थित पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी के कार्यकारी प्रबंधन द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाती हैं।

for matters requiring discussion/ decisions by the Board, your Corporation has defined guidelines for the meetings of the Board of Directors and Committee thereof. These guidelines seek to systematize the decision making process at the meetings of Board/ Committees, in an informed and efficient manner. Your Corporation's guidelines relating to Board meetings are applicable to Committee Meetings as far as practicable.

II. Scheduling and selection of Agenda items for Board/ Committee Meetings.

a) The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/ Committee. To address the specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed in circulation.

b) Detailed agenda containing the management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members of the Board/ Committee for facilitating meaningful informed and focused decisions at the meetings. Wherever it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled with the approval of CMD and majority of members present in the meeting. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary agenda are being considered subject to the permission of CMD and majority of members present in the meeting of Board/ Committee.

c) The members of the Board are entitled to access all the information of the Corporation and are free to recommend inclusion of any matter in agenda for discussion. In case of need, the senior officials of the Corporation are invited to attend the Board/ Committee meetings to provide additional inputs relating to the items being discussed and / or giving presentation to the Board/Committee.

d) The meetings of Board/ Committee are normally held at the registered office of the Corporation in Namrup or at any other place(s) as may be decided by the Executive Mangement of the Company from time to time.

ङ. एजेंडा पत्र संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्रायोजित और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित एजेंडा पत्रों को कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सदस्यों के बीच काफी पहले ही प्रसारित कर दिया जाता है।

च. कंपनी सचिव पूर्व बोर्ड/समिति बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर संबंधित विभाग से कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त करते हैं तथा बोर्ड/समिति बैठकों के एजेंडे में शामिल करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से प्रतिवेदन संकलित करते हैं।

छ. प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानक के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, कंपनी सचिव द्वारा कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाती है। बोर्ड/समिति के इन कार्यवृत्तों को क्रमशः अगली बोर्ड/समिति बैठकों में नोट किया जाता है।

ज. बोर्ड/समिति के निर्णयों का सार कंपनी सचिव द्वारा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

झ. निदेशकों के प्रशिक्षण तंत्र के संबंध में डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने एक प्रशिक्षण नीति को मंजूरी दी है और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रायोजित ऐसे प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, अधिवेशनों के लिए संबंधित निदेशकों की सुविधानुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक सरकारी निदेशक, एक गैर-सरकारी निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक को नामित करने का वचन दिया है।

III. कानूनों का अनुपालन

कंपनी का कार्यकारी प्रबंधन कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों आदि के सभी लागू प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के पालन की पुष्टि करने वाली त्रैमासिक वैधानिक अनुपालन प्रतिवेदन (सभी विभागों से एकत्रित) की बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है।

e) The agenda papers are prepared by the Sr. executives of concern departments, sponsored by the functional Directors and approved by the CMD. Duly approved agenda papers are circulated amongst the members of the Board/ Committee by the Company Secretary well in advance.

f) Company Secretary follow up with the concern Department for the action taken reports based on the decisions of earlier Board/ Committee meetings and compiled the reports in consultation with Functional Directors and CMD before including in the agenda of the Board/ Committee meetings.

g) Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are finalized as per the provisions of Secretarial Standard approved by the Central Government within stipulated time. After the finalisation of minutes by the chairman, certified copy of minutes are circulated to all the members of the Board/Committee by the Company Secretary. These minutes of Board / Committee are noted in the next Board/ Committee meetings, respectively.

h) The extract of decisions of Board/ Committee are circulated by the Company Secretary to the HODs of concerned Departments for taking necessary actions thereon.

i) As per the Corporate Governance Guidelines issued by DPE regarding training mechanism of Directors, Board of Directors has approved a Training Policy and undertake to nominate every year at least One Govt. Director, One non official Director and One Functional Director at the convenience of concerned Directors for such training, seminar, conference, conventions sponsored by the prestigious institutions.

III. COMPLIANCE OF LAWS

The Executive Management of the Company is responsible to ensure adherence to all the applicable provisions of laws, rules and guidelines, etc. A quarterly statutory compliance report (collected from all the departments) confirming adherence to all the applicable laws, rules, guidelines, etc. are being reviewed by the Board on quarterly basis

घ. बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

बोर्ड बैठक संख्या	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
122nd	22.05.2024	6	6
123rd	29.07.2024	5	6
124th	23.08.2024	4	5
125th	29.10.2024	3	3
126th	27.11.2024	3	3
127th	04.03.2025	4	4

ङ. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में चार (04) सदस्य थे, जिनमें श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार, श्री सुबाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त), डॉ. अश्वनी कुमार, सरकारी नामित निदेशक, श्री सुरेंद्र ठाकुर, सरकारी नामित निदेशक शामिल थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा नियुक्त श्री एस.के. शर्मा, गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र) तथा श्री रबी रंजन सेन, गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र) का तीन (03) वर्ष का कार्यकाल, जो 05 नवम्बर, 2021 से प्रारंभ हुआ था, 04 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो गया।
- भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 16.07.2024 एवं 28.10.2024 के आदेशों के माध्यम से क्रमशः श्री निरंजन लाल शर्मा, निदेशक (यूपीपी), उर्वरक विभाग तथा श्री हरविंदर सिंह, निदेशक (मूवमेंट), उर्वरक विभाग का कंपनी के निदेशक मंडल से सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त किया गया।
- भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 28.10.2024 एवं 24.12.2024 के आदेशों के माध्यम से क्रमशः डॉ. अश्वनी कुमार, निदेशक, उर्वरक विभाग तथा श्री सुरेन्द्र ठाकुर, उप सचिव, उर्वरक विभाग को बीवीएफसीएल के

D. BOARD MEETINGS

During the year under review, 6 (Six) meetings of Board of Directors were held, details of which are as under:

Board Meeting No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
122nd	22.05.2024	6	6
123rd	29.07.2024	5	6
124th	23.08.2024	4	5
125th	29.10.2024	3	3
126th	27.11.2024	3	3
127th	04.03.2025	4	4

E. COMPOSITION OF BOARD

As on 31st March, 2025, there were four (04) members in the Board of Directors of the Company, comprises Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production) with Additional Charge of Chairman & Managing Director, Shri Subash Chandra Das, Director (Finance), Dr. Ashwani Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Surendra Thakur, Govt. Nominee Director.

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- The tenure of Shri S.K. Sharma, Non Official Director (Independent) and Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director (Independent) who were appointed by Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, for a period of three year (03) years commencing from November 05, 2021 has ended on November 04, 2024.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Orders dated 16.07.2024 and 28.10.2024 terminated the tenure of Shri Niranjan Lal Sharma, Director (UPP), DoF and Shri Harvinder Singh, Director (Movement), DoF, respectively, as Govt. Nominee Directors from the Board of the Company.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 28.10.2024 and 24.12.2024 appointed Dr. Ashwani Kumar, Director, DoF and Shri Surendra

निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के प्रत्येक निदेशक की संरचना और श्रेणी, बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक पद और सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है।

नाम	उपस्थिति विवरण		निदेशक मंडल और समिति सदस्यों/ अध्यक्ष का विवरण	
	वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम 28.11.2024 को आयोजित	अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकों के पदों का विवरण	समिति की सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का विवरण
कार्यात्मक निदेशकों				
श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (*)	6	हाँ	-	-
श्री सुभाष चंद्र दास निदेशक (वित्त)	6	हाँ	-	विवाद समाधान समिति के सदस्य।
अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों				
श्री निरंजन लाल शर्मा सरकार द्वारा नामित निदेशक (**)	1	नहीं		लेखापरीक्षा समिति के सदस्य पारिश्रमिक समिति के सदस्य विवाद समाधान समिति के सदस्य

Thakur, Deputy Secretary, DoF, respectively, as part time Government Nominee Directors on the Board of BVFCL.

The details of composition and category of Directors, attendance of each Director at the Board Meetings and the last AGM, directorship and membership in committees of other companies for each Director of the Company are given below.

Name	Attendance particulars		Details of Directorship and committee members/ chairman	
	No. of Board meetings attended during the year	Last AGM Held on 28.11. 2024	Details of Director-ships in other public limited companies	Details of committee member-ships and committee Chairman-ship
Functional Directors				
Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production) with Additional Charge of Chairman & Managing Director (*)	6	Yes	-	-
Shri Subash Chandra Das Director (Finance)	6	Yes	-	Member in Dispute Resolution Committee.
Part Time Official Directors				
Shri Niranjan Lal Sharma Govt. Nominee Director (**)	1	No		-Member in Audit Committee -Member in Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee

श्री हरविंदर सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक (***)	2	नहीं		पारिश्रमिक समिति के सदस्य
डॉ. अश्वनी कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	2			
श्री सुरेंद्र ठाकुर सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	नहीं		
गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक				
श्री सतीश कुमार शर्मा, गैर-सरकारी निदेशक (****)	3	नहीं	-	- लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष - पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष विवाद समाधान समिति के सदस्य
श्री रबी रंजन सेन, गैर-सरकारी निदेशक (*****)	4	नहीं		लेखापरीक्षा समिति के सदस्य पारिश्रमिक समिति के सदस्य विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष

(*) भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 02.02.2024 के आदेश द्वारा श्री प्रदीप कुमार बनिक, निदेशक (उत्पादन), को बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार 30.01.2024 से सौंपा था। इसके बाद, श्री पी.के. बनिक ने 03.02.2024 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया।

Shri Harvinder Singh Govt. Nominee Director (***)	2	No		-Member in Remuneration Committee
Dr. Ashwani Kumar Govt. Nominee Director	2			
Sh Surendra Thakur Govt. Nominee Director	1	No		
Non Official Part Time Director				
Shri Satish Kumar Sharma, Non Official Director (****)	3	No	-	-Chairman of Audit Committee -Chairman of Remuneration Committee -Member in Dispute Resolution Committee
Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director (*****)	4	No		-Member of Audit Committee -Member in Remuneration Committee -Chairman of Dispute Resolution Committee

(*) The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 02.02.2024 has assigned the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL, to Shri Pradip Kumar Banik, Director (Production), w.e.f 30.01.2024. Subsequently, Shri P. K. Banik has assumed the additional charge of Chairman & Managing Director, BVFCL w.e.f. 03.02.2024.

(**) 16.07.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए

(***) 28.10.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त।

(****) 04.11.2024 से से निदेशक पद से कार्यमुक्त।

(*****) 04.11.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त|

कंपनी का कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या पाँच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

च. आचार संहिता

आपकी निगम ने कंपनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (उप महा प्रबंधक एवं उससे ऊपर) पर लागू आचार संहिता एवं नैतिकता संहिता को अपनाया है। यह संहिता निदेशकों एवं कर्मचारियों से ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिकता, पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा करती है। निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को इस आचार संहिता के अनुपालन की वार्षिक पुष्टि करना अनिवार्य है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर प्रदर्शित की गई है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों (मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा उक्त आचार संहिता का अनुपालन किया गया है तथा इसके अनुपालन की पुष्टि उनके द्वारा की गई है। इस आशय की एक घोषणा, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, परिशिष्ट-II (A) में संलग्न है।

छ. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना

आपकी कंपनी का कार्यकारी प्रबंधन निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, या तो एजेंडा पत्रों के भाग के रूप में या बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत की जाएगी:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा उनमें होने वाले सभी अद्यतन।
- पूंजीगत बजट और उससे संबंधित कोई भी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के त्रैमासिक परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक संबंधी जानकारी, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और

(**) Ceased from the Directorship w.e.f. 16.07.2024

(***) Ceased from the Directorship w.e.f. 28.10.2024

(****) Ceased from the Directorship w.e.f. 04.11.2024

(*****) Ceased from the Directorship w.e.f. 04.11.2024

No Director of the company is a member in more than 10 (ten) committee or is a Chairman of more than five (5) committees across all companies in which he is a Director.

F. CODE OF CONDUCT

Your Corporation has adopted a code of conduct and ethics applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel (DGM and above) of the Company. The code requires Directors and employees to act honestly, fairly, ethically, and with transparency and integrity. The Board of Directors and Senior Management Personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis. The code has been displayed on the Company's website at www.bvfcl.com. All members of Board of Directors (including Chief Vigilance Officer) and Senior Management Personnel have complied with the code and the compliance has been affirmed by them to that effect. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at Annexure -II (A).

G. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Executive Management of your Corporation shall present the following information before the Board of Directors, either as part of the agenda papers or are tabled/ presented during the course of Board meeting:

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Quarterly results for the Company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief

कंपनी सचिव की नियुक्ति या बर्खास्तगी शामिल है।

- कारण बताओ नोटिस, मांग नोटिस, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ या प्रदूषण संबंधी समस्याएँ।
- कंपनी द्वारा और कंपनी के प्रति वित्तीय दायित्वों का कोई भी महत्वपूर्ण उल्लंघन या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।
- कोई भी ऐसा मुद्दा, जिसमें सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण दावे शामिल हों, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो सकता है, जिसमें कंपनी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की गई हो या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया हो, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- ऐसे लेन-देन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।
- श्रम संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण विकास, जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है।
- विदेशी मुद्रा जोखिमों का त्रैमासिक विवरण और विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।
- किसी भी नियामक, वैधानिक आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

2. लेखा परीक्षा समिति:

I. संविधान और संरचना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा समिति निष्क्रिय हो गई है। कंपनी ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति के लिए मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

Financial Officer and the Company Secretary.

- Shows cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the Company or substantial non-payment for goods sold by the Company.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

2. AUDIT COMMITTEE:

I. Constitution and Composition

At the end of Financial Year 2024-25, Audit Committee has become defunct due to non availability of independent Director on the Board. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board.

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति ने बैठकों में निम्नलिखित कार्यो की समीक्षा की है:

(i) कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों, तैयार उत्पादों और पैकेजिंग सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की त्रैमासिक रिपोर्ट;

(ii) त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा (तकनीकी) रिपोर्ट;

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा ;

(iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले कंपनी के वार्षिक खातों की समीक्षा;

(v) वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा और प्रबंधन द्वारा उन पर दिए गए उत्तर;

(vi) सी और एजी की समीक्षा टिप्पणियाँ;

(vii) वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की समीक्षा ;

(viii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा ;

(ix) लेखापरीक्षा समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा।

(x) प्रबंधन संबंधी चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट;

(xi) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और वित्त निदेशक द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण/घोषणा की समीक्षा करना;

(xii) कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा ;

(xiii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा ;

(xiv) त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक लागत लेखांकन अभिलेखों की समीक्षा ;

(xv) वजन किए गए पैक किए गए यूरिया बैगों का भौतिक सत्यापन;

(xvi) कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति;

(xvii) बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा ;

(xviii) जोखिम प्रबंधन स्थिति रिपोर्टों की समीक्षा ;

However, no communication has been received from the Ministry to date. The Company is actively following up the matter with the Ministry to ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

During the year under review, Audit Committee has reviewed the followings business in the meetings:

(i) Quarterly reports of physical verification of Raw Materials, Intermediate, Finished product and Packing materials;

(ii) Quarterly Internal Audit (Technical) Reports;

(iii) Review Internal Audit Reports

(iv) Review of Annual Accounts of the Company before approval by the Board;

(v) Review of Audit observations of Statutory Auditors and management replies thereon;

(vi) Review comments of C & AG ;

(vii Review remuneration of Statutory Auditors;

(viii) Review Appointment of Cost Auditors;

(ix) Review of action taken reports on the decisions of earlier Audit Committee meetings.

(x) Management Discussions and Analysis Report;

(xi) Review Certification/declaration of financial statements by the Chairman and Managing Director and Director (Finance) of the Company;

(xii) Review appointment of Internal Auditors of the Company;

(xiii) Review appointment of Cost Auditors;

(xiv) Review quarterly/half yearly/Annual cost accounting records;

(xv) Physical verification of weighted packed urea Bags;

(xvi) Appointment of registered valuer for valuation of assets of the Company;

(xvii) Review External Safety Audit Report;

(xviii) Review Risk Management status reports;

(xix) कर लेखा परीक्षक की नियुक्ति;

(xx) लागत नियंत्रण और लागत में कमी

निगम के निदेशक मंडल ने 6 जून, 2003 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में पहली बार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को गठन के समय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 3 जून, 2011 को आयोजित निदेशक मंडल की 57वीं बैठक में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया था, और 10 अप्रैल, 2016 को आयोजित 76वीं (स्थगित) बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप आगे संशोधित किया गया था।

II. बीवीएफसीएल की लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें

निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र की शर्तें हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हो।

2. लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।

3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की स्वीकृति।

4. बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हुए:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 (5) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

ख. लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो, तो उसका विवरण और उसके कारण;

ग. प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ जिनमें प्रबंधन द्वारा किए गए विवेक के आधार पर अनुमान शामिल होते हैं;

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

(xix) Appointment of Tax Auditor;

(xx) Cost Control and Cost Reduction

Board of Directors of the Corporation has constituted Audit Committee initially in their 12th meeting held on 06.06.2003. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board at the time of constitution and modified in 57th meeting of Board of Directors held on 3.06.2011 in line with the guidelines of corporate governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and further modified in 76th (Adjourned) meeting held on 10.04.2016 in line with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

II. TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE OF BVFCL

The following are terms of reference of Audit Committee:

1. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible

2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.

3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.

4. Reviewing with the management quarterly, half yearly and the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:

   a) Matters required to be included in the Directors" Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of section 144 (5) of the Companies Act, 2013;

   b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

   c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

   d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

   e) Compliance with legal requirements relating to financial statements;

च. संबंधित पक्षों के साथ हुए किसी भी लेन-देन का खुलासा; और

छ. लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदा में उल्लिखित योग्यताएं।

ज. व्यवसाय के निरंतर चलने की धारणा।

झ. लेखांकन मानक का अनुपालन।

ञ. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

ट. व्यवसाय के निरंतर चलने की धारणा।

ठ. आईसीएआई के लेखांकन मानकों का अनुपालन।

5. आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की संख्या और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

7. आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर आगे की कार्रवाई करना।

8. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो, और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

9. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करना, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।

10. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जांच करना।

11. व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

12. सी एंड एजी ऑडिट की टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

f) Disclosure of any related party transactions; and

g) Qualifications in the draft audit report.

h) The going concern assumption.

i) Compliance with Accounting Standard.

j) Reviewing the company's financial and risk management policies.

k) The going concern assumption.

l) Compliance of Accounting Standard of ICAI.

5. Reviewing with the management performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.

6. Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

7. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.

8. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

9. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

10. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors.

11. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

12. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.

13. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

14. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला माध्यम प्रदान करें।

15. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा करें। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। निर्धारित प्रारूप में एक विवरण जिसमें किसी विशेष वर्ष में हुए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण दिया गया हो, उस वर्ष की बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न हितधारकों को इसकी जानकारी दी जा सके।

स्पष्टीकरण:"संबंधित पक्ष लेनदेन" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 18 में निहित है।

16. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करें ताकि पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सके, अनावश्यक प्रयासों को कम किया जा सके और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें और उनकी समीक्षा करें:

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, साथ ही प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं।

18. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें और उनकी समीक्षा करें:

- इस वर्ष के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों में पिछले ऑडिट की सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है।
- लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध भी शामिल है,आवश्यक जानकारी तक पहुंच।

  स्पष्टीकरण: यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है, तो उक्त लेखापरीक्षा समिति के पास ऐसे अतिरिक्त कार्य/विशेषताएं होंगी जो इन दिशानिर्देशों में निहित हैं।

19. लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को

14. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.

15. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions. A statement in the prescribed format giving details about all related party transactions taken place in a particular year should be included in the Board's report for that year for disclosure to various stakeholders.

Explanation: The term "related party transactions" shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

16. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.

17. Consider and review the following with the independent auditor and the management:

- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.

18. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:

- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

  Explanation: If the company has set up an Audit Committee pursuant to provision of the Companies Act, the said Audit Committee shall have such additional functions/features as contained in these guidelines.

19. Carrying out any other function as is mentioned in

करना।

20. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

21. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

22. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन

23. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

24. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन की स्वीकृति या उसके बाद कोई भी संशोधन।

III. लेखापरीक्षा समिति की शक्तियाँ

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

(I) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी गतिविधि की जांच करना।

(II) किसी भी कर्मचारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उससे जानकारी लेने का अधिकार तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार।

(III) निदेशक मंडल की स्वीकृति के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने के लिए।

(IV) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(V) कंपनी से स्वतंत्र बैक ऑफिस सहायता और अन्य संसाधन प्राप्त करना।

(VI) सूचना देने वाले व्यक्तियों के संरक्षण हेतु ।

IV. लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन (03) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

लेखापरीक्षा समिति संख्या	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
84 वें	22.05.2024	2	4
85 वें	29.07.2024	2	3
86 वें	23.08.2024	2	3

the terms of reference of the Audit Committee.

20. Reviewing the company's financial and risk management policies.

21. Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.

22. Evaluation of internal financial controls

23. Scrutiny of inter-corporate loans and investments.

24. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties.

III. POWERS OF AUDIT COMMITTEE

Commensurate with its role, the Audit Committee empowered by the Board of Directors the following:

(I) To investigate any activity within its terms of reference.

(II) To seek information on and from any employee and access to information contained in the records of the Company.

(III) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.

(IV) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

(V) To have independent back office support and other resources from the company.

(VI) To protect whistle blowers.

IV. AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, Three (03) Audit Committee Meetings were held.

Audit Committee No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
84th	22.05.2024	2	4
85th	29.07.2024	2	3
86th	23.08.2024	2	3

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक और वैधानिक लेखा परीक्षकों ने विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठकों में भाग लिया।

V. कंपनी का कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3. निदेशकों का कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यवाहक निदेशकों की आयु सीमा साठ वर्ष है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक कार्यवाहक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उर्वरक विभाग के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले निर्देशों तक, जो भी घटना पहले घटित हो, के लिए की जाती है। भारत सरकार के उर्वरक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक, उर्वरक विभाग के अधिकारी न रहने पर या उर्वरक विभाग (भारत सरकार) द्वारा नामांकन वापस लेने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

आपकी कंपनी पूर्णतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति/मनोनीत भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार नियुक्त कार्यात्मक निदेशकों को औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) के वेतनमान पैटर्न के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में उर्वरक विभाग से नियमित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) बोर्ड और/या समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000/- रुपये के बैठक शुल्क के भुगतान और निगम के कामकाज से संबंधित वास्तविक यात्रा, भोजन, आवास और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

Chairman & Managing Director, Director (Finance), Internal Auditors and Statutory Auditors attended the meetings as Special Invittee (s).

V. Company Secretary of the Company acts as the Secretary to the Audit Committee.

3. Tenure of Directors

The age limit of Chairman & Managing Director and other Whole Time Functional Directors is sixty years. The Chairman and Managing Director and the Whole Time Functional Directors of the Company are appointed by the President of India through the Department of Fertilizers for a period of five years from the date of taking charge or till the date of superannuation or till further instructions from the Government of India, whichever event occurs earlier. The Government Directors representing the Department of Fertilizers, Government of India, retires from the Board on ceasing to be officials of the Department of Fertilizers or withdrawal of nomination by the Department of Fertilizers (Govt. of India). Independent Directors are appointed by the Government of India for a tenure of three years at a time.

4. Remuneration of Directors

Your Company is a wholly owned Central Public Sector Undertaking and being the Government Company under the provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under, the Functional Directors of the Company are appointed /nominated by President of India through the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. The Functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scales and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They only draw regular remuneration from the Department of Fertilizers as Government officials. The Part Time Non Official Directors (Independent) on the Board of the Company entitled for the payment of sitting fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Board and/or Committee and reimbursement of actual travelling, boarding, lodging and other expenses incurred in connection with the business of the Corporation.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुपालन में, निगम ने समय-समय पर निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन/पुनर्गठन किया है और पारिश्रमिक समिति का अंतिम पुनर्गठन दिनांक 02.03.2023 के परिपत्र संख्या 116.01 के माध्यम से किया गया था (दिनांक 13.03.2023 को हुई 116वीं बोर्ड बैठक में इस पर विचार किया गया)। 31 मार्च, 2025 को, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण आपके निगम के बोर्ड की पारिश्रमिक समिति निष्क्रिय हो गई है। कंपनी ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति के लिए मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

पारिश्रमिक समिति के वर्तमान कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। उपरोक्त समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होंगी और दो बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। समिति की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, कोरम होगा और कम से कम दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो (02) बैठकें आयोजित की गईं।

पारिश्रमिक समिति क्रमांक	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
5	22.05.2024	3	4
6	29.07.2024	3	4

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठकों में उपस्थित रहे।

5. विवाद समाधान समिति

प्रारंभ में, 30.06.2020 को आयोजित अपनी 66वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी प्रबंधन ने 22.08.2020 की अधिसूचना के माध्यम से "विवाद समाधान समिति" नामक एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी निदेशक (श्री बिपीना बिहारी पाढ़ी) और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के अन्य सदस्यों द्वारा की गई। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों, वैधानिक प्राधिकरणों, मंचों आदि में लंबित सभी कानूनी विवादों/मामलों की समीक्षा करना और वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से उपरोक्त विवादों/मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशना तथा अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना था।

In compliance with the conditions of guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Department of Public enterprises (DPE), Corporation has constituted/re-constituted remuneration committee of Directors from time to time and the last reconstitution of the Remuneration Committee was done by Resolution by Circulation No. 116.01 dated 02.03.2023 (noted in 116th Board Meeting dated 13.03.2023). As on 31st March, 2025, the Remuneration Committee of the Board of your Corporation has become defunct due to non availability of independent Director on the Board. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board. However, no communication has been received from the Ministry to date. The Company is actively following up the matter with the Ministry to ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

The existing terms of reference of the Remuneration Committee shall remain unchanged. The above Committee shall meet at least twice in a financial year and not more than six months shall elapse between two meetings. The quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher and at least two Non-Official (Independent) Director must be present.

During the year under review two (02) meetings of Remuneration Committee were held.

Remuneration Committee No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
5	22.05.2024	3	4
6	29.07.2024	3	4

Chairman & Managing Director and Director (Finance) attended the meetings as Special Invittee (s).

5. Dispute Resolution Committee

Initially, as per the directions of Audit Committee in their 66th meeting held on 30.06.2020, executive management constituted a Committee namely "Dispute Resolution Committee vide notification dated 22.08.2020 under the Chairmanship of Non Official Director (Shri Bipina Bihari Padhy) and other members of Sr. Management officials of the company for the purpose to review all the legal disputes/cases pending in different courts, Statutory Authoriites, Forums, etc. and explore the possibility of amicable resolution of the above disputes/cases through alternate mechanism and submit its report to the Board.

विवाद समाधान समिति का समय-समय पर गठन किया गया था और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विवाद समाधान समिति का अंतिम पुनर्गठन दिनांक 02.03.2023 के परिपत्र संख्या 116.01 द्वारा किया गया था (दिनांक 13.03.2023 को हुई 116वीं बोर्ड बैठक में इसका उल्लेख किया गया)। 31 मार्च, 2025 को, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण आपकी कंपनी के बोर्ड की विवाद समाधान समिति निष्क्रिय हो गई है। कंपनी ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति के लिए मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

विवाद समाधान समिति के वर्तमान कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। उपरोक्त समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होंगी और दो बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। समिति की पूर्ण संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, कोरम होगा और कम से कम दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विवाद समाधान समिति की एक (01) बैठक आयोजित की गई:

विवाद समाधान समिति क्रमांक	दिनांक	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशकों की कुल संख्या
8	22.05.2024	4	5

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठकों में उपस्थित रहे।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों की शर्तों V के अनुपालन के संबंध में मेसर्स प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, गुवाहाटी से सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की गई है और रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक- II (B) (D) में संलग्न हैं।

7. कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में गुवाहाटी स्थित प्रैक्टिसिंग

The Dispute Resolution Committee was constituted/ from time to time and the last reconstitution of the Dispute Resolution Committee during the year under review was done by Resolution by Circulation No. 116.01 dated 02.03.2023 (noted in 116th Board Meeting dated 13.03.2023). As on 31st March, 2025, the Dispute Resolution Committee of the Board of your Corporation has become defunct due to non availability of independent Director on the Board. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board. However, no communication has been received from the Ministry to date. The Company is actively following up the matter with the Ministry to ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

The existing terms of reference of the Dispute Resolution Committee shall remain unchanged. The above Committee shall meet at least twice in a financial year and not more than six months shall elapse between two meetings. The quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher and at least two Non-Official (Independent) Directors must be present.

During the year under review, One (01) meeting of the Dispute resolution committee was held :

Dispute Resolution Committee No.	Date	No. of Directors attended	Total No. of Directors
8th	22.05.2024	4	5

Chairman & Managing Director attended the meetings as Special Invittee (s).

6. Secretarial Audit report

Secretarial Audit Report have been obtained from M/s. Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions V of Voluntary Corporate Governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the management replies on the observations stated in the report are enclosed at Annexure- II (B) (D) to the Directors' Report.

7. Compliance Certificate on Corporate Governance guidelines

Compliance Certificate have been obtained from M/s. Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company

कंपनी सेक्रेटरी, मेसर्स प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स से अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II (सी) में संलग्न है और अनुपालन प्रमाण पत्र में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II (डी) में संलग्न है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के खंड संख्या 4.5 (vi) के अनुपालन में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रणों पर वार्षिक प्रमाण पत्र देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II (ई) में संलग्न है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति:

आपकी कंपनी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अंतर्गत आती है। अतः, सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई है जिसके तहत सभी हितधारक किसी भी अनैतिक/भ्रष्ट आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट सीधे सीवीसी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकते हैं। बीवीएफसीएल बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलने से किसी भी कर्मचारी को वंचित नहीं किया गया है।

10. प्रकटीकरण:

- कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है (कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया खुलासा), जिनका कंपनी में व्यापक हित हो और जिन्हें बोर्ड ने अपनी बैठक में नोट किया हो। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा वार्षिक खातों के भाग नोट संख्या 30.02 में किया गया है, जो संबंधित पक्ष लेनदेन पर लेखा मानक -18 के अनुरूप है।
- कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 2010 में जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) is enclosed at Annexure- II (C) to the Directors' Report and the management replies to the observations stated in the Compliance Certificate is enclosed at Annexure- II (D) to the Directors' Report.

8. CEO /CFO Certification

In compliance of clause no. 4.5 (vi) of the guidelines on corporate governance for CPSEs, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Chairman & Managing Director and Director (Finance) of the Company give annual certificate on financial reporting and internal controls to the Board of Directors of the Company. The certificate given by the Chairman & Managing Director and Director (Finance) is enclosed at Annexure-II (E) to the Directors' Report.

9. Whistle Blower Policy:

Your Company being a Government Company under the administrative control by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers is covered under Central Vigilance Commission (CVC). Therefore, as per CVC guidelines, a mechanism has been established in the Company for all its stakeholders to report about any unethical/ corruptible behavior, actual or suspected fraud to the CVO or the Chairman and Managing Director directly. No employee has been denied access to the Chairman of the Audit Committee of the BVFCL Board.

10. DISCLOSURES :

- The Company has not entered into any related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 184 of Companies Act) having potential interest with the Company at large, which were noted by the Board in its meeting. Transactions with related parties are disclosed in Note No.30.02 forming part of the Annual Accounts, in line with the Accounting Standard -18 on Related Party Transactions.
- The Company has taken adequate steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), 2010.

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देश का अनुपालन किया है।
- लेखा-पुस्तकों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की जाएगी जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो।
- कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय के सापेक्ष विवरण और वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं:

	2024-25		2023-24		
	कुल व्यय का %	कुल वित्त व्यय का % (ब्याज)	कुल व्यय का %	कुल वित्त व्यय का % (ब्याज)	टिप्पणी
प्रशासनिक	1.82	शून्य	1.41	शून्य	
कार्यालय अनुभव	0.01	शून्य	0.01	शून्य	

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-
मोहन राज शेट्टी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11068203

स्थान: नामरूप, असम
दिनांक: 03.12.2025

- The Company has complied with the Presidential directive received during the financial year 2024-25.
- No items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purpose of the business.
- No expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top Management.
- Details of Administrative and Office expenses as a percentage of total expenses vis – a vis financial expenses and reasons for increase are as under :

	2024-25		2023-24		
	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp. (Int.)	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp.(Int.)	Remarks
Administrative	1.82	Nil	1.41	Nil	
Office Exp.	0.01	Nil	0.01	Nil	

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Sd-
Mohan Raj Shetty
Chairman & Managing Director
DIN : 11068203

Place : Namrup, Assam
Date : 03.12.2025

निदेशक प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट–II (क)

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसयू के लिए कॉर्पोरेटगवर्नें सदिशा निर्देशों के खंड 3.4.2 के अनुपालन में, बोर्ड ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए आचार संहिता नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर पोस्ट कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी उपरोक्त आचार संहिता नियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-
मोहन राज शेट्टी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11068203

स्थान: नामरूप, असम

दिनांक: 03.12.2025

ANNEXURE-II (A) TO DIRECTORS REPORT

DECLARATION OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

In compliance with the clause 3.4.2 of guidelines of Corporate Governance for CPSUs issued by the Department of Public Enterprises, Board has approved the Code of Conduct Rules for all members of Board of Directors and Senior Management of the Company, which has been posted on company's website www.bvfcl.com.

All the members of Board of Directors and the Senior Management Executives do hereby affirms the compliance with the above Code of Conduct Rules.

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Sd/-
Mohan Raj Shetty
Chairman & Managing Director
DIN : 11068203

Place : Namrup, Assam

Date : 03.12.2025

निदेशक प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट–II (ख)

फॉर्म एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अंतर्गत तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित)

सेवा में,
सदस्यगण,
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: U24123AS2002GOI006786
डाकघर परबतपुर, नामरूप, डिब्रूगढ़-786623, असम

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुचारु कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई जिससे हमें कंपनी के आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

हम यह सूचना देते हैं कि:-

क. कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

ख. हमने लेखापरीक्षा संबंधी अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

ग. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

घ. कंपनी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच

ANNEXURE-II (B) TO DIRECTORS REPORT

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014

To,
The Members,
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
CIN: U24123AS2002GOI006786
P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh-786623, Assam

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We report that:-

a. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our Audit.

b. We have followed the Audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

c. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial statement of the Company.

d. The compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management.

केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

ङ. सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी है और न ही इस बात की कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता से किया है।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष ("लेखापरीक्षा अवधि") को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं। और अनुपालन तंत्र को यथासंभव, उस तरीके से लागू किया जाए और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संधारित पुस्तकों, अभिलेखों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दायर किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है, जो निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू होने वाले अन्य कॉर्पोरेट कानून।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:-

क. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स।

ख. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009।

ग. भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है,

Our examination was limited to the verifications of procedures on test basis.

e. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st day of March, 2025 ("audit period"), complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED. ("The Company") for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) Other corporate laws specifically applicable to the Company.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:-

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

c) Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

सिवाय नोट-1 में उल्लिखित हमारी टिप्पणी के, जो कि निम्नलिखित टिप्पणी के अधीन है:

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की स्थिति एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की रही है और सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार के उर्वरक विभाग के अधिकारियों के नाम पर हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है, जो भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों का समय निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं (कुछ बोर्ड बैठकों को छोड़कर जब निदेशकों से अत्यावश्यक मामलों पर कम समय में बैठक आयोजित करने की सहमति प्राप्त हुई हो), और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए असहमति वाले विचारों को कार्यवाही विवरण में दर्ज करना आवश्यक नहीं था। कंपनी ने निदेशक मंडल से प्राप्त कुछ टिप्पणियों को भी कार्यवाही विवरण में शामिल किया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के पास ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई बड़ा प्रभाव पड़ता हो।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित

except our observation in Note-1 subject to observation as under:

We further report that:-

The status of the Company during the financial year 2024-25 has been that of an Unlisted Public Sector Company and all the shares are held in the name of President of India and officials of Department of Fertilizers, Govt. of India.

The Board of Directors of the Company is duly constituted which is as per guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, (except at few board meeting when consent was received from the directors to hold meeting at shorter notice on urgent matters) and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Board decisions are carried out with unanimous consent and therefore, no dissenting views were required to be captured and recorded as part of the minutes. The Company has also recorded few comments received from the Board of Directors in the minutes of the Company.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company had no specific events / actions which have a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

We further report that during the audit period there

में से कोई भी घटना नहीं हुई:

(i) शेयरों/डिबेंचरों/श्रम-सहयोग आदि का सार्वजनिक/अधिकार/वरीयता निर्गमन।

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी

(iii) कंपनी अधिनियम की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय, 2013

(iv) विलय/ समामेलन/ पुनर्निर्माण आदि।

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग।

प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-
(प्रवीण कुमार छाजर)
प्रोपराइटर
एम. नंबर: A25787
सीओपी: 9231
सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 4436/2023
UDIN: A025787G002075714

दिनांक: 27.11.2025

स्थान: गुवाहाटी,

were no instances of:

(i) Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.

(ii) Redemption / buy-back of securities

(iii) Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013

(iv) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

(v) Foreign technical collaborations.

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
(Pravin Kumar Chhajer)
Proprietor
M. No.: A25787
COP: 9231
UDIN: A025787G002075714
Peer Review Regn. No.: 4436/2023

Date: 27.11.2025

Place: Guwahati

नोट:1

1) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के साथ नियम 3 के तहत अनिवार्य है।

2) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 28/02/2022 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विवाद समाधान समिति की कम से कम दो बैठकें एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाएंगी और दो बैठकों के बीच छह (6) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने विचाराधीन वित्तीय वर्ष (दिनांक 22/05/2024) में विवाद समाधान समिति की केवल एक बैठक आयोजित की है। इस प्रकार, कंपनी वित्तीय वर्ष में दो बैठकें आयोजित करने में विफल रही है। हालांकि, यह भी पाया गया कि 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण विवाद समाधान समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।

3) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें एक वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार (4) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22/05/2024, 29/07/2024 और 23/08/2024 में लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित कीं, लेकिन यह पाया गया कि कंपनी ने 23/08/2024 के बाद से 31/03/2025 तक लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की और दो बैठकों के बीच समय अंतराल का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।

4) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड विधिवत गठित नहीं था।

Note:1

1) During the course of our audit, it was observed that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.

2) During the course of our audit, it was observed that the meeting of the Board of Directors held on 28/02/2022, decided to hold at least two meetings of the Dispute Resolution Committee in a financial year and not more than six (6) months shall elapse between two meetings. However, the Company has held only one meeting of Dispute Resolution Committee in the financial year under consideration dated 22/05/2024. That being so, the Company has failed to conduct two meetings in the financial year. However it was observed that the Dispute Resolution Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

3) During the course of our audit, it was observed that at least four meetings of the Audit Committee must be held in a financial year and not more than four (4) months shall elapse between two meetings. However, the Company has held three meetings of Audit Committee in the financial year dated 22/05/2024, 29/07/2024, 23/08/2024 respectively but it was observed that the company has not hold any meeting of the Audit Committee after 23/08/2024 till 31/03/2025 and time gap between two meetings was not maintained. However it was observed that the Audit Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

4) During the course of our audit, it was observed that the Company did not have the required number of Independent Directors on its board as mandated under Section 149(4) of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder. The Board was not duly constituted due to non appointment of Independent Directors in the board of the Company after cessation of the existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – II (ग)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: U24123AS2002GOI006786
डाकघर परबतपुर, नामरूप, डिब्रूगढ़ -786623, असम

हमने भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश, 2010 (संशोधित) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी द्वारा कंपनी प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिनियम, 2010 (संशोधित) में उल्लिखित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय हमारी लेखापरीक्षा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों के।

हम आगे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी है और न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन में दक्षता या प्रभावशीलता की गारंटी है।

उक्त दिशा-निर्देशों की सभी अनिवार्य शर्तों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया गया:-

1) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने कंपनी के

ANNEXURE-II (C) TO DIRECTOR'S REPORT

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER COPORATION LIMITED
CIN: U24123AS2002GOI006786
P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh -786623, Assam

We have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by **BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED ("The Company")** for the year ended on **31st March, 2025** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the Conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India, as applicable except few observations made during the course of our Audit.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

All mandatory conditions of the said guidelines were complied subject to following observations:-

1) During the course of our audit, it was observed

बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के साथ नियम 3 के तहत अनिवार्य है।

2) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 28/02/2022 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विवाद समाधान समिति की कम से कम दो बैठकें एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाएंगी और दो बैठकों के बीच छह (6) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने विचाराधीन वित्तीय वर्ष (दिनांक 22/05/2024) में विवाद समाधान समिति की केवल एक बैठक आयोजित की है। इस प्रकार, कंपनी वित्तीय वर्ष में दो बैठकें आयोजित करने में विफल रही है। हालांकि, यह भी पाया गया कि 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण विवाद समाधान समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।

3) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें एक वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार (4) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22/05/2024, 29/07/2024 और 23/08/2024 में लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित कीं, लेकिन यह पाया गया कि कंपनी ने 23/08/2024 के बाद से 31/03/2025 तक लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की और दो बैठकों के बीच समय अंतराल का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।

4) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 04/11/2024 को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का

that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.

2) During the course of our audit, it was observed that the meeting of the Board of Directors held on 28/02/2022, decided to hold at least two meetings of the Dispute Resolution Committee in a financial year and not more than six (6) months shall elapse between two meetings. However, the Company has held only one meeting of Dispute Resolution Committee in the financial year under consideration dated 22/05/2024. That being so, the Company has failed to conduct two meetings in the financial year. However it was observed that the Dispute Resolution Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

3) During the course of our audit, it was observed that at least four meetings of the Audit Committee must be held in a financial year and not more than four (4) months shall elapse between two meetings. However, the Company has held three meetings of Audit Committee in the financial year dated 22/05/2024, 29/07/2024 and 23/08/2024 respectively but it was observed that the company has not hold any meeting of the Audit Committee after 23/08/2024 till 31/03/2025 and time gap between two meetings was not maintained. However it was observed that the Audit Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

4) During the course of our audit, it was observed that the Company did not have the required number of Independent Directors on its board as mandated under Section 149(4) of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder. The Board was not duly constituted due to non appointment of Independent

कार्यकाल समाप्त होने के बाद कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड विधिवत गठित नहीं था।

प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(प्रवीण कुमार छाजर)
प्रोपराइटर
एम. नंबर: A25787
सीओपी: 9231
UDIN: A025787G002076759
सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 4436/2023

दिनांक: 27.11.2025
स्थान: गुवाहाटी

Directors in the board of the Company after cessation of the existing Independent Directors on completion of their tenure on 04/11/2024.

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
(Pravin Kumar Chhajer)
Proprietor
M. No.: A25787
COP: 9231
UDIN: A025787G002076759
Peer review Regn. No.: 4436/2023

Date: 27.11.2025
Place: Guwahati

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – II (घ)

प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों पर उत्तर दिया।

प्रबंधन ने सचिवालय लेखापरीक्षा में प्राप्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर जो उत्तर दिए हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदुओं का उत्तर
1	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के साथ नियम 3 के तहत अनिवार्य है।	कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और कंपनी के पास ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है। कंपनी ने निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की तत्काल नियुक्ति के लिए मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।
2	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 28/02/2022 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विवाद समाधान समिति की कम से कम दो बैठकें एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाएंगी और दो बैठकों के बीच छह (6) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।	विवाद समाधान समिति की नौवीं बैठक मूल रूप से 29 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित थी, लेकिन कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं हो सकी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैठक को अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर पुनर्निर्धारित किया गया, अर्थात् 5 नवंबर, 2024 को। हालांकि, इस बीच, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 04/11/2024 को समाप्त हो गया, जिससे उनके लिए पुनर्निर्धारित बैठक में उपस्थित होना असंभव हो गया। कंपनी ने मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं, जिनमें बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।

ANNEXURE-II (D) TO DIRECTOR'S REPORT

Management Replies on the Observations stated in Secretarial Audit Report for the financial year ended 31stMarch, 2025

The Management Replies on the Audit Observations of the in Secretarial Audit or were mentioned below.

Sl. No.	Key Audit Points	Reply to Key Audit Points
1	During the course of our audit, it was observed that the company has not appointed any Women Director in the board of the company as mandated Under Section 149(1) read with rule 3 of the Companies (Appointment of Directors) Rules, 2014 of the Companies Act, 2013.	The Directors of the Company are appointed by the Central Government, and the Company does not have an in-house mechanism for such appointments. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of a Woman Director to the Board. However, no communication has been received from the Ministry so far. The Company is actively following up the matter with the Ministry to ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013.
2	During the course of our audit, it was observed that the meeting of the Board of Directors held on 28/02/2022, decided to hold at least two meetings of the Dispute Resolution Committee in a financial year and not more than six (6) months shall	The 9th meeting of the Dispute Resolution Committee was originally scheduled for 29th October, 2024, but could not be held due to lack of quorum. In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, the meeting was rescheduled for the same day, same time, and same place in the following week, i.e., on 5th November, 2024. However, in the meantime, the tenure of the Independent Director expired on 04/11/2024, making it impossible for them to attend the rescheduled meeting. The Company has

	हालांकि, कंपनी ने विचाराधीन वित्तीय वर्ष में विवाद समाधान समिति की केवल एक बैठक (दिनांक 22/05/2024) आयोजित की है। इस प्रकार, कंपनी वित्तीय वर्ष में दो बैठकें आयोजित करने में विफल रही है। हालांकि, यह भी पाया गया कि मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण विवाद समाधान समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।	मंत्रालय से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और विवाद समाधान समिति के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है।
3	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें एक वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार (4) महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।	87वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक मूल रूप से 29 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित थी, लेकिन कोरम की कमी के कारण यह आयोजित नहीं हो सकी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैठक को अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर पुनर्निर्धारित किया गया, अर्थात् 5 नवंबर, 2024 को। हालांकि, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 04/11/2024 को समाप्त हो गया, कंपनी के निदेशकों

	elapse between two meetings. However, the Company has held only one meeting of Dispute Resolution Committee in the financial year under consideration dated 22/05/2024. That being so, the Company has failed to conduct two meetings in the financial year. However it was observed that the Dispute Resolution Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure.	sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board. No communication has been received from the Ministry to date. The Company is actively pursuing the matter with the Ministry to ensure compliance with the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.
3	During the course of our audit, it was observed that at least four meetings of the Audit Committee must be held in a financial year and not more than four (4) months shall	The 87th Audit Committee meeting was originally scheduled for 29th October, 2024, but could not be held due to lack of quorum. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the meeting was rescheduled for the same day, same time, and same place in the following week, i.e., on 5th November, 2024. However, the tenure of

	वर्ष 22/05/2024, 29/07/2024 और 23/08/2024 में लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित कीं, लेकिन यह पाया गया कि कंपनी ने 23/08/2024 के बाद से 31/03/2025 तक लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की और दो बैठकों के बीच समय अंतराल का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी नियुक्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।	जिसके कारण उनके लिए पुनर्निर्धारित बैठक में उपस्थित होना असंभव हो गया। कंपनी ने मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजकर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है। मंत्रालय से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है।

	elapse between two meetings. However, the Company has held three meetings of Audit Committee in the financial year dated 22/05/2024, 29/07/2024, 23/08/2024 respectively but it was observed that the company has not hold any meeting of the Audit Committee after 23/08/2024 till 31/03/2025 and time gap between two meetings was not maintained. However it was observed that the Audit Committee was not reconstituted due to non-appointment of Independent Directors after cessation of existing Independent Directors on completion of their tenure.	the Independent Director expired on 04/11/2024, which made it impossible for them to attend the rescheduled meeting. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board. No communication has been received from the Ministry so far. The Company is actively following up with the Ministry to ensure compliance with the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

4	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कंपनी के बोर्ड में नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड विधिवत गठित नहीं था।	कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और कंपनी के पास ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है। कंपनी ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति के लिए मंत्रालय को कई अनुरोध पत्र भेजे हैं। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

4	During the course of our audit, it was observed that the Company did not have the required number of Independent Directors on its board as mandated under Section 149(4) of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder. The Board was not duly constituted due to non appointment of Independent Directors in the board of the Company after cessation of the existing Independent Directors on completion of their tenure	The Directors of the Company are appointed by the Central Government, and the Company does not have an in-house mechanism for such appointments. The Company has sent several request letters to the Ministry seeking the immediate appointment of Independent Directors to the Board. However, no communication has been received from the Ministry to date. The Company is actively following up the matter with the Ministry to ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट- II (ई)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 के अनुपालन में प्रमाणन।

सेवा में,
निदेशक मंडल
ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड
नामरूप

हम, मोहन राज शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री सुभाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त),ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, एतद्द्वारा धारा 4.5 (vi) के अनुसार प्रमाणित करते हैं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश, 2010,वह:

(क) हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन सम्मिलित नहीं है, न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा गया है तथा न ही इनमें कोई ऐसा कथन है जो भ्रामक हो सकता है;

(ii) ये सभी विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी लेनदेन धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में किसी भी खामी का खुलासा किया है, जिसकी हमें जानकारी है और इन खामियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, उनकी भी जानकारी दी है।

ANNEXURE-II (E) TO DIRECTOR'S REPORT

Certification of Chief Executive Officer and Chief Finance Officer in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010

To,
The Board of Directors
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Namrup

We, Mohan Raj Shetty, Chairman and Managing Director and Shri Subash Chandra Das, Director (Finance) of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited do hereby give certification as per Clause 4.5 (vi) of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010, that:

(a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the financial year ended 31st March, 2025 and that to the best of my knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and Regulations.

(b) To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the financial year ended 31st March, 2025 which are fraudulent, illegal or violate the Company's code of conduct.

(c) We accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of Internal Control Systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation or such internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित कर दिया है कि:

(i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ;

(ii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ; और

(iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान हमें किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है जिसमें प्रबंधन या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता हो।

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee that :

(i) There was no significant change in internal control over financial reporting during the financial year ended 31st March, 2025;

(ii) There was no significant change in accounting policies during the financial year ended 31st March, 2025; and

(iii) We have not come across any instance during the financial year ended 31st March, 2025 of any significant fraud and the involvement of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
(एस सी दास)	**(मोहन राज शेट्टी)**	**(S. C. Das)**	**(Mohan Raj Shetty)**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Director (Finance)	Chairman & Managing Director
डीआईएन : 08988297	डीआईएन : 11068203	DIN : 08988297	DIN : 11068203

दिनांक : 02.12.2025
स्थान: नामरूप, असम

Date : 02.12.2025
Place : Namrup, Assam

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों पर जवाब दिया।
वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ नीचे दी गई हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	प्रबंधन का उत्तर
3.1	**नोट 7 : व्यापारिक देयताएँ (Trade Payables) ₹ 41,575.02 लाख**	
	एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार, वह क्रेता जिसे किसी भी विधि के अंतर्गत अपने खातों का अंकेक्षण कराना आवश्यक है, प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (जिसे पृथक-पृथक दर्शाया जाना है) की ऐसी राशि का प्रकटीकरण करेगा, जो अवैतनिक रह गई हो। इसके अतिरिक्त, धारा 15 के अनुसार, यदि कोई क्रेता आपूर्तिकर्ता को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो क्रेता और आपूर्तिकर्ता के मध्य किए गए किसी भी समझौते अथवा उस समय प्रवृत्त किसी भी विधि में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, क्रेता नियुक्त दिनांक से अथवा, यथास्थिति, सहमत दिनांक के तुरंत पश्चात की दिनांक से उस राशि पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुना दर से, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया कि एमएसएमई की देयताओं में से अनेक देयताएँ 45 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित थीं, अतः एमएसएमई अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज की गणना की जानी चाहिए थी। उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार, बकाया राशि पर ₹34.55 लाख की ब्याज राशि देय थी। तथापि, कंपनी द्वारा उक्त ब्याज न तो अदा किया गया और न ही उसके लिए कोई प्रावधान किया गया, जो कि एमएसएमई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों तथा अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है तथा वर्ष के लाभ को ₹34.55 लाख की राशि से अधिक दर्शाया गया है। कंपनी का यह कहना है कि आपूर्तिकर्ता के कारण उत्पन्न दोष के चलते ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में किसी भी एमएसएमई इकाई से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। इसी क्रम में, अंकेक्षणाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इस प्रकार के किसी भी ब्याज भुगतान का न तो संधारण किया गया है और न ही उसका प्रकटीकरण किया गया है। 31.03.2025 को चिन्हित एमएसएमई विविध देनदारों के खातों में कुल बकाया राशि ₹535.01 लाख है, जिसमें से ₹27.93 लाख की राशि 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय है। 45 दिनों से अधिक अवधि के भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने की यही प्रथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी जारी रखी गई है।	आयकर अधिनियम की धारा 43B(h)) के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई को किए जाने वाले भुगतान एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किए जाना अनिवार्य है। आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं अथवा सेवाओं की स्वीकृति की दिनांक से 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि, यदि कोई लिखित अनुबंध विद्यमान है, तब भी भुगतान वस्तुओं अथवा सेवाओं की स्वीकृति की दिनांक से 45 दिनों के भीतर ही किया जाना आवश्यक है, भले ही अनुबंध की शर्तें कुछ भी हों। उक्त प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित प्रचलित बैंक दर की तीन गुना दर से ब्याज का भुगतान देय होगा। 45 दिनों से कम अवधि के लिए कुल बकाया राशि ₹507.08 लाख है, जबकि केवल ₹27.93 लाख की राशि 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है। क्रय आदेश (PO) की भुगतान शर्तों के अनुसार, सामग्री की साइट पर प्राप्ति एवं स्वीकृति के 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है, जिसका कंपनी द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अंकेक्षण द्वारा देय दिनांक की गणना चालान की दिनांक से की गई है, जो कि सही नहीं है। धारा 43B(h) तथा एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अनुपालन के प्रयोजनार्थ यह अनिवार्य किया गया है कि क्रेता आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए भुगतान सहमत दिनांक तक अथवा उससे पूर्व करें, जो कि स्वीकृति अथवा अनुमानित स्वीकृति की दिनांक से 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, शेष बकाया राशि का कारण आपूर्तिकर्ताओं के साथ उत्पन्न विवाद हैं, क्योंकि आपूर्ति की गई वस्तुएँ अथवा सेवाएँ क्रय आदेश में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं, अथवा चालान के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जीसी, एमटीसी, सीपीबीजी, वारंटी प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कई बार आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर-1 रिटर्न समय पर दाखिल न किए जाने के कारण कंपनी के जीएसटीआर-2बी में प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होती, जिससे कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों में, चालानों के जीएसटी घटक को अस्थायी रूप से रोके रखा जाता है तथा कंपनी के जीएसटीआर-2बी में प्रविष्टि परिलक्षित होने के पश्चात उसे जारी किया जाता है।

ANNEXURE-III TO DIRECTOR'S REPORT

Management Replies on the Observations Stated in Independent Audit Report for the Financial Year Ended 31st March, 2025

The Management Replies on the Audit Observations of the Statutory Auditor were mentioned below.

Sl. No.	Key Audit Points	Reply to Key Audit Points
3.1	NOTE 7: TRADE PAYABLES Rs.41575.02 lakhs	
	As per Section 22 under MSME Act, 2006 the buyer who is required to get his account audited under any law, shall disclose the principal amount and interest dues thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. Further as per section 15, where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank of India. In the financial year 2023-24 it was reported in audit report that the number of dues of MSME were outstanding for more than 45 days, so the interest portion should be calculated as per MSME Act, 2006. As per the details made available an amount of ₹34.55 lakhs is payable as interest on the outstanding amount however the company has neither paid nor provided for this interest in contravention of the MSME Act. This has resulted in understatement of current liabilities and other expenses corresponding to overstatement of profit for the year by ₹34.55 lakhs. The company has made no provision of interest is created for fault attributable to vendor. The company has not received, any claim of MSME units towards delayed payment of interest during the financial year 2023-24 and 2024-25.". On the same line the company has not maintained or disclosed any such interest payments during the financial year under audit. The MSME Sundry creditors accounts identified as on 31.03.2025 are with balance outstanding as on 31.03.2025 ₹535.01 lakhs of which the amount ₹27.93 Lakhs is due for the period more than 45 days. The same practice has been carried in the financial year 2024-25of non-payment of interest on payments beyond 45 days.	As per provisions of sections 43B(h)of the Income Tax Act payment to MSMEs are required to be made as per the timelines specified in section 15 of the MSME Act 2006. The payments to the supplier should be made within 45 days from the date of acceptance of the goods or service from the supplier. However, in case there is any written agreement, payment should be made within 45 days from the date of acceptance irrespective of the terms of the agreement. Non-compliance will result in payment of interest @ 3 times the prevailing bank rate.The total outstanding amount for less than 45 days is Rs. 507.08 lakhs only Rs. 27.93 lakhs are outstanding beyond that. The terms of payment of PO the payment is to be made within 45 days of receipt and acceptance of materials at site and the same is strictly followed. However, it seems that the Audit has considered the due date from the date of invoice which is not correct. For the purpose of compliance of section 43B (h) & section 15 of MSME Act mandates that buyers must make payments to suppliers for goods or services on or before the date agreed upon, which cannot exceed 45 days from the date of acceptance or deemed acceptance. Further the balance outstanding amount is because of disputes with vendors as the products or services supplied were not as per the specification provided in PO, non-submission of documents like GC, MTC, CPBG, warranty certificate along with the invoice. Sometimes vendor fails to file GSTR 1 return in time leading to non-reflection in GSTR 2B return of the company restricting the company to avail Input tax credit. In such cases GST component of the invoices is temporarily kept on hold and subsequently released on reflection of 2B of the company.

		उपरोक्त कारणों से, अर्थात् क्रय आदेश की विनिर्देशों/शर्तों की पूर्ति न होने के कारण, बकाया राशि आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित नहीं होती है तथा आपूर्तिकर्ता की चूक के कारण उच्च दर पर ब्याज को मान्यता देने की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है।
3.2	**नोट 8 : अन्य चालू दायित्व ₹ 6,342.73 लाख**	
	ग्राहकों से अग्रिम ₹ 1,630.18 लाख (क) यह अवलोकन किया गया है कि कंपनी ने 15 पक्षों से प्राप्त ₹36.38 लाख की अग्रिम एवं प्रतिभूति जमा राशि को अपने पास बनाए रखा है, जबकि संबंधित पक्षों के साथ व्यावसायिक संबंध काफी समय पूर्व समाप्त हो चुके हैं। ये शेष राशियाँ बिना किसी स्पष्ट औचित्य अथवा निपटान योजना के दीर्घ अवधि से अनिर्णीत बनी हुई हैं। हमारे मत में, इस प्रकार की राशियों को बिना समायोजन अथवा वापसी के निरंतर बनाए रखना सावधानी एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तथा इससे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 129 एवं धारा 134 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से संबंधित प्रकटीकरण, मान्यता एवं संभावित दायित्वों के अनुपालन में कमी उत्पन्न हो सकती है। इस विषय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षक प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रबंधन उक्त शेष राशियों को बनाए रखने की वैधता एवं उपयुक्तता का मूल्यांकन करे तथा वित्तीय विवरणों में उनका समुचित निपटान अथवा आवश्यक प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।	15 डीलरों के विरुद्ध अग्रिम की राशि ₹36.38 लाख नहीं, बल्कि ₹28.99 लाख है। प्रबंधन द्वारा संबंधित लेजरों का मिलान किया जा रहा है, जो डीलरों की पहचान/पता न चल पाने के कारण कठिन हो गया है। लेजरों के मिलान हेतु प्रयास जारी हैं तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त विषय का निस्तारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर लिया जाएगा।
3.3	**नोट 12 : भंडार (Inventories) ₹ 6,506.19 लाख**	
	लेखा मानक (AS)-2 "भंडार" के अनुसार, भंडार के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का आकलन उस समय उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जिनके अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि भंडार से कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है। इन अनुमानों में तुलन पत्न की दिनांक के पश्चात घटित घटनाओं के कारण मूल्य अथवा लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव को, उस सीमा तक ध्यान में रखा जाता है जहाँ ऐसी घटनाएँ तुलन पत्न की दिनांक पर विद्यमान परिस्थितियों की पुष्टि करती हों। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक (AS)-5 "अवधि का शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन" के अनुसार, यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए जिनके आधार पर कोई अनुमान लगाया गया था, अथवा नई जानकारी, अधिक अनुभव या बाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप, उस अनुमान में संशोधन किया जाना आवश्यक हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय का शुद्ध प्रभाव ₹924.44 लाख है, जिसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया है, जिसमें से भंडार से संबंधित प्रावधान की राशि ₹64.85 लाख है।	अनुमान जिन परिस्थितियों पर आधारित था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही बैलेंस शीट की दिनांक के बाद कोई नई जानकारी, अतिरिक्त अनुभव या विकास हुआ है। कंपनी इन्वेंट्री सत्यापन में कमी और अधिकता के लिए आयु-वार प्रावधान की नीति का पालन कर रही है और इसका लेखा-जोखा वास्तविक आधार पर किया जाता है।

		Due to reason as mentioned above, non-fulfillment of PO specifications / conditions the amount outstanding is not covered under the above provisions of section 43B(h) and there is no liability to recognize interest at higher rate for the default of the supplier.
3.2	**NOTE 8: OTHER CURRENT LIABILITIES Rs. 6342.73 Lakhs**	
	Advance from customers Rs. 1630.18 lakhs a) We observed that the Company has retained advances and security deposits amounting to ₹ 36.38 Lakhs received from 15 number of parties, even though the business relationship with the said party has been discontinued since long. These balances have remained unsettled for an extended period without any apparent justification or settlement plan. In our opinion, the continued retention of such amounts without adjustment or refund may not be in accordance with the principles of prudence and fairness, and could result in non-compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, particularly in respect of disclosure, recognition, and possible liability under Section 129 and Section 134 relating to the true and fair view of the financial statements. This has also been pointed out in Auditor's Report of FY 2023-24. We recommend that management evaluate the legitimacy and appropriateness of retaining such balances and take necessary action to settle or disclose them appropriately in the financial statements.	The of advance against 15nos of dealers is Rs 28.99Lakhs not Rs 36.38Lakhs. Management is in the process of reconciling the ledgers which has become difficult due to non-traceability of dealers. The efforts for reconciliation are on and necessary action will be taken in the matter. It is expected to be resolve the matter in the FY 25-26.
3.3	**NOTE 12 INVENTORIES: Rs. 6506.19 Lakhs**	
	As per AS 2 on "Inventory", estimates of net realizable value of inventory are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. Moreover, as per AS 5 on the "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies", an estimate may have to be revised if changes occur regarding the circumstances on which the estimate was based, or as a result of new information, more experience, or subsequent developments. The net effect of expenses for the FY 2024-25 is ₹924.44 Lakhs debited to Profit & Loss Account of which provision relating to the Inventory is ₹64.85 Lacs.	There is no change in circumstances on which the estimate was based or any new information, more experience or subsequent development have arisen after the balance sheet date. The company has been following the policy of age wise provision on inventory verification shortages and excess is accounted for on actual basis

	इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा गैर-चल भंडार के लिए प्रावधान निर्धारित करने हेतु जिन प्रतिशतों का उपयोग किया जा रहा है, उनमें समय-समय पर कोई अद्यतन अथवा संशोधन नहीं किया गया है तथा इन्हें वर्षों से निरंतर अपनाया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, 15 से 20 वर्षों से बिना किसी आवागमन वाले भंडार पर 50% का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 20 वर्षों से अधिक अवधि से बिना आवागमन वाले भंडार पर सीधे 95% का प्रावधान किया जा रहा है। तथापि, हमारे मत में, भंडार के विरुद्ध प्रावधान निर्धारण हेतु प्रयुक्त प्रतिशतों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा यह नियमित अंतराल पर किए जाने वाले वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होने चाहिए। यह अवलोकन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों 2022-23 एवं 2023-24 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी किया गया था तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी यह स्थिति यथावत बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भंडार एवं मूर्त परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु जेकेएसएस एंड एसोसिएट्स, गुवाहाटी को पत्र संख्या BVFCL/III/F&A/Auditor/2023-24/01/1573 दिनांक 22.06.2023 के माध्यम से नियुक्त किया गया था। तथापि, मूर्त परिसंपत्तियों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा केवल भंडार पर आधारित रैंडम/नमूना सत्यापन अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06.01.2025 (वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु) प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं: (i) भौतिक सत्यापन रैंडम अथवा टेस्ट-चेक आधार पर किया गया है। विस्तृत जाँच के अभाव में क्षति एवं हानि की सीमा का विश्लेषण एवं प्रतिवेदन संभव नहीं है। तथ्य एवं आंकड़े यथावत रहते हैं। किसी विशिष्ट दिनांक पर वास्तविक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु सभी विचलनों तथा कमी/अधिकता को उनके पुस्तकीय मूल्य सहित प्रतिवेदित किया जाना आवश्यक है। (ii) भौतिक सत्यापन अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निष्कर्षों का सार संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जिसमें विभिन्न विसंगतियाँ एवं अंतर दर्शाए गए हैं। इन कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।	ये अवलोकन माल संग्रहण वभिाग को सौंप दए़ि गए है, जसिने सूचति कयिा है क बिनि कार्ड अपडेट करने के बाद वास्तवकि स्टॉक बनि कार्ड बैलेंस से मेल खाता है। इसके अलावा, भंडारों का भौतकि सत्यापन केवल एनआईटी की शर्तों के अनुसार ही कयिा जाता है।
	कंपनी की ऋण नीति पर टिप्पणियाँ कंपनी द्वारा दिसंबर 2023 में ऋण नीति निर्धारित की गई थी, तथापि वित्तीय वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जो कि व्यापारिक देयकों में ₹25,201.57 लाख की बकाया राशि तथा उसके विरुद्ध मात्र ₹96.73 लाख के प्रावधान से स्पष्ट है। ऋण नीति के अनुसार, "व्यापारिक उत्पादों के लिए डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली कुल ऋण अवधि, चालान की दिनांक से 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।" हमें उपलब्ध कराए गए आयु-विश्लेषण के अनुसार, 31 मार्च 2025 को ऐसे डीलरों की बकाया राशि, जिनके पास 60 दिनों से अधिक अवधि के लिए न तो प्रतिभूति जमा है और न ही पोस्ट-डेटेड चेक ₹520.23 लाख है।	Most of the Trade receivables are either secured by SD or PDC . Receivable of Rs 1135.87 lakh is unsecured as on 31.03.2025 and management is in the process of collecting SD/PCS from those dealers who have not submitted SD/PCD.

	Furthermore, the percentages being used by the company as a basis for provisioning against non-moving inventory has not been updated or revised and is being used consistently over the years. For instance, inventory with no movement from 15-20 years is being provisioned against at 50% whereas inventory with no movement for more than 20 years is being provisioned directly at 95%. However, in our opinion the percentages being used for provisioning against inventory may be periodically reviewed and should be based on the actual valuation of such inventory being conducted at regular intervals This observation has been also made in the Audit Report for the previous financial year 2022-23 and 2023-24 The observation for the current financial year 2024-25 still continuous. An effort was made in the financial year 2023-24 for getting Physical Verification of Inventory and Tangible Assets by appointing JKSS& Associates, Guwahati, vide letter No. BVFCL/III/F&A/Auditor/2023-24/01/1573 dated 22.06.2023. The Audit Report on Tangible Assets was not submitted and only Random verification Audit Report on Inventory dated06.01.2025 for the financial year 2023-24was submitted. It is from the analysis of the Report following discrepancies has been observed:	
	The Physical Verification has been conducted on Random basis or test check basis, unless detail checking is not done, the extent of damage and loss cannot be analysed and reported. The facts and figures remain the same. The deviation and all shortage/excess have to be reported with its book value to arrive at the actual valuation on one particular date. The summary of the findings has been noted in Physical verificationauditors AuditReportwhich is submitted to the Company with various discrepancies noted therein and variances found. The short coming may be taken care of.	The Observations have been provided to the MM department which has informed that after updating the bin cards, the actual stock matches with the bin card balance. Further the physical verification of the stores is done as per the NIT condition only.
	Observations on the credit policy of the Company The Company formulated Credit Policy in December 2023, but implementation of which was not that effective in the financial year 2023-24 and 2024-25 which is	Most of the Trade receivables are either secured by SD or PDC . Receivable of Rs 1135.87 lakh is unsecured as on 31.03.2025 and management is in the process of collecting SD/PCS from those dealers who have not submitted SD/PCD.

<table>
<tr><td></td><td>ऋण नीति के अनुसार, “प्रत्येक डीलर/खुदरा विक्रेता को सुरक्षित ऋण एवं खुला ऋण 1:3 के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। सुरक्षित ऋण, उपलब्ध प्रतिभूति जमा की सीमा तक होगा। प्रतिभूति जमा से अधिक प्रदान किया गया ऋण खुला ऋण माना जाएगा, जिसे डीलर से प्राप्त पोस्ट-डेटेड चेक के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा।” तथापि, वास्तविक व्यवहार में यह पाया गया है कि 31 मार्च 2025 को बिना किसी पीडीसी वाले डीलरों की बकाया राशि ₹2,550.49 लाख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋण की अनुमति निर्दिष्ट सीमा से अधिक, अर्थात् प्रतिभूति जमा की लगभग 6.57 गुना तक दी गई है। यह राशि 30.06.2025 को घटकर ₹1,370.45 लाख हो गई है, जो कि धारित प्रतिभूति जमा की लगभग 3.53 गुना है।</td><td></td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>नोट 14: नकद और बैंक शेष राशि 3903.08 लाख रुपये</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>नीचे उल्लिखित 6 खातों को निष्क्रिय (डॉर्मेंट) घोषित किया गया है। इन खातों को पुनः सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है तथा इनमें दीर्घ अवधि से निष्क्रिय रूप से पड़ी ₹4.15 लाख की राशि के दृष्टिगत, इन खातों को बंद किए जाने हेतु प्रबंधन से समुचित स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उक्त निधि लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी हुई है।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>खाता बही कोड संख्या</th><th>बैंक का नाम</th><th>राशि (लाख रुपये में)</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0441212242114500000</td><td>यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, नामरूप शाखा।</td><td>0.31</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>044121260218420000</td><td>केपीएलओ (बीवीएफसीएल) कोलकाता</td><td>0.58</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>044121272114510000</td><td>पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड</td><td>2.06</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>044121290218420000</td><td>केपीएलओ (बीवीएफसीएल) कोलकाता</td><td>0.07</td><td></td></tr>
</table></td><td>प्रबंधन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और आगामी बोर्ड की बैठक में बोर्ड की मंजूरी के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक खातों को बंद करने के लिए बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य है। निष्क्रिय खाते वित्त वर्ष 2025-26 में बंद कर दिए जाएंगे।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>apparent from the outstanding in Trade Receivables account ₹25201.57 lakhs against which provision made is ₹96.73 Lakhs.

As per the Credit Policy "Total credit period offered to Dealers/Retailers should not exceed 60 days from the date of Invoicing in case of trading products." As per the Ageing provided to us, Dealers having balance outstanding as on 31st march, 2025, with no SD or PDC for more than 60 days is ₹520.23 lakhs.

As per the Credit Policy, "Every Dealer/Retailer is offered with Secured Credit and Open Credit in a proportion of 1:3. Secured credit is to the extent of Security Deposit offered. Any Credit given beyond the Security Deposit is Open Credit. Open Credit is secured through a Post-Dated Cheque collected from the Dealer." However, in actual practice, it has been observed that balances of dealers with No PDC as on 31 March, 2025 is ₹2550.49 lakhs, thus credit is allowed more than the specified limit of 3 times the security deposit which is practically 6.57 times of the security Deposit. This has been reduced to ₹1370.45 Lacs as on 30.06.2025 which is around 3.53 times of the security deposit held.</td><td>Though there were total OS of Rs 3503.98 lakh and OS for more than six months was 574.92 lakhs as on 31.03.2025 it has reduced to Rs 1627.37 lakh and Rs 510.17 lakhs respectively as on 30.06.2025. Also, the OS ageing more than 60days is less than 3 times of SD as on 30.06.2025.</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>NOTE 14: CASH AND BANK BALANCES Rs. 3903.08 Lakhs</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>The undernoted 6 numbers of accounts have turned doormat, the same are required to be revived and due approval from the management is to be sought for closure of these accounts as the fund are lying idle Rs. 4.15 Lacs since long

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>LEDGER CODE NO.</th><th>BANK NAME</th><th>AMOUNT ₹ in lakhs</th><th>RE-MARKS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0441212242114500000</td><td>United Commercial Bank, Namrup Br.</td><td>0.31</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>044121260218420000</td><td>K P L O (BVFCL) Kolkata</td><td>0.58</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>044121272114510000</td><td>Punjab National Bank Ltd</td><td>2.06</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>044121290218420000</td><td>K P L O (BVFCL) Kolkata</td><td>0.07</td><td></td></tr>
</table></td><td>The management has already initiated necessary action and an agenda for approval of the Board will be presented in the ensuing meeting of the BOD . The approval of the board is essential for the closure of the bank accounts. The dormant accounts will be closed in FY 25-26.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>5</td><td>234122114122110000</td><td>सिंडिकेट बैंक संग्रह खाता गुवाहाटी</td><td>0.91</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>234122014122010000</td><td>यूको बैंक खाता, नामरूप।</td><td>0.22</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल</td><td>4.15</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td>नोट 15: अल्पकालिक ऋण और अग्रिम: 10753.28 लाख रुपये</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
(क) जीएसटीआईएन के अनुसार जीएसटी इनपुट शेष राशि ₹9,910.83 लाख है, जबकि लेखा पुस्तकों के अनुसार यह ₹8,800.51 लाख है। इस प्रकार ₹1,110.32 लाख का अंतर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआईएन के अनुसार नकद लेजर में शेष राशि ₹98.93 लाख दर्शाई गई है, जबकि लेखा पुस्तकों में यह ₹113.93 लाख है। उक्त असमिलित अंतर का कंपनी के लाभ एवं हानि खाते अथवा परिसंपत्तियों/दायित्वों पर पड़ने वाला प्रभाव निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।
(ख) इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के अनुसार, उन मामलों में अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापसी (रिफंड) का प्रावधान है, जहाँ इनपुट पर लागू कर की दर, आउटपुट आपूर्ति पर लागू कर की दर से अधिक होने के कारण कर क्रेडिट का संचय होता है, अर्थात् उलटा शुल्क संरचना की स्थिति में। ऐसे रिफंड का दावा करने की समय-सीमा, उस अवधि के लिए धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से दो वर्ष है, जिस अवधि में रिफंड का दावा उत्पन्न होता है।
तथापि, कंपनी द्वारा आज तक जीएसटी रिफंड का कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट कर क्रेडिट के रूप में धनराशि अवरुद्ध बनी हुई है, जिसे कंपनी द्वारा भविष्य में भी समायोजन हेतु उपयोग किए जाने की संभावना सीमित है।
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>चार साल से अधिक समय से बकाया (लाख रुपये में)</th><th>टिप्पणी</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विस लिमिटेड</td><td>89.49</td><td rowspan="2">संबंधित पक्ष से पुष्टि पत्र मांगा जाना चाहिए और तदनुसार समायोजन किया जाना चाहिए।</td><td rowspan="2">मिलान हो गया है। (पीओ संख्या एएन/2017/66 सीपीपी-603/247 /वीकेटी/ 0494 दिनांक 14-12-17 के विरुद्ध राशि का समायोजन नहीं हुआ है और एमएम विभाग के साथ इस विषय पर चर्चा की जानी है। लंबे समय से बकाया राशि का समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है।)</td></tr>
<tr><td>बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विस लिमिटेड</td><td>0.43</td></tr>
</table>
</td>
<td>1110.32 लाख रुपये के अंतर में से 1063.79 लाख रुपये अनुदान व्यय से संबंधित हैं और इन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में उलट दिया गया है। शेष 46.53 लाख रुपये का अंतर उन क्रेडिट से संबंधित है जो GSTIN में उपलब्ध हैं लेकिन जिनका चालान चालू वित्तीय वर्ष में संसाधित किया जाना है। GSTIN और बहीखातों के नकद खाता शेष में 15.00 लाख रुपये का अंतर चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक पुराना मामला है जिसका मिलान चल रहा है और उचित औचित्य के साथ समायोजन प्रविष्टियाँ चालू वित्तीय वर्ष में दर्ज की जाएंगी।</td>
</tr>
</table>

5	234122114122110000	Syndicate Bank Collection a/c Guwahati	0.91	
6.	234122014122010000	UCO BANK A/C, Namrup.	0.22	
		TOTAL	**4.15**	

3.5 **NOTE 15: SHORT TERM LOANS AND ADVANCES: Rs. 10753.28 Lakhs**

a) GST input balance as per GSTIN is ₹9910.83 lakhs whereas as per the books of accounts it is ₹8800.51lakhs, there is a difference of ₹1110.32 lakhs. Further, the cash ledger as per GSTIN shows ₹98.93 lakhs whereas in books it is ₹113.93 lakhs. The impact of this unreconciled difference on the Profit & Loss or assets/liabilities of the company is not ascertainable

b) Further, as per sub-section (3) of section 54 of CGST Act, 2017, which provides for the refund of unutilized input tax credit in cases where credit is accumulated on account of rate of tax of inputs being higher than the rate of tax on output supplies i.e. on account of inverted duty structure. The time period for claiming refund of the same is 2 years from the due date of furnishing return u/s 39, for the period in which such claim from refund arises. However, no claim has been filed by the Company till date for the refund of the GST amount and as a result funds are being blocked as Input Tax Credit which may not be used by the company for set off in distant future

Out of the difference of Rs.1110.32 lakhs Rs. 1063.79 lakhs pertains to grant expenditure and the same has been reversed in the F.Y. 2024-25.. The balance difference of Rs. 46.53 lakhs refers to credits which are available in the GSTIN but the invoice of which is to be processed in the current financial year. With regard to the difference of Rs.15.00 lakhs in the cash ledger balance of GSTIN and books the same is not in respect of the current financial year but legacy issue for which reconciliation is under way and the adjustment entries with due justification will be booked in current financial year

Advance to Suppliers includes:

PARTICULARS	Outstanding for more than 4 years (₹ in lakhs)	REMARKS	Management Reply
BHEL GE Gas Turbine Service Ltd	89.49	Confirmation statement to be asked for from party and adjustment should be made like wise.	Reconciliation done. (Amount unadjusted against PO no. AN/ 2017/ 66CPP-603/ 247/VKT/ 0494 dt. 14-.12.17 & points to be discussed with MM department. Long outstanding unadjusted amount try to reconcile.
BHEL GE Gas Turbine Service Ltd	0.43		

फ्लोसर्व सैनमार लिमिटेड, चेन्नई	5.24	खाते में लेन-देन तो दिख रहा है, लेकिन प्रारंभिक शेष राशि में कोई समायोजन नहीं हुआ है। संभवतः ऐसी प्रविष्टियाँ खाते में अपडेट नहीं की गई हैं।	आगे मिलान करने के लिए संबंधित पक्ष से खाता विवरण का अनुरोध किया गया है। विवरण प्राप्त होने पर मिलान किया जाएगा।
08420102 14060500 00 एनएफ रेलवे तिनसुकिया	18.51	पीओ आदेश संख्या एएन/2024/61-01/144/ एसएमबी/107 दिनांक 22.11.2024 के तहत 48.34 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान 100% किया जा रहा है। इसी आधार पर, पहले दिए गए 18.51 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान में आज तक कोई समायोजन नहीं किया गया है।	यह पीओ संख्या एएन/18/61-03/9007/ वीकेटी/012 दिनांक 10.04.2018 के विरुद्ध एक असमायोजित राशि है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए एमएम को भेजा जा रहा है।.
जॉन क्रेन सीलिंग सिस्टम लिमिटेड	6.34	पीओ आदेश संख्या एएन/2023/ 66 सीपीपी-804/229/ जेएस/207 दिनांक 07.02.2024 एलएससी – 1153 दिनांक 10.06.2024 के तहत 2.69 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान 100% किया जा रहा है। इसी आधार पर, पहले दिए गए 6.34 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान में अभी तक कोई समायोजन नहीं किया गया है।	बकाया राशि एक पूर्व-निर्धारित बकाया है जिसके लिए अभिलेखों का उचित सत्यापन आवश्यक है। आवश्यक सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कुल	**120.01**		

खातों के मिलान और जांच की प्रक्रिया चल रही है और इसके वित्त वर्ष 25-26 में पूरा होने की उम्मीद है।

Flowserve SanMar Ltd, Chennai	5.24	-do-, transaction is seen in the account but the opening balance remains un-adjusted. Possibly such entries are not updated in the account.	Requested to the party for account statement for further reconciliation. On receipt of the same reconciliation will be made.
08420102 14060500 00 NF Railway Tinsukia	18.51	Advances 100% being made against P.O. Order no.AN/2024/ 61-01/144/ SMB/107 DT. 22.11.2024 ₹48.34 Lakhs. On the same footing the earlier advance of ₹18.51 Lacs till date no adjustment has been made.	It is an unadjusted amount against PO no. AN/18/61-03/9007/VKT/012 dt. 10.04.2018 and is being forwarded to MM for further action.
John Crane Sealing system Ltd.	6.34	Advances 100% being made against P.O. Order no. AN/2023/ 66CPP-804/ 229/ JS/207 DT. 07.02. 2024 LSC –1153 DT.10.06. 2024 ₹2.69 Lakhs. On the same footing for the earlier advance of ₹6.34 Lacs till date no adjustment has been made.	The outstanding amount is a legacy balance which needs proper verification of the records. After necessary verification necessary action with due pproval of competent authority will be taken.
Total	**120.01**		

चार वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के संबंध में, उचित विवरणों के अभाव में खातों को अद्यतन नहीं किया गया है, जो ऊपर उल्लिखित विवरणों से स्पष्ट है। संदिग्ध अग्रिमों के लिए 84 खातों के लिए 34.90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो उपरोक्त खातों का हिस्सा नहीं हैं। उपरोक्त प्रविष्टियों की गहन जांच की जानी चाहिए और तदनुसार, पूंजीगत या राजस्व व्यय के रूप में पूर्व अवधि के खातों में उनके प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए।

ii) अन्य अग्रिमों में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही हैं और जिनका समायोजन नहीं हुआ है। इनकी गहन जाँच-पड़ताल आवश्यक है और खातों में इनकी वसूली या प्रावधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। इनकी वसूली या समायोजन की पहल को प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिसका स्रोत अग्रिमों के खातों का नियमित रूप से अनुपालन और निपटान करना है।

विवरण	खाता कोड	दिनांक 31.03.2025 तक (लाख रुपये में)
बीवीएफसीएल नामरूप	145101	0.06
बीवीएफसीएल नामरूप	145169	1.52
बीवीएफसीएल नामरूप	145170	1.52
सब पोस्ट मास्टर, परबतपुर	425108	0.16
एचएफसी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य	135116	0.02
अन्य संस्थाएँ (3)	135115	0.58
क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त	145119	0.02
सीसीपीएफ तदर्थ कर्मचारी की वसूली	145153	0.06
अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क	135116	1.00
अन्य आपूर्तिकर्ता/जमा राशि		7.96
	कुल	**12.90**

चार वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के संबंध में, उचित विवरणों के अभाव में खातों को अद्यतन नहीं किया गया है, जो ऊपर उल्लिखित विवरणों से स्पष्ट है। संदिग्ध अग्रिमों के लिए 84 खातों के लिए 34.90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो उपरोक्त खातों का हिस्सा नहीं हैं। उपरोक्त प्रविष्टियों की गहन जांच की जानी चाहिए और तदनुसार, पूंजीगत या राजस्व व्यय के रूप में पूर्व अवधि के खातों में उनके प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए।

ii) अन्य अग्रिमों में निम्नलिखित शेष राशियाँ शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही हैं और जिनका समायोजन नहीं हुआ है। इनकी गहन जाँच की जानी आवश्यक है और खातों में इनकी वसूली या प्रावधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। इनकी वसूली या समायोजन की पहल को प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिसका स्रोत अग्रिमों के खातों का नियमित रूप से अनुपालन और निपटान करना है।

The advances outstanding for more than 4 years, due to the absence of proper details the accounts are not updated which is apparent from the details mentioned above. The provision for doubtful Advances is made for ₹34.90 lakhs against 84 accounts in full which are not part of the above accounts. The above entries should be scrutinized and accordingly their impact be taken in accounts as prior period or so in form of Capital or Revenue expenditure.

Other Advances includes the below mentioned balances which are appearing since last few years and are not adjusted which is required to be under scrutiny and necessary efforts to be made for such recovery or provisioning in accounts. Initiatives of recovery or adjustment of the same should be in limelight, of which source is regular follow up and squaring of the advance's accounts.

Particulars	A/C Code	As at 31.03.2025 (₹ in lakhs)
BVFCL Namrup	145101	0.06
BVFCL Namrup	145169	1.52
BVFCL Namrup	145170	1.52
Sub Post Master Parbatpur	425108	0.16
Principal HFC High School	135116	0.02
Recovery of CCPF Adhoc Employee	145153	0.06
Superintendent Central Excise	135116	1.00
Other Suppliers/ Deposits		7.96
	Total	**12.90**

The advances outstanding for more than 4 years, due to the absence of proper details the accounts are not updated which is apparent from the details mentioned above. The provision for doubtful Advances is made for ₹34.90 lakhs against 84 accounts in full which are not part of the above accounts. The above entries should be scrutinized and accordingly their impact be taken in accounts as prior period or so in form of Capital or Revenue expenditure.

Other Advances includes the below mentioned balances which are appearing since last few years and are not adjusted which is required to be under scrutiny and necessary efforts to be made for such recovery or provisioning in accounts. Initiatives of recovery or adjustment of the same should be in limelight, of which source is regular follow up and squaring of the advance's accounts.

कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का सारांश इस प्रकार है, जिनकी राशि 67.87 लाख रुपये है, जिसकी जांच की जानी है और कर्मचारियों से वसूल की जानी है तथा खातों में समायोजित किया जाना है।

क्रम संख्या	प्रगति की प्रकृति	शीर्षों की संख्या।	माला लाखों रुपये में	टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1	कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	291	33.76	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और यदि कोई बकाया राशि है तो उसे वसूल कर अद्यतन किया जाना चाहिए।	खातों की जांच चल रही है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
2	054211161 920030000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामरूप	1	4.50	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और उनका मिलान उन कर्मचारियों से किया जाना चाहिए जिन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।	वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3	05421130 2114510000 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1	5.51	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और उनका मिलान उन कर्मचारियों से किया जाना चाहिए जिन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।	वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4	14421127 1618180000 प्रधानाचार्य, एचएफसी हाई स्कूल	1	0.86	स्कूल के नियमितीकरण के लिए संबंधित प्रविष्टि।	प्रवेश प्रक्रिया को नियमित किया जाएगा और इसकी बुकिंग पूर्व अवधि में ही कर ली जाएगी।
5.	054211300 000000000 खाता प्राप्य (सेवानिवृत्त/ त्यागदाता)		1.52	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।	खातों की गहन जांच कर ली गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

Loans & Advances to Employees are summarised as under amounting to ₹ 67.87 lakhs which is to be scrutinised and adjusted or recovered from employees and adjusted in accounts.

Sl. No.	Nature of Advances	No. of heads.	Amount ₹ in lakhs	REMARKS	Management Reply
1	Advance to Employees	291	33.76	The accounts should be scrutinised and long outstanding if any should be recovered and updated.	The accounts are under scrutiny and a decision for necessary action will be taken as per the approval of the Competent Authority.
2	054211161 920030000 STATE BANK OF INDIA, NAMRUP	1	4.50	The accounts should be scrutinised and co-relate with the employees whom advances have been paid.	Necessary action will be taken in FY 25-26
3	05421130 2114510000 UNITED BANK OF INDIA	1	5.51	The accounts should be scrutinised and co-relate with the employees whom advances have been paid.	Necessary action will be taken in FY 25-26
4	14421127 1618180000 PRINCIPAL, HFC HIGH SCHOOL	1	0.86	Related entry for school to be regularised.	Entry will be regularised and the same will be booked in prior period.
5.	054211300 000000000 A/CS RECEIVABLE (RETIRED/ RESIGNED)		1.52	To be scrutinised and updated.	The accounts have been scrutinized and a decision for necessary action will be taken as per the approval of the Competent Authority.

6.	054211010 000000000 कर्मचारियों को अग्रिम (टीए)		3.58	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।	उल्लिखित अग्रिम राशि मानव संसाधन प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित अग्रिम भुगतान हैं और मासिक आधार पर वेतन से वसूल की जाती हैं। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने की स्थिति में, यह राशि उसके पूर्ण एवं अंतिम निपटान से वसूल की जाती है।
7.	0542110500 00000000 कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान (त्योहार)		17.09	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।	उल्लिखित अग्रिम राशि मानव संसाधन प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित अग्रिम भुगतान हैं और मासिक आधार पर वेतन से वसूल की जाती हैं। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने की स्थिति में, यह राशि उसके पूर्ण एवं अंतिम निपटान से वसूल की जाती है।
8.	144211080 056800000 उन्नत चिकित्सा (कर्मचारियों) के लिए उपचार		1.05	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।	ये अग्रिम राशि नियमित चिकित्सा अग्रिम राशि है जिसकी जाँच की जा चुकी है/जाँच के अधीन है और इसकी वसूली वेतन से या एमएटी नियमों के अनुसार पूर्ण एवं अंतिम निपटान द्वारा की जाएगी।
	कुल		67.87		

6.	054211010 000000000 ADVANCE TO STAFF (TA)		3.58	To be scrutinised and updated.	The advances mentioned are regular advances paid as per the HR practices and are recovered from the salary on monthly basis. In case an employee leaves it is recovered from his Full & Final settlement.
7.	0542110500 00000000 ADVANCE TO STAFF (FESTIVAL)		17.09	To be scrutinised and updated.	The advances mentioned are regular advances paid as per the HR practices and are recovered from the salary on monthly basis. In case an employee leaves it is recovered from his Full & Final settlement.
8.	144211080 056800000 TREATMENT TO ADVANCE MEDICAL (STAFF)		1.05	To be scrutinised and updated.	The advances are routine medical advance which are checked/ under checking and the same will be recovered from the salary or Full and Final settlement as per MAT rules.
	TOTAL		67.87		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>उत्पाद शुल्क एवं सरकारी अधिकारियों के पास जमा राशि 155.22 लाख रुपये, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को संबंधित खाते में समायोजित किया जाना आवश्यक है:
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>विवरण</th><th>राशि (रुपये में, लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बैंक से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस</td><td>139.36</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आयकर प्राधिकरण से प्राप्त होने वाला टीडीएस</td><td>14.05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क</td><td>1.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नाहरकटिया के कर अधीक्षक</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>155.22</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में अपवाद मदें:

विवाद के निपटारे पर दायित्व का त्याग 881.60 लाख रुपये।

गैस परिवहन का औपचारिक समझौता अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और असम गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा पहले विवादित अतिरिक्त बिल राशि की वापसी के लिए कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने परिवहन शुल्क के रूप में 881.60 लाख रुपये की वापसी को खाते में दर्ज कर लिया है। हमारी राय में, उचित लेखा दस्तावेज और समझौते के बिना बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर व्यय की वापसी सही नहीं है। परिणामस्वरूप, आय इस राशि से अधिक दिखाई गई है और देनदारियां कम दिखाई गई हैं।

हमने पाया है कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अप्रैल 2020 से मार्च 2024 की पूर्वावधियों से संबंधित 4617.83 लाख रुपये की देनदारी का त्याग कर दिया है। उक्त समायोजन चालू वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज कर लिया गया है।

इस संदर्भ में, हम भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 8 लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ / लेखा मानक (AS) 5 पूर्व अवधि मदें, असाधारण मदें एवं लेखा नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिनके अनुसार महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मदों का वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।

कंपनी द्वारा किए गए प्रकटीकरणों के आधार पर संबंधित वित्तीय प्रभाव को चालू वर्ष में मान्यता दी गई है। अतः इस विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।</td>
<td>मेसर्स एजीसीएल के साथ जीटीए समझौते के संबंध में देनदारियों के त्याग को रद्द करने का कारण मेसर्स एजीसीएल द्वारा मेसर्स बीवीएफसीएल के खिलाफ दायर किया गया दीवानी मुकदमा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित एमओएम की अवहेलना की गई है। उक्त दीवानी मुकदमा अप्रैल 2020 से अप्रैल 2024 तक के बकाया के संबंध में दायर किया गया है। इसलिए प्रबंधन ने एएस-1 के अनुपालन में आवश्यक समायोजन किया है। इसका विवरण पहले ही नोट 30(11) में प्रकट किया जा चुका है और लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः लेखापरीक्षा अनुच्छेद को हटा दिया जाए।</td>
</tr>
</table>

	The Deposit lying with Excise& Govt. Authorities ₹155.22 lakhs as detailed hereunder are required to be adjusted with relevant account: (see table below)	
	Exceptional items in Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March, 2025: Relinquishment of liability on settlement of dispute ₹881.60 lakhs' The formal gas transportation agreement is not yet signed and no credit note has been issued by Assam Gas Company Limited for the reversal of the earlier disputed excess billed amounts but the Company has accounted the reversal for an amount of ₹881.60 lakhs towards transportation charges. In our opinion the reversal of expenses based on minutes of meeting without proper accounting document and agreement in place is not correct. As a result, the income is shown excess by this amount and liabilities are shown less. We have noted that the Company in its Financial Statements have relinquishment the liability relating to April 2020 to March 2024 prior periods amounting to ₹4617.83lakhs. The said adjustment has been accounted for in the current year's Statement of Profit and Loss Account. In this regard, we draw attention to the requirements of Ind AS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) / AS 5 (Prior Period Items, Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies), which stipulate that material prior period items should be separately disclosed in the financial statements. Based on the disclosures made by the Company and the financial impact has been recognized in the current year. Accordingly, our opinion is not modified in respect of this matter.	The reversal of relinquishment of liabilities in respect of GTA agreement with M/S AGCL is on account of the filling of civil suit by M/S AGCL against M/S BVFCL disregarding the MOM signed between the two parties. The said Civil suit has been filed in respect of the dues from April 2020 to April 2024. Hence the management has made the necessary adjustment in compliance with AS-1. The details in this have already been disclosed at Note 30(11) and acknowledged by audit. Hence the audit para may please be dropped. Hence the audit para may please be dropped.

Sl. No.	Particulars	Amount (₹)in Lakhs.)
1	TDS on Interest from Bank	139.36
2	TDS receivable from IT Authority	14.05
3	Customs and Central Excise	1.21
4	Superintendent of Taxes Naharkatia	0.60
	Total	**155.22**

3.6	**अन्य अवलोकन:**	
	(i) सीएजी द्वारा दी गई लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, बीवीएफसीएल के पास कुल 2740 क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2485 क्वार्टर उपयुक्त पाए गए और 255 क्वार्टर अनुपयुक्त घोषित किए गए। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन क्वार्टरों का किराया एक दशक पहले तय किया गया था। किराए के निर्धारण के समर्थन में 3 दिसंबर 2010 को आयोजित दूसरी टाउनशिप अनुशासन समिति (टीडीसी) की बैठक के कार्यवृत्त के रूप में एकमात्र उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। टीडीसी बैठक के अनुसार, किराया प्रत्येक तीन वर्ष में संशोधन के अधीन था, जो मार्च 2025 तक संशोधित नहीं किया गया था। निगम के गैर-कर्मचारी, जो बीवीएफसीएल के क्वार्टरों का उपयोग करते हैं, 770 रुपये से 1200 रुपये तक का मासिक किराया देते हैं, जिसे 2010 में संशोधित किया गया था। तब से, किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। किराए में संशोधन न होने से कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा है।	उपरोक्त टिप्पणी को सी एंड एजी ने अपनी लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पहले ही उठाया है और सी एंड एजी को दिया गया उत्तर भी वैधानिक लेखापरीक्षा को प्रदान किया जा चुका है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अतः लेखापरीक्षा संबंधी अनुच्छेद को हटा दिया जाए।
	(ii) कंपनी (बीवीएफसीएल) ने अपने यूरिया के विपणन के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के साथ विपणन समझौता किया है और एनएफएल को 100 लाख रुपये की बैंक गारंटी दी है। समझौते के अनुसार, बीवीएफसीएल एनएफएल द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की बिक्री को अपने खुदरा विक्रेताओं द्वारा पीओएस के माध्यम से सुनिश्चित करेगी, उन मात्राओं के लिए जो पीओएस के माध्यम से नहीं बेची गई हैं और थोक विक्रेताओं/सह-खुदरा विक्रेताओं द्वारा आईएफएमएस में स्वीकार नहीं की गई हैं। इसके अलावा, यदि सहमत शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को देय भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित देय दिनांक पर प्रचलित एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर से 1% अधिक ब्याज लगाया जाएगा। यूरिया के बकाया पीओएस स्टॉक के कारण एनएफएल ने 13.03.24 को 235.29 लाख रुपये की बैंक गारंटी रद्द कर दी और विलंबित भुगतान पर 37.83 लाख रुपये का ब्याज भी लगाया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में एनएफएल ने बैंक गारंटी को फिर से रद्द करके 500 लाख रुपये की वसूली की, लेकिन कंपनी ने केवल 27.89 लाख रुपये का ब्याज वसूल किया है और शेष 9.94 लाख रुपये अभी तक वसूल नहीं किए गए हैं। कंपनी को एनएफएल के साथ अपने खाते का निपटारा करना चाहिए। विपणन विभाग को अपनी संग्रह गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है ताकि बहुमूल्य धनराशि अवरुद्ध न हो और समझौते की शर्तों और नियमों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का ठीक से आकलन करने के बाद ही किसी अन्य कंपनी के उत्पादों के विपणन पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।	विपणन विभाग से प्राप्त नहीं हुआ

3.6	**OTHER OBSERVATIONS:**	
	i) As per the Transaction Audit Report given by CAG, a total of 2740 nos. of quarters are available with BVFCL out of which 2485 nos. of quarters were fit and 255 quarters have been declared unfit. As per the information provided by the management, the rent for these quarters was fixed a decade back. The only available document in form of minutes of 2nd Township Discipline Committee (TDC) meeting held on 03.12.2010 was provided in support of fixed rent. As per the TDC meeting, the rent was subject to revision after every three years, which was still not revised till March 2025. The outsiders i.e. non-employees of the corporation who avail quarters of BVFCL, pay monthly rent ranging from ₹770/- to ₹1200/- which was revised during 2010. Since then, the rent was not revised. Non revision of rent results in loss of revenue to the company.	The above observation has already been raised by the C&AG in its transaction audit report and the reply furnished to the C&AG has also been provided to the statutory audit and there is no change in the same. Hence the audit para may please be dropped.
	ii) The Company (BVFCL) has entered into marketing agreement with the National Fertiliser Limited (NFL) for marketing its urea and gave NFL bank guarantee amounting to ₹100lakhs. As per the agreement BVFCL will also ensure sale of fertilizers supplied by NFL by its retailers, through POS, for the quantities not sold through POS and not acknowledged by wholesalers/Co retailers in IFMS. Further, in case the payment due against suppliers made as per the agreed terms is not received within the stipulated period, interest 1% above the one-year SBI MCLR prevailing on relevant due date shall be charged. As there was un-cleared POS stock of urea NFL revoked the bank guarantee on 13.03.24 amounting to ₹235.29 lakhs and also levied interest of ₹ 37.83 lakhs for delayed payment. Further, in April 2024 another ₹500 Lakhs were collected by NFL by further revoking the bank guarantee but the company has recovered interest of ₹27.89 Lakhs and the balance ₹9.94 Lakhs yet to be collected. The company should settle its accounts with NFL. The marketing department needs to ramp up its collection activities so that the precious funds are not blocked and should take wise decision on marketing the products of another company after properly vetting its own capacities to meet the agreement terms and conditions.	Not received from Marketing department

4	**निरंतर व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता**	
	कंपनी की कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि कंपनी की कुल संपत्ति ऋणात्मक होकर 48064.34 लाख रुपये रह गई है। कंपनी की शेयर पूंजी 36583.24 लाख रुपये है, जबकि उस पर 84647.58 लाख रुपये का संचित घाटा है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी की संपत्ति में गिरावट आने से कंपनी का संचालन बंद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। समर्थन जारी रहेगा और कंपनी आने वाले वर्षों में पुनरुद्धार और अंततः सुधार के पथ पर अग्रसर होने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।	प्रबंधन ने निम्नलिखित प्रमुख कारकों के आधार पर कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन किया है: वित्त मंत्रालय (डीओएफ) ने अनुदान सहायता के रूप में कंपनी के निरंतर उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कंपनी ने इस राशि का अधिकांश हिस्सा उपयोग कर लिया है और जनवरी 2025 से उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त कुल 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता में से 92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह राशि संयंत्र को उसकी अधिकतम क्षमता पर चलाने के लिए आवश्यक प्रमुख मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर खर्च की गई। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है और संयंत्र बिना किसी बड़ी खराबी के सुचारू रूप से चल रहा है। अगस्त 2025 के अंत तक कुल उत्पादन 123450 मीट्रिक टन रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त उत्पादन का 66% है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापारिक गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और यह पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 360 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। अतः, व्यापारिक उत्पादों से प्राप्त मार्जिन में समग्र रूप से वृद्धि होगी, जिससे लाभप्रदता में योगदान मिलेगा। कंपनी पारादीप बंदरगाह (पूर्वी भाग) में अधिक आवंटन के लिए प्रयासरत है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप डीओएफ से आयातित यूरिया जहाजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे कंपनी के लाभ मार्जिन में और सुधार होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पारादीप बंदरगाह में केवल 1.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 3.00 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित होने की उम्मीद है (अब तक पीआईसीटी में लगभग 1.34 लाख मीट्रिक टन कार्गो प्राप्त हो चुका है)। इसके अलावा, कंपनी किसी भी महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशि के भुगतान में चूक नहीं कर रही है। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र नामरूप में कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित है और पूर्वोत्तर में यूरिया का उत्पादन करने वाली कोई अन्य कंपनी नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नामरूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसमें बीवीएफसीएल की उपयोगी परिसंपत्तियों के बदले 11% इक्विटी हिस्सेदारी है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन सुधार और अंततः सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है। अतः लेखापरीक्षा संबंधी अनुच्छेद को हटा दिया जाए।

4	**Material Uncertainty Related to Going Concern**	
	The net worth of the Company has been totally eroded, as the net worth of the Company is negative at ₹48064.34 Lakhs. The company is having accumulated losses to ₹84647.58 Lakhs against its Share Capital of ₹36583.24 Lakhs. Though the management says it has no intention to cease the operation of the company because of erosion of net worth being a government company. The support will continue and the company shall make every effort to revive in the coming years it is on the path of recovery and eventual turnaround.	The management has assessed the company's ability to continue as a going concern based on the following key considerations: DOF have provided financial support to meet sustained production of the company in form of Grant In Aid. The company has utilised the major portion of the amount and visible improvements can be seen in the production since January 2025. During the F.Y. 2024-25, an amount of Rs. 92. Crores has been spent out of the total GIA of Rs. 100.00 crores received from GoI. The said amount was spent to carry out major repairs and maintenance necessary to run the plant at its optimum capacity. This has resulted in increased output and proper running of the plant with any major break down. The total production achieved till the end of August 2025 is 123450 MT which is 66% of the production achieved in the F.Y. 2024-25. Further the trading activity is expected to see significant jump in FY 25-26 as compared to past few years and is expected to grow atleast to Rs.360.00 crores compared to previous year. Hence, the margins from trading products are set to increase in totality contributing to its profitability. The company is putting its efforts for higher allocation in the Paradeep Port (eastern part) and its efforts of has resulted in allocation of higher number of imported urea vessels from DOF which will further improve the margins of the company. During the FY 2024-25 only 1.15 LMT urea was allocated in Paradeep port whereas during the FY 2025-26 approx. 3.00 LMT urea is expected to be allocated (Till date approx 1.34 LMT cargo received at PICT). Further the company is not in default on any critical statutory dues.

	इसके अलावा, कंपनी किसी भी महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशि के भुगतान में चूक नहीं कर रही है। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र नामरूप में कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित है और पूर्वोत्तर में यूरिया का उत्पादन करने वाली कोई अन्य कंपनी नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नामरूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसमें बीवीएफसीएल की उपयोगी परिसंपत्तियों के बदले 11% इक्विटी हिस्सेदारी है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन सुधार और अंततः सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है। अतः लेखापरीक्षा संबंधी अनुच्छेद को हटा दिया जाए।	
5.	**विशेष महत्व का विषय: {क्रम संख्या 5.1 से 5.2 (ए से डी)}**	
5.1	**5.1 नोट 13 व्यापार प्राप्य: 25201.57 लाख रुपये**	
	ए) कंपनी की कुल व्यापारिक देयताएँ ₹25,298.30 लाख हैं, जिनके विरुद्ध लेखा पुस्तकों में ₹96.73 लाख का प्रावधान किया गया है। हमारे अवलोकन में आया है कि कंपनी द्वारा खराब एवं संदिग्ध देयों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। उपार्जन आधारित लेखांकन (Accrual Accounting) में, संभावित खराब देयों के लिए व्यय की मान्यता प्रावधान के माध्यम से की जाती है। यह प्रावधान ग्राहकों को बिल जारी किए जाने के समय ही किया जाता है, न कि उस समय प्रतीक्षा की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि कौन-से बिल वसूल न हो पाने योग्य हैं।	विपणन विभाग 5% बकाया राशि के भुगतान हेतु वित्त मंत्रालय को पत्र भेज रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। नवीनतम पत्र संलग्न है।
	1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार प्राप्य राशि का आयुवार विवरण दर्शाता है कि 1097.48 लाख रुपये दो वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जिसमें जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि के लिए एफआईसीसी, डीओएफ से प्राप्त सब्सिडी के 5% शेष दावे (694.31 लाख रुपये) शामिल हैं। यह त्रुटि पाई गई है कि नवंबर 2012 से अक्टूबर 2013 के महीनों में आईएफएमएस में गलत डेटा दर्ज किया गया है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। 694.31 लाख रुपये के भुगतान के लिए आईएफएमएस में बिल जारी करने हेतु नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है।	अधिकांश व्यापार प्राप्य राशियाँ या तो प्रतिभूति सुरक्षा (SD) या प्राप्य वितरण (PDC) द्वारा सुरक्षित हैं। 31.03.2025 तक 1135.87 लाख रुपये की प्राप्य राशि असुरक्षित है और प्रबंधन उन डीलरों से SD/PCS की वसूली कर रहा है जिन्होंने SD/PCD जमा नहीं किया है। यद्यपि 31.03.2025 तक कुल बकाया राशि 3503.98 लाख रुपये थी और छह महीने से अधिक की बकाया राशि 574.92 लाख रुपये थी, जो 30.06.2025 तक घटकर क्रमशः 1627.37 लाख रुपये और 510.17 लाख रुपये रह गई है। साथ ही, 30.06.2025 तक 60 दिनों से अधिक की बकाया राशि प्रतिभूति सुरक्षा राशि के तीन गुना से कम है। केएसके से प्राप्त होने वाली 127.97 लाख रुपये की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि केएसके से सभी सामग्री अंतिम उपभोक्ता (किसानों) को नकद भुगतान पर बेची गई थी, इसलिए बकाया राशि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संबंधित डीलर कोड को वसूली के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा सका क्योंकि यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि किस केएसके से राशि बैंक में जमा की गई थी।

	The manufacturing plant of the company is situated in Namrup near the Raw material source and further there is no other manufacturing company in North East to manufacture Urea. Further, the Union Cabinet has already approved the establishment of a new urea plant at Namrup through a JV company in which BVFCL is having 11% equity share in lieu of usable assets. From the above it is clear that the financial performance of the company in the coming years is on the path of recovery and eventual turnaround.Hence the audit para may please be dropped.	
5.	**MATTER OF EMPHASIS: {Sl. No. 5.1 to 5.2(A to D)}**	
5.1	**5.1 NOTE 13 TRADE RECEIVABLE: ₹ 25201.57 Lakhs**	
	a) The total trade receivables of the company are₹25298.30 lakhs against which a provision of ₹96.73 Lakhs has been recorded in the books of accounts. We observed that the company has not made adequate provisioning for Bad and doubtful debts. In accrual accounting, businesses use the provision to recognize an item of expenditure for potential bad debts. They do this as soon as bills are given to customers instead of waiting to determine which bills are unrecoverable. i) Age wise break-up of trade receivables for the F.Y. 2024-25 shows ₹1097.48 lakhs as outstanding for more than 2 years which includes 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017 amounting to*₹694.31lakhs from FICC, DOF. An error has been identified that wrong data has been entered in IFMS in the months of Nov.12 to Oct. 2013which needs to be corrected but the same has not been done till date. It requires regular follow up to the Bill to be generated at IFMS for payment of ₹694.31 lakhs.	Marketing department is sending letters to DOF for release of 5% balance claim but till date we have not received directive to resolve the same. The latest communication is attached herewith.
	Trade Receivables others, include Sundry debtors' sales (Marketing) ₹3503.98 lakhs against which the company has ₹387.97 lakhs as cash security deposits and post-dated cheques for₹ 953.49 lakhs. The balance ₹2162.52 lakhs are unsecured. Further, ₹574.92 lakhs is outstanding for more than six months from the date they were due for payment; however, the company has not created a provision for doubtful debts.	Most of the Trade receivables are either secured by SD or PDC. Receivable of Rs 1135.87 lakh is unsecured as on 31.03.2025 and management is in the process of collecting SD/PCS from those dealers who have not submitted SD/PCD. Though there was total OS of Rs 3503.98 lakh and OS for more than six months was 574.92 lakhs as on 31.03.2025 it has reduced to Rs 1627.37 lakh and Rs 510.17 lakhs respectively as on 30.06.2025. Also, the OS aging more than 60days is less than 3 times of SD as on 30.06.2025.

	ii) व्यापार प्राप्य (अन्य) में विविध देनदारों की बिक्री (विपणन) 3503.98 लाख रुपये शामिल हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी के पास 387.97 लाख रुपये नकद सुरक्षा जमा और 953.49 लाख रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक हैं। शेष 2162.52 लाख रुपये असुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, 574.92 लाख रुपये का भुगतान देय दिनांक से छह महीने से अधिक समय से बकाया है; हालांकि, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।	
5.2	**(बी) नोट 18 अन्य आय 5138.72 लाख रुपये (जिसमें विविध आय के अंतर्गत 182.04 लाख रुपये शामिल हैं)**	
	i) किराया, लाइसेंस शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क आदि से 274.89 रुपये प्राप्त हुए: हमने इन रसीदों के विवरणों का सत्यापन किया है और पाया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड और वित्त विभाग द्वारा रखे गए विविध देनदारों के खाते में विसंगति है। सभी किराए विविध देनदारों के खातों में जमा किए जाते हैं और प्राप्तियां महीनों और वर्षों तक जारी रहती हैं। कंपनी को प्राप्तियों के भुगतान के प्रत्येक चरण पर, जल्द से जल्द, जांच बिंदु बनाए जाने चाहिए। कंपनी के नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए, प्राप्तियों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने हेतु जांच बिंदु स्थापित करने के लिए प्रबंधन विश्लेषण हेतु एक संक्षिप्त प्रस्तुति नीचे दी गई है।	प्रशासन विभाग द्वारा कोड संख्या 134011020000000000 के संबंध में प्रदान किया गया डेटा पूरी तरह से बाहरी किराए से संबंधित है, हालांकि टैली में 134011020000000000 के संबंध में दिखाया गया डेटा गेस्ट हाउस, कर्मचारियों की मानव संसाधन वसूली, अंतिम निपटान आदि को भी शामिल करता है। साथ ही, संबंधित कोड के लिए 1.98 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है। प्रावधान को बट्टे खाते में डालने/वापस लेने का निर्णय पूरी तरह से प्रबंधन पर निर्भर करता है और संबंधित कोड को सामान्य खाते में समायोजित किया जाएगा। यदि कोई मामूली अंतर होता है, तो उसे चालू वर्ष में सुधार कर समायोजित किया जाएगा।

	ii) Sundry Debtors sales (Marketing) ₹3503.98 lakhs include receivable of ₹127.97 lakhs from Kisan Suvidha Kendra (KSK)- There are nine KSK managed by the company in Marketing department since 2016 and there is receivable of ₹127.97 lakhs against these. The realization made from these KSKs was not regularly deposited or properly accounted for and thus these accounts are outstanding. Normally there should not have been any balance outstanding. No provision for doubtful debts has been made though the balance is more than 5 years old. This observation has been made in the Audit Report for the Previous financial years 2022-23 and 2023-24 and no payments have been received during the financial year 2024-25. No confirmation has been obtained from such parties and put for our verification. The initiative for recovery is to be taken seriously as per legal compliance.	The rationale behind the adjustments has already been disclosed in detail at Note 30(10),30(11),30(12) by management.
5.2	**(B) NOTE 18 Other Income ₹5138.72 Lakhs (which includes ₹182.04 lakhs under Miscellaneous income)**	
	Rent, Licence fee, Electricity and Water charges etc. received ₹274.89: We have verified the details of such receipts and observed that, there is a mismatch with the records maintained by Administrative Department and the Sundry Debtors Estate account maintained by the Finance Department. All rentals are debited to Sundry Debtors Estate accounts and the receivables are being continued months and years together. Check points should be created at every point that the receivables are being paid to the company at the earliest check points. A brief presentation is depicted hereunder for management analysis to set up a check points that such receivables stand at a minimum level to enhance the cash flow of the company.	The data provided by the admin dept.w.r.t code no.134011020000000000 is exclusively related to outsider's rental however data shown in Tally w.r.t 134011020000000000 includes Guest house, employees HR recovery,final settlement and also there is provision of Rs.1.98 crore against respective code and decision regarding provision to be write off/back is solely depends on management and after respective code will be t/d to common ledger. And in case if there is any minor difference then the same will be rectified and reconciled in the current year.

क्रम संख्या	वित्त विभाग के साथ लेन-देन	प्रारंभिक बकाया राशि (लाख रुपये में)	प्राप्तियां (लाख रुपये में)	स्थानांतरण (लाख रुपये में)	दिनांक 31.03.2025 तक बकाया राशि (लाख रुपये में)
1	विविध देनदारों का संपत्ति खाता (गेस्ट हाउस को छोड़कर)	84.00	743.56	232.60	594.96

प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड और वित्त विभाग द्वारा रखे गए खाते पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। इस अंतर का मिलान करना आवश्यक है। प्रशासनिक विभाग का प्रारंभिक शेष सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए अंतरों की पहचान नहीं हो सकी। प्रशासनिक विभाग के अनुसार संपत्ति प्राप्य का अंतिम शेष 632.26 लाख रुपये था, जबकि वित्त विभाग के अनुसार यह 594.96 लाख रुपये था। 37.30 रुपये के अंतर का मिलान करना आवश्यक है। संपत्ति विभाग (प्रशासनिक) के रिकॉर्ड का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	इकाइयों की संख्या	इकाई का प्रकार	दिनांक 31.03.2025 को बकाया राशि (लाख रुपये में)
1	102	बीवीएफसीएल क्षेत्र	207.58
2	12	मछली की दुकानें	6.11
3	3	मांस की दुकानें	2.46
4	136	विविध दुकानें	7.66
5	34	पुक्का दुकानें	0.79
6	1658	तिमाही	360.96
7	1	सेक्टर ए	0.22
8	7	सेक्टर डी	46.00
9	25	सब्जी की दुकानें	.48
	1978		**632.26**

हमने पाया कि उपरोक्त बकाया राशि कुल मिलाकर तुलन पत्र की दिनांक तक 632.26 लाख रुपये बकाया हैं, जिसमें से एक बड़ी राशि कई वर्षों से बकाया है। कंपनी ने इन लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त और समय पर कदम नहीं उठाए हैं, न ही उसने डिफ़ॉल्ट करने वाले किरायेदारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

इसके अलावा, खातों में इन बकाया राशियों की वसूली न होने की संभावना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो हमारी राय में बकाया राशि की अवधि और वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए आवश्यक हो सकता है। इससे चालू परिसंपत्तियों और मुनाफे का मूल्य ऐसी अनिर्धारित राशियों के अनुपात में अधिक दिखाया जा सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी सभी किराये की प्राप्तियों की तत्काल समीक्षा करे, कानून के अनुसार वसूली या बेदखली की कार्यवाही शुरू करे और लागू लेखा मानकों के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान करे।

Sl. No.	Transactions with Finance Department	Opening Balance Outstanding (₹In lakhs)	Receipts (₹In lakhs)	Transfers (₹. In lakhs)	Balance Outstanding as on 31.03.2025 (₹In lakhs)
1	Sundry Debtors Estate Account (Excluding Guest House)	84.00	743.56	232.60	594.96

As per record maintained by the Administrative Department and the account maintained by the Finance Department do not tally in toto. This variation needs to be reconciled. The opening balance of Administrative Department was not put up for our verification and as such the differences could not be identified. The closing balance as per Administrative Department of the Estate receivable was ₹ 632.26 Lakhs whereas as per the Finance Department ₹ 594.96 lakhs. The difference of ₹ 37.30 needs to be reconciled. The summary of record of the Estate Department (Administrative) is summarized here under:

Sl. No.	No. of Units	Type of Unit	Balance O/s as on 31.03.2025 (₹ In Lakhs)
1	102	BVFCL Area	207.58
2	12	Fish Shops	6.11
3	3	Meat Shops	2.46
4	136	Misc. Shops	7.66
5	34	Pucca Shops	0.79
6	1658	QTR's	360.96
7	1	Sector A	0.22
8	7	Sector D	46.00
9	25	Vegetable Shops	.48
	1978		**632.26**

"We observed that the above dues aggregating to ₹632.26 lakhs are outstanding as on the balance sheet date, out of which a substantial amount is overdue for more than years together. The Company has not taken adequate and timely steps for recovery of these long-pending dues, nor has it initiated appropriate legal action against the defaulting tenants.

Further, no provision has been made in the accounts for possible non-recovery of these dues, which in our opinion may be necessary considering the age and uncertainty of

(सी) कंपनी ने कुछ राशि तृतीय पक्षों के पास जमा की है, जिसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। विवेकपूर्ण तरीके से, कंपनी द्वारा जमा की गई राशि की पुष्टि हर तीन साल में एक बार प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि कंपनी के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके। विविध लेनदारों के खाते का विवरण अधिकांश लेनदारों को भेजा जा चुका है, लेकिन इस संबंध में कंपनी को उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुष्टि के बाद भी खाते का विवरण कंपनी को वापस नहीं भेजा गया है। संबंधित पक्षों से पुष्टि विवरण प्राप्त न होना एक प्रमुख चिंता का विषय है।

किसी भी व्यवसाय का संचालन नकदी के प्रवाह और बहिर्वाह पर निर्भर करता है। विविध देनदार और विविध लेनदार व्यवसाय की कार्यशैली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विविध लेनदारों को व्यवसाय के लिए देनदारी माना जाता है क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों द्वारा तय समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए बकाया राशि का भुगतान करना होता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न मदों के अंतर्गत भिन्नताएं निम्नानुसार पाई गई हैं:

क्रम संख्या	ब्यौरा	2023-24	2024-25	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	एमएसएमई	580.25	535.01	MSME लेनदारों में 7.80% की कमी
2	विविध लेनदार	22342.34	41040.01	विविध लेनदारों में 83.69% की वृद्धि हुई।
3	बिक्री	74896.44	66858.08	बिक्री में 10.73% की कमी
4	व्यापारिक स्टॉक की खरीद	17763.29	12664.38	खरीद में 28.70% की कमी
5	उपभोग की गई सामग्री	16720.66	17232.23	3.06% की वृद्धि
6	विविध देनदार	17392.74	25201.57	विविध देनदारों में 44.90% की वृद्धि।

बेहतर प्रस्तुति के लिए, बीवीएफसीएल वैधानिक अधिकारियों के समक्ष जमा राशि को उचित मद के अंतर्गत प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगी। प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं सहित विक्रेताओं से प्राप्त जमा और अग्रिम राशि की पुष्टि कर दी गई है और प्रबंधन अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी कार्य की पुष्टि या पूर्णता के लिए सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है ताकि व्यय का भुगतान किया जा सके, जो एक सतत प्रक्रिया है।

<table>
<tr><td></td><td>collection. This may result in an overstatement of current assets and profits to the extent of such unprovided amounts.

We recommend that the Company undertake an immediate review of all rental receivables, initiate recovery or eviction proceedings as per law, and make necessary provisions for doubtful debts as per applicable accounting standards.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(C) The company has made certain deposits with third parties for which confirmation has not been obtained. Prudently confirmation should be obtained once in three years to confirm the amount advanced as deposits by the company to safeguard its legal rights to claim the same. The sundry creditors statement of account has been sent to most of the creditors but their response in this regard to the company is unresponsive. The statement of accounts has not been reverted after confirmation to the company. This is a major area concern of non-receiving of confirmation statements from parties.

A business runs on in flow and out flow of cash. Sundry Debtors and Sundry creditors play a crucial role in shaping a business' hold in its line of work. Sundry creditors are considered as liabilities to a business as they are supposed to pay outstanding amount, for a specific transaction, based on the agreed timeline by both the parties.

Further, variances under various heads have been noted as under: ₹ In lakhs

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>2023-24</th><th>2024-25</th><th>% of Increase/ Decrease</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MSME</td><td>580.25</td><td>535.01</td><td>Decrease in MSME creditors 7.80%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sundry creditors</td><td>22342.34</td><td>41040.01</td><td>Increase in Sundry creditors 83.69%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SALES</td><td>74896.44</td><td>66858.08</td><td>Decrease in Sales 10.73%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Purchase of Stock in Trade</td><td>17763.29</td><td>12664.38</td><td>28.70% decrease in purchases</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Material consumed</td><td>16720.66</td><td>17232.23</td><td>Increase by 3.06%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sundry Debtors</td><td>17392.74</td><td>25201.57</td><td>44.90% increase in Sundry Debtors.</td></tr>
</table></td><td>BVFCL will take necessary corrective steps for presenting deposits with statutory authorities under appropriate head for better presentation. The confirmation in respect of deposits and advances with vendors with major suppliers were provided and the management is actively pursuing with other supplier for confirmation or completion of the work for booking of expenses which is an ongoing activity.</td></tr>
</table>

(डी) लाभ और हानि विवरण पर अवलोकन

नोट 17 परिचालन से राजस्व - 66858.08 लाख रुपये जिसमें निर्मित उत्पादों के लिए मूल्य और माल ढुलाई सब्सिडी के मद में 41944.87 लाख रुपये शामिल हैं।

i) एफआईसीसी विनियम के अनुसार, कंपनी अंतिम विक्रय केंद्र से स्टॉक की निकासी के बाद ही मूल्य सब्सिडी का दावा करने की हकदार है: -

(a) हमने यह भी पाया कि कंपनी के पास खुदरा विक्रेताओं/डीलरों के पास भारी माला में बिना बिका स्टॉक पड़ा है या यूरिया बिक तो चुका है लेकिन पीओएस के माध्यम से बिक्री नहीं हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में बिना बिके स्टॉक की माला में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी माला में धनराशि अवरुद्ध हो गई है। 31.03.25 तक, 39521.077 मीट्रिक टन यूरिया का बिना बिल वाला स्टॉक मौजूद है, जिस पर 8295 लाख रुपये की मूल्य सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के विपणन विभाग को स्टॉक को बेचने की रणनीति बनानी होगी ताकि एफआईसीसी के समक्ष सब्सिडी जारी करने का दावा प्रस्तुत किया जा सके, अन्यथा कंपनी को गंभीर नकदी संकट का सामना करना पड़ेगा।

पीओएस लिक्विडेशन एक सतत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आपूर्ति, उपलब्धता और खपत के रुझान पर निर्भर करती है। ऊपर उल्लिखित स्टॉक का लिक्विडेशन हो चुका है और डीबीटी बिल जनरेट हो चुका है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	माह	पीओएस बिक्री	मूल्य करोड़ में।
1	अप्रैल - 25	14,483	30.52
2	मई - 25	18,736	39.48
3	जून - 25	22,540	47.34
4	जुलाई - 25	33,850	55.23
	कुल	**89,609**	**172.57**

हालांकि, विपणन विभाग पीओएस मशीनों से बीवीएफसीएल यूरिया को बेचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियमित फॉलो-अप, बैठकें, ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि की जा रही हैं।

i). आयातित यूरिया के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 851.52 लाख रुपये का भाड़ा प्राप्य है और यह राशि 10.06.2025 को प्राप्त हुई थी। इस खाते में कोई बकाया राशि नहीं है, जो वर्ष के दौरान आए 3 जहाजों के लिए थी। इस भाड़े प्राप्य में प्राथमिक (रेल) और द्वितीयक (सड़क) भाड़ा प्राप्य, 1250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से प्राप्त तदर्थ अंतर्देशीय भाड़े के अतिरिक्त, दोनों शामिल हैं। दिनांक 29.06.20 के डीओपी आदेश के अनुसार, रेल भाड़े पर सब्सिडी 1400 किलोमीटर

माल ढुलाई आदेश (डीओएफ) यूरिया की उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाता है और कंपनी डीओएफ के अनुसार आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। वास्तविक माल ढुलाई के आधार पर माल भाड़ा वसूला जाता है, भले ही सामग्री 1400 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक भेजी गई हो, क्योंकि यह डीओएफ के आदेशानुसार किया जाता है। लेखा परीक्षक द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में डीओएफ से 7.26 लाख रुपये की कटौती के बाद 851.52 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(D) OBSERVATION ON STATEMENT OF PROFIT AND LOSS.

NOTE 17 Revenue from Operations- ₹66858.08 Lakhs which includes ₹41944.87 Lakhs on account of Price and freight subsidy for manufactured products.

i) As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the price subsidy only after clearance of stockfrom ultimate Point of Sale: -

a) We further observed that the company is having huge unsold stock lying with the retailers/dealers or the urea is already sold but sales is not routed. through the POS. Increasing trend of unsold stock quantity is being reflected compared to last year, resulting in substantial amount of fund being blocked up. As on 31.03.25, stock of unbilled quantity of 39521.077MT exists on which price subsidy amounting to ₹8295lakhs is unrealized. The marketing department of the company needs to formulate strategy to liquidate the stock so that the claim to release of the subsidy may be lodged with FICC otherwise there will be serious liquidity problems for the company.

POS liquidation is a continuous process which depends on Market condition, supply, availability, consumption trend. The stocks mentioned above has already been liquidated and DBT bill has been generated and the same is detailed hereunder.

S.N.	Month	POS Sale	Value in Cr.
1	April-25	14,483	30.52
2	May-25	18,736	39.48
3	June-25	22,540	47.34
4	July-25	33,850	55.23
	Total	**89,609**	**172.57**

However, Marketing Department putting its best possible effort to liquidate BVFCL urea from PoS machines. Regular follow-up, meeting, mail, telephonic conversation, V.C. etc are done to speed up the liquidation process.

i) Freight receivable for imported urea is outstanding ₹851.52 lakhs for FY 2024-25 and this balance was received on 10.06.2025. There are no dues outstanding in this account which was against 3 vessels arrived during the year. This freight receivable consists of both primary (rail) and secondary (road) freight receivable over & above ad-hoc inland freight at the rate of 1250 per MT received. As per DOP order dated 29.06.20,

The dispatch order is given by the DOF based on the availability of Urea and the company is bound to supply as per the DO. Based on the actual dispatch the freight bills are claimed irrespective of the fact that the materials has been dispatched upto 1400 KMS or beyond as the same is done as per the DOF mandate. As acknowledged by auditor the amount of Rs. 851.52 lakhs have been received from DOF in the F.Y. 2025-26 after deduction of Rs. 7.26 lakhs.

	तक सीमित है। हालांकि, आयातित यूरिया को 1400 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले राज्यों में भी पहुँचाया गया था और कंपनी ने 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया है। उपरोक्त GONIT CO के डीओपी आदेश के मद्देनजर, दावा किया गया अतिरिक्त भाड़ा प्राप्त होना संदिग्ध है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह प्राप्त हो चुका है।	
	iii. इसके अतिरिक्त, नामरूप द्वितीय संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान मरम्मत कार्यों पर 55.40 लाख रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 52.96 लाख रुपये जल शोधन संयंत्र पर खर्च किए जाएंगे, जो नामरूप इकाई द्वितीय का हिस्सा है। यह इकाई 06.01.2020 से निष्क्रिय है। इसलिए, इस इकाई को नामरूप तृतीय इकाई के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, जो इसके जल का उपयोग करती है और इस प्रकार पूरी टाउनशिप इसका उपयोग करती है।	इस विषय पर आईटी विभाग एवं एमएम विभाग के साथ चर्चा की जाएगी ताकि सुझाए गए परिवर्तनों की संभावनाओं का परीक्षण किया जा सके तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
5.2	**(ई): स्क्रैप अग्रिमों की बिक्री 43.70 लाख रुपये, ग्राहक अग्रिम प्राप्तियों के संचयी आंकड़े 1630.18 लाख रुपये के अंतर्गत दर्शाई गई है।**	
	हमने देखा है कि नीलामी के माध्यम से स्क्रैप की बिक्री के संबंध में, यद्यपि सफल बोलीदाताओं ने पूरी बिक्री राशि का भुगतान कर दिया है, फिर भी सामग्री बिना किसी भंडारण शुल्क के लंबे समय तक कंपनी की हिरासत में बनी रहती है। यह प्रथा कंपनी को चोरी, नुकसान और भंडारण सुविधाओं के अवरुद्ध होने के जोखिमों से अवगत कराती है और व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी को अपने हितों की रक्षा के लिए निविदा/नीलामी की शर्तों के अनुसार ऐसी सामग्री की समयबद्ध निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए या उचित भंडारण शुल्क वसूल करना चाहिए। कंपनी ने स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए जमा देयता के रूप में 43.70 लाख रुपये की राशि शामिल की है। एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि नीलाम किए गए स्टॉक को पंद्रह दिनों से एक महीने के भीतर खाली कर दिया जाए। नीलामी अग्रिम या प्राप्त पूरी राशि को अग्रिम प्राप्ति नहीं माना जा सकता है और इसे वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है। हम नोट संख्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वित्तीय विवरणों के अनुच्छेद 8 में कंपनी ने खुलासा किया है कि 31 मार्च 2025 तक खरीदारों द्वारा न उठाए गए स्क्रैप की नीलामी के लिए प्राप्त राशि को ग्राहकों से अग्रिम के रूप में दर्ज किया गया है, जो 1630.18 लाख रुपये की राशि में शामिल है। लेखा मानक (एएस) 9 - राजस्व मान्यता के अनुसार, सामग्री की निकासी पर राजस्व की मान्यता दी जाएगी। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रक्रियात्मक पहलू के लिए स्टॉक की निकासी में बदलाव की आवश्यकता है। यह अवलोकन पिछले वर्षों से जारी है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी को अपने हितों की रक्षा के लिए निविदा/नीलामी की शर्तों के अनुसार ऐसी सामग्रियों की समय पर निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए या उचित भंडारण शुल्क वसूल करना चाहिए।	स्क्रैप की बिक्री को लेखा पुस्तकों में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब स्क्रैप को निगम के परिसर से हटाया जाता है, जिससे स्क्रैप से संबंधित जोखिम एवं लाभ पूर्णतः डीलरों को हस्तांतरित हो जाते हैं। तथापि, यद्यपि स्क्रैप डीलर द्वारा निगम के पास ₹43.70 लाख की राशि जमा की गई है, परंतु अभी तक स्क्रैप को निगम के परिसर से हटाया नहीं गया है। लेखा मानक (AS)-9 के प्रावधानों के अनुसार, वस्तुओं की बिक्री को राजस्व के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम एवं लाभ हस्तांतरित हो जाएँ, जो कि इस प्रकरण में पूर्ण नहीं हुए हैं। अतः स्क्रैप डीलर द्वारा जमा की गई प्रारंभिक राशि को देयता (Liability) के रूप में मान्यता दी गई है तथा उपर्युक्त शर्तों, जिसमें बिक्री आदेश के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, की पूर्ति होने पर उक्त राशि को राजस्व में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि नीलामी से संबंधित दस्तावेज़ों में माल की निकासी हेतु समय-सीमा से संबंधित प्रावधान निहित हैं।

	subsidy on rail freight is restricted to 1400 kms. However, imported urea had been transported to states beyond 1400 kms and further subsidy over and above 1400 kms have been claimed by the Company. In view of the aforesaid GONIT CO DOP order, the additional freight claimed is doubtful to be received but the same has been received as stated above.	
	i) Further, repairs amounting to ₹55.40 lakhs are booked in expenses for Namrup II Plant during the year 2024-25 of which ₹.52.96 lakhs Water Treatment Plant which being part of Namrup Unit II Plant. This unit is non-operational since 06.01.2020. Therefore, this unit should be clubbed with other unit i.e. Namrup III which uses it water and at the same the total Township so uses.	The matter will be discussed with the IT Dept and MM Dept to explore the changes as suggested and corrective action will be taken in FY 25-26.
5.2	**(E): SALE OF SCRAP ADVANCE₹43.70 Lakhs shown under cumulative figure of CustomerAdvance Receipts of ₹1630.18 Lakhs**	
	We observed that in respect of scrap sales through auction, though the successful bidders have paid the full sale consideration, the materials continue to remain in the custody of the Company for prolonged periods without levy of any holding/storage charges. This practice exposes the Company to risks of pilferage, loss and blockage of storage facilities and is not commercially prudent. We recommend that the Company should enforce timely lifting of such materials or recover appropriate storage charges as per tender/auction terms to safeguard its interests. The company includes an amount of ₹43.70 lakhs against Liability for Deposit for Scrap Materials sales. A policy should be framed that the auctioned stock be cleared within certain time frame fifteen days to one month. The Auction advance or full amount received cannot be treated as Advance receipts and same cannot be continued for years together. We draw attention to Note no. 8 of financial statements wherein the Company has disclosed that amounts received towards auction of scrap not lifted by the purchasers as at 31st March 2025 have been accounted as Advance from Customers which is included in sum of ₹1630.18 lakhs Revenue will be recognized on lifting of materials, in line with Accounting Standard (AS) 9 – Revenue Recognition. Our opinion is not modified in respect of this matter. The procedural aspect requires a change in clearance of stock. This observation has been continuing from earlier years. We recommend that the Company should enforce timely lifting of such materials or recover appropriate storage charges as per tender/auction terms to safeguard its interests.	The sale of scrap is recognised in the books of account only when the scrap is removed from the premises of the corporation thereby completely transfer of the risks and rewards associated with the scraps is transferred to the dealers. However, though the scrap dealer has deposited an amount of Rs.43.70 lakhs with the corporation it is yet to remove these from the premises of the corporation. As per provision of AS-9, the sale of goods is recognised as revenue only when the significant risks and rewards associated with the goods is transferred which is not fulfilled in this case. Hence the initial amount deposited by the scrap dealer has been recognised as a liability and will be eventually transferred to revenue once the above condition including the provisions of the sale order is fulfilled. Further to inform that the Auction documents contain the clause of relating to timeframe for clearance of goods.

निदेशक प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट–IV

सीएजी रिपोर्ट परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत धारा 143(10) के अनुसार निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2025 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक सीमित रही।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय/विषयों को उजागर करनाचाहती हूँ, जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क.1 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' का संदर्भ दिया गया है, जिसमें लेखा परीक्षकों द्वारा बिंदु सं. (xx) पर यह रिपोर्ट किया गया है कि "तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹64.60 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹42.24 करोड़ की नकद हानि हुई है।" चूँकि यह तथ्यात्मक शुद्धता एवं अनिवार्य अनुपालन रिपोर्टिंग को प्रभावित करता है, अतः इस सीमा तक परिशिष्ट–क में की गई रिपोर्टिंग सही नहीं है।

ANNEXURE-IV TO DIRECTORS REPORT

CAG REPORT ANNEXURE

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide Audit Report dated 11th September 2025

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter/matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Independent Auditor's Report.

A.1 A reference is made to Annexure A to Independent Auditor's Report wherein the Auditors have reported at Point no. (xx) that "no cash losses were incurred in the immediately preceding financial year. However, there were cash losses to the tune of 64.60 crore in 2023-24 and 42.24 crore in 2024-25. Since it affects factual accuracy and mandatory compliance reporting, the reporting in Annexure-A is not correct to that extent.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
ओर से और उनके लिए

ह/-

(तान्या सिंह)

प्रधान निदेशक (लेखा परीक्षा) केन्द्रीय व्यय

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12.11.2025

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Tanya Singh)

Principal Director
of Audit Central Expenditure

(Agriculture, Food Water Resources)

Place: New Delhi

Date: 12.11.2025

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नामरूप, असम में स्थित है, के 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से और उनके लिए
मेसर्स के. आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 318011E

ह/-

(सीए कुलजीत राय जैचंद)

प्रोप्राइटर

सदस्यता सं.: 053527

यूडीआईएन : 25053527BMNTWF1615

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11.09.2025

Compliance Certificate

We have conducted the Audit of Accounts of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, having its Registered office at Namrup, Assam, for the Financial Year ended 31st March, 2025 in accordance with the Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India Under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions / Sub-directions issued to us.

For and on the behalf of the
M/S K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No:318011E

Sd/-

(CA Kuljit Rai Jaichand)

Proprietor

Membership No.:053527

UDIN:25053527BMNTWF1615

Place: New Delhi

Date: 11.09.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को (बीवीएफसीएल)

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. राय:

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के साथ संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त तुलन पत्र , उस वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित) शामिल हैं।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय का आधार' पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी को निर्धारित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नुकसान और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

2. योग्य राय का आधार:

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। हमारी राय जिन टिप्पणियों पर आधारित है, वे नीचे पैरा 3 में दी गई हैं। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. योग्य राय के लिए टिप्पणियाँ:
तुलन पत्र पर अवलोकन
3.1 नोट 7: व्यापार देय ₹41575.02 लाख।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSME Act, 2006) की धारा 22 के अनुसार, वह क्रेता जिसे किसी भी विधि के अंतर्गत

Independent Auditor's Report

To the Members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL)

Report on the Audit of the Financial Statements

1. Opinion:

We have audited the accompanying standalone financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, and the Statement of Profit and Loss for the year and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements (including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025, and its loss and cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Qualified Opinion:

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. Our observations on which our opinion is based are given in Para 3 below. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

3. Observations for Qualified Opinion:
OBSERVATIONS ON BALANCE SHEET
3.1 NOTE 7: TRADE PAYABLES ₹41575.02 lakhs.

As per Section 22 under MSME Act, 2006 the buyer who is required to get his account audited under any law, shall

अपने खातों का लेखापरीक्षण कराना आवश्यक है, प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय और अवैतनिक शेष मूलधन राशि तथा उस पर देय ब्याज (जिसे पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा) का प्रकटीकरण करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, यदि कोई क्रेता आपूर्तिकर्ता को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो क्रेता, क्रेता एवं आपूर्तिकर्ता के बीच किए गए किसी भी समझौते अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में निहित किसी बात के बावजूद, नियुक्त तिथि से अथवा, यथास्थिति, सहमत तिथि के तुरंत पश्चात की तिथि से, उक्त राशि पर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना की दर से ब्याज का भुगतान आपूर्तिकर्ता को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह लेखापरीक्षण प्रतिवेदन में रिपोर्ट किया गया था कि एमएसएमई के बकाया देयक 45 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित थे, अतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज की गणना किया जाना अपेक्षित था। उपलब्ध कराई गई विवरणों के अनुसार, बकाया राशि पर ₹34.55 लाख की ब्याज देयता बनती है। तथापि, कंपनी द्वारा न तो इस ब्याज का भुगतान किया गया है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है, जो कि एमएसएमई अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में है। इसके परिणामस्वरूप, चालू देयताओं तथा अन्य व्ययों को ₹34.55 लाख से कम दर्शाया गया है, जिसके अनुरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹34.55 लाख से अधिक दर्शाया गया है।

कंपनी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आपूर्तिकर्ता से संबद्ध त्रुटि के कारण देय ब्याज हेतु कोई प्रावधान निर्मित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के दौरान एमएसएमई इकाइयों से विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में कंपनी को कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

उसी क्रम में, कंपनी द्वारा लेखापरीक्षणाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार के किसी भी ब्याज भुगतान का न तो संधारण किया गया है और न ही उसका प्रकटीकरण किया गया है। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार पहचाने गए एमएसएमई संड्री लेनदारों के खातों में कुल बकाया शेष ₹535.01 लाख है, जिसमें से ₹27.93 लाख की राशि 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय है।भुगतान में 45 दिनों से अधिक विलंब पर ब्याज का भुगतान न किए जाने की यही प्रथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी अपनाई गई है।

3.2 नोट 8: अन्य चालू देनदारियां ₹6342.73 लाख।

ग्राहकों से अग्रिम राशि ₹1630.18 लाख:

क) हमने देखा कि कंपनी ने 15 पक्षों से प्राप्त अग्रिम और सुरक्षा जमा राशि ₹36.38 लाख को रोक रखा है, जबकि इन पक्षों के साथ व्यावसायिक संबंध बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं। ये शेष राशि लंबी अवधि तक बिना किसी स्पष्ट कारण या निपटान योजना के बनी हुई

disclose the principal amount and interest dues thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. Further as per section 15, where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the casemay be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank of India.

In the financial year 2023-24 it was reported in audit report that the number of dues of MSME were outstanding for more than 45 days, so the interest portion should be calculated as per MSME Act, 2006. As per the details made available an amount of ₹34.55 lakhs is payable as interest on the outstanding amount however the company has neither paid nor provided for this interest in contravention of the MSME Act. This has resulted in understatement of current liabilities and other expenses corresponding to overstatement of profit for the year by ₹34.55 lakhs.

The company has made no provision of interest is created for fault attributable to vendor. The company has not received, any claim of MSME units towards delayed payment of interest during the financial year 2023-24 and 2024-25.".

On the same line the company has not maintained or disclosed any such interest payments during the financial year under audit. The MSME Sundry creditors accounts identified as on 31.03.2025 are with balance outstanding as on 31.03.2025 ₹535.01 lakhs of which the amount ₹27.93 Lakhs is due for the period more than 45 days. The same practice has been carried in the financial year 2024-25 of non-payment of interest on payments beyond 45 days.

3.2 NOTE 8: OTHER CURRENT LIABILITIES ₹6342.73 Lakhs.

Advance from customers ₹1630.18 lakhs:

a) We observed that the Company has retained advances and security deposits amounting to ₹36.38Lakhs received from 15 number of parties, even though the business relationship with the said party has

है। हमारी राय में, ऐसी राशि का बिना समायोजन या प्रतिपूर्ति के निरंतर प्रतिधारण, विवेक और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकता तथा यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का कारण बन सकता है, विशेषकर वित्तीय विवरणों की सत्य और निष्पक्ष प्रस्तुति से संबंधित धारा 129 एवं धारा 134 के संदर्भ में। इस मुद्दे की ओर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में भी संकेत दिया गया था। इससे वित्तीय विवरणों की सत्य और निष्पक्ष प्रस्तुति से संबंधित धारा 129 एवं धारा 134 के प्रावधानों के तहत मान्यता और संभावित देयता उत्पन्न हो सकती है। यह मुद्दा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में भी संकेतित किया गया था। हम अनुशंसा करते हैं कि प्रबंधन इन शेष राशियों के वैधता और उचितता का मूल्यांकन करे तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन्हें वित्तीय विवरणों में उचित रूप से निपटान या प्रकटीकरण करे।

3.3 नोट 12 इन्वेंट्री: ₹ 6506.19 लाख

क) AS 2 “इन्वेंटरी (Inventory)” के अनुसार, इन्वेंटरी के नेट प्राप्त करने योग्य मूल्य (Net Realizable Value) के अनुमानों का निर्धारण उस समय उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है कि इन्वेंटरी से अपेक्षित प्राप्ति राशि कितनी होगी। इन अनुमानों में मूल्य या लागत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाता है, जो तुलन पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं से सीधे संबंधित हैं, यदि ऐसी घटनाएँ तुलन पत्र की तिथि की परिस्थितियों की पुष्टि करती हैं।

साथ ही, AS 5 “नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़” के अनुसार, किसी अनुमान को संशोधित करना आवश्यक हो सकता है यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जिन पर यह अनुमान आधारित था, या यदि नई जानकारी, अधिक अनुभव, या बाद में प्राप्त घटनाएँ इसका कारण बनती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संबंधित खर्चों का शुद्ध प्रभाव ₹924.44 लाख है, जो लाभ एवं हानि खाते (Profit & Loss Account) में डेबिट किया गया है, जिसमें इन्वेंटरी से संबंधित प्रावधान की राशि ₹64.85 लाख है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नॉन-मूविंग इन्वेंटरी के खिलाफ प्रावधान हेतु प्रयुक्त प्रतिशत समय-समय पर अद्यतन या संशोधित नहीं किए गए हैं और वर्षों से लगातार समान प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 15–20 वर्षों से कोई गति न रखने वाली इन्वेंटरी के लिए 50% का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 20 वर्षों से अधिक समय से स्थिर इन्वेंटरी के लिए सीधे 95% का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी राय में, इन्वेंटरी के खिलाफ प्रावधान हेतु प्रयुक्त प्रतिशत को समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है और यह नियमित अंतराल पर किए जाने वाले वास्तविक मूल्यांकन (actual valuation) के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

been discontinued since long. These balances have remained unsettled for an extended period without any apparent justification or settlement plan. In our opinion, the continued retention of such amounts without adjustment or refund may not be in accordance with the principles of prudence and fairness, and could result in non-compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, particularly in respect of disclosure,recognition, and possible liability under Section 129 and Section 134 relating to the true and fair view of the financial statements. This has also been pointed out in Auditor’s Report of FY 2023-24. We recommend that management evaluate the legitimacy and appropriateness of retaining such balances and take necessary action to settle or disclose them appropriately in the financial statements.

3.3 NOTE 12 INVENTORIES: ₹ 6506.19 Lakhs

a) As per AS 2 on “Inventory”, estimates of net realizable value of inventory are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date.

Moreover, as per AS 5 on the “Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies”, an estimate may have to be revised if changes occur regarding the circumstances on which the estimate was based, or as a result of new information, more experience, or subsequent developments. The net effect of expenses for the FY 2024-25 is ₹924.44 Lakhs debited to Profit & Loss Account of which provision relating to the Inventory is ₹64.85 Lacs.

Furthermore, the percentages being used by the company as a basis for provisioning against non-moving inventory has not been updated or revised and is being used consistently over the years. For instance, inventory with no movement from 15-20 years is being provisioned against at 50% whereas inventory with no movement for more than 20 years is being provisioned directly at 95%. However, in our opinion the percentages being used for provisioning against inventory may be periodically reviewed and should be based on the actual valuation of such inventory being conducted at regular intervals.

यह अवलोकन पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह अवलोकन अभी भी जारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जेकेएसएस एंड एसोसिएट्स, गुवाहाटी को पत्र संख्या BVFCL/III/F&A/Auditor/2023-24/01/1573 दिनांक 22.06.2023 के माध्यम से नियुक्त करके इन्वेंट्री और मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराने का प्रयास किया गया था। मूर्त संपत्तियों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक 06.01.2025 की इन्वेंट्री पर यादृच्छिक सत्यापन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:

i. भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर या परीक्षण जाँच के आधार पर किया गया है; विस्तृत जाँच किए बिना क्षति और हानि की सीमा का विश्लेषण और रिपोर्ट नहीं की जा सकती। तथ्य और आंकड़े अपरिवर्तित रहते हैं। विचलन और सभी कमी/अधिकता को उनके बही मूल्य सहित रिपोर्ट करना आवश्यक है ताकि किसी विशेष तिथि पर वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके।

ii. भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निष्कर्षों का सारांश दर्ज किया गया है, जो कंपनी को प्रस्तुत की गई है। इसमें विभिन्न विसंगतियों और भिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। इन कमियों को दूर किया जा सकता है।

ख) कंपनी की ऋण नीति पर टिप्पणियाँ:

कंपनी ने दिसंबर 2023 में क्रेडिट नीति तैयार की थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में इसका कार्यान्वयन उतना प्रभावी नहीं रहा, जो कि व्यापार प्राप्य खाते में बकाया ₹25201.57 लाख से स्पष्ट है, जिसके लिए ₹96.73 लाख का प्रावधान किया गया है।

ऋण नीति के अनुसार, "व्यापारिक उत्पादों के मामले में डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को दी जाने वाली कुल ऋण अवधि इनवॉइस जारी होने की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।"हमें उपलब्ध कराई गई आयु संबंधी जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक जिन डीलरों का बकाया है और जिनके पास 60 दिनों से अधिक समय से कोई एसडी या पीडीसी नहीं है, उनकी राशि ₹520.23 लाख है।

ऋण नीति के अनुसार, "प्रत्येक डीलर/खुदरा विक्रेता को 1:3 के अनुपात में सुरक्षित ऋण और खुला ऋण दिया जाता है। सुरक्षित ऋण, दी गई सुरक्षा जमा राशि तक सीमित होता है। सुरक्षा जमा राशि से अधिक दिया गया कोई भी ऋण खुला ऋण कहलाता है। खुला ऋण, विक्रेता से प्राप्त किए गए पोस्ट-डेटेड चेक के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।""हालांकि, वास्तविक रूप से यह देखा गया है कि 31 मार्च, 2025 तक बिना सुरक्षा जमा वाले डीलरों का

This observation has been also made in the Audit Report for the previous financial year 2022-23 and 2023-24 The observation for the current financial year 2024-25 still continuous. An effort was made in the financial year 2023-24 for getting Physical Verification of Inventory and Tangible Assets by appointing JKSS& Associates, Guwahati, vide letter No. BVFCL/III/F&A/Auditor/2023-24/01/1573 dated 22.06.2023. The Audit Report on Tangible Assets was not submitted and only Random verification Audit Report on Inventory dated06.01.2025 for the financial year 2023-24was submitted. It is from the analysis of the Report following discrepancies has been observed:

i. The Physical Verification has been conducted on Random basis or test check basis, unless detail checking is not done, the extent of damage and loss cannot be analysed and reported. The facts and figures remain the same. The deviation and all shortage/excess have to be reported with its book value to arrive at the actual valuation on one particular date.

ii. The summary of the findings has been noted in Physical verificationauditors AuditReportwhich is submitted to the Company with various discrepancies noted therein and variances found. The short coming may be taken care of.

b) Observations on the credit policy of the Company:

The Company formulated Credit Policy in December 2023, but implementation of which was not that effective in the financial year 2023-24 and 2024-25 which is apparent from the outstanding in Trade Receivables account ₹25201.57 lakhs against which provision made is ₹96.73 Lakhs.

As per the Credit Policy "Total credit period offered to Dealers/Retailers should not exceed 60 days from the date of Invoicing in case of trading products." As per the Ageing provided to us, Dealers having balance outstanding as on 31st march, 2025, with no SD or PDC for more than 60 days is ₹520.23 lakhs.

As per the Credit Policy, "Every Dealer/Retailer is offered with Secured Credit and Open Credit in a proportion of 1:3. Secured credit is to the extent of Security Deposit offered. Any Credit given beyond the Security Deposit is Open Credit. Open Credit is secured through a Post-Dated Cheque collected from the Dealer." However, in actual practice, it has been observed that balances of dealers with No PDC as on 31 March, 2025 is ₹2550.49 lakhs, thus

शेष ₹2550.49 लाख था, यानी सुरक्षा जमा की निर्धारित सीमा से 3 गुना अधिक क्रेडिट दिया गया, जो व्यावहारिक रूप से सुरक्षा जमा का 6.57 गुना है। इसे 30.06.2025 तक घटाकर ₹1370.45 लाख कर दिया गया है, जो कि रखी गई सुरक्षा जमा का लगभग 3.53 गुना है।

3.4 नोट 14: नकद और बैंक शेष ₹3903.08 लाख

नीचे दिए गए 6 खाते निष्क्रिय पड़े हैं, इन्हें पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इन खातों को बंद करने के लिए प्रबंधन से उचित अनुमोदन प्राप्त करना होगा क्योंकि इनमें ₹4.15 लाख की धनराशि लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी है।

क्र. सं.	खाता बही कोड संख्या	बैंक का नाम	राशि (लाखों ₹ में)
1	0441212242114500000	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, नामरूप शाखा।	0.31
2	044121260218420000	केपीएलओ (बीवीएफसीएल) कोलकाता	0.58
3	044121272114510000	पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड	2.06
4	044121290218420000	केपीएलओ (बीवीएफसीएल) कोलकाता	0.07
5	234122114122110000	सिंडिकेट बैंक संग्रह खाता, गुवाहाटी	0.91
6.	234122014122010000	यूको बैंक खाता, नामरूप।	0.22
		कुल	**4.15**

3.5 नोट 15: अल्पकालिक ऋण और अग्रिम: ₹10753.28 लाख

क) GSTIN के अनुसार जीएसटी इनपुट शेष राशि ₹9,910.83 लाख है, जबकि लेखा पुस्तकों के अनुसार यह ₹8,800.51 लाख है। इस प्रकार ₹1,110.32 लाख का अंतर पाया गया है। इसके अतिरिक्त, GSTIN के अनुसार कैश लेजर में ₹98.93 लाख दर्शाया गया है, जबकि पुस्तकों में ₹113.93 लाख अंकित है। इस अप्रसंजित (Unreconciled) अंतर का कंपनी के लाभ-हानि खाते अथवा परिसंपत्तियों/देयताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

credit is allowed more than the specified limit of 3 times the security deposit which is practically 6.57 times of the security Deposit. This has been reduced to ₹1370.45 Lacs as on 30.06.2025 which is around 3.53 times of the security deposit held.

3.4 NOTE 14: CASH AND BANK BALANCES ₹3903.08 Lakhs

The undernoted 6 numbers of accounts have turned dormant, the same are required to be revived and due approval from the management is to be sought for closure of these accounts as the fund are lying idle ₹4.15 Lacs since long.

Sl. No.	LEDGER CODE NO.	BANK NAME	AMOUNT ₹ in lakhs
1	0441212242114500000	United Commercial Bank, Namrup Br.	0.31
2	044121260218420000	K P L O (BVFCL) Kolkata	0.58
3	044121272114510000	Punjab National Bank Ltd	2.06
4	044121290218420000	K P L O (BVFCL) Kolkata	0.07
5	234122114122110000	Syndicate Bank Collection a/c Guwahati	0.91
6.	234122014122010000	UCO BANK A/C, Namrup.	0.22
		Total	**4.15**

3.5 NOTE 15: SHORT TERM LOANS AND ADVANCES: ₹10753.28Lakhs

a) GST input balance as per GSTIN is ₹9910.83 lakhs whereas as per the books of accounts it is ₹8800.51 lakhs, there is a difference of ₹1110.32 lakhs. Further, the cash ledger as per GSTIN shows ₹98.93 lakhs whereas in books it is ₹113.93 lakhs. The impact of this unreconciled difference on the Profit & Loss or assets/liabilities of the company is not ascertainable.

ख) इसके अतिरिक्त, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के अनुसार, उन मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (Unutilized Input Tax Credit) की वापसी (रिफंड) का प्रावधान है, जहाँ इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर लागू कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट का संचय होता है, अर्थात् उलटी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) के कारण। इस प्रकार की रिफंड दावा करने की समय-सीमा, उस अवधि के लिए, जिसमें रिफंड का दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से दो वर्ष है। हालाँकि, कंपनी द्वारा अब तक जीएसटी राशि की रिफंड हेतु कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, उक्त धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अवरुद्ध (Blocked) बनी हुई है, जिसका भविष्य में भी कंपनी द्वारा समायोजन (Set-off) के लिए उपयोग किया जाना संभव नहीं हो सकता है।

i) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण	4 साल से अधिक समय से बकाया (लाख रुपये में)	टिप्पणी
बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विस लिमिटेड	89.49	संबंधित पक्ष से पुष्टि पत्र मांगा जाना चाहिए और तदनुसार समायोजन किया जाना चाहिए।
बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विस लिमिटेड	0.43	
फ्लोसर्व सैनमार लिमिटेड, चेन्नई	5.24	खाते में लेन-देन तो दिख रहा है, लेकिन प्रारंभिक शेष राशि में कोई समायोजन नहीं हुआ है। संभवतः ऐसी प्रविष्टियाँ खाते में अपडेट नहीं की गई हैं।
0842010214 06050000 एनएफ रेलवे तिनसुकिया	18.51	पीओ आदेश संख्या एएन/2024 /61-01/ 144/एसएमबी/ 107 दिनांक 22.11.2024 के तहत ₹48.34 लाख का अग्रिम भुगतान 100% किया जा रहा है। इसी आधार पर, पहले दिए गए ₹18.51 लाख के अग्रिम भुगतान में आज तक कोई समायोजन नहीं किया गया है।

b) Further, as per sub-section (3) of section 54 of CGST Act, 2017, which provides for the refund of unutilized input tax credit in cases where credit is accumulated on account of rate of tax of inputs being higher than the rate of tax on output supplies i.e. on account of inverted duty structure. The time period for claiming refund of the same is 2 years from the due date of furnishing return u/s 39, for the period in which such claim from refund arises. However, no claim has been filed by the Company till date for the refund of the GST amount and as a result funds are being blocked as Input Tax Credit which may not be used by the company for set off in distant future.

i) Advance to Suppliers includes:

PARTICULARS	Outstanding for more than 4 years (₹ in lakhs)	REMARKS
BHEL GE Gas Turbine Service Ltd	89.49	Confirmation statement to be asked for from party and adjustment should be made like wise.
BHEL GE Gas Turbine Service Ltd	0.43	
Flowserve SanMar Ltd, Chennai	5.24	-do-, transaction is seen in the account but the opening balance remains un-adjusted. Possibly such entries are not updated in the account.
0842010214 06050000 NF Railway Tinsukia	18.51	Advances 100% being made against P.O. Order no.AN/ 2024/ 61-01/ 144/ SMB/ 107 DT. 22.11.2024 ₹48.34 Lakhs. On the same footing the earlier advance of ₹18.51 Lacs till date no adjustment has been made.

जॉन क्रेन सीलिंग सिस्टम लिमिटेड	6.34	पीओ आदेश संख्या एएन/2023/66 सीपीपी-804/ 229/ जेएस/207 दिनांक 07.02.2024 एलएससी – 1153 दिनांक 10.06.2024 के तहत ₹2.69 लाख का अग्रिम भुगतान 100% किया जा रहा है। इसी आधार पर, पहले दिए गए ₹6.34 लाख के अग्रिम भुगतान में अभी तक कोई समायोजन नहीं किया गया है।
कुल	**120.01**	

चार वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के संबंध में, उचित विवरणों के अभाव में खातों को अद्यतन नहीं किया गया है, जो ऊपर उल्लिखित विवरणों से स्पष्ट है। संदिग्ध अग्रिमों के लिए ₹34.90 लाख का प्रावधान 84 खातों के लिए पूर्ण रूप से किया गया है, जो उपरोक्त खातों का हिस्सा नहीं हैं। उपरोक्त प्रविष्टियों की गहन जांच की जानी चाहिए और तदनुसार, पूंजीगत या राजस्व व्यय के रूप में पूर्व अवधि के रूप में खातों में उनके प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए।

ii) अन्य अग्रिमों में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही हैं और जिनका समायोजन नहीं हुआ है। इनकी गहन जाँच-पड़ताल आवश्यक है और खातों में इनकी वसूली या प्रावधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। इनकी वसूली या समायोजन की पहल को प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिसका स्रोत अग्रिमों के खातों का नियमित रूप से अनुपालन और निपटान करना है।

विवरण	खता कोड	दिनांक 31.03.2025 तक (लाख रुपये में)
बीवीएफसीएल नामरूप	145101	0.06
बीवीएफसीएल नामरूप	145169	1.52
बीवीएफसीएल नामरूप	145170	1.52
सब पोस्ट मास्टर, परबतपुर	425108	0.16
एचएफसी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य	135116	0.02
अन्य संस्थाएँ (3)	135115	0.58
क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त	145119	0.02
सीसीपीएफ तदर्थ कर्मचारी की वसूली	145153	0.06
अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क	135116	1.00
अन्य आपूर्तिकर्ता/जमा राशि		7.96
	कुल	**12.90**

John Crane Sealing system Ltd.	6.34	Advances 100% being made against P.O. Order no.AN/2023/ 66CPP-804/ 229/ JS/207 DT. 07.02.2024 LSC – 1153 DT.10.06.2024 ₹2.69 Lakhs. On the same footing for the earlier advance of ₹6.34 Lacs till date no adjustment has been made.
Total	**120.01**	

The advances outstanding for more than 4 years, due to the absence of proper details the accounts are not updated which is apparent from the details mentioned above. The provision for doubtful Advances is made for ₹34.90 lakhs against 84 accounts in full which are not part of the above accounts. The above entries should be scrutinized and accordingly their impact be taken in accounts as prior period or so in form of Capital or Revenue expenditure.

ii) Other Advances includes the below mentioned balances which are appearing since last few years and are not adjusted which is required to be under scrutiny and necessary efforts to be made for such recovery or provisioning in accounts. Initiatives of recovery or adjustment of the same should be in limelight, of which source is regular follow up and squaring of the advance's accounts.

Particulars	A/C Code	As at 31.03.2025 (₹ in lakhs)
BVFCL Namrup	145101	0.06
BVFCL Namrup	145169	1.52
BVFCL Namrup	145170	1.52
Sub Post Master Parbatpur	425108	0.16
Principal HFC High School	135116	0.02
Other Institutions (3)	135115	0.58
Regional PF Commissioner	145119	0.02
Recovery of CCPF Adhoc Employee	145153	0.06
Superintendent Central Excise	135116	1.00
Other Suppliers/ Deposits		7.96
	TOTAL	**12.90**

iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का सारांश नीचे दिया गया है, जिनकी राशि ₹ 67.87 लाख है। इसकी जांच की जानी है और कर्मचारियों से वसूली करके खातों में समायोजित किया जाना है।

क्रम संख्या	अग्रिमों की प्रकृति	शीर्षों की संख्या	मात्रा लाखों रुपये में	टिप्पणी
1.	कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	291	33.76	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और यदि कोई बकाया राशि है तो उसे वसूल कर अद्यतन किया जाना चाहिए।
2.	054211 1619200 30000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामरूप	1	4.50	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और उनका मिलान उन कर्मचारियों से किया जाना चाहिए जिन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।
3.	0542113 0211451 0000 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1	5.51	खातों की गहन जांच की जानी चाहिए और उनका मिलान उन कर्मचारियों से किया जाना चाहिए जिन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।
4.	1442112 7161818 0000 प्रधानाचार्य, एचएफसी हाई स्कूल	1	0.86	स्कूल के नियमितीकरण के लिए संबंधित प्रविष्टि।
5.	0542113 000000 00000 खाता प्राप्य (सेवानिवृत्त/ त्यागदाता)		1.52	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।
6.	05421101 000000 0000 कर्मचारियों को अग्रिम (टीए)		3.58	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।

iii) Loans & Advances to Employees are summarised as under amounting to ₹ 67.87 lakhs which is to be scrutinised and adjusted or recovered from employees and adjusted in accounts.

Sl. No.	Nature of Advances	No. of heads.	Amount ₹ in lakhs	REMARKS
1.	Advance to Employees	291	33.76	The accounts should be scrutinised and long outstanding if any should be recovered and updated.
2.	054211 1619200 30000 STATE BANK OF INDIA, NAMRUP	1	4.50	The accounts should be scrutinised and co-relate with the employees whom advances have been paid.
3.	0542113 0211451 0000 UNITED BANK OF INDIA	1	5.51	The accounts should be scrutinised and co-relate with the employees whom advances have been paid.
4.	1442112 7161818 0000 PRINCIPAL, HFC HIGH SCHOOL	1	0.86	Related entry for school to be regularised.
5.	0542113 000000 00000 A/ CS RECEIVABLE (RETIRED/ RESIGNED		1.52	To be scrutinised and updated.
6.	05421101 000000 0000 ADVANCE TO STAFF (TA)		3.58	To be scrutinised and updated.

7.	05421105 00000 00000 कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान (त्योहार)		17.09	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।
8.	144211 0800568 00000 उन्नत चिकित्सा (कर्मचारियों) के लिए उपचार		1.05	इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।
		कुल	**67.87**	

iv) उत्पाद शुल्क एवं सरकारी अधिकारियों के पास जमा राशि ₹155.22 लाख, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को संबंधित खाते में समायोजित किया जाना आवश्यक है:

क्रम संख्या	विवरण	राशि (लाखों में)
1	बैंक से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस	139.36
2	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त होने वाला टीडीएस	14.05
3	सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.21
4	नाहरकटिया के कर अधीक्षक	0.60
	कुल	**155.22**

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में अपवाद मदें:

विवाद के निपटारे पर दायित्व का त्याग ₹ 881.60 लाख

गैस परिवहन का औपचारिक समझौता अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और असम गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा पहले विवादित अतिरिक्त बिल राशि की वापसी के लिए कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने परिवहन शुल्क के रूप में ₹881.60 लाख की राशि को खाते में दर्ज कर लिया है। हमारी राय में, उचित लेखा दस्तावेज और समझौते के बिना बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर व्यय की वापसी सही नहीं है। परिणामस्वरूप, आय इस राशि से अधिक दिखाई गई है और देनदारियां कम दिखाई गई हैं।

हमने पाया है कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अप्रैल 2020 से मार्च

7.	05421105 00000 00000 ADVANCE TO STAFF (FESTIVAL)		17.09	To be scrutinised and updated.
8.	144211 0800568 00000 TREATMENT TO ADVANCE MEDICAL (STAFF)		1.05	To be scrutinised and updated.
		Total	67.87	

iv) The Deposit lying with Excise& Govt. Authorities ₹155.22 lakhs as detailed hereunder are required to be adjusted with relevant account

Sl. No.	Particulars	AMOUNT (₹)in Lakhs.)
1	TDS on Interest from Bank	139.36
2	TDS receivable from IT Authority	14.05
3	Customs and Central Excise	1.21
4	Superintendent of Taxes Naharkatia	0.60
	Total	**155.22**

Exceptional items in Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March, 2025:

Relinquishment of liability on settlement of dispute ₹881.60 lakhs'

The formal gas transportation agreement is not yet signed and no credit note has been issued by Assam Gas Company Limited for the reversal of the earlier disputed excess billed amounts but the Company has accounted the reversal for an amount of ₹881.60 lakhs towards transportation charges. In our opinion the reversal of expenses based on minutes of meeting without proper accounting document and agreement in place is not correct. As a result, the income is shown excess by this amount and liabilities are shown less.

We have noted that the Company in its Financial Statements

2024 की पूर्वावधियों से संबंधित ₹4617.83 लाख की देनदारी का त्याग कर दिया है। उक्त समायोजन चालू वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज कर लिया गया है।

इस संदर्भ में, हम Ind AS 8 (लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ) / AS 5 (पूर्व अवधि मदें, असाधारण मदें एवं लेखा नीतियों में परिवर्तन) की आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके अनुसार महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मदों (Material Prior Period Items) का वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाना अनिवार्य है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारियों और चालू वर्ष में इसके वित्तीय प्रभाव को देखते हुए, इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

3.6 अन्य अवलोकन:

i) सीएजी द्वारा दी गई लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, बीवीएफसीएल के पास कुल 2740 क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2485 क्वार्टर रहने योग्य पाए गए और 255 क्वार्टर रहने योग्य नहीं घोषित किए गए। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन क्वार्टरों का किराया एक दशक पहले तय किया गया था। किराए के निर्धारण के समर्थन में केवल 3 दिसंबर 2010 को हुई दूसरी टाउनशिप अनुशासन समिति (टीडीसी) की बैठक का कार्यवृत्त ही उपलब्ध कराया गया। टीडीसी बैठक के अनुसार, किराए में हर तीन साल बाद संशोधन होना था, जो मार्च 2025 तक नहीं हुआ था। निगम के गैर-कर्मचारी, जो बीवीएफसीएल के क्वार्टरों का उपयोग करते हैं, वे ₹770/- से ₹1200/- तक का मासिक किराया देते हैं, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया था। तब से किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। किराए में संशोधन न होने से कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

ii) कंपनी (बीवीएफसीएल) ने अपने यूरिया के विपणन के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के साथ विपणन समझौता किया है और एनएफएल को ₹100 लाख की बैंक गारंटी दी है। समझौते के अनुसार, बीवीएफसीएल एनएफएल द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की बिक्री को अपने खुदरा विक्रेताओं द्वारा पीओएस के माध्यम से सुनिश्चित करेगी, उन मात्राओं के लिए जो पीओएस के माध्यम से नहीं बेची गई हैं और थोक विक्रेताओं/सह-खुदरा विक्रेताओं द्वारा आईएफएमएस में स्वीकार नहीं की गई हैं। इसके अलावा, यदि आपूर्तिकर्ताओं को सहमत शर्तों के अनुसार देय भुगतान निर्धारित

have relinquishment the liability relating to April 2020 to March 2024 prior periods amounting to ₹4617.83lakhs. The said adjustment has been accounted for in the current year's Statement of Profit and Loss Account.

In this regard, we draw attention to the requirements of Ind AS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) / AS 5 (Prior Period Items, Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies), which stipulate that material prior period items should be separately disclosed in the financial statements.

Based on the disclosures made by the Company and the financial impact has been recognized in the current year. Accordingly, our opinion is not modified in respect of this matter.

3.6 OTHER OBSERVATIONS:

i) As per the Transaction Audit Report given by CAG, a total of 2740 nos. of quarters are available with BVFCL out of which 2485 nos. of quarters were fit and 255 quarters have been declared unfit. As per the information provided by the management, the rent for these quarters was fixed a decade back. The only available document in form of minutes of 2nd Township Discipline Committee (TDC) meeting held on 03.12.2010 was provided in support of fixed rent. As per the TDC meeting, the rent was subject to revision after every three years, which was still not revised till March 2025. The outsiders i.e. non-employees of the corporation who avail quarters of BVFCL, pay monthly rent ranging from ₹770/- to ₹1200/- which was revised during 2010. Since then, the rent was not revised. Non revision of rent results in loss of revenue to the company.

ii) The Company (BVFCL) has entered into marketing agreement with the National Fertiliser Limited (NFL) for marketing its urea and gave NFL bank guarantee amounting to ₹100lakhs. As per the agreement BVFCL will also ensure sale of fertilizers supplied by NFL by its retailers, through POS, for the quantities not sold through POS and not acknowledged by wholesalers/Co retailers in IFMS. Further, in case the payment due against suppliers made as per the agreed terms is not received within the stipulated

अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित देय तिथि पर प्रचलित एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर से 1% अधिक ब्याज लगाया जाएगा।

यूरिया के बकाया पीओएस स्टॉक के कारण एनएफएल ने 13.03.24 को ₹235.29 लाख की बैंक गारंटी रद्द कर दी और विलंबित भुगतान के लिए ₹37.83 लाख का ब्याज भी लगाया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में एनएफएल ने बैंक गारंटी को फिर से रद्द करके ₹500 लाख की वसूली की, लेकिन कंपनी ने केवल ₹27.89 लाख का ब्याज वसूल किया है और शेष ₹9.94 लाख की वसूली अभी बाकी है। कंपनी को एनएफएल के साथ अपने खाते का निपटारा करना चाहिए।

विपणन विभाग को अपनी संग्रह गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है ताकि बहुमूल्य धनराशि अवरुद्ध न हो और समझौते की शर्तों और नियमों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का ठीक से आकलन करने के बाद ही किसी अन्य कंपनी के उत्पादों के विपणन पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

4. निरंतर व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

कंपनी की निवल संपत्ति पूर्णतः क्षीण हो चुकी है, क्योंकि कंपनी की निवल संपत्ति ₹48,064.34 लाख ऋणात्मक है। कंपनी की संचित हानियाँ ₹84,647.58 लाख हैं, जो इसके ₹36,583.24 लाख के अंश पूंजी के मुकाबले अत्यधिक हैं।

यद्यपि प्रबंधन का यह कहना है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण निवल संपत्ति के क्षरण के आधार पर अपने परिचालन को बंद करने का कोई इरादा नहीं रखती है। सरकार का समर्थन निरंतर बना रहेगा तथा कंपनी आगामी वर्षों में पुनरुद्धार हेतु हर संभव प्रयास करेगी। कंपनी वर्तमान में सुधार के मार्ग पर है तथा अंततः पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर है।

5. विशेष महत्व का विषय: {क्रम संख्या 5.1 से 5.2 (ए से डी)}

5.1 नोट 13 व्यापार प्राप्य: ₹ 25201.57 लाख

क) कंपनी की कुल व्यापारिक देयक राशि ₹25,298.30 लाख है, जिसके विरुद्ध लेखा पुस्तकों में ₹96.73 लाख का प्रावधान दर्ज किया गया है। हमारे अवलोकन में यह आया है कि कंपनी द्वारा संदिग्ध एवं खराब देयकों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। उद्भव आधार लेखांकन में, संभावित खराब देयकों के लिए व्यय को मान्यता देने हेतु प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान ग्राहकों को बिल जारी किए जाने के समय ही किया जाता है, न कि बाद में यह निर्धारित होने की प्रतीक्षा करते हुए कि कौन-से बिल वसूल न हो पाने योग्य हैं।

period, interest 1% above the one-year SBI MCLR prevailing on relevant due date shall be charged.

As there was un-cleared POS stock of urea NFL revoked the bank guarantee on 13.03.24 amounting to ₹235.29 lakhs and also levied interest of ₹ 37.83 lakhs for delayed payment. Further, in April 2024 another ₹500 Lakhs were collected by NFL by further revoking the bank guarantee but the company has recovered interest of ₹27.89 Lakhs and the balance ₹9.94 Lakhs yet to be collected. The company should settle its accounts with NFL.

The marketing department needs to ramp up its collection activities so that the precious funds are not blocked and should take wise decision on marketing the products of another company after properly vetting its own capacities to meet the agreement terms and conditions.

4. Material Uncertainty Related to Going Concern

The net worth of the Company has been totally eroded, as the net worth of the Company is negative at ₹48064.34 Lakhs. The company is having accumulated losses to ₹84647.58 Lakhs against its Share Capital of ₹36583.24 Lakhs.

Though the management says it has no intention to cease the operation of the company because of erosion of net worth being a government company. The support will continue and the company shall make every effort to revive in the coming years it is on the path of recovery and eventual turnaround.

5. MATTER OF EMPHASIS: {Sl. No. 5.1 to 5.2(A to D)}

5.1 NOTE 13 TRADE RECEIVABLE: ₹ 25201.57 Lakhs

a) The total trade receivables of the company are₹25298.30 lakhs against which a provision of ₹96.73 Lakhs has been recorded in the books of accounts. We observed that the company has not made adequate provisioning for Bad and doubtful debts. In accrual accounting, businesses use the provision to recognize an item of expenditure for potential bad debts. They do this as soon as bills are given to customers instead of waiting to determine which bills are unrecoverable.

i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार प्राप्य राशि का आयुवार विवरण दर्शाता है कि ₹1097.48 लाख की राशि दो वर्षों से अधिक समय से बकाया है, जिसमें जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि के लिए FICC और DOF से प्राप्त सब्सिडी के 5% शेष दावे की राशि ₹694.31 लाख शामिल है। यह त्रुटि पाई गई है कि नवंबर 2012 से अक्टूबर 2013 के महीनों में IFMS में गलत डेटा दर्ज किया गया है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। ₹694.31 लाख के भुगतान के लिए IFMS में बिल जारी करने हेतु नियमित रूप से फॉलो-अप करना आवश्यक है।

ii) अन्य व्यापार प्राप्य मदों में विविध देनदारों की बिक्री (विपणन) ₹3503.98 लाख शामिल हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी के पास ₹387.97 लाख नकद सुरक्षा जमा और ₹953.49 लाख के पोस्ट-डेटेड चेक हैं। शेष ₹2162.52 लाख असुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, ₹574.92 लाख का भुगतान देय तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया है; हालांकि, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

iii) विविध देनदारों की बिक्री (विपणन) ₹3503.98 लाख में किसान सुविधा केंद्रों (केएसके) से प्राप्त होने वाली ₹127.97 लाख की राशि शामिल है। वर्ष 2016 से कंपनी के विपणन विभाग द्वारा प्रबंधित नौ केएसके हैं और इन पर ₹127.97 लाख की राशि बकाया है। इन केएसके से प्राप्त राशि नियमित रूप से जमा नहीं की गई या उसका उचित लेखा-जोखा नहीं रखा गया, इसलिए ये खाते बकाया हैं। सामान्यतः कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए थी। संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि बकाया राशि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह अवलोकन पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इन पक्षों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है और न ही इसे हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है। कानूनी अनुपालन के अनुसार वसूली की पहल गंभीरता से की जानी चाहिए।

5.2 **(ए)1.** हम वित्तीय विवरणों के नोट 30(10) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान चार परियोजनाओं को छोड़ने के निर्णय और परिणामस्वरूप उस पर किए गए ₹ 492.70 लाख के व्यय को बट्टे खाते में डालने का वर्णन किया गया है।

2. हम पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 4,617.83 लाख की देनदारी के त्याग

i) Age wise break-up of trade receivables for the F.Y. 2024-25 shows ₹1097.48 lakhs as outstanding for more than 2 years which includes 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017 amounting to₹694.31lakhs from FICC, DOF. An error has been identified that wrong data has been entered in IFMS in the months of Nov.12 to Oct. 2013which needs to be corrected but the same has not been done till date. It requires regular follow up to the Bill to be generated at IFMS for payment of ₹694.31 lakhs.

ii) Trade Receivables others, include Sundry debtors' sales (Marketing) ₹3503.98 lakhs against which the company has ₹387.97 lakhs as cash security deposits and post-dated cheques for₹ 953.49 lakhs. The balance ₹2162.52 lakhs are unsecured. Further, ₹574.92 lakhs is outstanding for more than six months from the date they were due for payment; however, the company has not created a provision for doubtful debts.

iii) Sundry Debtors sales (Marketing) ₹3503.98 lakhs include receivable of ₹127.97 lakhs from Kisan Suvidha Kendra (KSK)- There are nine KSK managed by the company in Marketing department since 2016 and there is receivable of ₹127.97 lakhs against these. The realization made from these KSKs was not regularly deposited or properly accounted for and thus these accounts are outstanding. Normally there should not have been any balance outstanding. No provision for doubtful debts has been made though the balance is more than 5 years old. This observation has been made in the Audit Report for the Previous financial years 2022-23 and 2023-24 and no payments have been received during the financial year 2024-25. No confirmation has been obtained from such parties and put for our verification. The initiative for recovery is to be taken seriously as per legal compliance.

5.2 **(A) 1.** We draw attention to Note 30(10) of the financial statements which describes the decision of the management to abandon four projects during the year and the consequent write-off of the expenditure of ₹ 492.70 lakhs incurred thereon.

2. We draw attention to Note of the financial statements

के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसा कि नोट 30(11) में खुलासा किया गया है।

3. कंपनी ने पूर्व के वित्तीय वर्षों के समय अंतर के संबंध में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को मान्यता नहीं दी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने एएस 22 “आयकर लेखांकन” की आवश्यकताओं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और 133 के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखा पुस्तकों में ₹ 2484.12 लाख की संचयी आस्थगित कर देयता को मान्यता दी है। परिणामस्वरूप, पूर्व के वर्षों के लाभ को अधिक दर्शाया गया और आरक्षित निधि को उस हद तक कम दर्शाया गया।जैसा कि नोट 30(12) में खुलासा किया गया है।

परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते में इस राशि की कटौती की गई है। पिछले वर्षों के आंकड़ों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

क्रमांक 5.2 (ए) 1, 2 और 3 में ऊपर बताए गए मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5.2 (बी) नोट 18 अन्य आय ₹ 5138.72 लाख (जिसमें विविध आय के अंतर्गत ₹182.04 लाख शामिल हैं)

i. किराया, लाइसेंस शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क आदि से ₹274.89 प्राप्त हुए:

हमने इन रसीदों के विवरणों का सत्यापन किया है और पाया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड और वित्त विभाग द्वारा रखे गए विविध देनदारों के खाते में विसंगति है।

सभी किराए विविध देनदारों के खातों में जमा किए जाते हैं और प्राप्तियां महीनों और वर्षों तक जारी रहती हैं। कंपनी को प्राप्तियों के भुगतान के प्रत्येक चरण पर, जल्द से जल्द, जांच बिंदु बनाए जाने चाहिए। कंपनी के नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए, प्राप्तियों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने हेतु जांच बिंदु स्थापित करने के लिए प्रबंधन विश्लेषण हेतु एक संक्षिप्त प्रस्तुति नीचे दी गई है।

regarding the relinquishment of liability amounting to ₹ 4,617.83 lakhs pertaining to earlier years, as disclosed in Note 30(11).

3. The Company had not recognized Deferred Tax Liability (DTL) in respect of timing differences for the earlier financial years. In the current financial year 2024-25, the Company has recognized the cumulative Deferred Tax Liability amounting to ₹ 2484.12 lakhs in the books of account, in compliance with the requirements of AS 22 “Accounting for Taxes on Income” and provisions of Section 129 & 133 of the Companies Act, 2013.Consequently, the profits of earlier years were overstated and reserves understated to that extent, as disclosed in Note 30(12).

Consequently, the current year’s Profit & Loss Account has been debited to this extent. Figures of previous years have not been restated.

Our opinion is not modified in respect of the matters stated above in serial no.5.2 (A) 1,2 and 3.

5.2 (B) NOTE 18 Other Income ₹5138.72 Lakhs (which includes ₹182.04 lakhs under Miscellaneous income)

i. Rent, Licence fee, Electricity and Water charges etc. received ₹274.89:

We have verified the details of such receipts and observed that, there is a mismatch with the records maintained by Administrative Department and the Sundry Debtors Estate account maintained by the Finance Department.

All rentals are debited to Sundry Debtors Estate accounts and the receivables are being continued months and years together. Check points should be created at every point that the receivables are being paid to the company at the earliest check points. A brief presentation is depicted hereunder for management analysis to set up a check points that such receivables stand at a minimum level to enhance the cash flow of the company.

वित्त विभाग के साथ लेन-देन	प्रारंभिक बकाया राशि (लाख रुपये में)	प्राप्तियां (लाख रुपये में)	स्थानांतरण (लाख रुपये में)	31.03.2025 दिनांक तक बकाया राशि (लाख रुपये में)
विविध देनदारों का संपत्ति खाता (गेस्ट हाउस को छोड़कर)	84.00	743.56	232.60	594.96

प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड और वित्त विभाग द्वारा रखे गए खाते पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। इस अंतर का मिलान करना आवश्यक है। प्रशासनिक विभाग का प्रारंभिक शेष सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए अंतरों की पहचान नहीं हो सकी। प्रशासनिक विभाग के अनुसार संपत्ति प्राप्य का अंतिम शेष ₹ 632.26 लाख था, जबकि वित्त विभाग के अनुसार यह ₹ 594.96 लाख था। ₹ 37.30 लाख के अंतर का मिलान करना आवश्यक है। संपत्ति विभाग (प्रशासनिक) के रिकॉर्ड का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	इकाइयों की संख्या	इकाई का प्रकार	दिनांक 31.03.2025 को बकाया राशि (लाखों रुपये में)
1	102	बीवीएफसीएल क्षेत्र	207.58
2.	12	मछली की दुकानें	6.11
3.	3	मांस की दुकानें	2.46
4.	136	विविध दुकानें	7.66
5.	34	पुक्का दुकानें	0.79
6.	1658	तिमाही	360.96
7.	1	सेक्टर ए	0.22
8.	7	सेक्टर डी	46.00
9	25	सब्जी की दुकानें	0.48
	1978		**632.26**

“हमने पाया कि तुलन पत्र की तारीख तक ₹632.26 लाख की कुल बकाया राशि बकाया है, जिसमें से एक बड़ी राशि कई वर्षों से बकाया है। कंपनी ने इन लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त और समय पर कदम नहीं उठाए हैं, न ही उसने दोषी किरायेदारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की है।”

इसके अलावा, खातों में इन बकाया राशियों की वसूली न होने की संभावना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो हमारी राय में बकाया राशि की

Transactions with Finance Department	Opening Balance Outstanding (₹In lakhs)	Receipts (₹In lakhs)	Transfers (₹. In lakhs)	Balance Outstanding as on 31.03.2025 (₹In lakhs)
Sundry Debtors Estate Account (Excluding Guest House)	84.00	743.56	232.60	594.96

As per record maintained by the Administrative Department and the account maintained by the Finance Department do not tally in toto. This variation needs to be reconciled. The opening balance of Administrative Department was not put up for our verification and as such the differences could not be identified. The closing balance as per Administrative Department of the Estate receivable was ₹ 632.26 Lakhs whereas as per the Finance Department ₹ 594.96 lakhs. The difference of ₹ 37.30 needs to be reconciled. The summary of record of the Estate Department (Administrative) is summarized here under:

Sl. No.	No. of Units	Type of Unit	Balance O/s as on 31.03.2025 (₹ In Lakhs)
1	102	BVFCL Area	207.58
2.	12	Fish Shops	6.11
3.	3	Meat Shops	2.46
4.	136	Misc. Shops	7.66
5.	34	Pucca Shops	0.79
6.	1658	QTR's	360.96
7.	1	Sector A	0.22
8.	7	Sector D	46.00
9	25	Vegetable Shops	0.48
	1978		**632.26**

“We observed that the above dues aggregating to ₹632.26 lakhs are outstanding as on the balance sheet date, out of which a substantial amount is overdue for more than years together. The Company has not taken adequate and timely steps for recovery of these long-pending dues, nor has it initiated appropriate legal action against the defaulting tenants.

Further, no provision has been made in the accounts for possible non-recovery of these dues, which in our opinion

अवधि और वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए आवश्यक हो सकता है। इससे चालू परिसंपत्तियों और मुनाफे का मूल्य ऐसी अनिर्धारित राशियों के अनुपात में अधिक दिखाया जा सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी सभी किराये की प्राप्तियों की तत्काल समीक्षा करे, कानून के अनुसार वसूली या बेदखली की कार्यवाही शुरू करे और लागू लेखा मानकों के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान करे।

5.2 (सी) कंपनी ने कुछ राशि तृतीय पक्षों के पास जमा की है, जिसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। विवेकपूर्ण तरीके से, कंपनी द्वारा जमा की गई राशि की पुष्टि हर तीन साल में एक बार प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि कंपनी के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके। विविध लेनदारों के खाते का विवरण अधिकांश लेनदारों को भेजा जा चुका है, लेकिन इस संबंध में कंपनी को उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुष्टि के बाद भी खाते का विवरण कंपनी को वापस नहीं भेजा गया है। संबंधित पक्षों से पुष्टि विवरण प्राप्त न होना एक प्रमुख चिंता का विषय है।

किसी भी व्यवसाय का संचालन नकदी के प्रवाह और बहिर्वाह पर निर्भर करता है। विविध देनदार और विविध लेनदार व्यवसाय की कार्यशैली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विविध लेनदारों को व्यवसाय के लिए देनदारी माना जाता है क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों द्वारा तय समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए बकाया राशि का भुगतान करना होता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न मदों के अंतर्गत भिन्नताएँ निम्नानुसार दर्ज की गई हैं: ₹ लाख में

क्रम संख्या	विवरण	2023-24	2024-25	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1.	एमएसएमई	580.25	535.01	MSME लेनदारों में 7.80% की कमी
2.	विविध लेनदार	22342.34	41040.01	विविध लेनदारों में 83.69% की वृद्धि हुई।
3.	बिक्री	74896.44	66858.08	बिक्री में 10.73% की कमी
4.	व्यापारिक स्टॉक की खरीद	17763.29	12664.38	खरीद में 28.70% की कमी
5.	उपभोग की गई सामग्री	16720.66	17232.23	3.06% की वृद्धि
6.	विविध देनदार	17392.74	25201.57	विविध देनदारों में 44.90% की वृद्धि।

may be necessary considering the age and uncertainty of collection. This may result in an overstatement of current assets and profits to the extent of such unprovided amounts.

We recommend that the Company undertake an immediate review of all rental receivables, initiate recovery or eviction proceedings as per law, and make necessary provisions for doubtful debts as per applicable accounting standards.

5.2 (C) The company has made certain deposits with third parties for which confirmation has not been obtained. Prudently confirmation should be obtained once in three years to confirm the amount advanced as deposits by the company to safeguard its legal rights to claim the same. The sundry creditors statement of account has been sent to most of the creditors but their response in this regard to the company is unresponsive. The statement of accounts has not been reverted after confirmation to the company. This is a major area concern of non-receiving of confirmation statements from parties.

A business runs on in flow and out flow of cash. Sundry Debtors and Sundry creditors play a crucial role in shaping a business' hold in its line of work. Sundry creditors are considered as liabilities to a business as they are supposed to pay outstanding amount, for a specific transaction, based on the agreed timeline by both the parties.

Further, variances under various heads have been noted as under: ₹ In lakhs

Sl. No.	Particulars	2023-24	2024-25	% Of Increase/Decrease
1.	MSME	580.25	535.01	Decrease in MSME creditors 7.80%
2.	SUNDRY CREDITORS	22342.34	41040.01	Increase in Sundry creditors 83.69%
3.	SALES	74896.44	66858.08	Decrease in Sales 10.73%
4.	PURCHASES of Stock in Trade	17763.29	12664.38	28.70% decrease in purchases
5.	Material consumed	16720.66	17232.23	Increase by 3.06%
6.	SUNDRY DEBTORS	17392.74	25201.57	44.90% increase in Sundry Debtors.

5.2 (डी) लाभ और हानि विवरण पर अवलोकन।

नोट 17 परिचालन से राजस्व - ₹66858.08 लाख जिसमें विनिर्मित उत्पादों के लिए मूल्य और माल ढुलाई सब्सिडी के मद में ₹41944.87 लाख शामिल हैं।

i) एफआईसीसी विनियम के अनुसार, कंपनी अंतिम बिक्री केंद्र से स्टॉक की निकासी के बाद ही मूल्य सब्सिडी का दावा करने की हकदार है: -

क) हमने आगे यह भी अवलोकन किया है कि कंपनी के पास खुदरा विक्रेताओं/डीलरों के पास बड़ी मात्रा में अविक्रीत भंडार पड़ा हुआ है अथवा यूरिया की बिक्री तो हो चुकी है, किंतु बिक्री को पीओएस प्रणाली के माध्यम से मार्गित नहीं किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में अविक्रीत भंडार की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में धनराशि अवरुद्ध हो रही है। 31.03.2025 की स्थिति में, 39,521.077 मीट्रिक टन की अविबिलित मात्रा का भंडार विद्यमान है, जिस पर ₹8,295 लाख की मूल्य सब्सिडी अभी तक अप्राप्त है। अतः कंपनी के विपणन विभाग को भंडार के शीघ्र निपटान हेतु उपयुक्त रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि सब्सिडी जारी किए जाने के लिए FICC के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा, कंपनी को गंभीर तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

ii) आयातित यूरिया के संबंध में मालभाड़ा प्राप्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹851.52 लाख बकाया था, जो 10.06.2025 को प्राप्त हो गया है। इस खाते में वर्ष के दौरान आगमन हुई तीन जहाजों से संबंधित कोई बकाया देय शेष नहीं है। उक्त मालभाड़ा प्राप्य में ₹1,250 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्राप्त एड-हॉक अंतर्देशीय मालभाड़े से अतिरिक्त प्राथमिक (रेल) एवं द्वितीयक (सड़क) मालभाड़ा प्राप्य शामिल है। DOP के दिनांक 29.06.2020 के आदेश के अनुसार रेल मालभाड़े पर सब्सिडी 1,400 किलोमीटर तक सीमित है। तथापि, आयातित यूरिया का परिवहन 1,400 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले राज्यों तक किया गया है तथा 1,400 किलोमीटर से अधिक की दूरी हेतु अतिरिक्त सब्सिडी का दावा कंपनी द्वारा किया गया है। उपरोक्त GONIT CO के डीओपी आदेश के दृष्टिगत, दावा किए गए अतिरिक्त मालभाड़े की प्राप्ति संदिग्ध प्रतीत होती है, तथापि जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, उक्त राशि प्राप्त हो चुकी है।

5.2 (D) OBSERVATION ON STATEMENT OF PROFIT AND LOSS.

NOTE 17 Revenue from Operations- ₹66858.08 Lakhs which includes ₹41944.87 Lakhs on account of Price and freight subsidy for manufactured products.

i) As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the price subsidy only after clearance of stockfrom ultimate Point of Sale: -

a) We have further observed that the company is having huge unsold stock lying with the retailers/ dealers. The company will receive Price subsidy on such unsold stock at dealer/retailer point on sale to farmers and clearance of the same POS. Though, decreasing trend of unsold stock quantity is being reflected as compared to last year but the same is resulting in substantial amount of fund being blocked up. The stock of unbilled quantity as on 31.03.2025 weighing around 39521.077MT exists on which price subsidy amounting to ₹8295 lakhs is unrealized. The marketing department of the company needs to formulate strategy to liquidate the stock so that the claim to release of the subsidy may be lodged with FICC otherwise there will be serious liquidity problems for the company.

ii) Freight receivable for imported urea is outstanding ₹851.52 lakhs for FY 2024-25 and this balance was received on 10.06.2025. There are no dues outstanding in this account which was against 3 vessels arrived during the year. This freight receivable consists of both primary (rail) and secondary (road) freight receivable over & above ad-hoc inland freight at the rate of 1250 per MT received. As per DOP order dated 29.06.20, subsidy on rail freight is restricted to 1400 kms. However, imported urea had been transported to states beyond 1400 kms and further subsidy over and above 1400 kms have been claimed by the Company. In view of the aforesaid GONIT CO DOP order, the additional freight claimed is doubtful to be received but the same has been received as stated above after deduction of Rs.7.26 lakhs.

iii) इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामरूप-II संयंत्र से संबंधित ₹55.40 लाख की मरम्मत व्यय राशि को व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें से ₹52.96 लाख जल उपचार संयंत्र से संबंधित है, जो नामरूप इकाई-II संयंत्र का अभिन्न अंग है। यह इकाई दिनांक 06.01.2020 से गैर-परिचालन स्थिति में है। अतः इस इकाई को अन्य इकाई, अर्थात् नामरूप-III के साथ समेकित किया जाना चाहिए, क्योंकि वही इस जल का उपयोग करती है तथा साथ ही संपूर्ण टाउनशिप द्वारा भी उक्त जल का उपयोग किया जाता है।

5.2 (ई): स्क्रैप की बिक्री के लिए अग्रिम राशि ₹43.70 लाख, जो ग्राहक अग्रिम प्राप्तियों के संचयी आंकड़े ₹1630.18 लाख के अंतर्गत दर्शाई गई है।

हमने यह अवलोकन किया है कि नीलामी के माध्यम से स्क्रैप विक्रय के मामलों में, यद्यपि सफल बोलीदाताओं द्वारा पूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान कर दिया गया है, तथापि सामग्री लंबे समय तक बिना किसी होल्डिंग/भंडारण शुल्क लगाए कंपनी की अभिरक्षा में ही पड़ी रहती है। यह प्रथा कंपनी को चोरी, क्षति तथा भंडारण सुविधाओं के अवरोध जैसे जोखिमों के प्रति उजागर करती है तथा वाणिज्यिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अपने हितों की रक्षा हेतु ऐसे सामग्री का समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करे अथवा निविदा/नीलामी की शर्तों के अनुसार उपयुक्त भंडारण शुल्क की वसूली करे। कंपनी द्वारा स्क्रैप सामग्री की बिक्री से संबंधित जमा दायित्व अंतर्गत ₹43.70 लाख की राशि दर्शाई गई है। एक नीति निर्धारित की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत नीलामी की गई सामग्री को एक निश्चित समय-सीमा, अर्थात् पंद्रह दिन से एक माह के भीतर, अनिवार्य रूप से उठाया जाए। नीलामी के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम अथवा पूर्ण राशि को अनिश्चित काल तक अग्रिम प्राप्ति के रूप में वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता। इस संदर्भ में हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसमें कंपनी ने यह प्रकटीकरण किया है कि 31 मार्च 2025 तक क्रेताओं द्वारा न उठाई गई स्क्रैप नीलामी से संबंधित प्राप्त राशि को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में लेखांकित किया गया है, जो ₹1,630.18 लाख की राशि में सम्मिलित है। सामग्री के उठाव के समय लेखा मानक (AS) 9 – राजस्व मान्यता के अनुरूप राजस्व को मान्यता दी जाएगी। इस विषय में हमारी लेखापरीक्षा राय संशोधित नहीं है। तथापि, प्रक्रियात्मक दृष्टि से भंडार निकासी की व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है

यह अवलोकन पिछले कई वर्षों से जारी है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी को अपने हितों की रक्षा के लिए निविदा/नीलामी की शर्तों के अनुसार ऐसी सामग्रियों की समयबद्ध निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए या उचित भंडारण शुल्क वसूल करना चाहिए।

iii) Further, repairs amounting to ₹55.40 lakhs are booked in expenses for Namrup II Plant during the year 2024-25 of which ₹.52.96 lakhs Water Treatment Plant which being part of Namrup Unit II Plant. This unit is non-operational since 06.01.2020. Therefore, this unit should be clubbed with other unit i.e. Namrup III which uses it water and at the same the total Township so uses.

5.2 (E): SALE OF SCRAP ADVANCE₹43.70 Lakhs shown under cumulative figure of CustomerAdvance Receipts of ₹1630.18 Lakhs

We observed that in respect of scrap sales through auction, though the successful bidders have paid the full sale consideration, the materials continue to remain in the custody of the Company for prolonged periods without levy of any holding/storage charges. This practice exposes the Company to risks of pilferage, loss and blockage of storage facilities and is not commercially prudent. We recommend that the Company should enforce timely lifting of such materials or recover appropriate storage charges as per tender/auction terms to safeguard its interests. The company includes an amount of ₹43.70 lakhs against Liability for Deposit for Scrap Materials sales. A policy should be framed that the auctioned stock be cleared within certain time frame fifteen days to one month. The Auction advance or full amount received cannot be treated as Advance receipts and same cannot be continued for years together. We draw attention to Note no. 8 of financial statements wherein the Company has disclosed that amounts received towards auction of scrap not lifted by the purchasers as at 31st March 2025 have been accounted as Advance from Customers which is included in sum of ₹1630.18 lakhs Revenue will be recognized on lifting of materials, in line with Accounting Standard (AS) 9 – Revenue Recognition. Our opinion is not modified in respect of this matter. The procedural aspect requires a change in clearance of stock.

This observation has been continuing from earlier years. We recommend that the Company should enforce timely lifting of such materials or recover appropriate storage charges as per tender/auction terms to safeguard its interests.

6. ऑडिट के मुख्य मामले:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार चालू वर्ष के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

7. वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी:

कंपनी के निदेशक मंडल को अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य जानकारी में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट और व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ काफी हद तक असंगत हैं या अन्यथा काफी हद तक गलत बताई गई प्रतीत होती हैं।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

8. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिसके अंतर्गत भारत में सर्वमान्य लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करना शामिल है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का

6. Key audit matters:

Key Audit Matters are those matters that, in our professional Judgment were of most significance in our Audit of the standalone financial statements of the current year. Reporting of Key Audit Matters as per SA 701, are not applicable to this Company, as it is an unlisted company.

7. Information other than the financial statements and auditors' report thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report & Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

8. Management's responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act

रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, ताकि वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत हो और वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हों।

for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

9. वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ:

9. Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements:

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वित्तीय विवरणों के अनुरूप किए गए लेखापरीक्षा में मौजूद किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि का पता हमेशा लग जाएगा। त्रुटियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इनसे उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements s as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

एस.ए.एस. के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

i. वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटियों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना, तथा हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए

i. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain

पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटि का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

ii. लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और

iii. इन नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का आकलन करें।

iv. लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन द्वारा उपयोग की जा रही कंपनी की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं और हमने कंपनी के निरंतर संचालन के अस्तित्व पर अपने संदेह को रिपोर्टिंग शीर्षक "निरंतर संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता" के अंतर्गत विधिवत रूप से रखा है।

v. वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

vi. हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई

audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

ii. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(1) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and

iii. The operating effectiveness of such controls. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report and we have duly placed our doubt on the company existence of going concern under, the reporting Head Material Uncertainty Related to Going concern.

v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

vi. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters,

जाने वाली कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

vii. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद किया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

viii. शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से हुई बातचीत के आधार पर, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कानून या नियम किसी मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में,

ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से उचित रूप से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे ऐसे संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होंगे। आरओबीएसीएस यह निर्धारित करता है कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित प्रभावित होगा।

10. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

10.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में "आदेश" के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, विवरण देते हैं।

10.2 अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उपरोक्त अनुच्छेद 3 में वर्णित योग्य राय के आधार में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे:

the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

vii. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

viii. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,

we adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the ROBACS determine that a matter should not be communicated in our report because the public interest benefits of such communication.

10. Report on other legal and regulatory requirements:

10.1 As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of "the Order", to the extent applicable.

10.2 As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a). We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit:

ख) ऊपर पैराग्राफ 3 में वर्णित योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग) ऊपर पैराग्राफ 3 में वर्णित योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र , लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं;

घ) ऊपर पैराग्राफ 3 में वर्णित योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संशोधित किया गया है;

ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) जो कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित है, सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं होती है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "परिशिष्ट बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिकतम अनुमेय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए धारा 197 द्वारा निर्धारित सीमा किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य

b). Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as it appears from our examination of those books;

c). Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report agree with the books of account;

d). Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph 3 above, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended;

e). In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors for appointment as Director of Company, is not applicable being a Government Company.

f). With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B".

g). With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197 (16) of the Act, in our opinion and according to the information and explanations given to us, the limit prescribed by section 197 for maximum permissible managerial remuneration is not applicable to a government company as per Notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.

h). With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of

मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में नोट के तहत लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया है;

ii) कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधानों के अनुसार, दीर्घकालिक अनुबंधों पर संभावित रूप से होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण नुकसान के लिए प्रावधान नहीं किए हैं; और

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई भी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv) a. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिनमें विदेशी भी शामिल हैं ("मध्यस्थ"), को कोई भी धनराशि अग्रिम, उधार या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से हो, शेयर प्रीमियम से हो या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करेगी: और

ग). लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है

the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Company has disclosed the impact of pending litigation in its financial statement under Note as contingent liability;

ii) the Company has not made provisions, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts; and

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv.a). The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b). The management has represented, that to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest on other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provided any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries: and

c). Based on audit procedure which we considered reasonable and appropriate in the circumstances,

जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (क) और (ख) के अंतर्गत दिए गए निरूपणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के उल्लंघन में वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

i) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, लेखापरीक्षा अभ्यास (एडिट लॉग) की सुविधा वाले लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखापरीक्षा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू होता है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने 26 मई, 2024 (अर्थात वित्तीय वर्ष 24-25 से आगे) से लेखापरीक्षा अभ्यास सुविधा को सक्षम कर दिया है।

10.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के अधिनियम की धारा 143(5) के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम "परिशिष्ट सी" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप-निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।

के लिए एवं की ओर से
मेसर्स के.आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 318011E

ह/-
(सीए कुलजीत राय जयचंद)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 053527
यूडीआईएन : 25053527BMNTWF1615

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :11.09.2025

nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under subclause (a) and(b) contain any material misstatement.

v. The company has not declared or paid any dividend during the year in contravention of the provisions of section 123 of the Companies Act, 2013.

i) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023. During audit, we noticed that the Company has enabled feature of Audit Trail on 26th May 2024 (i.e. from FY 24-25 onwards)

10.3 With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in terms of the directions of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(5) of the Act and on the basis of our examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we give in the "Annexure C" statements on the matters specified in the Directions and Sub-directions of Comptroller & Auditor General of India.

FOR & ON BEHALF OF
M/S K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No: 318011E

Sd/-
(CA Kuljit Rai Jaichand)
Proprietor
Membership No.: 053527
UDIN : 25053527BMNTWF1615

Place : New-Delhi
Date : 11.09.2025

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए,

जिसका उल्लेख कंपनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 10.1 में किया गया है।.

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाले कम्प्यूटरीकृत अभिलेख बनाए रखे हैं, हालांकि कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में अपनी अचल परिसंपत्तियों की विशिष्ट स्थिति का रिकॉर्ड नहीं रखा है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का विवरण दर्शाने वाले कम्प्यूटरीकृत अभिलेख बनाए रखे हैं।

ii) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का कार्य एक बाहरी एजेंसी को सौंपा गया था। एजेंसी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है और संगठन की अचल संपत्तियों की विशाल मात्रा और इसमें शामिल कई विभागों को देखते हुए, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। सत्यापन में पाई जाने वाली किसी भी महत्वपूर्ण विसंगति का समाधान अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे परीक्षण के लिए प्रस्तुत भूमि स्वामित्व अभिलेखों के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास असम के नामरूप में 2611 बीघा, 2 कट्ठा और 13.5 लाख की स्वतंत्र भूमि है, जहाँ उसका संयंत्र स्थित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास पट्टे पर ली गई भूमि और भवन जैसी कोई अचल संपत्ति नहीं है।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Annexure A to the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2024-25

Referred to in paragraph 10.1 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements.

We report that:

i) (A) The company has maintained computerized records showing particulars quantity and value of Property, Plant & Equipment however, the company has not maintained the specific situations of its Fixed Assets in the Fixed Assets Register.

(B) The Company has maintained computerized records showing particulars of intangible assets.

ii) As per information and explanations given to us by the company management, the physical verification of property, plant and equipment was assigned to an external agency. The agency has commenced the task of verification of property, plant and equipment and the process of physical verification is expected to be completed in the subsequent financial year considering the voluminous nature of the fixed assets in the organisation and multiple departments involved. Any material discrepancy which might be observed in the verification will be dealt in the subsequent financial year.

iii) According to the information and explanations given to us and the land holding records produced for our examination, we report that the company holds 2611 bigha, 2 katha and 13.5 laccha of freehold land in Namrup, Assam where its plant is located. According to the information and explanations given to us the Company does not have immovable properties of land and building taken on lease.

iv) According to the information and explanations given to us, the company has not revalued its Property, Plants & Equipment's during the reporting Financial Year.

v) According to the information and explanations given to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any

कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने पाया कि वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा निर्मित वस्तुओं, व्यापारिक वस्तुओं और तैयार माल की पैकिंग में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया था, हालांकि, हमने पाया कि भंडार और अन्य इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्गीकरण में कुछ विसंगतियां पाई गईं जिनका प्रभाव भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संख्या MM(S)/18/2025/045 दिनांक 27.05.2025 के अनुसार नगण्य था।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय कंपनी ने अपनी चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के बदले किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है और इसलिए सीएआरओ 2020 की धारा (ii) (ख) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण या अग्रिम के रूप में कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है, इसलिए सीएआरओ 2020 के खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करता हो, जो कि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों, निवेशों, गारंटियों और सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए सीएआरओ 2020 के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

viii) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 या अन्य प्रासंगिक प्रावधान तथा जनता से जमा राशि स्वीकार करने के संबंध में कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2015 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ix) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते

Benami property under the “Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and Rules made thereunder.

a) As per information and explanation given to us, we observed that the stock of manufactured goods, traded goods and the packing materials used for the packing of finished goods have been physically verified by the management at the yearend however, we observed that the physical verification of stores and other inventory is not being done since long time. Further, classification discrepancies were noted whose impact was negligible as per Physical Verification Report Ref. No. MM(S)/18/2025/045 dated 27.05.2025.

b) As per information and explanation given to us, during any point of time of the year the Company has not availed working capital limits from any banks or financial institution against the security of its current assets and hence (ii) (b) of CARO 2020, is not applicable on Company.

vi) The Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties therefore reporting under Clause (iii) of the CARO 2020 is not applicable on Company.

vii) As per information and explanation given to us, there are no transactions which attract the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans, investments, guarantees and security provided by it, therefore reporting under Clause (iv) of the CARO 2020 is not applicable on Company.

viii) The company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and Provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regards to deposits accepted from the public are not applicable.

ix) We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for maintenance of Cost Records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and we are of the opinion that prima facie

और अभिलेख बनाए और रखे गए हैं।

x) **क)** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सभी महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशियों सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशियों के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशियों को संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक ऐसी कोई भी निर्विवाद वैधानिक देय राशि देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी पर असम मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय राज्य कर (सीएसटी) से संबंधित कुछ विवादित बकाया राशियाँ लंबित हैं। उपर्युक्त बकाया राशियों का विवरण नीचे दिया गया है।

विधि/ अधिनियम का नाम	देय राशि का नाम	राशि (लाखों रुपये में)	वह अवधि जिससे यह राशि संबंधित है	जहां से विवाद लंबित है।
असम मूल्य वर्धित कर नियम, 2005	सीएसटी और प्रवेश कर	594.007	2013-14	कर आयुक्त, असम
	सीएसटी और प्रवेश कर	21.10	2012-13	कर आयुक्त, असम
-यथावत-	मूल्य वर्धित कर	48.52	2012-13	कर अधीक्षक
-यथावत-	सीएसटी	2.25	2012-13	कर अधीक्षक
-यथावत-	मूल्य वर्धित कर	3.46	2016-17	कर अधीक्षक
-यथावत-	सीएसटी	5.95	2016-17	कर अधीक्षक
-यथावत-	ई-टैक्स	9.02	2013-14	कर आयुक्त, असम
	कुल	**684.30**		

the prescribed accounts and records have been made and maintained.

x) **a)** According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted / accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Income-tax, Sales-tax, Service-tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added tax, cess and any other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us no such undisputed arrears of statutory dues were outstanding as at 31 March, 2024, for a period of more than six months from the date they became payable.

b) According to the information and explanations given to us, some disputed dues against the Company are outstanding as at 31 March, 2024, in respect of Assam Value added tax and central state tax (CST). The details for the aforesaid mentioned dues have been disclosed below

Name of the statute	Name of dues	Amount In ₹ lakhs	Period to which the amount relates	From where the dispute is pending.
The Assam value added Tax Rules, 2005	CST & Entry Tax	594.007	2013-14	Commissioner of Taxes, Assam
	CST & Entry Tax	21.10	2012-13	Commissioner of Taxes, Assam
	VAT	48.52	2012-13	Superintendent of taxes
	CST	2.25	2012-13	Superintendent of taxes
	VAT	3.46	2016-17	Superintendent of taxes
	CST	5.95	2016-17	Superintendent of taxes
	E-Tax	9.02	2013-14	Commissioner of Taxes, Assam
	Total	**684.30**		

xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में न तो सरेंडर किया है और न ही खुलासा किया है।

xii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्था या डिबेंचर धारक को ऋण पर मूलधन या ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है, इसलिए खंड ix(a) से ix(e) इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii) (क) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के अनुपालन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiv) (क) हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

(ख) हमारी जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

(ग) लेखा परीक्षक के रूप में, हमें वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

xv) यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड इस पर लागू नहीं होता है।

xvi) कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, इसलिए कंपनी पर कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन

xi) According to the information and explanations given to us, the Company has not surrendered or disclosed as income any transactions not recorded in books of account during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

xii) Based on our audit procedures, and as per the information & explanation given to us by the management, the company has not defaulted in the repayment of dues of principal or interest on loan to the bank, financial institution or debenture holder and hence the clause ix(a) to ix(e) are not applicable on this company.

xiii) (a) During the reporting Financial Year, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, the provision of clause 3 (x) of the Order is not applicable on the Company.

(b) During the reporting Financial Year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and therefore the requirements of compliance of Section 42 and Section 62 of the Companies Act, 2013 is not applicable on company.

xiv) (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no material fraud has been observed being committed by the company or any fraud on the company has been noticed or reported.

(b) To the best of our knowledge, no report under-sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

(c) As auditor, we did not receive any whistle-blower complaint during the year.

xv) This Company is not a Nidhi Company and hence this clause of CARO 2020 is not applicable.

xvi) The Company has not entered any transactions with the related parties and hence compliance

लागू नहीं होता है।

xvii) क) कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा तिमाही आधार पर किया जा रहा है और लेखापरीक्षा का दायरा इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप प्रतीत होता है।

ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है।

xviii) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, सिवाय सरकारी कंपनी के निदेशकों के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के। कंपनी एक केंद्रीय सरकारी उपक्रम है और अध्यक्ष सह पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक का प्रबंधकीय पारिश्रमिक नियुक्ति करने वाले सरकारी विभागों, अर्थात् रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार है। इस प्रकार, कंपनी ने केवल केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान किया है, जो स्वयं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।

xix) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

ख) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त संबंधी गतिविधियां नहीं की हैं, इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के तहत परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

घ) कंपनी का प्रबंधन किसी समूह की कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी को ₹13114.25 लाख का नकद घाटा हुआ है और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ था।

with sections 177 and 188 of Companies Act is not applicable on the Company.

xvii) a) Internal Audit of the Company is being conducted on quarterly basis by a Chartered Accountant firm and the scope of audit coverage seems to be commensurate with the size and nature of its business.

b) We have duly considered the reports of the Internal Auditors for the period under audit.

xviii) The company has not entered any non-cash transactions with directors or persons connected with them, except for payments of salary and other perquisites as mandated in service rules for directors of a government company. The Company is a Central Govt. Undertakings and its managerial remuneration to the Chairman Cum Whole Time Managing Director is as per the pay fixation. prescribed by the appointing Govt. Departments i.e. Ministry of Chemical and Fertilizer. Thus, the company has paid/provided managerial remuneration only as per mandate of the Central Govt., which is itself a sufficient compliance of provisions of section 192 of Companies Act 2013.

xix) a) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined under the Regulations by the Reserve Bank of India, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

d) The Company is not being managed by any Group Concerns, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

xx) According to the information and explanations given to us, during the current reporting period the Company has incurred cash losses amounting to ₹13114.25 lakhs and no cash losses were incurred in the immediately preceding financial year.

xxi) यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसके वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के लेखा एवं सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी के नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों में से किसी ने भी अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है।

xxii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद देनदारियों को तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जब भी वे देय हों, पूरा करने की अपनी क्षमता व्यक्त की है, भले ही कंपनी की शुद्ध संपत्ति नकारात्मक हो।

xxiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित 3 मानदंडों में से 2 को पूरा करती है, हालांकि, सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत पर आधारित है।

xxiv) कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किया गया लाभ नकारात्मक है और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड 3(xx) रिपोर्टिंग वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xxv) यह कंपनी एक एकल इकाई है और इसकी कोई समूहिक संस्था नहीं है, इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

के लिए एवं की ओर से
मेसर्स के.आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 318011E

ह/-
(सीए कुलजीत राय जयचंद)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 053527
यूडीआईएन : 25053527MBNTWF1615

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 11.09.2025

xxi) The Company is a Govt. Company and its Statutory Auditor is being appointed by CA& G of India. None of the appointed Statutory Auditor of the Company has placed its resignation so far.

xxii) According to the information and explanations given to us the management of the Company has expressed its capability of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date though the net worth of the company is negative.

xxiii) According to the information and explanations given to us by the management the Company fulfils 2 out of 3 criteria for the applicability of the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013 however, the amount to be spent on CSR based on the two per cent of the average net profits of the

xxiv) Company made during the three immediately preceding financial years is negative and therefore this clause 3(xx) of CARO 2020 is not applicable on Company during the reporting year 2024-25.

xxv) The Company is a single entity and has no group concerns and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

FOR & ON BEHALF OF
M/S K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No: 318011E

Sd/-
(CA Kuljit Rai Jaichand)
Proprietor
Membership No.: 053527
UDIN : 25053527MBNTWF1615

Place : New-Delhi
Date : 11.09.2025

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 10.2 (एफ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट:

हमने 31 मार्च, 2025 तक ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही हमने उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, कंपनी के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीव्यूट द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Annexure-B to the Auditors' Report

Referred to in paragraph 10.2 (f) of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements for the Financial Year 2024-25

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act'):

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Brahmaputra Valley Corporation Limited (the Company') as of 31" March, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Company management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit to Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to

किया। ये मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और ऑडिट की योजना बनाकर उसे इस प्रकार निष्पादित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण खामी की संभावना का आकलन करना और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो...

क) कंपनी की संपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विस्तार से, सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित;

ख) यह सुनिश्चित करना कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन

an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control bases on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that"

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. provide reasonable assurance that transactions

सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

ग) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को अनुचित रूप से दरकिनार करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं जिनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य के अवधियों के लिए अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय:

हमारी राय में, कंपनी में महत्वपूर्ण स्तर पर अनियमितताएँ विद्यमान हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में गंभीर कमियाँ पाई गई हैं। दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में, वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से कंपनी के विरुद्ध पारित आकलन आदेशों के विरुद्ध समय पर अपील दायर न किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप दंड अधिरोपित हुए तथा उन दंडों का वित्तीय विवरणों में समुचित लेखांकन न किया जाना; वर्तमान अवधि में अप्रसंजित शेष राशियों के लिए उपयुक्त अभिलेखों का अभाव; आय, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देयताओं का गलत वर्गीकरण; अपर्याप्त प्रावधान; स्थायी परिसंपत्तियों एवं भंडारों का 100% भौतिक सत्यापन न किया जाना; महत्वपूर्ण खातों का समुचित मिलान न किया जाना; तथा त्रुटियों के कारण उत्पन्न गलत प्रस्तुतीकरण (जैसे मूल्यह्रास की गणना में त्रुटि) का सुधार न किया जाना शामिल है। यह निष्कर्ष कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर निकाला गया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी

are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorization of the Management of the Company; and

3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion:

In our opinion, the Company has irregularities in material respects, and significant deficiency in internal financial controls system over financial reporting were identified and such internal financial controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2025 including timely filing of appeals against the assessment orders passed against the company leading to imposition of penalties and not giving effect of the penalty in financials, non-availability of proper records for unreconciled balances in the current period, incorrect classification of income, expenses,assets and liabilities, insufficient provisioning, non-conduct of 100% physical verification of fixed assets and stores, Failure to perform reconciliations of significant accounts, correction of misstatement due to error (like in calculation of depreciation) which is based on internal control over financial reporting criteria established by

"वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं।

के लिए एवं की ओर से
मेसर्स के.आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 318011E

ह /-
(सीए कुलजीत राय जयचंद)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 053527
यूडीआईएन : 25053527BMNTWF1615

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 11-09-2025

the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

FOR & ON BEHALF OF
M/S K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No: 318011E
Sd/-
(CA Kuljit Rai Jaichand)
Proprietor
Membership No.: 053527
UDIN : 25053527BMNTWF1615

Place : New-Delhi
Date : 11-09-2025

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 10.3 में संदर्भित सदस्यों को वित्तीय विवरण पर कंपनी
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ
1.	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध निवेशों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, औद्योगिक मानक विचलन (IND AS) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, अपनी जिम्मेदारी और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट करेगा।	कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए भविष्य निधि को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं है, जिसका प्रबंधन एक मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। पीएफ ट्रस्ट द्वारा धारित निवेशों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि/तिथि के उचित बाजार मूल्य/एनएवी पर, भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों और ईपीएफओ के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। श्रेणी IV (इक्विटी-संबंधित) के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन एनएवी के आधार पर किया जाता है, जबकि अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार लागत मूल्य पर किया जाता है। कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कोई अन्य निवेश नहीं किया जाता है। इसके अलावा, पीएफ ट्रस्ट के निवेशों का ट्रस्ट ऑडिटर द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाता है और ईपीएफ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और सत्यापन के अधीन भी होते हैं। तदनुसार, कंपनी पुष्टि करती है कि मूल्यांकन दृष्टिकोण लागू नियमों के अनुरूप है और इसमें कोई विचलन नहीं पाया गया है।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने से खातों की सत्यता पर पड़ने वाले प्रभावों और यदि कोई वित्तीय प्रभाव हों, तो उनका उल्लेख करें।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और हमारे ऑडिट के आधार पर हमने पाया कि कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 से कंप्यूटरीकृत टैली प्राइम है और एडिट लॉग संस्करण वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी है। इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास COBOL में रखा जाता है, PF और पेरोल को COBOL से Facto HR प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है और किरायेदार बिलिंग को भी नए क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर में बदल दिया गया है। हालांकि, ये सिस्टम अभी भी कुछ कमियों से जूझ रहे हैं। पूरी तरह से

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Annexure C of the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2024-25
Referred to in paragraph 10.3 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statement
Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2024-25

SI. No.	Directions Auditors	Auditors Comments
1.	Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, brief note on the valuation approach, its responsibility, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	The Company does not have any direct investments towards post-retirement benefits except for Provident Fund, which is managed through a recognized PF Trust. The valuation of investments held by the PF Trust is carried out at fair market value/NAV of the reporting period/date, in accordance with the provisions of the Provident Fund Act and applicable guidelines of EPFO. Investments under Category IV (equity-related) are valued on the basis of NAV, while all other investments are valued at cost as per prescribed principles. No other investments for post-retirement benefits are maintained by the Company. Further, the PF Trust investments are independently audited by the Trust Auditor and are also subject to inspection and verification by EPF authorities. Accordingly, the Company confirms that the valuation approach is consistent with the applicable regulations and there are no deviations noted.
2.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on the details provided by the Management and our audit we observed that the Company has a Computerized Tally Prime from the financial year 2023-24 and Edit Log version was made effective from the financial year 2024-25. The inventory and fixed assets depreciation is maintained in COBOL, PF and payroll has been migrated to Facto HR platform from COBOL and tenant billing is

		एकीकृत नहीं, और वहाँ है कोई स्वचालित इंटरफ़ेस नहींउनके बीच इस प्रकार नियंत्रण को मजबूत करना मैन्युअल जर्नल प्रविष्टियाँ और व्यापक दस्तावेज़ीकरण और अनुमोदन बनाए रखना संगठन की सर्वोपरि चिंता होनी चाहिए।
3.	क्या केंद्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखा मानकों या नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और हमारे ऑडिट के आधार पर हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदानों का उपयोग परियोजना के लिए किया जा रहा है और ब्याज को अलग से दर्शाया गया है।
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान कर ली है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने उत्पादन, रखरखाव, विपणन, प्रशासन, मानव संसाधन और वित्त सहित सभी प्रमुख विभागों में जोखिम के मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है। एक संरचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक विभाग तिमाही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें जोखिम की प्रकृति, उसकी संभावना, प्रभाव का स्तर (कम/मध्यम/उच्च) और प्रस्तावित/अपनाए गए निवारक उपायों का उल्लेख होता है

		also transformed to a new cloud-based software. However, these systems are not fully integrated, and there is no automated interface between them as such strengthening controls over manual journal entries and maintaining comprehensive documentation and approvals should be the prime concern of the organisation.
3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivables for specific scheme from Central/State or its agencies were properly accounted for as per applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its term and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation,	Based on the details provided by the Management and our audit we observed that during the financial year 2024-25 no new grants were received by the Company from Central/State agencies. The grants received in earlier years are being utilized for the Project and the interest is reflected separately.
4.	Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has identified key risk areas across all major functions, namely Production, Maintenance, Marketing, Administration, HR, and Finance. A structured risk management framework has been put in place, under which each department submits a quarterly status report indicating the nature of the risk, its likelihood, degree of impact (low/medium/high), and the mitigating measures proposed/taken.

4.		इन जोखिम प्रबंधन रिपोर्टों को संकलित करके समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जोखिम की पहचान, निगरानी और निवारण निदेशक मंडल की सीधी देखरेख में एक सतत और पारदर्शी प्रक्रिया बनी रहे। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति भी तैयार की है, जिसमें जोखिमों के आकलन और निवारण की कार्यप्रणाली के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की गई है। इस नीति को आवधिक समीक्षाओं और सुधारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से लागू किया जाता है ताकि व्यावसायिक कार्यों पर संभावित प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि यह ढांचा वैधानिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया है, कंपनी धीरे-धीरे अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित कर रही है। इनमें शामिल हैं: i. जोखिमों की समय पर पहचान और वर्गीकरण। ii. गंभीरता और संभावना के आकलन सहित संरचित रिपोर्टिंग। iii.वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम कम करने की जिम्मेदारी सौंपना। iv.बोर्ड स्तर पर निगरानी और प्रभावशीलता की आवधिक समीक्षा। तदनुसार, कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है, जिसकी लगातार समीक्षा और सुदृढ़ीकरण किया जाता है, और संगठन के हितों की रक्षा के लिए उचित बोर्ड पर्यवेक्षण किया जाता है, लेकिन अभी तक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं है।

		These risk management reports are consolidated and placed before the Board of Directors at periodic intervals for their review and guidance. This ensures that risk identification, monitoring, and mitigation remain a continuous and transparent process under the direct oversight of the Board. The Company has also formulated a Risk Management Policy which lays down the methodology for assessment and mitigation of risks, along with the accountability of responsible officers. The policy is implemented through periodic reviews and corrective actions to minimize potential impact on business operations While the framework is designed in line with statutory requirements and good practices generally followed by public sector undertakings, the Company is progressively aligning its risk management process with global best practices. These include: i. Timely identification and categorization of risks. ii. Structured reporting with assessment of severity and probability. iii. Assignment of responsibility for mitigation to senior officers. iv. Board-level oversight and periodic review of effectiveness. Accordingly, the Company has a well-defined system of risk management in place, which is continuously reviewed and strengthened, with appropriate Board supervision, to safeguard the interests of the organization but yet to align with the global best practices.

5.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एसईबीआई, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो उल्लंघन के मामलों को उजागर किया जाए।	यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसके शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं। इसलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए अन्य विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, जहां भी वे कंपनी की गतिविधियों पर लागू होते हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, ऐसा कुछ भी हमारे संज्ञान में नहीं आया है जिससे उपरोक्त प्रावधानों के महत्वपूर्ण अनुपालन न होने का संकेत मिले।

के लिए एवं की ओर से
मेसर्स के.आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 318011E

ह/-
(सीए कुलजीत राय जयचंद)
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 053527
यूडीआईएन : 25053527BMNTWF1615

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 11-09-2025

5.	Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	The Company is a Government Company and its securities are not listed on any recognized stock exchange. Accordingly, the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are not applicable to the Company. However, the Company is subject to compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder, and other regulations/circulars/guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Department of Public Enterprises (DPE), wherever applicable to the activities of the Company. During the course of our audit, nothing has come to our attention that would indicate material non-compliance with the aforesaid provisions.

FOR & ON BEHALF OF
M/S K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No: 318011E

Sd/-
(CA Kuljit Rai Jaichand)
Proprietor
Membership No.: 053527
UDIN : 25053527BMNTWF1615

Place : New-Delhi
Date : 11-09-2025

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र 31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

Balance Sheet as at 31st March, 2025

(रूपये लाख में)

(Rs. in lakhs)

	विवरण		PARTICULARS	टिप्पणी संख्या Note No.	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
I	**इक्विटी और देयताएं**	I	**EQUITY AND LIABILITIES**			
क.	**शेयरधारक निधि**	A	**Shareholder's funds**			
	(क) शेयर पूंजी		(a) Share capital	1	36,583.24	36,583.24
	(ख) रिजर्व और अधिशेष		(b) Reserves and surplus	2	(84,647.58)	(68,166.28)
ख.	**गैर-वर्तमान देयताए**	B	**Non-current liabilities**			
	(क) दीर्घावधि उधार		(a) Long term borrowing	3A	57,275.00	57,275.00
	(ख) स्थगित कर देयताएँ		(b) Defered Tax Liabilities	3B	2,484.12	
	(ग) अन्य दीर्घावधि देनदारियां		(c) Other long-term liabilities	4	2,068.21	2,173.78
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान		(d) Long-term provisions	5	2,164.72	2,278.37
ग.	**वर्तमान देनदारियां**	C	**Current Liabilities**			
	(क) अल्पावधि उधार		(a) Short term borrowing	6	275.77	64.94
	(ख) व्यापार भुगतान		(b) Trade payables	7	41,575.02	22,922.59
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम का कुल बकाया		Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		535.01	580.25
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया		Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		41,040.01	22,342.34
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं		(c) Other current liabilities	8	6,342.73	10,539.56
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान		(d) Short-term provisions	9	780.18	223.66
	योग (क+ख+ग)		**TOTAL (A+B+C)**		**64,901.42**	**63,894.87**
II	**परिसंपत्तिया**	II	**ASSETS**			
घ	**गैर वर्तमान परिसंपत्तिया**	D	**Non-Current Assets**			
	क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ		(a) Property, Plant & Equipment and Intangible Assets			
	(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		(i) Property, Plant and Equipment	10	15,450.02	16,973.54
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ		(ii) Intangible assets	10	6.92	12.04
	(iii) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य		(iii) Capital work-in-progress	10	-	468.20
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		iv) Intangible assets under development	10	-	24.50

	(v) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (पूंजीगत भंडार)		(iv) Capital work-in-progress (Capital stores)	10	519.55	553.97
	(ख) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		(b) Long-term loans and advances	11 A	239.75	239.75
	(ख) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		(b) Other non current assets	11 B	1,059.24	1,332.30
ङ	**वर्तमान परिसंपत्तिया**	E	**Current Assets**			
	(क) माल सूची		(a) Inventories	12	6,506.19	6,199.82
	(ख) व्यापार प्राप्िया		(b) Trade receivables	13	25,201.57	17,392.74
	(ग) नकद और बैंक शेष		(c) Cash and cash equivalents	14		
	- नकद और नकद समकक्ष		- Cash & cash equivalents		3,382.41	11,047.41
	- अन्य बैंक बैलेंस		- Other bank balances		520.67	798.25
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		(d) Short-term loans and advances	15	10,753.28	8,012.66
	(ड) अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया		(e) Other current assets	16	1,261.82	839.68
	योग (घ+ङ)		**TOTAL (D+E)**		**64,901.42**	**63,894.87**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ खातों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है		Significant Accounting Policies Additional Notes to Accounts The accompanying note forms an integral part of these Financial Statements	29 30		

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
विकास कुमार झा
Vikash Kumar Jha
कंपनी सचिव
Company Secretary

Sd/-
एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
DIN - 08988297

Sd/-
मोहन राज शेट्टी
Mohan Raj Shetty
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chaiman &Managing Director
DIN - 11068203

As per our report of even date annexed

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.आर.जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
के.आर.जयचंद
पार्टनर
आईसीआईए सदस्यता सं 053527
फर्म रजि. नंबर: 318011ई
सी एंड ए जी एम्पनेल्मेंट संख्या : SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2025

For K.R. Jaichand & Co.
Chartered Accountants,
K.R. Jaichand
Partner
ICAI Membership No. : 053527
Firm Regn. No : 318011E
C&AG Empanelment No. SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
Place: New Delhi
Dated: 11.09-2025

ब्रह्मपुल वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2025

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

	विवरण		PARTICULARS	टिप्पणी संख्या Note No.	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
I	परिचालनों से राजस्व	I	Revenue from operations	17	66,858.08	74,896.44
II	अन्य आय	II	Other income	18	5,138.72	6,371.77
III	कुल आय	III	Total Income		71,996.80	81,268.21
IV	व्यय	IV	Expenses			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत		Cost of materials consumed	19	17,232.23	16,720.66
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		Purchases of Stock-in-Trade	20	12,664.38	17,763.29
	तैयार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन कार्य प्रगति पर और भंडार माल		Changes in Inventories of finished goods, Work in progress and Stock in Trade	21	(583.30)	(2,255.25)
	कर्मचारी हित लाभ व्यय		Employee benefits expenses	22	6,351.00	6,037.66
	वित्तीय लागत		Finance cost	23	-	65.97
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		Depreciation and amortisation expense	10	882.93	1,513.74
	अन्य व्यय		Other expenses	24,25, 26,27	44,786.08	47,717.62
	कुल व्यय		**Total Expenses**		**81,333.31**	**87,563.70**
V	असाधारण और असाधारण मद और कर से पहले लाभ (III-IV)	V	Profit before exceptional and extraordinary items and Tax (III-IV)		(9,336.51)	(6,295.49)
VI	असाधारण वस्तुएँ	VI	Exceptional items			
	क) पूर्व अवधि का समायोजन – (व्यय) / आय		a) Prior period adjustment - (Expenses) / Income	27A	(924.45)	2,548.90
	ख) विवाद के निपटान पर देयता का परित्याग (नोट सं. 30.11 के संदर्भ में)		b) Relinquishment of liability on settelement of dispute (Refer Note No. 30.11)		(3,736.22)	4,617.83
VII	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ (V – VI)	VII	Profit before extraordinary items and Tax (V-VI)		(13,997.18)	871.24
VIII	असाधारण सामग्री	VIII	Extraordinary items		-	-
IX	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)	IX	Profit before tax (VII-VIII)		(13,997.18)	871.24
X	कर व्यय-	X	Tax expenses			
	(1) वर्तमान कर		(1) Current tax		-	-

	(2) आस्थगित कर		(2) Defferred tax		2,484.12	-
XI	गत वर्ष के लिए सतत परिचालनों के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)	XI	Profit / (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)		(16,481.30)	871.24
XII	परिचालन बंद करने से लाभ/ (हानि)।	XII	Profit / (Loss) from discontinuing operations		-	-
XIII	परिचालन बंद करने के लिए कर व्यय	XIII	Tax expenses for discontinuing operations		-	-
XIV	परिचालन बंद करने से लाभ/ (हानि) (कर के बाद) (XII-XIII)	XIV	Profit / (Loss) from discontinuing operations (after Tax) (XII- XIII)			
XV	लाभ/हानि (XI +XIV)	XV	Profit / Loss (XI +XIV)		(16,481.30)	871.24
	प्रति शेयर आय (रु. 1,000/- प्रति शेयर):		Earnings per share (of Rs. 1,000/- each):	28		
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)		Basic Earnings per Share (Rupees)		(450.51)	23.82
	प्रति शेयर पतला आय (रुपये में)		Diluted Earnings per Share (Rupees)		(450.51)	23.82
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		Significant Accounting Policies	29		
	खातों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ		Additional Notes to Accounts	30		
	संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है		The accompanying note forms an integral part of these Financial Statements			

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
विकास कुमार झा
Vikash Kumar Jha
कंपनी सचिव
Company Secretary

Sd/-
एस. सी. दास
S.C. Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
DIN - 08988297

Sd/-
मोहन राज शेट्टी
Mohan Raj Shetty
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chaiman &Managing Director
DIN - 11068203

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.आर.जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
के.आर.जयचंद
पार्टनर
आईसीआईए सदस्यता सं 053527
फर्म रजि. नंबर: 318011ई
सी एंड ए जी एम्पनेल्मेंट संख्या : SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2025

As per our report of even date annexed
For K.R. Jaichand & Co.
Chartered Accountants,
K.R. Jaichand
Partner
ICAI Membership No. : 053527
Firm Regn. No : 318011E
C&AG Empanelment No. SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
Place: New Delhi
Dated: 11.09.2025

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the Year ended as on 31st March, 2025

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	2024 - 25		2023 - 24	
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : कर पूर्व लाभ/(हानि) :	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :** Profit/(Loss) before tax :		(16,481.30)		871.24
जोड़ें : प्रचालन कार्यकलाप के अलावा तथा गैर नकद मदों और अन्य के प्रचालन गतिविधियाँ	Add: Adjustments for Non Cash items & other than				
- मूल्यहास	- Depreciation	882.93		1,513.74	
- भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के पुरानेपन के लिए प्रावधान	- Provision for Obsolescence of stores & Spares	86.75		9.90	
- छुट्टी के नकद भुगतान के लिए प्रावधान	- Provision for Leave Encashment	560.61		492.50	
-उपदान के लिए प्रावधान	- Provision for Gratuity	880.01		559.56	
- प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की तुलना में बट्टे खाते में डाली गई नीयत परिसंपत्तिया	- Fixed Assets written off against replaced assets	38.83		127.86	
अचल पूंजीगत समान के लिए प्रावधान	- Deferred Tax Liability	2,484.12		-	
वापस लिखी गई परिसंपत्तियों हेतु कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं	- Provision no longer required written back			-	
वापिस लिखी देयताए	- Liability Written back	(69.54)		(2,721.52)	
वापस लिखी गई मूल्यहास राशि	- Depreciation written back	1,081.93		(2,710.18)	
आस्थगित कर देयताए	- Provision for doubtful Debts / advances	-		-	
बट्टे खाते में संपत्ति	- Assets Write off(Net)			(13.30)	
			5,945.64		(2,741.44)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन, कर और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह	**Cash flow from Operation Before Working Capital Changes, Taxes & Extraordinary Items**		**(10,535.66)**		**(1,870.20)**
कार्यशील पूंजी परिवर्तनो के लिए समायोजन:	Adjustments for Working Capital changes :	-		-	

व्यापार और अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	- (Increase)/Decrease in Trade and Other Receivable	(7,808.83)		12,014.37	
- माल सूची में (वृद्धि)/कमी - व्यापार देय और अन्य देयता में वृद्धि/(कमी)	- (Increase)/ Decrease in Inventory - Increase/(Decrease) in Trade Payable and	(393.10) 15,073.29		(2,760.68) (3,813.92)	
	other payables				
- अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	- Increase in Advance & other Current Assets	(2,889.70)		(2,287.26)	
- पूंजीगत समान में वृद्धि - उपदान और अवकाश का नकद भुगतान	- Increase in Capital stores - Gratuity and Leave encashment paid	34.42 (1,440.62)	2,575.45	(100.48) (1,052.06)	1,999.98
असाधारण मदें	Extra ordinary items		(7,960.21) -		129.78 -
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह (क)	**Cash Inflow from Operating Activities (A)**		**(7,960.21)**		**129.78**
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह :	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**				
नीयत परिसंपत्तियों की खरीद सीडब्ल्यूआईपी के लिए अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	Purchase of Fixed Assets (Increase)/Decrease in Advances for CWIP		(475.07) 492.70		(790.04) (0.75)
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह (ख)	**Cash Outflow from Investing Activities (B)**		**17.63**		**(790.79)**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the Year ended as on 31st March, 2025

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	2024 - 25		2023 - 24	
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह :	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		-		-
नकद और नकद समकक्ष में निवल नकद वृद्धि: (क +ख+ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: (A+B+C)		-		-
			(7,942.58)		(661.01)
वर्ष के प्रारम्भ मे नकद और नकद समकक्ष :	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		11,845.66		12,506.67
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समकक्ष	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR :		3,903.08		11,845.66

टिप्पणियाँ:

- नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:

- नकदी और बैंक बकाया, अल्पावधि और अन्य जमा राशि , जो अत्यधिक तरल हैं और नकदी है, और इसे आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है।

- नीयत परिसंपत्तियों की खरीद निवल समायोजन रूप में दर्शाए गई है।

- नकद प्रवाह विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस)–3 "नकद प्रवाह विवरण" में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

- पिछले वर्ष के आंकडों का , जहां कहीं भी आवश्यक पाया गया, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि की जा सके।

Notes:

- Cash and Cash Equivalents include :

Cash & Bank Balances, Short term and other deposits, which are highly liquid and encashable as and when needed.

- Purchase of fixed assets has been shown net of adjustments.

- Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect method" as set-out in Accounting Standard (AS) - 3 on Cash Flow Statement issued by ICAI

- Previous Year's figures have been regrouped / rearranged, wherever found necessary to confirm to current year's presentation.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-	Sd/-	Sd/-
विकास कुमार झा	**एस. सी. दास**	**मोहन राज शेट्टी**
Vikash Kumar Jha	**S.C. Das**	**Mohan Raj Shetty**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Company Secretary	Director (Finance)	Chaiman & Managing Director
	DIN - 08988297	DIN - 11068203

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.आर.जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
के.आर.जयचंद
पार्टनर
आईसीआईए सदस्यता सं 053527
फर्म रजि. नंबर: 318011ई
सी एंड ए जी एम्पनेल्मेंट संख्या : SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2025

As per our report of even date annexed
For K.R. Jaichand & Co.
Chartered Accountants,
K.R. Jaichand
Partner
ICAI Membership No. : 053527
Firm Regn. No : 318011E
C&AG Empanelment No. SPA156
UDIN : 25053527BMNTWF1615
Place: New Delhi
Dated: 11.09.2025

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 1 :शेयर पूंजी	**NOTE 1 : SHARE CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी :	Authorised Capital :		
प्रत्येक रु. 1,000/ के - 5,100,000 इक्विटी शेयर	5,100,000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	51,000.00	51,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी:	Issued, Subscribed & Paid up Capital :		
प्रमोटरों का योगदान	Promoters' Contribution		
प्रत्येक रु. 1,000/ के 100 इक्विटी शेयर	100 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	1.00	1.00
पुनरुद्वार के लिए भारत सरकार से नकद में प्राप्त इक्विटी प्रत्येक 1,000/- रूपए के 588000 के इक्विटी शेयर।	Equity received in cash from GoI against Revamp		
	588000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	5,880.00	5,880.00
	Others		
प्रत्येक 1,000/- रूपए के 3,070,224 इक्विटी शेयर 01.04.2002 से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड से 05.04.2002 को निवल परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए जारी किया गया।	3,070,224 Equity Shares of Rs. 1,000 /- each issued against transfer of Net Assets as at 05.04.2002 w.e.f. 01.04.02 from Hindustan Fertilizer Corporation Ltd.	30,702.24	30,702.24
		36,583.24	**36,583.24**
(i) वर्ष की शुरुआत और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान :	(i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year :		

विवरण	Particulars	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025		31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024	
		Number of Shares	Amount (Rs. in Lakhs)	Number of Shares	Amount (Rs.in Lakhs)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	Equity Shares at the begining of the year	3658324	36,583.24	3658324	36,583.24
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किया गया	Add : Issued during the year	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	Balance at the end of the year	3658324	36583.24	3658324	36,583.24
ii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण:	ii) Details of Equity shares held by each share holder holding more than 5% shares :				

शेयर धारकों के नाम	Name of share holders	As at 31st March, 2025		As at 31st March, 2024		
		धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	धारण का प्रतिशत Percentage of holding	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	धारण का प्रतिशत Percentage of holding	धारण का प्रतिशत Percentage of holding
भारत के राष्ट्रपति	President of India	3658324	100%	3658324	100%	100%
iii) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर	iii) Shares held by promoters at the end of the year					
प्रमोटरों का नाम	**Promoters Name**	**As at 31st March, 2025**		**As at 31st March, 2024**		
भारत के राष्ट्रपति	**President of India**	**3658324**	**100%**	**3658324**	**100%**	

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 1000 रुपेए प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष संपत्ति लेनदारों को वितरण के बाद और सभी तरजिही राशियों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के लिए पात्र हैं

The Company has only one class of equity shares having par value of Rs 1000 per share. Each share holder is entitled to one vote per share. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution to creditors and all preferential amounts, in proportion to their shareholding."

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी2 :आरक्षित और अधिशेष	**NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS**		
लाभ और हानि का विवरण	Statement of Profit and Loss		
आरम्भिक शेष	Opening Balance	(68,166.28)	(69,037.52)
जमा: वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	Add: During the year Profit/(Loss)	(16,481.30)	871.24
कुल	**Total**	**(84,647.58)**	**(68,166.28)**
टिप्पणी 3A :दीर्घावधि ऋण	**NOTE 3A : LONG-TERM BORROWINGS**		
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	Interest free unsecured loan from GoI	57,275.00	57,275.00
कुल	**Total**	**57,275.00**	**57,275.00**
टिप्पणी 3B : स्थगित कर देयता	**NOTE 3B : DEFERRED TAX LIABILITY**		
स्थगित कर देयता	Defered Tax Liability	2,484.12	-
			-
कुल	**Total**	**2,484.12**	**-**
टिप्पणी 4 :अन्य दीर्घावधि देनदारियाँ	**NOTE 4 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES**		
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposit	2,068.21	2,173.78
कुल	**Total**	**2,068.21**	**2,173.78**
टिप्पणी 5 :दीर्घावधि प्रावधान	**NOTE 5 : LONG-TERM PROVISIONS**		
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान	Provisions for Employee Benefits		
उपदान के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity	1,368.42	1,475.92
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	Provision for Leave Encashment	796.30	802.45
कुल	**Total**	**2,164.72**	**2,278.37**
टिप्पणी 6: अल्पकालिक देनदारियाँ	**NOTE 6 : SHORT-TERM BORROWING**		
बैंक अधिविकर्ष	Bank Overdraft	-	-
बुक अधिविकर्ष	Book Overdraft	275.77	64.94
		275.77	**64.94**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS		As at 31st March, 2025	As at 31st March, 2024
टिप्पणी 7 :व्यापार देयताए	**NOTE 7 : TRADE PAYABLES**			
क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	a) Total Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		535.01	580.25
ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	b)Total Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		41,040.01	22,342.34
कुल	Total		41,575.02	22,922.59
टिप्पणी 8 :अन्य वर्तमान देयता	**NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES**			
आस्थगित सरकारी अनुदान - सामान्य	Deffered Government Grant - General		2,942.57	6,955.95
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	Opening Balance of Grant	6,955.95		
जमा :- अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित ब्याज	Add:- Interest Accrued on Unutilized Grant	370.61		
घटाएँ :- लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	Less:- Govt Grant recognised in Statement of Profit & Loss Account along with GST on Goods & services	(4,383.98)		
पूँजी संचय	Capital Reserve		-	-
सांविधिक प्रेषण (पीएफ, वैट कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, जीएसटी आदि में योगदान)	Statutory remittances (Contributions to PF, VAT Withholding			
	taxes, Excise Duty,VAT, Service Tax, GST etc)		196.59	155.36
ग्राहकों से अग्रिम	Advances from Customers		1,630.18	1,496.68
अन्य	Others			
i) व्यापार देयताओं के अलावा विविध लेनदार	i) Sundry Creditors other than Trade Payables		121.42	285.02
ii) व्यय देयता	ii) Liability for Expenses		834.05	1,320.18

iii) अन्य देयताए	iii) Other Liabilities		617.91	326.37
कुल	**Total**		**6,342.73**	**10,539.56**
वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संयंत्रों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से □10,000 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के दौरान अर्जित/प्राप्त ब्याज क्रमशः □80.66 लाख, □412.72 लाख, □391.11 लाख तथा □370.61 लाख है। □4,383.98 लाख की राशि (□3,857.61 लाख तथा □526.37 लाख के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित) लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में आरोपित की गई है। तथापि, 31 मार्च, 2025 तक नकद आधार पर किए गए भुगतानों के संबंध में □9,127.31 लाख की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग (DoF) को प्रस्तुत किया जा चुका है। (संदर्भ: लेखों के नोट्स का नोट सं. 30.9)	An amount of Rs 10,000 lakh have been received during the financial year 2021 - 22 from GoI for repair & Maintenance of plants. Interest accrued/received during the financial year 2021-22, 2022-23 , 2023-24 & 2024-25 is Rs. 80.66 lakh , Rs. 412.72 lakhs , Rs.391.11 Lakhs & Rs. 370.61 Lakhs respectively.An amount of Rs. 4383.98 lakhs (Rs. 3857.61 lakhs along with GST input tax credit of Rs. 526.37 lakhs) has been charged to Profit & Loss A/c . However Utilization certificate of an amount of Rs. 9127.31 lakh (upto March 31, 2025) has been sumbitted to the DoF for payment made on cash basis. (Refer Note No.- 30.9 of notes to accounts)			
टिप्पणी 9: अल्पावधि प्रावधान	**NOTE 9 : SHORT TERM PROVISIONS**			
उपदान का वर्तमान बकाया	Current dues of Gratuity		549.00	161.92
अवकाश नकदीकरण का वर्तमान बकाया	Current dues of Leave encashment		231.18	61.74
कुल	**Total**		**780.18**	**223.66**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार देय राशि का आयुवार विवरण

Age wise break-up of Trade Payables for the F.Y. 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(i) MSME	523.84	11.17			535.01
(ii) अन्य	(ii) Other	40,771.16	193.83	38.44	36.58	41,040.01
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(iii) Disputed Dues - MSME				-	
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed Dues - others					-
कुल	**Total**	**41,295.00**	**205.00**	**38.44**	**36.58**	**41,575.02**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार देय राशि का आयुवार विवरण
Age wise break-up of Trade Payables for the F.Y. 2023-24

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(i) MSME	574.25	-	-	-	574.25
(ii) अन्य	(ii) Other	22,284.67	17.39	11.89	28.39	22,342,34
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	(iii) Disputed Dues - MSME	-	6.00		-	6.00
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed Dues - others					-
कुल	**Total**	**22,858.92**	**23.39**	**11.89**	**28.39**	**22,922,59**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां / NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

NOTE 10 : Property, Plant & Equipment and Intangible Assets

विवरण विवरण	PARTICULARS	लागत/C O S T					मूल्यह्रास/DEPRECIATION						निवल ब्लॉक/ NET BLOCK	
		01.04.2024 को As on 01.04.2024	परिवर्धन Additions	प्रतिस्थापन में कटौती Deduction Replacement	भट्टे खाते में डालने के लिए कटौती Deduction for Adjustment	31.03.2025 को As at 31.03.2025	01.04.2024 को As on 01.04.2024	के दौरान प्रदान किया गया Provided During the	पिछले वर्ष के मूल्यह्रास समायोजन Adjustment of last year depreciation	मूल्यह्रास बट्टे खाते में प्रतिस्थापन Dep. W/off Replacement	परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के बिना अवमूल्यन Dep W/off Depreciation of Assets	31.03.2025 तक कुल Total upto 31.03.2025	31.03.2025 को As on 31.03.2025	31.03.2024 को As on 31.03.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
क. मूर्त परिसंपत्तिया	**A. TANGIBLE ASSETS**													
भूमि	Land													
फ्रीहोल्ड	Freehold	176.95	-	-	-	176.95	-					-	176.95	176.95
इमारतों	Buildings	3,996.66	-	-	-	3,996.66	3,677.33	11.19	26.91			3,715.43	281.23	319.33
विद्युत स्थापना	Electrifical Installation	273.42	-	-	-	273.42	240.50	2.00	0.77			243.27	30.15	32.92
सन्यंत्र और मशीनरी	Plant & Machinery	1,05,594.07	177.00	(57.98)	-	1,05,713.09	89,944.06	706.95	1,945.24	(28.24)		92,568.01	13,145.08	15,650.01
उत्प्रेरक	Catalyst	0.05	283.35	-	-	283.40	0.02	8.30	-			8.32	275.08	0.03
एनपीके 19 : 19 :19	NPK 19 : 19	21.47	-	-	-	21.47	0.96	0.68	-			1.64	19.83	20.51
फ़ैक्टरी और कार्यालय उपकरण	Factory & Office Equipt.	559.58	14.02	(10.87)		562.73	485.54	8.96	(0.93)	(2)		491.79	70.94	74.04
फर्नीचर और फिक्सचर	Furniture & Fixtures	280.57	0.13	-	-	280.70	222.58	6.14	0.12			228.84	51.86	57.99
कंप्यूटर	Computer	214.91	0.40	-	-	215.31	176.08	13.75	6.47	-		196.30	19.01	38.83
वाहन	Vehicles	323.56	0.17	-	-	323.73	263.65	8.07	-			271.72	52.01	59.91
सड़कें, पुल एवं पुलिया	Roads,Bridges & Culverts	238.15	-	-	-	238.15	216.39	3.70	-			220.09	18.06	21.76
रेलवे साइडिंग	Railway Siding	2,264.78	-	-	-	2,264.78	1,831.87	92.77	(896.65)			1,027.99	1,236.79	432.91
जल प्रणाली	Water System	583.34	-	-	-	583.34	495.00	15.30	-			510.30	73.04	88.33
योग (क)	Total of 'A'	1,14,527.51	475.07	(68.85)		1,14,933.75	97,553.98	877.81	1,081.93	(30.02)		99,483.70	15,450.02	16,973.50
ख. अमूर्त परिसंपत्तिया	**B. INTANGIBLE ASSETS**													
सॉफ़्टवेयर	Software	50.98	-	-	-	50.98	38.94	5.12	-	-		44.06	6.92	12.04
योग (ख)	Total of 'B'	50.98	-	-	-	50.98	38.94	5.12	-	-		44.06	6.92	12.04
कुल(क+ख)	**TOTAL(A+B)**	**1,14,578.49**	**475.07**	**(68.85)**	**-**	**1,14,984.73**	**97,592.92**	**882.93**	**1,081.93**	**(30.02)**	**-**	**99,527.76**	**15,456.94**	**16,985.54**
पिछले वर्ष	**PREVIOUS YEAR**	**1,14,081.92**	**790.04**	**(306.60)**	**13.13**	**1,14,578.49**	**98,969.77**	**1,513.74**	**(2,710.18)**	**(179.48)**	**(0.93)**	**97,592.92**	**16,985.57**	
ग . पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	**C. CAPITAL WORK IN PROGRESS**													
क) मूर्त	a) Tangible													
एसएसपी सन्यंत्र	SSP Plant	3.91	-	-	(3.91)	-							-	3.91
नामरूप -IV	- IV	457.17	-	-	(457.17)	-							-	457.17
सौर ऊर्जा परियोजना	Solar Power Project	7.12	-	-	(7.12)	-							-	7.12
कुल (क)	Total of 'a'	468.20	-	-	(468.20)	-	-	-	-	-		-	-	468.20
ख) अमूर्त	b) Intangible													
एसएपी	SAP	24.50	-	-	(24.50)	-							-	24.50
मानव संसाधन आर प्रबंधन	HR Management	-	-	-	-	-							-	-
कुल (ख)	Total of 'b'	24.50	-	-	(24.50)	-	-	-	-	-		-	-	24.50
कुल 'ग' =(क+ख))	TOTAL 'C' =(A+B)	492.70	-	-	(492.70)	-	-	-	-	-		-	-	492.70
घ. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूंजी भंडार)	**D. CAPITAL WORK IN PROGRESS (CAPITAL STORES)**													
विवरण	**Particulars**	**Opening Balance 01.04.2024**	**Purchase**	**Issue**	**Provisions**	**Closing balance 31.03.2025**							**Closing balance 31.03.2025**	**Closing balance 31.03.2024**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	Capital work in progress	867.19	32.85	(45.36)	(335.13)	519.55							519.55	553.97
योग (घ)	Total of 'D'	867.19	32.85	(45.36)	(335.13)	519.55	-	-	-	-		-	519.55	553.97

उप टिप्पणी 10: संपत्ति, सन्यंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति — **SUB NOTE 10 : Property, Plant & Equipment and Intangible Assets**

1. 5 अप्रैल, 2002 को हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ली गई अचल संपत्तियो पर मूल लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास शामिल है।

1. Includes original cost and corresponding accumulated depreciation on Fixed Assets taken over from Hindustan Fertilizer Corporation Limited as on 5th April, 2002.

2. मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है अन्यथा नीचे दिये गए अनुसार लिया/पुन: लिखा गया है:

2. Depreciation has been provided or otherwise charged/written-back as detailed below :-

वर्ष	Year	2024 - 25	2023 - 24
लाभ और हानि का विवरण	**Statement of Profit & Loss**	**882.93**	**1,513.74**
योग	**Total**	**882.93**	**1,513.74**

3. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रतिस्थापित स्थायी परिसंपत्तियों के लिखित-अवमूलित मूल्य (Written Down Value) के संबंध में □38.83 लाख (अवमूल्यन घटाने के बाद) की राशि लिखत-बट्टे (Write-off) में ली गई है (पिछले वर्ष □127.12 लाख)। यह लिखत-बट्टा दिनांक 23.06.2025 की आंतरिक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च, 2025 की स्थिति में किया गया है, क्योंकि पुस्तकीय मूल्य का निर्धारण संभव नहीं था। प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों का प्रमुख भाग पूर्व वर्षों से संबंधित था।

3. The company has written off Rs. 38.83 lakhs (net of depreciation) during the year (Previous year Rs. 127.12 lakhs) towards written down value of replaced fixed assets on the basis of report dated 23.06.25 of an inhouse technical committee as on 31st March, 2025 since book value was not ascertainable, major part of such replaced assets related to earlier years.

4. चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में उत्पन्न पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार हेतु □1081.93 लाख (शुद्ध) की राशि व्यय के रूप में प्रभारित की गई है। उक्त अवधि में पुस्तकों में अवमूल्यन कम प्रभारित किया गया था। इस त्रुटि का सुधार चालू वर्ष में किया गया है तथा उक्त अवधि में कम प्रभारित अवमूल्यन के प्रभाव को व्यय के रूप में लिखत-बट्टा किया गया है। पूर्व अवधि के अवमूल्यन संबंधी डेबिट को, जहाँ तक उसकी पहचान संभव थी एवं उसका सुधार किया जा सकता था, अवमूल्यन के प्रावधान में समायोजन कर लेखाबद्ध किया गया है।

4. During the current year the company has charged Rs. 1081.93 lakhs (net) to rectify the past period the error arisen during the year 2018-19 to 2020-21. During the said period the depreciation was under charged in the books. The rectification has been done in the current year and the impact of depreciation under charged during the period has been charged off as expenses Depreciation past period debits by adjusting the provision for depreciation to the extent it has been identified and can be rectified.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 11 क :दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	**NOTE 11 A : LONG-TERM LOAN AND ADVANCES**		
क.पूंजीगत अग्रिम	A.Capital Advances		
रक्षित, जिन्हेंअच्छा माना गया	Secured, considered good	-	-
अरक्षित, जिन्हें अच्छा माना जाता	Unsecured, considered good	239.75	239.75
संदिग्ध	Doubtful	28.65	28.65
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(28.65)	(28.65)
कुल	**Total**	**239.75**	**239.75**
टिप्पणी 11(ख): अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**NOTE 11 B : OTHER NON CURRENT ASSETS**		
ख. अन्य	B. Others		
गारंटी जारीकर्ता के विरुद्ध अंतर राशि के रूप में	Deposit held as margin money against gurantee issuer	969.02	1,230.61
जमा राशि	Security Deposit	67.73	65.23
प्रीपेड खर्चे	Prepaid expenses	22.49	36.46
कुल	**Total**	**1,059.24**	**1,332.30**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद हेतु दिए गए पूंजीगत अग्रिमों की राशि □239.75 लाख है (पिछले वर्ष □239.75 लाख, जिसे टिप्पणी सं. 15 अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम – आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम से पुनर्वर्गीकृत किया गया है)। इन अग्रिमों की नकद रूप में वसूली की कंपनी को अपेक्षा नहीं है; तथापि, समय के साथ ये अग्रिम संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में रूपांतरित हो जाएंगे। तुलनात्मकता एवं बेहतर प्रस्तुतीकरण हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।	Capital advances amounting to Rs. 239.75 Lakhs (Previous year Rs. 239.75 reclassified from Note No. 15 Short term Loans and advances - Advance to suppliers) are advances given for procurement of Property, Plant and Equipment. The companies do not expect to realize them in cash however, over the period, these will get converted into Property, Plant and Equipment. Previous year figures has been reclassified for comparatives and better presentation.		

टिप्पणी 12 : वस्तुसूची	NOTE 12 : INVENTORIES		
मध्यवर्ती उत्पाद (अमोनिया) (मूल्य न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	Intermediaries product (Ammonia)	238.76	202.66
	(valued at lower of cost or net realisable value)		
तैयार उत्पाद (व्यापार की प्राप्ति के अलावा)	Finished Products	1,958.11	2,058.06
	(other than those acquired for Trading)		
व्यापारित उत्पादों का स्टॉक	Stock of traded Products	1,620.15	973.00
अन्य	Others		
(न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	(valued at lower of cost or net realisable value)		
एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक	Stock of LPG Cylinder	1.02	1.94
निरीक्षण के तहत भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	Stores & Spares under inspection	10.15	367.09
मार्गस्थ में भंडार	Stores in Transit	-	-
कुल (क)	**Subtotal (A)**	**3,828.19**	**3,602.75**
भण्डारण और अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर)	Stores and spares (At cost)	4,202.66	4,117.41
पैकिंग सामग्री का स्टॉक (लागत पर)	Stock of packing materials (at cost)	132.66	72.13
घटाए :	Less :		
क) पुरानेपन और इंपेयरमेंट के लिए प्रावधान	a) Provision for obsolescence & Impairment	(1,402.85)	(1,338.00)
ख) बैग की कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for shortage of Bags	-	-
ग) तैयार उत्पादों की कमी के लिए प्रावधान	c) Prov. For shortage of Finished products	(253.17)	(253.17)
घ) व्यापारिक उत्पादों की कमी के लिए प्रावधान	d) Prov. For shortage of Trading Products	(1.30)	(1.30)
कुल (ख)	**Subtotal (B)**	**2,678.00**	**2,597.07**
कुल (क+ख)	**Total (A+B)**	**6,506.19**	**6,199.82**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 13 :व्यापार प्राप्तियां	**NOTE 13 : TRADE RECEIVABLES**		
भुगतान के लिए देय तारीख से छह माह से अधिक की अवधि की बकाया प्राप्तियां	Trade receivables outstanding for a period more than six months from the date they were due for payment		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	1682.89	1352.34
अन्य	Others	577.97	544.75
		2260.86	1897.09
छह माह से कम अवधि व्यापार प्राप्तियां	**Trade Receivable less than six months**		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	20053.90	14108.33
अन्य	Others	2983.54	1484.05
		23037.44	15592.38
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	-96.73	-96.73
		22940.71	15495.65
कुल	Total	25201.57	17392.74
व्यापार प्राप्तियां का योग :	**Aggregrate of Trade receivables :**		
अरक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया है	Unsecured, Considered good	25201.57	17392.74
अरक्षित , जिन्हें संदिग्ध माना गया है	Unsecured Considered doubtful	96.73	96.73
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	-96.73	-96.73
		25201.57	17392.74

टिप्पणी 1: व्यापारिक देयक – अनुदान (भारत सरकार) में भारत सरकार से प्राप्त होने योग्य अनुदान की राशि ₹8,294.70 लाख सम्मिलित है (पिछले वर्ष ₹12,076.43 लाख), जो पीओएस (POS) से स्वीकृति/निस्तारण के अधीन है।

टिप्पणी 2: व्यापारिक देयकों में ₹127.97 लाख (पिछले वर्ष ₹127.97 लाख) की राशि सम्मिलित है, जो वर्ष 2016 से विपणन विभाग द्वारा प्रबंधित सात केएसके तथा निजी पक्षों द्वारा प्रबंधित दो केएसके से प्राप्त होने योग्य राशि के रूप में है। विपणन विभाग द्वारा केएसके से किसी भी सामग्री की उधार बिक्री नहीं

Note 1 :- Trade Receivable - Subsidy (Government of India) includes Subsidy receivable from Government of India amounting to Rs. 8294.70 lakhs (previous year Rs. 12076.43 lakhs) which is subject to clearence from POS.

Note 2:- Trade receivables include Rs. 127.97 Lakhs (Previous year Rs. 127.97 Lakhs) on account of receivable from seven numbers of KSK managed by Marketing Department since 2016 and two number of KSK managed

की गई है तथा प्राप्त भुगतानों को बीवीएफसीएल (BVFCL) खाते में जमा किया गया था। उक्त राशि के सामंजस्य हेतु एक समिति का गठन किया गया था, किंतु दस्तावेजों की कमी एवं लेन-देन संबंधी जानकारी का मिलान संभव न होने के कारण समायोजन नहीं किया जा सका।

by private parties. Marketing Department has not sold any materials from KSK on credit and the payments were deposited in BVFCL account. A committee was formed for the purpose of reconciliation of the amount. But due to lack of documents and information matching of transaction could not be done for adjustment.

टिप्पणी 3: व्यापारिक देयकों में ₹1.78 लाख (पिछले वर्ष ₹1.78 लाख) की राशि डीलर कोड 1001 के अंतर्गत वर्मी (Vermi) की खुदरा बिक्री से प्राप्त होने योग्य के रूप में सम्मिलित है। विपणन विभाग द्वारा किसी भी सामग्री की उधार बिक्री नहीं की गई है। यह खाता छह वर्ष पूर्व के लेन-देन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके पश्चात खाते की शेष राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त राशि के सामंजस्य हेतु एक समिति का गठन किया गया था, किंतु दस्तावेजों की कमी एवं लेन-देन संबंधी जानकारी के मिलान के अभाव में समायोजन नहीं किया जा सका।

Note 3:- Trade receivables include Rs. 1.78 Lakhs (Previous year Rs. 1.78 Lakhs) from retail sale of Vermi-under dealer code 1001. Marketing Department has not sold any materials on credit. The account represents the transactions 6 years earlier and since then there is no change in the account balance. A committee was formed for the purpose of reconciliation of the amount. But due to lack of documents and information matching of transaction could not be done for adjustment.

टिप्पणी 4: भारत सरकार से प्राप्त होने योग्य अनुदान, जो छह माह से अधिक अवधि से लंबित है, की राशि ₹1,684.66 लाख है, जिसमें ₹694.31 लाख (पिछले वर्ष ₹694.31 लाख) की राशि पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है। यह लंबित राशि जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि के लिए अनुदान के 5% शेष दावे के कारण है। उक्त राशि, जो एफआईसीसी, डीओएफ (FICC, DOF) से प्राप्त होने योग्य है, के विरुद्ध कंपनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

Note 4:- Subsidy (Government of India) outstanding for more than six months amounting to Rs. 1684.66 lakhs includes Rs. 694.31 lakhs (Previous year 694.31 lakhs) outstanding for more than 5 years on account of 5% balance claim of subsidy for the period from January 2017 to October 2017. Company has not made any provision against the said amount being receivable from FICC, DOF.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयुवार विवरण
Age wise break-up of Trade Receiveables for the F.Y. 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	6 माह से कम Less than 6 month	1 साल से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य	(i) Undisputed Trade Receivables	23,037.43	778.20	385.19	110.73	943.98	25,255.53
ii) विवादित प्राप्य	(ii) Disputed receiveables	-	-		42.77	-	42.77
							-
कुल	**Total**	**23,037.43**	**778.20**	**385.19**	**153.50**	**943.98**	**25,298.30**

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार प्राप्तियों का आयुवार विवरण
Age wise break-up of Trade Receiveables for the F.Y. 2023-24

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	Particulars	6 माह से कम Less than 6 month	1 साल से कम Less than 1 year	1 से 2 वर्ष 1-2 years	2 से 3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य	(i) Undisputed Trade Receivables	15,592.38	204.22	706.25	140.92	802.93	17,446.70
ii) विवादित प्राप्य	(ii) Disputed receiveables	-	-	42.77	-	-	42.77
कुल	**Total**	**15,592.38**	**204.22**	**749.02**	**140.92**	**802.93**	**17,489.47**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 14 :नकद और नकद समतुल्य	**NOTE 14 : CASH AND BANK BALANCES**		
क) नकद और नकद समतुल्य	A) Cash and Bank Balances	3,382.41	11,047.41
ख) बैंक के बकाया	B) Balances with Bank		
सावधि जमा खातों में	In Term deposit accounts	520.67	795.47
बकाया, धनराशि, उधार और अन्य प्रति प्रतिबद्धताओं के लिए मार्जिन धनराशि या सुरक्षा के रुप में रखी गई।	Balances held as margin money or security against borrowings, and other commitments.	-	2.78
योग	**Total**	**3,903.08**	**11,845.66**
टिप्पणी 15 :अल्पाविधि ऋण और अग्रिम	**NOTE 15 : SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES**		
असुरक्षित, जो अच्छा माने गए	Unsecured, considered good		
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	Loans and advances to employees	67.88	165.06
बीमा प्रीमियम के लिए अग्रिम	Advance for Insurance Premium	92.07	90.96
उत्पाद और सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशि	Deposit with Excise & Govt. Authorities	155.22	107.08
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	Advance to suppliers	1,183.36	369.79
अन्य अग्रिम	Other Advances	9,251.84	7,275.83
आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिम	Doubtful advances to suppliers	34.90	34.90
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(34.90)	(34.90)
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid expenses	2.91	3.94
योग	**Total**	**10,753.28**	**8,012.66**
टिप्पणी 16 :अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**NOTE 16 : OTHER CURRENT ASSETS**		
असुरक्षित, जो अच्छा माने गए	Unsecured, considered good		
अन्य प्राप्य	Other Receivables	1148.37	682.32
असुरक्षित, संदिग्ध माने गए	Unsecured, considered doubtful		
अन्य प्राप्य	Other Receivables	197.57	197.57
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशि के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-197.57	-197.57
जमा पर अर्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	113.45	157.36
योग	**Total**	**1261.82**	**839.68**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 17 :प्रचालनों से राजस्व	**NOTE 17 : REVENUE FROM OPERATIONS**		
क.विनिर्मित उत्पादों की बिक्री	A.Sale of Manufactured Products		
यूरिया	Urea	10,482.70	9,900.86
एनपीके की बिक्री	Sale of NPK	424.35	293.22
जैव उर्वरक	Bio Fertilizer	174.29	228.20
अन्य विनिर्मित उत्पादों की बिक्री	Sale of other Manufactured products	2.58	5.75
योग (क)	**Total of 'A'**	**11,083.92**	**10,428.03**
ख. व्यापार वस्तुओं की बिक्री	**B.Sale of Trading Goods**		
एमओपी की बिक्री	Sale of MOP	1,733.86	603.91
डीएपी की बिक्री	Sale of DAP	90.38	93.60
एसएसपी की बिक्री	Sale of SSP	2,862.00	3,103.08
बीज की बिक्री	Sale of Vegetable Seeds	-	16.52
रॉकफॉस्फेट की बिक्री	Sale of Rock Phosphate	340.89	376.67
सूक्ष्म पोषक तत्वों की बिक्री	Sale of Micronutrient	97.56	198.10
व्यापारित यूरिया की बिक्री	Sale of Urea -Traded	-	3,572.93
फैक्टमफॉस की बिक्री	Sale of FACTUMPHOS	2,119.33	304.18
अमोनिया सल्फेट की बिक्री	Sale of Amm. Sulphate	1,936.65	1,067.96
आयातित यूरिया की बिक्री	Sale of imported urea	5,440.63	14,551.14
मुक्ता पावर की बिक्री	Sale of Mukta Power	171.11	1,823.76
कैल्शियम नाइट्रेट की बिक्री	Sale of Calcium Nitrate	209.74	38.85
एनपीके की बिक्री	Sale of NPK	145.86	32.45
पीडीएम की बिक्री	Sale of PDM	2.75	51.19
अन्य व्यापारिक उत्पादों की बिक्री	Sale of other Trading products	245.49	7.59
योग (ख)	**Total of 'B'**	**15,396.24**	**25,841.93**
कुल (क+ख)	**Total of (A+B)**	**26,480.16**	**36,269.96**
ग. अन्य प्रचालन से राजस्व	**C. Other Operating Revenue**		
i)निर्मित उत्पाद (यूरिया)	i) Manufactured Product (Urea)		
क) विनिर्मित उत्पादों के लिए मूल्य राजसहायता	a) Price Subsidy for manufactured products	39,115.58	35,720.04
ख) विनिर्मित उत्पादों के लिए माल ढुलाई राजसहायता	b) Freight Subsidy for manufactured products	2,829.29	2,943.66

ii .आयातित यूरिया के व्यय की प्रतिपूर्ति	ii. Reimbursment of expenses for imported Urea		
क) खरीद लागत प्रतिपूर्ति	a) Purchase cost Reimbursement	113.42	240.65
ख) माल ढुलाई	b) Freight	460.73	1,223.65
ग) छूट अवधि से आय	c) Income from laytime	(9.52)	21.55
iii)पिछली अवधि की राजसहायता	iii) Past period subsidy - Income / (Reversal)	(2,131.58)	(1,523.06)
योग (ग)	Total of 'C'	40,377.92	38,626.48
कुल (क+ख+ग)	Total of (A+B +C)	66,858.08	74,896.44

₹ 41,944.87 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 38,663.70 लाख) की प्राप्त/प्राप्य सब्सिडी को लाभ एवं हानि विवरण में जमा (क्रेडिट) किया गया है। यह लेखांकन भारतीय लेखा मानक-12 (सरकारी अनुदानों का लेखांकन) के अनुसार किया गया है।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (FICC) से अधिसूचना लंबित होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 11.00 लाख की वृद्धि (एस्केलेशन) मूल्य सब्सिडी दावा (पूर्व वर्ष ₹ 2,511.75 लाख की कमी/डी-एस्केलेशन दावा) से संबंधित देय/प्राप्य राशि का समायोजन भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, नीतियों, आदेशों एवं स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए उपार्जन (Accrual) आधार पर लेखांकित किया गया है।

Subsidy received / receivable of` Rs. 41,944.87 lakhs (previous year Rs. 38,663.70 lakhs) is credited to statement of profit and loss. This is followed as per AS-12 Accounting for Govt. Grants.

Pending notification from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), the adjustment relating to escalation / deescalation price subsidy payable / receivable amounting to Rs. 11.00 lakhs escalation claim during the Financial year 24-25 (previous year Rs. 2,511.75 lakhs deescalation claim) has been accounted for on accrual basis taking into account the guidelines, policies, instructions and clarifications issued by the Govt. of India.

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

(CIN U24123AS2002GOI006786)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the Year ended as on 31st March, 2025

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS		31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
	NOTE 18 : OTHER INCOME			
ब्याज आय	A.	Interest income		
अल्पावधि जमा राशि पर ब्याज (48.00 लाख रुपये के टीडीएस कटौती पिछले वर्ष रु. 88.88 लाख रूपए)	i)	Interest on short term deposit	205.09	307.21
		(TDS deducted Rs. 48.00 lacs Previous year Rs. 88.88 lacs)		
आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज	ii)	Interest received on Income tax refund	-	3.57
अन्यों पर ब्याज	iii)	Interest on others	0.03	0.08
बचत खातों पर ब्याज	iv)	Interest on savings Accounts	0.01	0.01
कुल		Total	205.14	310.87
स्क्रैप और बचाई गई सामग्री की बिक्री	B.	Sale of Scrap & Salvaged materials	23.12	111.07
कर्मचारियों और अन्य लोगों से लाइसेंस शुल्क और बिजली एवं जल प्रभारों आदि की वसूली।	C.	Recovery of Licence fee, Electricity & Water charges		
		etc. from employees & others.	274.89	266.17
विविध आय	D.	Miscellaneous income	182.04	197.03
मरम्मत एवं रखरखाव से संबंधित सरकारी अनुदान की मान्यता.	E	Recognistion of Govt. Grant related to repair & Maintenance	4,383.98	2,765.11
विविध देयता की वापसी	F	Sundry Liability written back	69.54	2,721.52
योग	**Total**		**4,933.58**	**6,060.90**
कुल योग		**Grand Total**	**5,138.72**	**6,371.77**

लाइसेंस शुल्क, विद्युत एवं जल प्रभारों की वसूली में कर्मचारियों तथा अन्य से लाइसेंस शुल्क, जल एवं विद्युत प्रभारों के रूप में ₹274.89 लाख शामिल हैं (पूर्व वर्ष ₹266.17 लाख)।

Recovery of licence fee,electricity & water charges includes Rs. 274.89 lakhs from employees and others on account of licence fee, water & electricity charges (Previous year Rs. 266.17 lakh).

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संयंत्रों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से ₹10,000 लाख की राशि प्राप्त हुई है। संयंत्रों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹4,383.98 लाख (पूर्व वर्ष ₹2,765.11 लाख) की राशि व्यय की गई है (संदर्भ: टिप्पणी सं. 8)।

An amount of Rs 10,000 lakh have been received during the financial year 2021-22 from GoI for repair & Maintenance of plants. An amount of Rs. 4383.98 lakhs (PY Rs. 2765.11 lakhs) have been utilized for repair and maintenance of plant (Refer Note No.- 8).

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 19: उपयोग की गई सामग्री की कुल लागत	**NOTE 19 : COST OF MATERIALS CONSUMED**		
प्राकृतिक गैस	Natural Gas		
प्रारंभिक स्टॉक जमाः खरीद	Opening stock Add: Purchase	- 14,933.61	- 14,126.07
प्रारंभिक स्टॉक और खरीद का योग	**Total of Opening Stock and Purchase**	**14,933.61**	**14,126.07**
अंतिम स्टॉक	Closing Stock	-	
खपत	Consumption		
सन्यंत्र - II	Plant - II	-	-
सन्यंत्र - III	Plant - III	14,933.61	14,126.07
खपत के योग	**Total Consumption**	**14,933.61**	**14,126.07**
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	Consumption of Stores and Spare Parts	1,271.45	1,096.90
पैंकिग सामग्रीयों की खपत	Consumption of Packing Materials	1,027.17	1,497.69
उपयोग की गई सामग्री की कुल लागत	**Total of Cost of Materials Consumed**	**17,232.23**	**16,720.66**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 20 :स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	**NOTE 20 : PURCHASES OF STOCK - IN - TRADE**		
डीएपी की खरीद	Purchase of DAP	90.02	93.03
एमओपी की खरीद	Purchase of MOP	1,716.42	596.56
एसएसपी की खरीद	Purchase of SSP	2,727.78	2,938.49
बीज की खरीद	Purchase of Seeds	-	15.26
रॉक फॉस्फेट की खरीद	Purchase of Rockphosphate	316.20	361.84
व्यापारित यूरिया की खरीद	Purchase of Urea - Traded	30.42	3,036.07
जिंक की खरीद	Purchase of Zinc	59.60	174.69
बोरोन की खरीद	Purchase of Boron	0.13	-
अमोनिया सल्फेट की खरीद	Purchase of Amm. Sulphate	1,911.05	1,053.02
फैक्टएम्फोस की खरीद	Purchase of FACTAMFOS	2,101.31	295.49
एनपीके की खरीद	Purchase of NPK	143.87	312.36
आयातित यूरिया की खरीद	Purchase of Imported Urea	3,015.37	7,250.99
पीडीएम की खरीद	Purchase of PDM	-	15.43
कैल्शियम नाइट्रेट की खरीद	Purchase of Calcium Nitrate	185.39	35.46
मुक्ता पावर (बड़ौदा) से खरीद	Purchase of Mukta Power (Baroda)	143.37	1,577.22
अन्य व्यापारिक उत्पादों की खरीद	Purchase of other Trading products	223.45	7.40
कुल	**Total**	**12,664.38**	**17,763.29**
नोट 21 :तैयार वस्तुएं , चालू कार्य और व्यापार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन	**NOTE 21 :CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS,**		
	WORK IN PROGRESS AND TRADING GOODS		
वर्ष के अंत में माल-सूची	Inventories at the end of the year		
क . विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	**A. Stock of Manufactured goods**		
यूरिया (निर्मित)	Urea (Manufactured)	1693.93	1744.51
मध्य्वर्तिया/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia) /goods	238.76	202.66
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	11.01	60.38
कुल	**Total**	**1943.70**	**2007.55**

ख. व्यापारिक उत्पादों का स्टॉक	**B. Stock of Traded Products**		
व्यापारिक उत्पाद	Traded Products	1620.15	973.00
वर्ष की शुरुआत में माल-सूची:	Inventories at the beginning of the year:		
ग. विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	**C. Stock of Manufactured goods**		
यूरिया	Urea	1,744.51	130.79
मध्यवर्तिया/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia) /goods	202.66	482.85
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	60.38	7.81
व्यापारिक उत्पादों का स्टॉक (एसएसपी)	Stock of Traded products	973.00	103.86
कुल	**Total**	**2,980.55**	**725.31**
घ. व्यापारित उत्पादों का स्टॉक	**D. Stock of Traded Products**		
व्यापारिक उत्पाद	Traded Products	-	-
स्टॉक में निवल (वृद्धि)/ कमी	Net (Increase) / Decrease in stock	(583.30)	(2,255.25)
नोट 22 :कर्मचारी हित लाभ	**NOTE 22 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE**		
वेतन और भत्ते	Salaries and wages	3,561.67	3,624.36
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident and other funds	303.15	404.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff welfare expenses	1,045.56	956.34
उपदान देयता के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity Liability	880.01	559.56
छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	Provision for Leave Liability	560.61	492.50
कुल	**Total**	**6,351.00**	**6,037.66**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 23 :वित्तीय लागत	**NOTE 23 : FINANCE COST**		
ब्याज व्यय :	Interest expenses:		
क. भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर ब्याज	A. Interest on Unsecured loan from Govt of India		
i) सामान्य ब्याज	i) Normal Interest	-	-
ख. बैंक से सुरक्षित ऋण पर ब्याज	B. Interest on Secured loan from Bank		
बैंक ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	Interest on bank over draft	-	65.97
कुल	**Total**	**-**	**65.97**
टिप्पणी 24: मरम्मत एवं अनुरक्षण	**NOTE 24 : REPAIRS & MAINTENANCE**		
मरम्मत और अनुरक्षण - भवन	Repairs and Maintenance - Buildings	74.06	231.98
मरम्मत और अनुरक्षण - संयंत्र और मशीनरी	Repairs and Maintenance - Plant & Machinery	3,853.69	2,334.70
मरम्मत एवं अनुरक्षण - अन्य	Repairs and Maintenance - Others	86.56	193.41
कुल	**Total**	**4,014.31**	**2,760.09**
टिप्पणी 25: बिजली और ईंधन	**NOTE 25 : POWER & FUEL**		
बिजली और ईंधन	Power and Fuel	29,268.92	27,832.56
कुल	**Total**	**29,268.92**	**27,832.56**
टिप्पणी 26 : मालभाड़ा एवं हैंडलिंग व्यय	**NOTE 26 : FREIGHT & HANDLING EXPENSE**		
माल भाड़ा	Freight	4,600.00	7,833.90
हैंडलिंग प्रभार	Handling charges	1,649.89	3,039.85
कुल	**Total**	**6,249.89**	**10,873.75**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी : 27 अन्य व्यय	**Note : 27 Other Expenses**		
पट्टा किराया सहित किराया	Rent including Lease Rentals	27.18	26.92
बीमा	Insurance	123.55	110.84
जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण कर एवं उपकर	Water & Air pollution Control Tax & Cess	10.46	10.37
भू राजस्व	Land Revenue	21.07	21.07
संचार व्यय	Communication Expenses	20.60	23.08
यात्रा और वाहन	Travelling and Conveyance	67.35	131.63
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	Printing and Stationeries	4.07	2.25
व्यापार संवर्धन	Business promotion	11.46	5.61
दान और अंशदान	Donations and Contributions	0.09	3.13
विधि और व्यावसायिक शुल्क	Legal and professional fee	46.23	14.17
वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payments to Statutory auditors	2.85	2.70
फैक्ट्री के अंदर सफाई का काम	Cleaning work inside Factory	460.98	467.40
फैक्ट्री के लिए विविध व्यय	Miscellaneous Expenses for factory	332.60	549.90
सुरक्षा व्यय	Security expenses	1,537.39	1,667.23
निदेशक व्यय	Director expenses	-	4.10
भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स के अप्रचलन हेतु प्रावधान	Provision for obsolescence of stores & Spares	86.75	9.90
व्यापारिक उत्पादों की कमी हेतु प्रावधान	Provision for shortage of trading products	-	1.30
टाउनशिप में विविध आकस्मिक श्रमिक व्यय	Miscellaneous Casual labour township	213.80	199.15
विविध प्रशासनिक व्यय	Miscellaneous Administration expenses	1,121.89	1,148.05
विक्रय एवं वितरण व्यय	Selling & Distribution Expenses	998.52	1,574.07
रिटेनर्स को भुगतान	Payment to Retainers	127.29	150.49
प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के संबंध में लिखे गए स्थिर परिसंपत्तियाँ	Fixed Assets written off for replaced assets	38.83	127.86
कुल	**Total**	**5,252.96**	**6,251.21**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
उप टिप्पणी 27 :: पूर्व अवधि समायोजन	**SUB NOTE 27A :: PRIOR PERIOD ADJUSTMENT**		
व्यय	EXPENSES		
पूर्ववर्ती अवधि व्यय (मार्केटिंग)	Prior Period Exp (Mktg)	-	192.86
सामग्री उपभोग	Material Consumed	0.30	192.54
मरम्मत और रखरखाव	Repairs & Maintenance	-	14.09
विविध व्यय	Misc. Expenses	48.72	1.49
बीमा शुल्क	Insurance Charges	3.26	0.23
लेखा परीक्षा व्यय	Audit expenses	-	0.83
भविष्य निधि व्यय	Provident Fund expenses	-	0.17
सीआईएसएफ व्यय	CISF Expenses	89.24	21.94
वर्क कॉन्ट्रैक्ट व्यय	Work Contract Expenses	-	54.99
विद्युत शुल्क	Electricity Charges	-	9.90
काया ऋण/देय राशियाँ जो वसूली योग्य नहीं रहीं और लेखांकन से हटा दी गईं	Bad Debts Written Off	1.76	
पूर्व अवधि का मूल्यह्रास डेबिट	Depreciation past period debit	1,081.93	-
डेबिट का योग	**Total of Debit**	**1,225.20**	**489.05**
आय	INCOME		
सामग्री उपभोग	Material consumed	0.39	73.40
मूल्यह्रास (पिछली अवधि का क्रेडिट)	Depreciation past period credit	-	2,710.22
पूर्व अवधि का व्यय (विपणन)	Prior Period Exp (Mktg)	295.12	-
कार्य अनुबंध से आय	Work Contract Income	5.24	-
बैंक शुल्क	Bank Charges	-	1.16
पूर्व अवधि में प्रयुक्त सामग्री (यूरिया की कमी)	Prior Period material consumed (Shortage of Urea)	-	253.17
कुल क्रेडिट	**Total of Credit**	**300.76**	**3,037.95**
शुद्ध डेबिट/(क्रेडिट)	**Net Debit/(Credit)**	**924.45**	**(2,548.90)**

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
(CIN U24123AS2002GOI006786)
वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2024-25

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

विवरण		PARTICULARS		31 मार्च , 2025 तक As at 31st March, 2025	31 मार्च , 2024 तक As at 31st March, 2024
टिप्पणी 28 : प्रति शेयर आय		**NOTE 28 : EARNINGS PER SHARE**			
क)	वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	A)	Number of Equity Shares at the beginning of the year	3658324	3,658,324
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या		Number of Equity Shares at the end of the year	3658324	3,658,324
	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		Weighted average number of Equity Shares outstanding	3658324	3,658,324
			during the year		
	प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		Face Value of each Equity Share	1000	1,000
ख)	इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ(पूर्व अवधि समायोजन के बाद लेकिन पहले असाधारण मदों से पहले) (रूपये लाख में)	B)	Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments but before Exceptional items) (Rs in lacs)	(10,260.96)	(3,746.59)
	इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ(पूर्व अवधि समायोजन के बाद लेकिन पहले असाधारण मदों से पहले) (रूपये लाख में)		Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments and Exceptional items) (Rs. in lacs)	(16,481.30)	871.24
ग)	असाधारण मदों से पूर्व कर के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (रूपए /शेयर)	C)	Basic earning per share on profit after tax before Exceptional items (Rs/share)	(450.51)	23.82
घ)	कर असाधारण मदों (रुपए /शेयर) के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित कमाई	D)	Diluted earning per share on profit after tax and Exceptional items (Rs/share)	(450.51)	23.82

29. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. कंपनी संबंधी जानकारी:

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है, भारत सरकार का पूर्णतः स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। कंपनी का गठन 5 अप्रैल 2002 को हिंदुस्तान फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की मूल कंपनी से असम स्थित नामरूप इकाइयों के पृथक्करण के पश्चात किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नामरूप, ज़िला डिब्रूगढ़ में स्थित है। कंपनी यूरिया, जैव-उर्वरक एवं वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन तथा उर्वरकों के व्यापार आदि के कार्यों में संलग्न है।

वित्तीय विवरण 2025 में निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किए गए थे।

2. तैयारी और प्रस्तुति का आधार:

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा ऐतिहासिक लागत पर आधारित उपार्जन (Accrual) पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में निर्धारित बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि विवरण से संबंधित मदों के प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं को खातों का अभिन्न अंग बनने वाले टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण टिप्पणियाँ भी सम्मिलित की गई हैं।

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र (12 माह) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को 'चालू' या 'गैर-चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों को लाख रुपये में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है।

3. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए अनुमान और मान्यताएँ आवश्यक होती हैं, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित

29. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1. Corporate information:

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) referred to the Company is a wholly owned Public Sector Undertaking of Govt. of India was incorporated on 5th April 2002 after segregation of Namrup units in Assam from parent company Hindustan Fertilizer Corporation Ltd (HFCL). The registered office of the Company is located at Namrup, Dibrugarh which is involved in the production of Urea, Bio-Fertilizer and Vermicompost and Trading of Fertilizer etc.

The Financial statements were authorized for issue in accordance with resolution of the Board of Directors on 11.09.2025.

2. Basis of preparation and presentation:

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the provisions of the Companies Act,2013.The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are prepared and presented in the format prescribed in the Schedule III to the Companies Act,2013 ("the Act").The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of Notes forming part of accounts along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards.

All the assets and liabilities have been classified as 'current' or 'non-current' as per the Company's normal operating cycle of 12 months and other criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. The amounts in the financial statements are rounded off to rupees in lakhs up to two decimal.

3. Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the

करती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच कोई भी अंतर उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

4. अचल संपत्तियां:

i. स्थाई संपत्तियों का उल्लेख लागत में संचित ह्रास को कम करके किया जाता है।

ii. लागत में खरीद की लागत और स्थापना लागत, माल ढुलाई, गैर-वापसी योग्य कर और संपत्ति को उसके वर्तमान स्थान पर लाने से लेकर उपयोग के लिए तैयार होने तक किए गए अन्य सभी व्यय शामिल हैं।

iii. स्थिर परिसंपत्तियों की लागत के अतिरिक्त, निर्माण एवं स्थापना (कमीशनिंग) अवधि के दौरान किया गया राजस्व व्यय वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने तक पूंजीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व अर्जित आकस्मिक आय को परियोजना की लागत से समायोजित (सेट-ऑफ) किया जाता है।

iv. संयंत्र एवं मशीनरी में की गई बढ़ोतरी में प्रमुख मरम्मत कार्यों के साथ-साथ ऐसे नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन भी सम्मिलित हैं, जिनसे संयंत्र की आयु एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ऐसे मामलों में, यदि प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों का लिखित अवमूल्यित मूल्य (Written Down Value) निर्धारित करना संभव न हो, तो खातों में समायोजन हेतु तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है।

v. ऐसे मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, जिनका उपयोग केवल किसी विशेष स्थिर परिसंपत्ति के साथ ही किया जा सकता है तथा जिनके उपयोग की अपेक्षा अनियमित रूप से की जाती है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।

vi. स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किसी बाह्य पेशेवर एजेंसी द्वारा कराया जाता है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन:

i. ₹5,000/- तक की लागत वाली मशीनरी, उपकरण एवं कार्यालयीन उपकरणों पर अधिग्रहण के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रास (Depreciation) किया जाता है।

ii. मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी आयु एवं मूल्यह्रास दरों के अनुसार "सरल रेखा पद्धति"

reporting period. Management believes that the estimates made in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Any difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

4. Fixed Assets:

i. Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation.

ii. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as installation cost, inward freight, non-refundable taxes and any other expenses incurred for bringing the asset in its current location till it is ready to use.

iii. Apart from cost of Fixed Assets, Revenue Expenditure incurred during construction and commissioning period is capitalized till commencement of commercial production. Incidental Income prior to commencement of commercial production is set-off against the cost of the Project.

iv. Additions to Plant & Machinery include major repairs as well as renewals and replacements which will increase life and efficiency of the Plant. In such cases, if the written down value of the assets replaced is not ascertainable, technical valuation is made for adjustment in the accounts.

v. Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular are capitalized.

vi. Physical Verification of fixed assets is carried out by the internal committee constituted by competent authority each year. And once in every five years the Physical Verification of fixed assets conducted by an outside professional agency.

5. Depreciation and amortization:

i. Machinery, Equipment's, and Office Appliances costing up to Rs.` 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

ii. Depreciation is charged on "Straight Line Method," as per useful life and rate of depreciation

पर आरोपित किया जाता है।

iii. उपर्युक्त पैरा A (v) में उल्लिखित मशीनरी स्पेयर पार्ट्स की लागत को मूल संयंत्र की उपयोगी आयु के दौरान क्रमशः अमूर्तीकृत किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनके स्थापित किए जाने तथा उपयोग में लाए जाने का प्रमाणन होने के पश्चात ही प्रदान किया जाता है।

6. ऋण लेना:

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित उधारी लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियाँ अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ, उनकी लागत का अभिन्न अंग मानते हुए पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधारी लागतों को उस वर्ष के व्यय के रूप में आरोपित किया जाता है, जिसमें वे व्ययित होती हैं।

7. भंडार :

i. भंडार में कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स, मध्यवर्ती उत्पाद/वस्तुएँ तथा तैयार माल का स्टॉक सम्मिलित है।

ii. कच्चे माल का मूल्यांकन लागत पर (मासिक भारित औसत के आधार पर) किया जाता है।

iii. पैकेजिंग सामग्री तथा स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जिसमें सामग्री को वर्तमान स्थिति एवं स्थान तक लाने से संबंधित आकस्मिक व्यय सम्मिलित होते हैं, किंतु कंपनी द्वारा कर प्राधिकरणों से वसूल किए जाने योग्य शुल्क एवं कर घटाए जाते हैं। यह मूल्यांकन मासिक भारित औसत अथवा तकनीकी अनुमान, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

iv. ढीले औज़ार (Loose Tools) तीन वर्षों की अवधि में लिखे-ऑफ किए जाते हैं।

v. स्टॉक्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

(क) तैयार माल (Finished Goods): यूरिया का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य (Net Realizable Value) में से जो भी कम हो, पर किया जाता है, जिसमें रियायती मूल्य सब्सिडी तथा मालभाड़ा सब्सिडी सम्मिलित है।

(ख) मध्यवर्ती उत्पाद/वस्तुएँ: अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पादों/वस्तुओं का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ग) क्रय किए गए तैयार उत्पाद: क्रय किए गए तैयार उत्पादों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

specified in the Schedule – II of the Companies Act, 2013.

iii. The cost of Machinery spares referred to in Para A (v) above are amortized over the useful life of the Original Plant.

iv. Depreciation is provided on the assets after they are certified to be installed and then put to use.

6. Borrowing Cost:

Borrowing costs incurred in relation to the acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. Other borrowing costs are charged as an expense in the year in which these are incurred.

7. Inventories:

i. Inventory includes Raw Material, Packaging Material, Stores and Spares, Intermediate products/goods and finished stock.

ii. Raw Materials are valued at cost (monthly weighted average).

iii. Packaging Materials and Stores & Spares are valued at Cost (inclusive of expenses incidental to bring the materials to the present condition and location less duties and taxes recoverable by the company from taxing authorities) on the basis of monthly weighted average or technical estimates, whichever is lower.

iv. Loose tools are written-off over a period of three years.

v. Stocks of:

a. Finished Goods: -
Urea is valued at lower of cost or net realizable value comprising concessional price subsidy and freight subsidy.

b. Intermediate products/ goods like Ammonia are valued at lower of cost or net realizable value.

c. Bought out finished products – are valued at lower of cost or net realizable value.

(घ) कंपनी ने पूंजीगत स्टोर्स तथा अन्य स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स के लिए आयु-आधारित (Age-wise) प्रावधान निर्धारण हेतु एक समग्र नीति निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत बुक वैल्यू के आधार पर लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम का निर्धारण किया जाता है।

यह प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

क्रम संख्या	आयु के अनुसार वस्तु श्रेणी	प्रावधान %
1	3 साल तक सामान को स्थानांतरित नहीं किया गया है	शून्य
2	3 साल से अधिक और 5 साल तक बिना स्थानांतरित की गई वस्तुएं	5
3	5 साल से लेकर 10 साल तक बिना स्थानांतरित की गई वस्तुएं	10
4	10 साल से अधिक और 15 साल तक बिना स्थानांतरित की गई वस्तुएं	25
5	15 साल से लेकर 20 साल तक बिना स्थानांतरित की गई वस्तुएं	50
6	वे वस्तुएं जिन्हें 20 वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है।	95

8. सब्सिडी:

सब्सिडी का बिलिंग एवं लेखांकन उर्वरक की गंतव्य स्थल पर प्राप्ति के आधार पर किया जाता है तथा खातों में सब्सिडी की राशि का श्रेय केवल उन्हीं मात्राओं के लिए लिया जाता है, जो विक्रय की गई हों और जिन्हें परिचालन से प्राप्त राजस्व के रूप में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया हो। तथापि, अंतिम निपटान हेतु उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (FICC) से अधिसूचना प्राप्त होने तक, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न सब्सिडी दावे को सरकार द्वारा जारी प्रचलित पद्धति, दिशा-निर्देशों, नीतियों, निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आधार पर खातों में प्रावधानित किया जाता है।

9. राजस्व की पहचान:

i. निर्यात बिक्री का लेखांकन, एमएमटीसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू/अनुबंध) में निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ii. देशी (स्वदेशी) बिक्री को डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जाने तथा विधिवत चालान तैयार किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

iii. आय एवं व्यय का लेखांकन सामान्यतः उपार्जन (अक्रूअल) आधार पर किया जाता है, जब तक कि कहीं अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

iv. कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन, मूलधन की पूर्ण वसूली के पश्चात किया जाता है।

d. The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning of inventory for capital stores and other stores & spares on the book value for determining the lower of cost or net realizable value.

The provision is made on the following basis:

Sl. No.	Age wise item category	Provision %
1	Items not moved up to 3 years	NIL
2	Items not moved for more than 3 years & up to 5 years	5
3	Items not moved for more than 5years & up to 10 years	10
4	Items not moved for more than 10 years & up to 15 years	25
5	Items not moved for more than 15 years & up to 20 years	50
6	Items not moved for more than 20 years.	95

8. Subsidies:

The subsidy is billed and accounted for based on receipt of fertilizer at the destination and credit for subsidy in the accounts is taken only for the quantities sold and stated in the Profit and Loss Statement as revenue from operations. However, pending receipt of notification from FICC for final settlement, the subsidy claim for variations in input prices is provided for in the accounts on the estimate basis considering the prevailing method, guidelines, policies, instructions, and clarifications given by the Government.

9. Revenue recognition:

i. Export sale accounted for based on the rate as per Memorandum of Understanding (Agreement) with MMTC subject to the adjustment as per policy and guidelines issued by the Govt. of India.

ii. Indigenous Sales is recognized on issue of Delivery Order and proper invoice.

iii. Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise specifically stated.

iv. Interest on Advances to Employees is accounted for after the principal is fully recovered.

v. स्क्रैप/सल्वेज/अपशिष्ट सामग्री का लेखांकन उनके विक्रय के समय किया जाता है।

10. पूर्व भुगतान किए गए व्यय:

आगामी वर्ष/वर्षों से संबंधित अग्रिमों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में ₹10,000/- तक का व्यय, जिस वर्ष में वह व्यय किया जाता है, उसी वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

11. पिछली अवधि के समायोजन:

पूर्व अवधि/पूर्व अवधियों से संबंधित आय अथवा व्यय का लेखांकन केवल त्रुटियों या चूकों के मामलों में ही किया जाता है।

12. उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) पर व्यय:

उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) की खपत पर किया गया व्यय पूंजीकृत किया जाता है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी विनिर्देशों में उल्लिखित उसकी उपयोगी आयु के अनुसार उस पर मूल्यह्रास (Depreciation) लगाया जाता है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ:

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) से संबंधित देयताओं के लिए प्रावधान एक्चुरियल (बीमांकिक) मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

14. कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान:

कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का लेखांकन, भुगतान किए जाने के समय किया जाता है।

15. अनुदान सहायता -VRS:

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता के उपयोग का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

16. अनुदान सहायता – संयंत्र के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु

i. राजस्व से संबंधित अनुदानों को लाभ एवं हानि विवरण (Profit & Loss Statement) में 'अन्य आय' के अंतर्गत क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

ii. अनुदान से किए गए समस्त मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में आरोपित किया जाता है। ऐसे व्ययों पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं लिया जाता है।

iii. अनुदान की प्राप्ति को भारत सरकार से प्राप्त स्थगित अनुदान (Deferred Grant) के रूप में मान्यता दी जाती है। किए गए व्यय की सीमा तक अनुदान की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

v. Scrap/Salvage/Waste Materials are accounted for as and when sold.

10. Pre-Paid Expenses:

Expenditure up to Rs.10,000/- in each case incurred in advances relating to the following year(s), is accounted for in the year in which it is incurred.

11. Prior period Adjustments:

Income/Expenditure relating to prior period(s) is accounted for only in cases of errors or omissions.

12. Expenditure on Catalyst:

Expenditure incurred towards consumption of catalyst is capitalized and depreciation charged as per its useful life given in technical specification provided by supplier.

13. Retirement Benefits:

Provision for gratuity and leave encashment liability is made based on the actuarial valuation.

14. Payment under Company's Family Pension Scheme:

Payment under Company's Family Pension Scheme is accounted for as and when paid.

15. Grant In Aid -VRS:

Utilization of Grant in Aid against Voluntary Retirement Scheme is accounted for on cash basis.

16. Grant In Aid –For Repair & Maintenance of Plant

i. Grants related to revenue are presented as a credit in the Profit & Loss statement under 'Other income'.

ii. All repair & maintenance expense out of grant are charged to P&L account. GST Input Tax credit is not being availed on such expenses.

iii. Receipt of grants is recognized as deferred grant from the Government of India. The grant amount, to the extent of expenditure incurred, is being recognized as income in the Statement of Profit and Loss.

iv. क्रय की गई सामग्री, जिसका उपभोग अभी शेष है, को भंडार से निर्गमन/उपभोग के वर्ष में आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

v. अनुदान की अप्रयुक्त/अव्ययित राशि को स्थगित अनुदान (Deferred Grant) के रूप में दर्शाया जाता है।

17. आस्थगित कराधान:

स्थगित कर की मान्यता विवेकशीलता के सिद्धांत के अधीन समयांतर पर की जाती है। समयांतर से आशय कर योग्य आय/व्यय तथा लेखांकन आय/व्यय के बीच उत्पन्न उस अंतर से है, जो किसी एक अवधि में उत्पन्न होता है तथा आगामी एक या अधिक अवधियों में प्रत्यावर्तनीय होता है।
स्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता तब तक नहीं की जाती है, जब तक यह "वर्चुअल सर्टेन्टी" न हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी स्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन किया जा सकेगा।

18. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

फॉरवर्ड अनुबंधों के अंतर्गत आच्छादित न होने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वर्षांत पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतरों का निपटान लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।

19. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास:

किसी परिसंपत्ति को अवमूल्यित माना जाता है जब उसकी वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष किसी परिसंपत्ति की पहचान कर उसे अवमूल्यित घोषित किया जाता है, उस वर्ष अवमूल्यन हानि को लाभ एवं हानि खाते में आरोपित किया जाता है।

पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त अवमूल्यन हानि को उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किया जाता है, जब वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है।

20. निवेश:

सभी निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, निवेश के मूल्य में अस्थायी न होने वाली गिरावट को मान्यता देने हेतु मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है।

21. बयाना राशि और सुरक्षा जमा:

जो बयाना जमा एवं प्रतिभूति जमा पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक अप्रचलित रहे हैं तथा जिनके विरुद्ध कोई दावा लंबित नहीं है, उन्हें लिख-वापस कर 'अन्य आय' के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है।

iv. Materials procured yet to be consumed are shown as income in the year of its issue from stores / consumption.

v. Unutilized/Unspent amount of Grants are shown as deferred Grant.

17. Deferred Taxation:

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, on timing differences, being difference between tax able and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "Virtual Certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

18. Foreign Currency Transaction:

Foreign currency assets and liabilities not covered by forward contracts are stated at rates ruling at the year end. Exchange differences relating to fixed assets are adjusted in the cost of the assets. Any other exchange differences are dealt with in the Profit and Loss Account.

19. Impairment of Assets:

An asset is treated impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit& Loss Account in the year in which an asset is identified and declared as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

20.Investments:

All investments are stated at cost. However, a provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary in the value of investment.

21.Earnest Money Deposits & Security Deposits:

Earnest Money Deposits and Security Deposits which has not moved and there are no claims pending against them for more than 5 years are written back and transferred to other income

22. खंड रिपोर्टिंग

लेखांकन मानक-17 के अनुसार, व्यावसायिक खंड किसी उद्यम का एक विशिष्ट घटक है जो एक व्यक्तिगत उत्पाद या सेवा या संबंधित उत्पादों या सेवाओं के समूह को प्रदान करने में संलग्न है और जो अन्य व्यावसायिक खंडों से भिन्न जोखिमों और प्रतिफलों के अधीन है।

कंपनी ने दो प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट की पहचान की है, जिनमें स्वयं निर्मित उर्वरक (यूरिया, जैव उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट) और उर्वरक व्यापार (स्वदेशी और आयातित) शामिल हैं।

23. अनुदान सहायता – उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) हेतु

अनुदान से क्रय किए गए उत्प्रेरक के मामले में, भंडार से उत्प्रेरक के निर्गमन के समय, प्रत्येक उत्प्रेरक पर ₹1,000/- (जो कि नाममात्र मूल्य है) की कटौती के पश्चात, शेष राशि को कटौती पद्धति (Deductive Approach) के अनुसार अनुदान के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

24. देनदारों के लिए प्रावधान: -

व्यापारिक देयताएँ, अन्य देयताएँ, ऋण एवं अग्रिमों की प्रत्येक मामले के आधार पर समीक्षा की जाती है तथा जिस सीमा तक हानि को घटित (Incurred) माना जाता है, उस सीमा तक उन्हें संदिग्ध (Doubtful) मानते हुए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

22. Segment Reporting

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments as per Accounting Standard-17.

Company has Identified two primary reporting segments viz own manufactured fertilizers (Urea, Bio-fertilizers and Vermi compost) and fertilizer trading (Indigenous and Imported).

23. Grant In Aid – For Catalyst

In case Catalyst procured out of grant it should be adjusted against grant (after deducting @ Rs. 1,000/- each catalyst, which is nominal value) as per deductive approach on issue of catalyst from stores.

24. Provision for Debtors: -

Trade receivables, other receivables, loans, and advances are fully provided for as doubtful upon review on case-to-case basis, to the extent of such loss considered as incurred.

टिप्पणी 30:- खातों के लिए सामान्य टिप्पणियाँ

30.1 आकस्मिक देनदारियां:

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो गया हो तथा यह संभावित हो कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, और जिसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं किया जाता है तथा इन्हें तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन प्रावधानों की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने हेतु आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाता है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

कंपनी के लंबित वाद-विवादों में मुख्यतः कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि द्वारा या उनके विरुद्ध किए गए दावे तथा कर एवं अन्य सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं। कंपनी ने अपने सभी लंबित वाद-विवादों एवं कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान आवश्यक थे, वहां समुचित प्रावधान किया गया है तथा जहां लागू हो, वहां आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है। कंपनी को यह अपेक्षा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आकस्मिक दायित्वों से संबंधित उपयुक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार किया गया है —

आकस्मिक देयता 31 मार्च 2025 तक निम्नानुसार है: -

(₹ लाखों में)

विवरण		2024 - 25	2023 - 24
	कंपनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
(i)	मुकदमेबाजी और अन्य प्रतिबद्धताएं:	236.97	199.47
(ii)	सीएसटी, प्रवेश कर और वैट के विरुद्ध कर देयताएं	684.39	684.39
	कुल	**921.36**	**883.86**

30.2 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

यह कंपनी भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

NOTE 30:-General Notes to Accounts

30.1 Contingent Liabilities:

A provision is recognized when the Company has a present obligation because of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

The Company's pending litigations comprise of claims by or against the Company primarily by the employees, customers, suppliers, etc. and proceedings pending with tax and other government authorities. The Company has reviewed its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where Provisions are required and disclosed, the contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The company does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial statement and appropriate disclosure for contingent liabilities is given below -

Contingent liability is as on 31st March 2025 as under: -

(₹' in lakhs)

Particulars		2024 - 25	2023 - 24
	Claims against the company not acknowledged as debts:		
(i)	Litigation and Other Commitments:	236.97	199.47
(ii)	Tax Liabilities against 'CST,' Entry Tax &VAT	684.39	684.39
	TOTAL	**921.36**	**883.86**

30.2 Related Party Disclosures:

Company is under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.

क. प्रमुख प्रबंधन कर्मी:

(1) श्री मोहन राज शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिनांक 02.04.2025 से

(2) श्री पी.के. बनिक, निदेशक (उत्पादन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार, 22 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2025 तक।

(3) श्री एस.सी. दास, निदेशक (वित्त)

(4) श्रीमती प्रियंका कुमारी, कंपनी सचिव, दिनांक 5 जुलाई 2024 से 6 जनवरी 2025 तक

क. प्रमुख प्रबंधन कर्मी:

(1) श्री पी.के. बनिक (उत्पादन), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार, 22 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक।

(₹ लाखों में)

विशिष्ट	2024-25	2023-24
पारिश्रमिक		
- वेतन एवं भत्ते	35.81	31.46
- अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	**35.81**	**31.46**

(2) श्री सुबाष चंद्र दास, निदेशक (वित्त)

(₹ लाखों में)

विशिष्ट	2024-25	2023-24
पारिश्रमिक		
- वेतन एवं भत्ते	36.72	34.23
- अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	**36.72**	**34.23**

(3) सुश्री प्रियंका कुमारी, सहायक प्रबंधक (सीएस) — दिनांक 5 जुलाई 2024 से 6 जनवरी 2025 तक।

(₹ लाखों में)

विशिष्ट	2024-25	2023-24
पारिश्रमिक		
- वेतन एवं भत्ते	4.58	0.00
- अन्य लाभ	0.00	0.00
कुल	**4.58**	**0.00**

पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन पर किए गए प्रावधान शामिल नहीं हैं।

(A) Key Management Personnel:

(1) Shri Mohan Raj Shetty, Chairman & Managing Director From 02.04.2025

(2) Shri P.K. Banik Director (Production) & Addl. Charge of CMD w.e.f 22nd March – 2023 up to 1st April 2025.

(3) Shri S.C. Das, Director (Finance)

(4) Smt. Priyanka Kumari, Company Secretary w.e.f. 5th July 2024 to 6th January 2025

(A) Key Management Personnel:

(1) Shri P.K. Banik (Production) Addl. Charge of CMD w.e.f 22nd March 2024 to 1st April 2025

(₹' in lakhs)

Particular	2024-25	2023-24
Remuneration		
-Salary & Allowances	35.81	31.46
- Other Benefit	0.00	0.00
Total	**35.81**	**31.46**

(2) Shri Subhash Chandra. Das, Director (Finance)

(₹' in lakhs)

Particular	2024-25	2023-24
Remuneration		
-Salary & Allowances	36.72	34.23
- Other Benefit	0.00	0.00
Total	**36.72**	**34.23**

(3) Smt. Priyanka Kumari, Assistant Manager (CS) w.e.f. 5th July 2024 to 6th January 2025

(₹' in lakhs)

Particular	2024-25	2023-24
Remuneration		
-Salary & Allowances	4.58	0.00
- Other Benefit	0.00	0.00
Total	**4.58**	**0.00**

Remuneration does not include the provision made on actuarial valuation of retirement benefits.

30.3 लेखापरीक्षा व्यय:

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विशिष्ट	2024-25	2023-24
क)	**वैधानिक लेखा परीक्षकों**		
i.	ऑडिट शुल्क	2.85	2.70
ii.	यात्रा और जेब खर्च के लिए प्रतिपूर्ति।	-	-
ख)	**कर लेखा परीक्षा**		
i.	लेखापरीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.80	0.80
ग)	**आंतरिक लेखा परीक्षक**		
i.	लेखापरीक्षा शुल्क और यात्रा एवं अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	2.00	1.40
घ)	**लागत लेखा परीक्षक**		
i.	लेखापरीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.67	0.37
ड़	**एफआईसीसी / शीर्ष लेखा परीक्षक**		
i.	लेखापरीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.76	1.11
च	**पीएफ लेखा परीक्षक**		
i.	लेखापरीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.16	0.17
छ	**लेखापरीक्षा शुल्क सूची / भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा**	1.48	1.00
ज	**लेखापरीक्षा शुल्क और अन्य सेवाओं के लिए अन्य व्यय**	10.46	4.21
	कुल	**19.18**	**11.76**

30.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार देय राशियों का विवरण:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.25 तक	दिनांक 31.03.24 तक
क. मूलधन राशि जो देय है और अभी तक अदा नहीं की गई है	535.01	580.25

30.3 Audit Expenses:

(₹' in lakhs)

Sr. No.	Particular	2024-25	2023-24
A)	**Statutory Auditors**		
i.	Audit Fee	2.85	2.70
ii.	Reimbursement of travelling and out of pocket expenses	-	-
B)	**Tax Audit**		
i.	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.80	0.80
C)	**Internal Auditors**		
i.	Audit Fee & Reimbursement of TA & Other expenses	2.00	1.40
D)	**Cost Auditors**		
i.	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.67	0.37
E)	**FICC / TOP Auditors**		
i.	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.76	1.11
F)	**PF Auditors**		
i.	Audit fee & Reimbursement of Other expenses	0.16	0.17
G)	**Audit fee Inventory / Physical verification Audit**	1.48	1.00
H)	**Audit fee & Other expenses for other services**	10.46	4.21
	Total	**19.18**	**11.76**

30.4 Details of dues to Micro and Small Enterprises as per MSMED Act, 2006:

The details of amounts outstanding to Micro, Small and Medium Enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act), based on the available information with the Company are as under:-

(₹' in lakhs)

Particulars	As at 31.03.25	As at 31.03.24
a. Principal amount due and remaining unpaid	535.01	580.25

ख. उपरोक्त (क) पर देय ब्याज और बकाया ब्याज	-	-
ग. एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर भुगतान किया गया ब्याज	-	-
घ. वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किया गया भुगतान	-	-
ड़. उपरोक्त (ग) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज	-	-
च. अर्जित ब्याज और बकाया ब्याज	-	-
छ. आगामी वर्षों में देय शेष ब्याज की राशि	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण, इन उद्यमों द्वारा दी गई जानकारी/कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय ब्याज राशि न तो देय है, न ही अर्जित की गई है, न ही भुगतान की गई है और न ही देय है।

30.5 एएस 15 (संशोधित) 2005 के अनुसार प्रकटीकरण - कर्मचारी लाभ: कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी लाभों के लिए एएस 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है। इस अपनाने के परिणामस्वरूप, लेखांकन आदि से संबंधित निम्नलिखित खुलासे एएस 15 (संशोधित 2005) की आवश्यकताओं के अनुसार यथासंभव किए जाते हैं।

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

कंपनी द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भविष्य निधि में दिया जाने वाला योगदान ₹ 325.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 336.84 लाख) है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

वर्तमान में लागू लाभ योजनाओं में ग्रेच्युटी फंड और अर्जित अवकाश शामिल हैं। दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुअरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम दायित्व का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग-अलग मापा जाता है। अर्जित अवकाश के दायित्व को ग्रेच्युटी के समान ही मान्यता दी जाती है।

b. Interest due on (a) above and unpaid interest	-	-
c. Interest paid on all delayed payments under the MSMED Act	-	-
d. Payment made beyond the appointed day during the year	-	-
e. Interest due and payable for the period of delay other than (c) above	-	-
f. Interest accrued and remaining unpaid	-	-
g. Amount of further interest remaining due and payable in succeeding years		

Dues to Micro and Small enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information given by such parties/available with the Company. Interest amount due to MSMED parties during the year is not due/accrued/paid or payable.

30.5 Disclosure pursuant to AS 15 (Revised) 2005) - Employee Benefits: The Company has adopted AS 15 (Revised 2005) for Employee Benefits issued by ICAI. Consequent to the adoption, the following disclosures related to accounting etc. are made as far as practicable under AS 15 (Revised 2005) requirement.

a) Defined Contribution Plans

The Company's contribution to Provident Fund for employees and executives is ₹ 325.60

lakh (previous year ₹ 336.84 lakh)

b) Defined Benefit plans

The Benefit plans which are in operation are Gratuity Fund and Earned Leave. The present value of the obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Project Unit Credit (PUC) method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefits entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for Earned Leave is recognized in the same manner as Gratuity.

ग) बीमांकिक द्वारा प्रमाणित विभिन्न आंकड़े:-

क. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान

(₹ लाखों में)

	उपदान	अर्जित अवकाश
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व की वर्तमान राशि	1637.84	864.20
अधिग्रहण समायोजन	-	-
ब्याज लागत	114.65	60.49
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	104.16	51.60
कटौती लागत	-	-
निपटान लागत	-	-
लाभों का भुगतान किया गया	(613.24)	(397.32)
दायित्वों का बीमांकिक (लाभ)/हानि	376.20	356.59
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमानW मूल्य	1619.61	935.56
i) दीर्घकालिक देयता	1355.62	796.30
ii) वर्तमान देयता	263.99	139.26
	1619.61	**935.56**

ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण :- यह योजना लागू नहीं है क्योंकि इसके लिए धन उपलब्ध नहीं है।

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान : - यह योजना लागू नहीं है क्योंकि इसके लिए धन उपलब्ध नहीं है।

घ. लाभ/हानि विवरण में दर्ज व्यय

(₹ लाखों में)

	उपहार	अर्जित अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	104.16	51.60
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	114.65	60.49
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
कटौती लागत	-	-
निपटान लागत	-	-
दायित्वों का बीमांकिक लाभ/(हानि)	376.20	356.59
लाभ/हानि विवरण में दर्ज व्यय	**595.01**	**468.68**

c) Various data as certified by Actuary:-

A. Reconciliation of opening and closing balance of Defined benefits Obligation

(₹' in lakhs)

	Gratuity	Earned Leave
Present value of Obligation at the beginning of the year	1637.84	864.20
Acquisition Adjustment	-	-
Interest Cost	114.65	60.49
Past Service Cost	-	-
Current Service Cost	104.16	51.60
Curtailment Cost	-	-
Settlement Cost	-	-
Benefits Paid	(613.24)	(397.32)
Actuarial (gain)/loss of obligations	376.20	356.59
Present value of obligation at the end of the year	1619.61	935.56
i) Long term liability	1355.62	796.30
ii) Current liability	263.99	139.26
	1619.61	**935.56**

B. Statement showing change in fair value of plan assets:- Not Applicable as Scheme is unfunded.

C. Reconciliation of present value of defined benefit obligation and fair value of plan Assets: - Not Applicable as Scheme is unfunded.

D. Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss

(₹' in lakhs)

	Gratuity	Earned Leave
Current Service Cost	104.16	51.60
Past Service Cost	-	-
Interest Cost	114.65	60.49
Expected return on Plan Assets	-	-
Curtailment Cost	-	-
Settlement Cost	-	-
Actuarial gain/(loss) of obligations	376.20	356.59
Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	**595.01**	**468.68**

ड़. मांकिक मान्यताएँ

मृत्यु दर सारणी (IALM)	2012-14	2012-14
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
जल्दी सेवानिवृत्ति और विकलांगता		
(प्रति हजार प्रति वर्ष 10)		
- आयु 44 वर्ष से अधिक	0.60	0.60
- आयु 31 से 44 वर्ष के बीच	0.30	0.30
- 30 वर्ष तक की आयु	0.10	0.10
छूट की दर	6.93%	6.93%
महंगाई का दर	5.00%	5.00%
परिसंपत्ति पर प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट - सेवानिवृत्त/इस्तीफा देने वाले/मृत कर्मचारियों के अंतिम निपटान लंबित होने के कारण, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का लेखा-जोखा वित्त विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वास्तविक रूप से किया गया है और संबंधित व्ययों को डेबिट करके ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है।

30.6- भविष्य निधि से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 79सी के तहत अधिसूचना संख्या एएस/620/एक्ज़ेम्प्ट/जनरल/1468 दिनांक 08.08.2007 के माध्यम से छूट प्रदान की गई थी। हालांकि, कंपनी के पिछले परिचालन प्रदर्शन और ईपीएफ ट्रस्ट से संबंधित अनुपालन मुद्दों के कारण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अधिसूचना संख्या एएस/टीएसके/एक्ज़ेम्प्ट/एपीसीएल/2008/287 दिनांक 20.04.2009 जारी कर छूट आदेश को वापस लेने की सूचना दी।

इसके जवाब में, नामरूप फर्टिलाइजर श्रमिक यूनियन ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 5310/2009 दायर कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी), तिनसुकिया द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निकासी आदेश को रद्द करने या निरस्त करने की मांग की। इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने 07.04.2010 के आदेश में निर्देश दिया कि अगले आदेश तक, प्रतिवादी न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना बीवीएफसीएल के भविष्य निधि खाते को ईपीएफओ में स्थानांतरित नहीं करेंगे। 13.03.2018 को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 79सी के तहत छूट प्रदान करने या रद्द करने का अधिकार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या C-II/MISC/02/06/EX/Vol-I/11854 दिनांक 24.07.2012 के माध्यम से वापस ले लिया गया था। परिणामस्वरूप, न्यायालय को सरकार के इस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, और डब्लूपीपी(सी) 5310/2009 को निरर्थक मानते हुए निपटा दिया गया।

D. Actuarial Assumptions

Mortality Table (IALM)	2012-14	2012-14
Superannuation Age	60	60
Early Retirement & Disablement		
(10 Per Thousand P.A)		
- age above 44	0.60	0.60
- age from 31 to 44 years	0.30	0.30
- age up to 30 years	0.10	0.10
Discount Rate	6.93 %	6.93 %
Inflation Rate	5.00%	5.00%
Return on Asset	N / A	N / A

Note - Pending final settlement of employees superannuated / resigned / deceased, the gratuity and leave encashment has been accounted for based on the information available with the finance department on actual basis and Provision of Gratuity and Leave encashment has been increased to that extent by debiting the respective expenses.

30.6- Disclosure regarding Provident Fund

The Company's Provident Fund Trust was granted relaxation under Paragraph 79C of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, through Notification No. AS/620/Exempt/Genl/1468 dated 08.08.2007. However, due to the Company's past operational performance and compliance issues related to the EPF Trust, the Employees' Provident Fund Organization (EPFO) issued a notice, No. AS/TSK/EXEMPT/APCL/2008/287 dated 20.04.2009, indicating withdrawal of the relaxation order.

In response, the Namrup Fertilizer Shramik Union filed Writ Petition (Civil) No. 5310 of 2009 before the Hon'ble Guwahati High Court, seeking to set aside or quash the aforementioned withdrawal order issued by the Regional Provident Fund Commissioner (RPFC), Tinsukia. Subsequently, the Hon'ble High Court in order dated 07.04.2010, directed that until further orders, the respondent/s shall not transfer the Provident Fund Account of BVFCL to the EPFO without obtaining leave of the Court. During the final hearing held on 13.03.2018, the Hon'ble High Court noted that the power delegated to RPFCs to grant or cancel relaxations under Paragraph 79C of the EPF & MP Act, 1952, had been withdrawn by the Ministry of Labour & Employment, Government of India, via letter No. C-II/MISC/02/06/EX/Vol-I/11854 dated 24.07.2012. Consequently, the Court found no basis to interfere with the Government's decision, and WP(C) 5310/2009 was deemed redundant and disposed.

इस घटनाक्रम के बाद, कंपनी ने पत्र संख्या A/VI/PF/EXEMPT/18-19/10042 दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से अतिरिक्त सीपीएफ आयुक्त (छूट), ईपीएफओ, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(क) के तहत छूट का अनुरोध किया गया था। यह अभ्यावेदन वर्तमान में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अभी लंबित है। इसके बाद, आरपीएफसी, तिनसुकिया ने पत्र संख्या NE/TSK/Exe/BVFCL/1334 दिनांक 13.09.2018 जारी कर उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2018 के अंतिम निर्णय के अनुसार बीवीएफसीएल ईपीएफ ट्रस्ट की पिछली संचित राशि को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इस बीच, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (सीपीएफसी और आरपीएफसी) को 02.05.2018, 16.07.2018, 08.08.2018, 28.09.2018 और 22.10.2018 को कई पत्र भेजे गए, जिनमें कंपनी ने छूट के लिए अपना अनुरोध दोहराया। हालांकि, आज तक कोई जवाब नहीं मिला है।

इस मामले में निष्क्रियता को देखते हुए, न्यासी बोर्ड ने 27.09.2018 को आयोजित अपनी 36वीं बैठक में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक नई रिट याचिका दायर करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी/सचिव और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य न्यासी को ट्रस्ट की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। तदनुसार, रिट याचिका संख्या WP(C) 7528/2018 दिनांक 01.11.2018 को दायर की गई। माननीय न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 31.10.2018 के माध्यम से RPFC के दिनांक 13.09.2018 और 24.09.2018 के आदेशों पर रोक लगा दी, जो आज तक जारी है।

मामले को अंतिम रूप से 07.03.2025 को सूचीबद्ध किया गया, इससे पूर्व अंतिम सुनवाई 17.10.2023 को हुई थी। न्यायालय ने यह संज्ञान लिया कि यह मामला वर्ष 2018 से लंबित है तथा यह भी अवलोकन किया कि भविष्य में किसी भी पक्ष की ओर से अनुपस्थिति अथवा प्रतिनिधित्व न किए जाने की स्थिति में, न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित करेगा। दिनांक 31.10.2018 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश को संशोधित अथवा निरस्त करने संबंधी कोई आदेश अब तक पारित नहीं किया गया है; अतः उक्त अंतरिम स्थगन आदेश यथावत प्रभावी है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात् बीवीएफसीएल (BVFCL), इस मामले में एक प्रोफार्मा प्रतिवादी है। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रत्युत्तर शपथपत्र (Affidavit-in-Opposition) दिनांक 08.05.2025 को दायर किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2025 के आदेश के माध्यम से विधिवत अभिलेख पर ले लिया गया। वर्तमान में यह मामला अगली प्रत्यावर्तनीय तिथि पर प्रवेश (Admission) के लिए सूचीबद्ध है।

Following this development, a representation was made to the Additional CPF Commissioner (Exemption), EPFO, New Delhi, through the Company's letter No. A/VI/PF/EXEMPT/18-19/10042 dated 07.05.2018, requesting relaxation under Paragraph 17(1)(a) of the EPF & MP Act, 1952. This representation is currently under consideration, and the final decision is still pending. Thereafter, the RPFC, Tinsukia, issued a letter No. NE/TSK/Exe/BVFCL/1334 dated 13.09.2018, directing the transfer of past accumulations of the BVFCL EPF Trust to the Central Board of Trustees (CBT) Account, in accordance with the High Court's final judgment dated 13.03.2018. In the interim, multiple communications were sent to the Central and Regional Provident Fund Commissioners (CPFC and RPFC) on 02.05.2018, 16.07.2018, 08.08.2018, 28.09.2018, and 22.10.2018, reiterating the Company's request for relaxation. However, no response has been received to date.

In light of the inaction, the Board of Trustees, during its 36th meeting held on 27.09.2018, resolved to file a fresh writ petition before the Hon'ble Guwahati High Court. The Executive Officer/Secretary of the Trust and a member trustee representing the employees were authorized to act on behalf of the Trust for this purpose. Accordingly, Writ Petition No. WP(C) 7528/2018 was filed on 01.11.2018. The Hon'ble Court through its interim order dated 31.10.2018, stayed the operation of the RPFC's orders dated 13.09.2018 and 24.09.2018 and the same continues till date.

The matter was most recently taken up on 07.03.2025, following the last hearing on 17.10.2023. The Court took note of the prolonged pendency of the matter since 2018 and observed that in the event of any further non-representation by any party, it would proceed to pass appropriate orders. No order has been passed modifying or vacating the interim stay granted on 31.10.2018; hence, the same remains in operation.

It is pertinent to note that Respondent No. 5, i.e., BVFCL, is a proforma respondent in this matter. The affidavit-in-opposition on behalf of Respondent No. 5 was filed on 08.05.2025 and was duly taken on record by the Court vide order dated 08.05.2025. The matter is now listed for admission on the next returnable date.

30.7- खंड प्रतिवेदन:

कंपनी ने दो प्रमुख रिपोर्टिंग सेगमेंट की पहचान की है, जिनमें स्व-निर्मित उर्वरक (यूरिया, जैव उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट) और उर्वरक व्यापार (स्वदेशी और आयातित) शामिल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीव्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी AS-17 के अनुसार उक्त सेगमेंट से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है।

30.7- Segment Reporting:

Company has Identified two primary reporting segments viz own manufactured fertilizers (Urea, Bio-fertilizers and vermi compost) and fertilizer trading (Indigenous and Imported). Information in respect of said segment as required by AS-17, issued by Institute of Chartered Accountants of India is given hereunder

(लाख रुपये में) /(₹' in lakhs)

विवरण / Particulars	व्यापार / Trading		उत्पादन / Manufacturing		समेकित योग / Consolidated Total	
	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
आय / REVENUE						
बाह्य बिक्री / External sales	15,960.86	27327.77	50,897.22	47,568.67	66,858.08	74,896.44
अन्य कमाई / Other Income	-	-	5,138.72	6,371.77	5,138.72	6371.77
अंतर-खंडीय बिक्री / Inter-segment sales	-	-		-	-	-
कुल मुनाफा / Total Revenue	**15,960.86**	**27,327.77**	**56,035.94**	**53,940.44**	**71,996.80**	**81,268.21**
परिणाम / RESULT						
खंड परिणाम / Segment result	531.86	1185.24	(17,013.16)	(314.01)	(16,481.30)	871.24
अआवंटित कॉर्पोरेट व्यय / Unallocated corporate expenses		-	-	-	-	-
परिचालन लाभ / Operating profit	531.86	1185.24	(17,013.16)	(314.01)	(16,481.30)	871.24
ब्याज व्यय / Interest expense	-	-	-	-	-	-
आयकर / Income taxes	-	-	-	-	-	-
सामान्य गतिविधियों से लाभ / Profit from ordinary activities	531.86	1185.24	(17,013.16)	(314.01)	(16,481.30)	871.24
शुद्ध लाभ / Net profit	531.86	1185.24	(17,013.16)	(314.01)	(16,481.30)	871.24

अन्य सूचना / OTHER INFORMATION						
खंड परिसंपत्तियाँ / Segment assets			64,901.42	63,894.87	64,901.42	63,894.87
अआवंटित कॉर्पोरेट परिसंपत्तियाँ / Unallocated corporate assets	-	-			-	-
कुल संपत्ति / Total assets	**-**	**-**	**64,901.42**	**63,894.87**	**64,901.42**	**63,894.87**
खंड देनदारियां / Segment liabilities	-	-	1,12,965.76	95,477.91	1,12,965.76	95,477.91
अआवंटित कॉर्पोरेट देनदारियां / Unallocated corporate liabilities	-	-	-		-	-
कुल देनदारियों / Total liabilities	-	-	1,12,965.76	95,477.91	1,12,965.76	95,477.91
पूंजीगत व्यय / Capital expenditure	-	-	475.07	790.04	475.07	790.04
मूल्यह्रास / Depreciation	-	-	882.93	1513.74	882.93	1513.74
मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय / Non-cash expenses other than depreciation	-	-	780.18	223.66	780.18	223.66

30.8- अनुपातों का प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण अनुपातों का विवरण निम्नानुसार है:

30.8- Disclosure of Ratios:

The disclosure of significant ratios is as under: -

क्रम संख्या / Sl No.	अनुपात / Ratio	अंश / Numerator	भाजक / Denominator	31.03. 2025	31.03. 2024	विचलन / Variance	कारण / Reason
1	वर्तमान अनुपात / Current Ratio	वर्तमान संपत्ति / Current Assets	वर्तमान देनदारियां / Current Liabilities	0.97	1.32	(27)%	चालू परिसंपत्तियों की तुलना में चालू देनदारियों में वृद्धि के कारण / Due to increase in current liabilities in comparison to current assets
2	ऋण इक्विटी अनुपात / Debt – Equity Ratio	दीर्घ-कालिक उधार / Long term borrowing	इक्विटी और रिजर्व / Equity & Reserve	(1.19)	(1.81)	(34)%	शेयरधारकों की निधि में कमी के कारण / Due to decrease in Shareholders fund
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात / Debt Service Coverage Ratio	ब्याज से पहले कर के बाद का नकद लाभ / Cash profit after tax before interest	ब्याज सहित किश्तें / Installment with Interest	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-	-
4	इक्विटी पर प्रतिफल आरओई): / Return on Equity (ROE):	शुद्ध लाभ / Net Profit	इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि / Equity Share Capital & reserve	(34)%	(3)%	(1033)%	लाभप्रदता में कमी / Decrease in profitability
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात / Inventory Turnover Ratio	बेचे गए माल की कीमत / Cost of Goods Sold	औसत इन्वेंट्री / Average Inventory	4.61	6.68	(31)%	व्यापार की मात्रा में कमी के कारण। / Due to Decrease in volume of Business.
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात / Trade receivables turnover ratio	बिक्री / Sales	देनदारों के खुलने और बंद होने का औसत / Average of opening & closing of debtors	3.14	3.20	(2)%	बिक्री में गिरावट के कारण। / Due to Decrease in sales.
7	व्यापार देयताएँ टर्नओवर अनुपात / Trade payables turnover ratio	खरीद / Purchase	लेनदार खरीद के खुलने और बंद होने का औसत / Average of opening & closing of creditor Purchase	0.86	1.44	(40)%	प्राकृतिक गैस की खरीद लागत में कमी और व्यापारिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण / Due to decrease in Purchase cost of Natural Gas Price and decrease in traded goods

8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात / Net capital turnover ratio	शुद्ध वार्षिक बिक्री / Net Annual Sales	कार्यशील पूंजी / Working Capital	(49.61)	6.95	(814)%	कारोबार में कमी के कारण / Due decrease in Turnover
9	शुद्ध लाभ अनुपात / Net profit ratio	शुद्ध लाभ / Net Profit	कारोबार / Turnover	(0.25)	0.01	(2600)%	कारोबार में कमी के कारण / Due to decrease in turnover
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल रओसीई) / Return on capital employed (ROCE)	ई बी आई टी / EBIT	नियोजित पूंजी (ऋण + इक्विटी) / Capital Employed (Debt + Equity)	87.88)%	3%	(2927)%	लाभ में कमी के कारण / Due to decrease in profit
11	निवेश पर प्रतिफल / Return on investment	ई बी आई टी / EBIT	नियोजित पूंजी (ऋण + इक्विटी) / Capital Employed (Debt + Equity)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-

30.9- सरकारी अनुदान की मान्यता-सामान्य

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यूरिया उत्पादन इकाइयों के संचालन को सुचारू रखने के लिए संयंत्रों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 10,000 लाख रुपये की राशि स्वीकृत और वितरित की है। अप्रयुक्त सरकारी अनुदान पर अर्जित 370.61 लाख रुपये का ब्याज (पिछले वर्ष 391.11 लाख रुपये) उपरोक्त आस्थगित सरकारी अनुदान में शामिल किया गया है।

9127.31 लाख रुपये के उपयोग का प्रमाण पत्र उर्वरक विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 4284.51 लाख, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2597.77 लाख, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1277.77 लाख और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 967.26 लाख के उपयोग सहित)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल व्यय राशि 4383.98 लाख रुपये थी और इसका विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विशिष्ट	2024-25	2023-24
आपूर्ति के विरुद्ध अग्रिम	72.25	424.45
सामग्री प्राप्त कर ली गई है, लेकिन अभी इसका उपयोग होना बाकी है।	742.54	489.80
वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जीएसटी सहित खरीदी और उपभोग की गई सामग्री: 526.54 लाख रुपये (अन्य आय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त)	4383.98	2558.87
पिछले वर्ष का जीएसटी अनुदान सहायता के रूप में मान्यता प्राप्त (वित्त वर्ष 22-23 के लिए पिछले वर्ष का जीएसटी 57.20 लाख रुपये और अन्य आय के तहत मान्यता प्राप्त 149.04 लाख रुपये)।		206.24
लाभ और हानि खाते में दर्ज की गई कुल अनुदान आय	4383.98	2765.11
प्रयुक्त सामग्री पर जीएसटी भुगतान (जीएसटी की वापसी)	-	-
कुल	**5198.77**	**3679.36**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 16 (ii) के अनुसार, अनुदान सहायता पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए इसे व्यय में शामिल करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदान सहायता व्यय से संबंधित 526.54 लाख रुपये का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यय में शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुदान सहायता

30.9- Recognition of Government Grant-General

Government of India has sanctioned and disbursed an amount of Rs 10,000 lakhs during the financial year 2021-22 for Repair & Maintenance of plants to sustain operation of the Urea Manufacturing Units. Interest of ₹ 370.61 lakhs during FY 2024-25 (Previous year ₹ 391.11 lakhs) earned on unutilized government grant have been included in the above Deferred Government Grant.

Utilization Certificate of ₹ 9127.31 lakhs has been submitted to Department of Fertilizers

(Comprising Utilization of ₹ 4284.51 lakhs during FY 2024-25 and ₹ 2597.77 lakhs during FY 2023-24 and ₹ 1277.77 lakhs during FY 2022-23 and ₹ 967.26 lakhs during FY 2021-22).

During the financial year 2024-25, the total amount incurred was of an amount of Rs. 4383.98 lakhs and details are as under: -

(₹. In Lakhs)

Particular	2024-25	2023-24
Advance against supplies	72.25	424.45
Material procured, yet to be consumed	742.54	489.80
Material procured and consumed including GST for the FY 24-25 Rs. 526.54 Lakhs (Recognized under other income)	4383.98	2558.87
Prior Year GST recognized as Grant in Aid (prior year GST of Rs. 57.20 Lakhs for FY 22-23 & Rs. 149.04 Lakhs recognized under other income.		206.24
Total Grant Income recognized in Profit & Loss Account	4383.98	2765.11
GST Payment on used material (Reversal of GST)	-	-
Total	**5198.77**	**3679.36**

As per the significant accounting policy 16 (ii) GST Input Tax credit on Grant in Aid are not being availed and hence same needs to be charged off to expenses. During the F.Y. 2024-25 Rs.526.54 lakhs GST ITC relating to grant in Aid expenses has been charged to expenses and with corresponding increase in the Grant in Aid Income.

आय में वृद्धि हुई है। सरकारी अनुदान सहायता खाते में शेष राशि 1687.50 लाख रुपये है, जिसमें अर्जित ब्याज 1255.10 लाख रुपये शामिल नहीं है।

30.10 (क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर: -

(क) पूंजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची के लिए:-

(₹ लाखों में)

एक निश्चित अवधि के लिए CWIP में राशि					
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	इससे अधिक साल	कुल
एसएसपी प्लांट पर डीपीआर व्यय	-	-	-	-	-
सौर ऊर्जा परियोजना पर डीपीआर व्यय	-	-	-	-	-
नामरूप-IV पर डीपीआर व्यय	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत कार्यों के लिए - ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं, जिनका पूरा होना निर्धारित समय से अधिक हो गया है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

इसे पूरा किया जाना है					
सी डब्ल्यू आईपी	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**	**कुल**
एसएसपी प्लांट	-	-	-	-	-
सौर ऊर्जा परियोजना	-	-	-	-	-
नामरूप-IV	-	-	-	-	-

ख. विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां: -

(क) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों के लिए आयु निर्धारण अनुसूची:-

(₹ लाखों में)

एक निश्चित अवधि के लिए CWIP में राशि					
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
एसएपी कार्यान्वयन	-	-	-	-	-

The balance in Govt, Grant Aid account is Rs.1687.50 Lakhs without interest accrued Rs. 1255.10 Lakhs.

30.10 (A) Capital work in progress: -

(a) For Capital - Work - in - progress ageing schedule:-

(₹. In Lakhs)

Amount in CWIP for a period of					
CWIP	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than years	Total
DPR Expenses on SSP Plant	-	-	-	-	-
DPR Expenses o Solar Power Project	-	-	-	-	-
DPR Expenses on Namrup-IV	-	-	-	-	-

(b) For capital - work in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

To be completed in					
CWIP	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than years	Total
SSP Plant	-	-	-	-	-
Solar Power Project	-	-	-	-	-
Namrup-IV	-	-	-	-	-

(B) Intangible assets under development: -

(a) For Intangible assets under development ageing schedule:-

(₹. In Lakhs)

Amount in CWIP for a period of					
CWIP	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than years	Total
SAP Implementation	-	-	-	-	-

टिप्पणी -

- एसएसपी संयंत्र परियोजना: कंपनी ने एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा जारी की थी और प्रथम पक्ष (L1) का चयन कर लिया था। हालांकि, चालू वर्ष में व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं के कारण प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और आगे कोई विकास होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए, चालू वित्तीय वर्ष में लाभ और हानि खाते में डीपीआर से संबंधित 3.91 लाख रुपये का व्यय प्रभारित किया गया है।

- सौर ऊर्जा परियोजना: एक ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार किया गया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रबंधन ने अपना ध्यान रूफटॉप सोलर सिस्टम की ओर मोड़ दिया है। परिणामस्वरूप, इस परियोजना पर खर्च की गई 7.12 लाख रुपये की राशि चालू वित्तीय वर्ष में लाभ और हानि खाते में दर्ज की गई है।

- नामरूप-IV परियोजना: भारत सरकार ने दिनांक 21.05.2015 को आयोजित अपनी मंत्रिमंडल बैठक में बीवीएफसीएल के वर्तमान परिसर में 8.646 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एक नवीन ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र (नामरूप-IV परियोजना) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना 1.72 एमएमएससीएमडी उपलब्ध प्राकृतिक गैस के उपयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित की जानी है, जिसमें 48 प्रतिशत इक्विटी नामांकन आधार पर तथा शेष 52 प्रतिशत इक्विटी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की संस्थाओं से प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित की जाएगी।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, दिनांक 28.01.2016 को अभिरुचि आमंत्रण (RFQ) जारी किया गया तथा दिनांक 17.06.2016 को प्रस्ताव आमंत्रण (RFP) जारी किया गया। इस प्रक्रिया में मेसर्स गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पूर्व-योग्य (Pre-qualified) घोषित किया गया। तथापि, इन दोनों बोलीदाताओं द्वारा RFP के प्रत्युत्तर में कोई भी वित्तीय बोली प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित द्वि-चरणीय बोली प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रस्ताव आमंत्रण के अंतर्गत बोलीदाताओं से कोई वित्तीय प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

हाल ही में वित्त विभाग (DoF) से एक कार्यालय ज्ञापन (OM) प्राप्त हुआ है, संदर्भ संख्या: 18017/9/2008-FCA (Part) [e-38471], दिनांक 07.04.2025, जिसमें यह सूचित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने

Note –

- SSP Plant Project: The Company had floated a tender and finalised the L1 party for setting up an SSP (Single Super Phosphate) plant. However, due to viability concerns that emerged during the current year, the proposal was dropped, and no further development is expected. Hence, the DPR-related expenditure amounting to Rs. 3.91 Lakhs has been charged to the Profit and Loss Account during the current financial year.
- Solar Power Project: A DPR was prepared for a ground-mounted solar project. However, the proposal was not placed before the Board of Directors for approval and the management has since shifted its focus towards rooftop solar systems as per the emphasis drawn by the Government. As a result, the amount incurred on this project Rs. 7.12 lakhs has been charged to the Profit and Loss Account during the current financial year.

- Namrup-IV Project: Govt. of India vide its cabinet meeting dated 21.05.2015 approved the setting up of a new brown field Ammonia-Urea complex (Namrup-IV Project) in the existing premises of BVFCL having capacity of 8.646 Lakh MT per annum with the available gas of 1.72 MMSCMD through a JV under Public Private Partnership mode (PPP) with equity participation of 48% on nomination basis and the remaining 52% equity through competitive bidding by inviting bids from public/private entities.

As per the Cabinet approval, RFQ was floated on 28.01.2016 and RFP was floated on 17.06.2016. Two bidders viz. M/s Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited and M/s Adani Enterprises Ltd. were pre-qualified, but none of them submitted their financial bids in response to RFP. As such, the Two Stage bidding process approved by the Union Cabinet was not successful, as there was no response from the Bidders for the Request on Proposal.

Of late, an OM was received from DoF, Ref. No.: 18017/9/2008-FCA (Part) [e-38471], Dated: 07.04.2025 wherein it was informed that, Union Cabinet in its

दिनांक 19.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त विभाग के दिनांक 18.03.2025 के नोट में प्रस्तावित बीवीएफसीएल के वर्तमान परिसर में नामरूप में न्यूनतम 12.7 एलएमटीपीए क्षमता वाले एक नवीन ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उक्त परियोजना की अनुमानित कुल परियोजना लागत ₹10,601.40 करोड़ है, जिसे 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ नामांकन आधार पर एक संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इस संयुक्त उद्यम में कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी मात्र 11% होगी, जो मुख्यतः भूमि एवं अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होगी।

तदनुसार, निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (CWIP) के अंतर्गत पूर्व में दर्शाए गए ₹457.17 लाख के व्यय को अब कंपनी के स्वामित्व की परिसंपत्ति नहीं माना गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त राशि को लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में समायोजित कर दिया गया है।

- एसएपी कार्यान्वयन: नामरूप IV को नई संयुक्त उद्यम कंपनी के तहत लागू किए जाने के कारण कंपनी ने SAP कार्यान्वयन परियोजना को रोक दिया है। परिणामस्वरूप, इस परियोजना पर खर्च की गई 24.50 लाख रुपये की राशि चालू वित्तीय वर्ष में लाभ और हानि खाते में दर्ज की गई है।

30.11 गैस परिवहन शुल्क टिप्पणी

बीवीएफसीएल एवं एजीसीएल के मध्य प्रारंभिक गैस परिवहन समझौता वर्ष 2005 से 2015 तक की अवधि हेतु 10 वर्षों के लिए प्रभावी था। तत्पश्चात, उसी शर्तों एवं नियमों पर उक्त समझौते को 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि अर्थात् वर्ष 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया। इसके पश्चात, मूल अनुबंध की शर्तों के अनुसार गैस परिवहन हेतु दोनों कंपनियों के मध्य कुल 4 समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किए गए। अंतिम समझौता ज्ञापन की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक थी।

उक्त समझौता ज्ञापनों में यह सहमति व्यक्त की गई थी कि समझौते के हस्ताक्षर के पश्चात एजीसीएल द्वारा संशोधित चालान पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रस्तुत किए जाएंगे तथा शेष राशि का समायोजन मासिक चालानों / क्रेडिट अथवा डेबिट नोट के माध्यम से, पक्षकारों की आपसी सहमति अनुसार किया जाएगा। तथापि, परिवहन शुल्क एवं गैस परिवहन समझौते (GTA) को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

इस विषय में दिनांक 09 मई, 2024 को असम सचिवालय में असम सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन शुल्क के निर्धारण के पश्चात गैस परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए। तथापि, अंतिम गैस परिवहन समझौता अभी तक संपादित नहीं हो सका है।

तदनुसार, दिनांक 17 मई, 2024 को दोनों कंपनियों के प्रबंधन के मध्य

meeting held on 19.03.2025 approved the Proposal of DoF Note, dated: 18.03.2025 for setting up a new Brownfield Ammonia-Urea Complex with minimum capacity of 12.7 LMTPA at Namrup within the existing premises of BVFCL at the estimated total project cost of Rs 10601.40 Crores with debt equity ratio of 70:30 on nomination basis through a JV.and the Company will have only an 11% stake in the JV primarily for providing land and infrastructure. Accordingly, earlier expenses lying under CWIP amounting to Rs. 457.17 lakhs are no longer considered to be assets under the Company's ownership and have been charged to the Profit and Loss Account during the current financial year.

- SAP Implementation: The company has dropped the SAP implementation project since the Namrup IV is proposed to be implemented under the new JV company. As a result, the amount incurred on this project Rs. 24.50 lakhs has been charged to the Profit and Loss Account during the current financial year.

30.11 Note on Gas Transportation Charges

The initial Gas Transportation Agreement between BVFCL & AGCL was made for 10 Years effective from the Year 2005 to 2015. It was further extended for a period of 5 Years i.e. up to 2020 with the same terms and conditions. Thereafter, 4 Nos. of MoU were signed by both the Companies to transport the gas as per the terms and conditions of the Original Contract. The validity of the last MoU was up to 31.03.2022. It was agreed in the said MoU's that on signing of the agreement AGCL shall submit the revised invoices with retrospective effect and balance amount will be adjusted through monthly invoices / through credit / debit notes as deemed fit by the parties. However, the Transportation Charges and the Agreement could not be finalized upto March 31, 2024. In the matter a meeting was held on May 09, 2024 at Assam Secretariat chaired by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept. It was directed by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept in the said meeting for fixation of transportation charges followed by signing of Gas Transportation Agreement. However final GTA is yet to be signed. Accordingly a meeting was held on May, 17, 2024 between the management of both the companies. In the said meeting the top management of both the

एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा परिवहन शुल्क पर सहमति व्यक्त की गई। दिनांक 17 मई, 2024 को आयोजित उक्त बैठक के कार्यवृत्त (Minutes of Meeting – MOM) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन शुल्क को संशोधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2020 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान अतिरिक्त रूप से वसूल किए गए ₹4,617.83 लाख की परिवहन शुल्क राशि को "असाधारण मद" (Exceptional Items) के अंतर्गत "विवाद के निपटान पर देयता के परित्याग" (Relinquishment of liability on settlement of dispute) के रूप में प्रदर्शित किया गया।

यह समायोजन मेसर्स एजीसीएल से क्रेडिट नोट की प्राप्ति की प्रत्याशा में किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कार्यवृत्त दो सरकारी संस्थाओं के मध्य असम सचिवालय में आयोजित बैठक में असम सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव के निर्देशानुसार हस्ताक्षरित किया गया था। हालांकि, मेसर्स एजीसीएल ने साइन किए गए MOM का सम्मान करने के बजाय, सिविल जज (सीनियर डिविजन) डिब्रूगढ़ के सामने BVFCL के खिलाफ सिविल सूट MS81/2025 तारीख 25/07/2025 दायर किया है।

चूंकि उक्त विषय को आपसी सहमति से सुलझा हुआ माना गया था, अतः कंपनी द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2024 की अवधि के लिए अतिरिक्त गैस परिवहन शुल्क को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उलट (reverse) कर दिया गया था। तथापि, अब चूंकि मेसर्स एजीसीएल द्वारा सिविल सूट दायर किया गया है, अतः विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों (prudence) को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा विवादित ₹4,617.83 लाख की अतिरिक्त परिवहन शुल्क राशि को पुनः प्रासंगिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत "असाधारण मद – विवाद के निपटान पर देयता के परित्याग" के रूप में दर्ज किया गया है (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त आय की राशि का उलट)।

देयता के परित्याग संबंधी प्रविष्टि को उलटने का यह निर्णय केवल लेखा मानक-1 (AS-1) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के उद्देश्य से लिया गया है तथा इसका बीवीएफसीएल के दावे की वैधता या गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि दायर धन वाद में दावा केवल अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए विवादित है, अतः मई 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए अतिरिक्त बिलिंग को, क्रेडिट नोट की प्राप्ति लंबित रहने की स्थिति में, "विवाद के निपटान पर देयता के परित्याग" के रूप में मान्यता दी गई है।

30.12 – आस्थगित कर देयता की मान्यता

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने आयकर अधिनियम के अनुसार परिसंपत्तियों के समापन मूल्य (WDV) और लेखा पुस्तकों के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के समापन मूल्य (Book Value) में समय के अंतर के कारण 2484.12 लाख रुपये की आस्थगित कर देयता को मान्यता दी है। इसे बैलेंस शीट में गैर-चालू देयताओं के अंतर्गत नोट 3B में दर्शाया गया है।

companies agreed on the Transportation Charges. Based on the Minutes of the Meeting (MOM) dated May 17, 2024 between the management of both the companies the Transportation charges has been revised in the FY 2023-24. Accordingly, the excess Transportation charged from April 2020 to March 2024 amounting to Rs. 4617.83 lakhs was shown under Exceptional items as Relinquishment of liability on settlement of dispute. The said adjustment was made in anticipation of the receipt of the credit note from M/S AGCL taking into consideration the fact that the MOM has been signed between two government entities as per the directives of the meeting held at Assam Secretariat chaired by Secretary to Govt of Assam, Industries, Commerce & PE Dept . However M/s AGCL instead of honoring the MOM signed , has filed a Civil suit against BVFCL MS81/2025 dated 25/07/2025 before the Civil Judge (Sr. Div) Dibrugarh. Since the matter was amicably resolved the company had reversed the excess Gas Transportation Charges for the period from April 2020 to March 2024 in FY 2023-24. Now since M/s AGCL has filed the civil suit therefore from prudence point of view, the management has booked the disputed excess transportation charges of Rs, 4617.83 lakhs by debiting the relevant head of expenses under Exceptional items as Relinquishment of liability on settlement of dispute(i.e reversal of amount recognized as income in FY 23-24 towards excess transportation charges for the period from April 2020 to March 2024). This action of reversal of the entry for relinquishment of liability by the Management is only from the point of view of fair presentation of financial statements in accordance with AS-1, Presentation of Financial statements and does not have any bearing on the merit or affects the claim of BVFCL in any way. Also since the money suit filed has disputed the claim only upto April 2024. Hence the excess billing from May 2024 to March 25 has been recognized pending receipt of credit note as Relinquishment of liability on settlement of dispute.

30.12 – Recognition of Deferred Tax Liability

During the Financial Year 2024-25 the companies has recognized deferred tax liability of Rs.2484.12 lakhs on account of timing difference arising out of the closing WDV of the assets as per the Income Tax Act and the closing book value of the fixed assets as per the books of accounts. The same has disclosed at Note 3B under Non-Current Liabilities in the Balance sheet.

30.13-अतिरिक्त जानकारी

आयात के मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय, भंडार और अतिरिक्त सामग्री की खपत और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
1)	आयात का मूल्य सीआईएफ आधार पर परिकलित किया गया है।	-	-
i.	कच्चा माल	-	-
ii.	पूंजीगत माल	830.46	37.47
iii.	घटक और अतिरिक्त पुर्जे	5.26	-
2)	विदेशी मुद्रा में व्यय	-	46.27
i.	उत्पादों की खरीद	-	-
ii.	तकनीकी जानकारी	-	-
iii.	पेशेवर परामर्श शुल्क	-	-
iv.	अन्य सामग्री (यात्रा संबंधी)	-	-

3) उपभोग की गई कच्ची सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स तथा रसायन एवं उत्प्रेरकों सहित घटकों का मूल्य :-

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2024-25	%	2023-24	%
i.	आयातित	211.26	1.23%	105.90	0.64%
ii.	स्वदेशी	17,021.27	98.77%	16,614.76	99.36%
	कुल	17,232.53	100%	16,720.66	100%

4) विदेशी मुद्रा में कमाई - -

5) अनुसंधान एवं विकास

(क) राजस्व व्यय - -

ख) पूंजीगत व्यय

6) अन्य जानकारी:

क) कंपनी के नाम पर न होने वाली अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख: सभी संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं।

ख) बेनामी संपत्ति का विवरण - दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, बेनामी

30.13-Additional Information

Additional information about value of Imports, Expenditure in Foreign Currency, Stores & Spares consumption, and other related details are furnished as under: -

(₹' in lakhs)

Sr No	Particulars	2024-25	2023-24
1)	**Value of Imports calculated on CIF basis**	**-**	**-**
i.	Raw Materials	-	-
ii.	Capital Goods	830.46	37.47
iii.	Components & spare parts	5.26	-
2)	**Expenditure in Foreign Currency**	**-**	**46.27**
i.	Purchase of products	-	-
ii.	Know-how	-	-
iii.	Professional Consultancy Fees	-	-
iv.	Other Materials(Travelling)	-	-

3) Value of Raw Materials, Stores & Spare parts and Components including Chemicals & Catalysts consumed: -

(₹' in lakhs)

Sr No	Particulars	2024-25	%	2023-24	%
i.	Imported	211.26	1.23%	105.90	0.64%
ii.	Indigenous	17,021.27	98.77%	16,614.76	99.36%
	Total	**17,232.53**	**100%**	**16,720.66**	**100%**

4) Earning in Foreign Currency - -

5) Research & Development

(a) Revenue Expenditure - -

(b) Capital Expenditure

6) Other Information's :

a) Title deeds of Immovable Property not held in name of the Company: All the properties are held in the name of company.

b) Details of Benami Property held - There

लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति धारण करने के संबंध में कोई भी कार्यवाही न तो आरंभ की गई है और न ही लंबित है।

ग) जानबूझकर चूककर्ता (Wilful Defaulter) – दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता (Wilful Defaulter) घोषित नहीं किया गया है।

घ) निष्क्रिय/विलोपित कंपनियों से संबंध (Relationship with Struck-off Companies) – दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत विलोपित (Struck-off) कंपनियों के साथ कोई भी लेन-देन नहीं है।

ङ) कंपनियों की परतों (Layers) की संख्या के अनुपालन के संबंध में – लागू नहीं।

च) क्रिप्टो मुद्रा अथवा आभासी मुद्रा का विवरण (Details of Crypto Currency or Virtual Currency) – कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की क्रिप्टो मुद्रा अथवा आभासी मुद्रा में न तो कोई व्यापार किया है और न ही कोई निवेश किया है।

30.14- ऑडिट ट्रेल

कंपनी के लेखे-जोखे एक अत्यंत पुराने सिस्टम कॉबोल (COBOL) में संधारित किए जा रहे थे, जिन्हें समयानुसार अद्यतन करने की आवश्यकता थी तथा वे त्वरित एवं आधुनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। कॉबोल सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैली (Tally) लेखांकन सॉफ्टवेयर को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टैली सॉफ्टवेयर में 'एडिट लॉग' (Edit Log) सुविधा को सक्षम कर दिया गया है।

30.15- पिछले वर्ष की तुलना

क) जहाँ अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वहाँ सभी आंकड़ों को निकटतम लाख रुपये तक गोल किया गया है।

ख) हाँ अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वहाँ पूर्व वर्ष के आंकड़े कोष्ठकों (brackets) में दर्शाए गए हैं। आवश्यकतानुसार, पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहीकरण, पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

are no proceedings initiated or pending against the company for holding Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act,. 1988 (45 of 1988) and the rules made there under as on 31 March, 2025.

c) Wilful Defaulter – The company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender as on 31 March, 2025.

d) Relationship with Struck off - The company has no transactions with companies struck off under section 248 of the companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956 as on 31 March, 2025.

e) Compliance with number of layers of companies – Not Applicable.

f) Details of Crypto Currency or Virtual Currency - The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

30.14- Audit Trail

The company's accounts were maintained in COBOL being a very old system, needed up - dation and with the times, unsuitable for agile business needs. Audit Trial is not possible in COBOL software therefore Tally accounting software was chosen to be implemented in financial year 2023-24.

The Company has already enabled the Edit Log in Tally during the F.Y. 2024-25.

30.15- Previous year's comparison

a) Figures have been rounded off to the nearest lakh of rupees except where otherwise stated.

b) Previous year's figures have been shown in brackets unless otherwise stated. Previous year's figures have been regrouped, rearranged, and reclassified, wherever necessary.

ग) वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप तुलनीय बनाने हेतु, पूर्व वर्ष के आंकड़ों का जहाँ आवश्यक हो, पुनः समूहीकरण, पुनर्व्यवस्था अथवा पुनर्वर्गीकरण किया गया है। ऐसे पुनः समूहीकरणों का कंपनी के लाभ/हानि अथवा निवल मूल्य (Net Worth) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

c) Previous year's figures have been regrouped, rearranged, or reclassified wherever necessary to make them comparable with the current year's presentation. Such regroupings have no impact on the profit/loss or net worth of the Company.

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

ह/-
विकास कुमार झा
Vikash Kumar Jha
कंपनी सचिव
Company Secretary

ह /-
सुबाश चंद्र दास
Subhash Chandra Das
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
डीआईएन - 08988297
DIN - 08988297

ह /-
मोहन राज शेट्टी
Mohan Raj Shetty
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chaiman & Managing Director
डीआईएन -11068203
DIN - 11068203

हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न किया गया है।
के.आर. जयचंद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह/-
(सीए. कुलजीत राय जयचंद)
मालिक
सदस्यता संख्या- 053527
फर्म पंजीकरण संख्या:- 318011E
यूडीआईएन : 25053527BMNTWF1615

तिथि : 11.09.2025
स्थान: नई दिल्ली

As per our report of even dated annexed
K. R. JAICHAND & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
(CA. Kuljit Rai Jaichand)
Proprietor
Membership No.- 053527
Firm Regn. No:- 318011E
UDIN: 25053527BMNTWF1615

Date:-11.09.2025
Place:- New Delhi

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
एक नजर में प्रदर्शन
PERFORMANCE AT GLANCE

(रुपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

S. No	Particulars	2024 - 25	2023-24	2022 - 23	2021 - 22	2020 - 21	2019 - 20	2018 - 19	2017-18	2016 - 17	2015-16
1	SALES	26480	36270	53368	16115	12172	13440	16059	17801	17278	17760
2	Subsidy	40378	38626	61282	14106	10146	19287	30025	20315	27284	44894
3	TOTAL Turn Over (1+2)	66858	74896	114650	30221	22318	32727	46084	38116	44562	62654
4	Other income	5139	6372	1200	2553	1014	1040	1600	4199	1712	2019
5	Stock: accretion(+)decretion(-)	583	2255	-209	106	-1194	168	-72	-861	1990	319
6	TOTAL INCOME	72580	83523	115641	32880	22138	33935	47612	41454	48264	64992
7	Raw materials (Feed Stock) packing materials etc.	17232	16721	20765	6575	5194	8525	11691	9326	10758	14239
8	Salaries & Allowances	6351	6038	5546	6129	5980	7338	8112	6110	6212	7439
9	Repairs & Maintenance	4014	2760	909	884	1455	1199	1167	1282	1052	1036
10	Power & Fuel	29269	27833	34546	11551	9307	16835	20280	15857	17353	25123
11	Other Manufacturing Expences	24167	34887	47520	13560	10337	9338	9026	7496	8568	10693
12	TOTAL EXPENDITURE	81033	88239	109286	38699	32273	43235	50276	40071	43943	58530
13	Gross margin(6-12)	-8453	-4716	6355	-5819	-10135	-9300	-2664	1383	4321	6462
14	Interest & Financial charges	0	66	10	0	0	0	2	0	10	0
15	Depreciation	883	1514	3473	3692	3640	3670	3649	3632	3561	3612
16	Prior Period Adjustment [Debit (+)/ Credit (-)]	-4661	-7167	434	0	0	0	0	0	0	0
17	Profit before taxation	-13997	871	2438	-9511	-13775	-12970	-6315	-2249	750	2850
18	Provision for taxation	-2484	0	0	0	0	0	0	132	0	0
19	Exceptional items	0	0	0	-253	0	0	0	2196	0	0
20	NET PROFIT/LOSS	-16481	871	2438	-9764	-13775	-12970	-6315	79	750	2850
21	Transfer to and from invesment Allowence Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Provision for dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Corporate tax on propose dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gross Block	114985	114578	114082	114232	114058	113050	112583	112252	110853	111178
25	Less :Cumulative Depreciation	99528	97593	98970	95673	91999	88439	84850	81200	77609	75651
26	Less :Provision for Impairement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543
27	Net block	15457	16985	15112	18559	22059	24611	27733	31052	33244	34984
28	Capital work in progress	1818	2379	2211	1302	1359	1677	1101	1143	1456	3130
29	Assets Held for Disposal	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0

30	Current assets	47626	44531	52236	32220	26052	40075	46261	46483	48686	49504
31	Current Liabilities & Provision	48974	33751	40365	24732	11019	13783	9854	8143	12128	15799
32	Invesments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Misc. expenditure (to the extent not written off or adjusted)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Accumulated Losses	84648	68166	69038	71475	61711	47936	34966	28651	28729	29479
35	Total Utilisation	100575	98310	98232	98824	100162	100516	100207	99186	100834	101298
36	WORKING CAPITAL (30 - 31)	-1348	10780	11871	7488	15033	26292	36407	38340	36558	33705
37	Long Term Borrowings	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275
38	Short Term Borrowings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Share Capital	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583
40	Non - Current Liabilities & Provisions	6717	4452	4374	4966	6304	6658	6349	5328	4648	5112
41	Deferred Tax Liability	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
42	Reserve & Surplus	0	0	0	0	0	0	0	0	2196	2196
43	Total Sources	100575	98310	98232	98824	100162	100516	100207	99186	100834	101298
44	NET WORTH (39+42-34)	-48065	-31583	-32455	-34892	-25128	-11353	1617	7932	10050	9300
45	Capital Employed (27+36)	15927	27765	26983	26047	37092	50903	57791	69392	69802	68689
46	Finished Goods	1958	2058	139	870	762	1735	1790	1750	2434	658
47	Work Progress	239	203	483	64	63	288	65	177	353	140
48	Trading Goods	1620	973	104	0	4	0	0	0	0	0
49	Stores & Spares etc.	2689	2966	2723	1967	2043	1770	3103	3052	3270	3498
50	Sundry Debtors	25202	17393	29407	2676	852	28760	26878	8740	27561	42200
51	Cash & Bank Balance	3903	11846	12507	20542	18522	2625	11074	30678	13819	1734
52	Other Current Assets	1262	840	361	363	268	166	328	708	211	150
53	Loans & Advances	10753	8252	6512	5738	3538	4731	3023	1378	1038	1124
54	Total (46 to 53)	47626	44531	52236	32220	26052	40075	46261	46483	48686	49504
55	Less: Current Liabilities	48194	33527	39702	24285	10301	12336	8984	7985	10993	14823
56	Provisions	780	224	663	447	718	1447	870	158	1135	976
57	Total (55+56)	48974	33751	40365	24732	11019	13783	9854	8143	12128	15799
58	NET WORKING CAPITA (54 - 57)	-1348	10780	11871	7488	15033	26292	36407	38340	36558	33705
59	Gross Internal Resources (15+20)	-15598	2385	5911	-6072	-10135	-9300	-2666	3711	4311	6462
60	Cumlative Gross Internal Resources(25-34)	14880	29427	29932	24198	30288	40503	49884	52549	48880	46172
61	Total Urea (MT) Installed Capacity	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000
62	Total Urea (MT) Production	186832	180153	223342	170280	131880	155992	286315	269586	310605	322645
63	Capacity Utilisation (%) UREA	36.63	35.32	43.79	33.39	25.86	30.59	56.14	52.86	60.90	63.26
64	Total Urea Sales Quantity	185644	175340	227873	169922	137569	160186	286435	269972	297641	320606

Notes

बीवीएफसीएल द्वारा असम एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर बीवीएफसीएल की विपणन टीम तथा उसके चैनल भागीदारों की उपस्थिति में डीलर एवं रिटेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान बीवीएफसीएल के उत्पाद पोर्टफोलियो, दृष्टि (विजन) तथा वर्तमान उर्वरक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया गया।

BVFCL Conducted dealer and retailer training programmes at various locations in assam & west Bengal in the presence of BVFCL marketing team and its channel partners. Discussed on BVFCL product portfolios visions present fertilizer scenarios.

“

If Agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right.

MASANOBU FUKOUKA